

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

**Students can retain library books only for two weeks at the most**

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# राजस्व के सिद्धान्त एवं भारतीय वित्त-व्यवस्था

लेखक

रघुवीर सिंह जैन एम.ए., एम. कॉम.  
भू० पू० अध्यक्ष, लर्णुकास्त्र विभाग, दिग्म्बर जैन कालिज, बडोत (मेरठ)

पूर्णतया सशोधित संस्करण

प्रकाशक

रस्तोगी एण्ड कम्पनी  
मुद्रक तथा प्रकाशक, मेरठ.

१९५६ ]

{ मूल्य तीन रुपये  
पिछले नये दैर्घ्य

## भूमिका

 क समय या जबरि आधिक विद्ययों में राजकीय हस्तक्षेप को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। परन्तु धीरे धीरे समय ने पहला लक्ष्य और आधिक विद्ययों में राजकीय हस्तक्षेप बढ़ाव दिया। १९४७ ई० की हस्त की आन्ति के पश्चात तो यह बात सिद्ध हो गई कि राज्य अपनी कर आदि हारा आय प्राप्त करने तथा उसकी जनता के लिए यात्रा करने की नीति से सावनिक हित पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसी दारण जन साकारण का प्यास राजस्व के विद्यय की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में राजस्व को ग्रन्थालय का एक विद्यय रखा गया है। इस विद्यय के ऊपर अपेक्षी में तो बहुत सामग्री उपलब्ध है परन्तु हिन्दी में इस पर अभी बहुत कम लिखा गया है। हिन्दी के राष्ट्र भाषा घोषित हो जाने के पश्चात बहुत से विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों को अपने उन्नर हिन्दी में लिखने की सुविधा प्रदान की है। विद्यार्थी भी अधिकाधिक सहयोग में इस अवसर से लाभ उठा रहे हैं और हिन्दी की पुस्तकों की अधिकाधिक मांग कर रहे हैं। मन्ने इस पुस्तक को लिखकर विद्यार्थियों को इस मांग को पूरा करने का प्रयत्न किया है।

इस पुस्तक को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। पहले खण्ड में राजस्व के सिद्धान्तों को समझाने का प्रयत्न किया है तथा दूसरे खण्ड में भारतीय राजस्व के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के लिखने में मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकता की अधिक में अधिक सामग्री मिल सके तथा इस सामग्री को इतनी सुरक्षा भाषा में रखने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक पढ़ने वाला उसको बिना कठिनाई के समझ सके। आशा है मैं अपने प्रयत्न में सफल हो सकूँगा।

इस पुस्तक के लिखने में बहुत सी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि से सहायता ली गई है जिनका उचित स्थानों पर उल्लेख किया गया है। जहाँ तक ही सका है वर्तमान आँखें देने वा प्रयत्न किया गया है। परन्तु कहीं स्थानों पर और किसी तरह स्थानीय राजस्व में वर्तमान आँखों के अभाव में कुछ पुराने आँखें ही दिए गए हैं।

( व )

इस पुस्तक में जिन विशिष्ट शब्दों (Technical Terms) का प्रयोग किया गया है उनको मैंने डॉ. रघुवीर के हिन्दी-अंग्रेजी के कोष से लिया हूँ। बहुत से स्थानों पर मैंने इस कोष के कठिन शब्दों के स्थान पर अपने सरल शब्दों का ही प्रयोग किया है।

इस पुस्तक के लिहने में मुझे अपने मित्र थो भारतीय हौजी उपाध्याय एम० ए०, आश्वस हिन्दी विभाग, दिग्म्बर जैन कालिज, बड़ीत से बहुत सहायता प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं उनका हृदय से प्राभारी हूँ।

दिग्म्बर कालिज  
बड़ीत  
१०-८-५५

रघुवीर सिंह जैन

# विषय-सूची

## प्रथम संग्रह

### अध्याय १—विषय प्रवेश

१

राजकीय वया होता है? राजकीय तथा व्यक्तिगत आदेश वा भेद, अपिकृतम् रामानन्दित सिद्धान्त, राजकीय के विवरण।

### अध्याय २—राजकीय व्यय

१०

राजकीय व्यय में वृद्धि के कारण, राजकीय व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय का भेद; राजकीय व्यय के सिद्धान्त, राजकीय व्यय का योगीकरण।

राजकीय व्यय के आर्थिक प्रभाव—उपर्युक्त पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव व्यय प्रभाव।

### अध्याय ३—राजकीय आय

२३

राजकीय आय का योगीकरण।

राजकीय आय के विभिन्न साधन—कर, फौज सूत्र, विदेश कर अधिकार जूनीय पद्धति, भेट, सरकारी इम्प्रिंट, उपहार, कर वर्दों तथा आय जाता है? कर सिद्धान्त—समता सिद्धान्त; निर्दिचतता का सिद्धान्त, सुविधा का सिद्धान्त मित्र्यवता का सिद्धान्त, उत्पादकता का सिद्धान्त भविधा का सिद्धान्त, सरकार का सिद्धान्त।

वरों का योगीकरण—ग्रन्तिप्रतिक, बहुमान, प्रहितामी तथा अप्रोमामी, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, विद्युष्ट तथा मूल्यानुसार।

एक अथवा अनेक कर-प्रणाली

कर निर्धारण में न्याय की समर्था—विज्ञेय सिद्धान्त, वस्तिपूर्ति तथा समाज-दादी सिद्धान्त, 'जैसा तुम्हे मिले वैसा छोड़ दो' सिद्धान्त, 'प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ददा करना चाहिए' सिद्धान्त; सेवा के मूल्य का सिद्धान्त, साम अथवा 'जैसे को तैसा' सिद्धान्त, जहाँ करने की योग्यता अथवा समता का सिद्धान्त।

एक अच्छी कर-पद्धति की विशेषताएँ, कर देने की शक्ति।

### अध्याय ४—कर भार ✓

५२

कर-द्याव, कर-भार, कर विवरण, कर विवरण की दशा कर विवरण के रूप, कर विवरण की माप, कर विवरण तथा कर से बचने का भेद; कर का द्वारय-द्याव तथा वास्तविक द्याव, कर-भार के अध्ययन का महत्व।

वर भार के मामान्य सिद्धान्त—(१) कर-भार वस्तु की माम प्रोर पूति की सचक पर निर्भर होता है। (२) वर भार स्थानादेश वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर होता है। (३) कर-भार उत्तराति के नियमों पर निर्भर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कर-भार, एकविवाह के अन्तर्गत कर का भार, भूमि पर लगाए गए कर का भार, इमारतों पर लगाए गए कर का भार; आवास और निर्पति करों का भार आप कर का भार, वर का पूजीकरण, वर का पूजीहरण कब किया जाता है ? कर का व्यान्तर।

कर विवर्तन के सिद्धान्त—फिजियोक्रेट्स का सिद्धान्त, आपुनिक सिद्धान्त। करों का प्रभाव—उत्तराति पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, आम्य प्रभाव।

#### अध्याय ५—सार्वजनिक झटण

७७

सार्वजनिक झटण द्वया होता है सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत झटण की तुलना, सार्वजनिक झटण का इतिहास, झटण और कर का भेद, झटण अपवाह कर। नार्यजनिक झटण का वर्गीकरण—इस इच्छित तथा अन-इच्छित झटण, आ तरिक तथा बाह्य झटण उत्पादक या उन्नरत्पादक तथा अनुत्पादक या मृत झटण मृत-नर याता झटण, सक्रिय झटण तथा निषिक्षय झटण, अनिवार्य दालीन तथा निविल-दालीन झटण शोषण तथा अशोषण झटण, सर्वजनिक झटण के प्रभाव—उपर्योग तथा उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, व्यापारिक मदी म सार्वजनिक झटण का महत्व, दुद दालीन प्रयं वर्चवश्य।

मार्पजनिक झटण के चुसाने के ढग (१) झटण चुकाना, (२) झटण-नियेष, (३) आविष्क वृत्ति, (४) झटण उपात्तरण, (५) झटण-वरिग्रोव घोष। पूजी कर विभिन्न गड़ों के आपसी झटण।

#### अध्याय ६—राजस्व का प्रवन्धन

१०४

वित्त नियन्दण करने वाली सम्यांग—ध्यवद्यापक सभा, शासन विभाग, गिरि संघी समूह, जात विभाग, आदिव निद-झटण के सम्बन्ध में साधारण चाहे।

बजट—बजट वा भ्रम, बजट वा महत्व बजट हे सम्बन्ध में साधारण बज, बजट का तैयार दरना—(१) बजट बोन तैयार करता है। (२) बजट क्व तैयार किया जाता है। बजट के तैयार किया जाता है, बजट वा पात होता।

वित्तियोग विधेयक आपसी व्यव, करों पर मत लेना—प्रयं वित्त तथा द्रव्य वित्त, सार्वजनिक झटण पर नियन्दण, अनुदानों वा टटकारा; भारतीय संसद वा अर्थ ध्यवद्या पर नियन्दण

## द्वितीय खण्ड

### भारतीय राजस्व

#### अध्याय ७—केन्द्रीय राजस्व

१२१

भारतीय राजस्व पर प्रभाव डालने वाली बातें, एकात्मक तथा संघीय शासन पद्धति, संघीय शासन के सिद्धान्त—(१) एक रूपता, स्वकंत्रा, पर्याप्तता, उचित प्रबंध

भारतवर्ष में संघीय अर्थ-जगवश्चाका विभास—एकात्मक शासन तथा उसके दोष, विकेन्द्रीकरण की ओर पर—पहला परा (१२६० से १८७७) इसरा परा (१८७७-८२), सीमारो परा (१८८२-१८९१), चौथा परा (१९१६-१० के सुपार), मेट्टन परिनिर्णय, पाँचवा परा (१९१५ का विधान तथा स्वतन्त्र भारत का विधान)—

(अ) संघीय त्रोत, (ब) संगमानी, प्रान्तोण, ओटो निमियर रिपोर्ट, ओटो निमियर रिपोर्ट पर एक दृष्टि, ओटो निमियर परिनिर्णय में पहला संशोधन (१९३६-४१), दूसरा संशोधन (१९४८) सरकार नियिति, तीसरा संशोधन (देशमुल परिनिर्णय), देशमुल परिनिर्णय की प्रालोचना, वित्तीय आव्योग, नए विधान के अनुसार आय के लोहों का बढ़वारा

संघ सरकार की आय के कुछ मुख्य स्रोत—आप-कर, आपैरेटन कर, उत्तराधिकारी कर, सीमा कर, केन्द्रीय उत्पादन कर, चौमो पर उत्पादन कर, दिग्नात्माई पर उत्पादन कर, चाप, केहवा तथा सुपारी पर कर, मोटर के तेल पर कर, तमाकू पर कर, तमक कर, ग्राफीम कर, टैले, ढाक और तार, तिसके घोर नोट

संघ सरकार का व्यय—रक्षा-व्यय, जन-व्यय, द्वारणाधियों को फिर से द्वासाने का व्यव, छाड़ सामग्री पर अर्थ-सहायता, ग्राम एकत्र करने पर व्यवर्जन भारतीय कर पद्धति की कुछ विशेषताएं, कर पद्धति में उन्नति करने के कुमार्य

#### अध्याय ८—राज्य सरकारों की आय और व्यय

१७६

मालयुजारी, मालयुजारी कर है अद्यता लगात, मालयुजारी तथा कर हिन्दूनर, मालयुजारी में उन्नति करने के मुद्दाएं

कुपि-ग्राम-कर, उत्तर प्रदेश कुपि ग्राम-कर की कुछ विशेषताएं  
ग्रामतीय उत्पादन कर; मर्यान्दिय की नीति

✓ विश्री कर; विश्री कर का ददा होता है; विश्री कर के प्रवार, विश्री कर की

प्रकृति, विकी कर बद्धमान कर ही हता, कर में छट, कर की दर, दिनी कर का भार, सामान्य दिनी कर, विकी कर के दोप, भारत में विकी कर

मनोरजन तथा बाजी कर

मुद्राक वर इस कर की आलोचनाएं, मुद्राक रह और कर सिद्धान्त, रजिस्ट्री फीस

मोटर गाड़िया पर कर-कर का आधार, कर की दर, कर की स्थाय समता, कर भार, मोटर गाड़ियों के राष्ट्रीय करण का प्रश्न

रोजगार, पेशे तथा व्यापार का कर, सिचाई

राज्य सरकारों का व्यय—शाहन वा व्यय, देश में सान्ति और व्यवस्था रखने का व्यय, राष्ट्र विर्माण कार्यों पर व्यय,

अध्याय ह—स्थानीय राजस्व

२०२

✓नगर पालिकाओं की आय और व्यय

आय—

प्रश्नकृत वर—द्यावार, पेशे, कार्यों आदि पर कर, व्यावेत्यों पर कर द्यवय हैसियत वर

दूसरे होटे कर—सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कर, बाजार कर, पशुओं की रजिस्ट्री वरने का कर, नोकरों तथा कुत्तों पर कर, घोड़ियों पर वर, हड्डियों तामो, साइरिसो आदि पर कर, नए शर्तों के मुभाव

अप्रत्यक्ष कर—चुगी, सीमा वर, सीमा भार्य शुल्क, व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय, पानी, विजली, किराया, बसाइयट, आवायमन के सापन, सहायक अनुदान, स्थानीय छहण

नगर पालिका के व्यय—मतवाहन, स्थानीय सेवायें शिक्षा, विविध व्यय जिला बोर्डों की आय और व्यय

आय—भूमि पर उपकर, सम्पत्ति तथा परिस्थिति पर वर, माले शुल्क, कांडों होत, शुल्क, विराया, नेत्रे, सहायक अनुदान,

व्यय—शिक्षा, सड़कों तथा इमारतों पर खब, हस्तान्त तथा सकाई

ग्राम पंचायतों की आय और व्यय

आय, व्यय, स्थानीय संस्थाओं की ग्रामिक स्थिति पर एक वृद्धि

अध्याय १०—भारत का सार्वजनिक नृण

२२७

डिलीप महापृष्ठ का भारत के सार्वजनिक छहण पर प्रनाय, स्टॉलिं छहण द्वा चुकाया जाता, रप्या फ्रेग, अल्पकाल फ्रेग, अल्प बच्चों

# राजस्व

## PUBLIC FINANCE

### अध्याय १

#### राजस्व क्या होता है ?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बिना दूसरे की सहायता लिए स्वयं अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए उसको दूसरों की सहायता प्राप्त करना अनिवार्य है। इन आवश्यकताओं में से कुछ ऐसों हैं जिन की पूर्ति के लिए न तो कोई व्यक्ति इव्वत्ति ही करता है और न ही वह यदि वह प्रयत्न भी करे, उनकी पूर्ति कर सकता है। ऐसी आवश्यकताओं में से कुछ यह है— विदेशियों के ग्रात्याचारों से अपने आपको बचाना, आनंद जाने के लिए सड़कों तथा रेलें बनवाना, चिकित्सा के लिए हस्पताल बनवाना, राजि के समय उन सब स्थानों पर जहा वह जाना चाहता है रोशनी का प्रबन्ध करना, घोर, डाकुओं से अपने आपको मुरक्कित रखने के लिए पुलिस का प्रबन्ध करना आदि। परन्तु फौज, सड़क, रेल, हस्पताल, पुलिस भारि के बिना न तो अकिञ्चित अपने जीवन को मुरक्कित ही समझ सकता है और न ही उसका उचित इन्हें का विकाय ही हो पाता है। इसी कारण मनुष्यों ने मिल कर राज्य का निर्माण किया। प्रारम्भ में राज्य का मूल्य कार्य देश वी वाहु आनंदगां से रेखा करना और देश में आनंदिति आनंद और व्यवस्था स्थापित करना था। परन्तु धीरे धीरे राज्य के कार्य का विस्तार होता गया और भावकल जीवन का कोई भी ऐसा धोन दृष्टिगोचर नहीं होता जहा कि राज्य का कुछ न कुछ हस्तक्षेप न हो।

राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न विचार मिलते हैं। अराजकतावादी (Anarchist) विचार धारा के लोगों वा विश्वास है कि एक ऐसी देश आएगी जब मनुष्य नैतिकता के इन्हें ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा कि शासन की कोई आवश्यकता ही न रहेगी। इसके विपरीत साम्यवादी (Communist) विचार धारा के लोगों का मत है कि देश के सब साधन राज्य के हाथ में होने चाहिए और उसको ही एवं प्रशासन के आधिक वालों का नियन्त्रण करना चाहिए। इन दोनों सीमाओं के बीच दो प्रकार की और विचार धाराएँ मिलती हैं। एक विचार धारा के फिजियोक्रेट (Physiocrats) द्वारा इङ्ग्लॅंड के मिल (Mill) तथा आदम स्मिथ

(Adam Smith) की है। इस विचार धारा के लोगों का विश्वास है कि हर व्यक्ति इस बात का प्रयत्न करता है कि उसका अधिक से अधिक रित हो और जब सब व्यक्ति इस प्रकार प्रयत्न करेंगे तो सारे समाज का अधिक से अधिक हित होगा। इसलिए राज्य को व्यक्तियों के कारों में कम से कम हास्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी विचार धारा के लोग यह हैं जिनको समूहवादी या समाजवादी (Collectivist or Socialist) कहते हैं। इस विचार धारा के लोगों का वहना है कि मानव कल्पणा के लिए राज्य सीमा रखित शक्तिया धारणा पर सवता है।

इन सब विचार धाराओं में अतिम अर्थात् समाजवादी विचार पारा ही आज तक सब से प्रबल है। आज कल प्रायः सब देश इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि वह घरने देश और एक लोक बल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाये। ऐसा बरतने के लिए राज्य अधिकारीक शक्ति घरने हाथ में लेता जा रहा है। प्रयत्न महायुद्ध के पश्चात से तो यह बात प्रत्यक्ष रूप में ही विकारी पड़ रही है।

शासन को अवस्थित रूप से चलाने के लिए राज्य के मिल मिल रूप होने हैं। उनमें से एक केन्द्रीय शासन होता है जूसरा प्रान्तीय और तीसरा स्थानीय। इन सब के कार्यक्षेप मिल भिन्न होते हैं, जैसे भारतवर्ष में केन्द्रीय शासन के हाथ में रेता, रेल, डाक, तार, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी सिवाई की योजनाएँ आदि हैं। प्रान्तीय (जिनको यद्य राज्य बहते हैं) शासन के हाथ में कृषि, जिला स्वास्थ्य, नड़कें, ज़मीनात, पुलिस आदि हैं। तथा स्थानीय शासन (जिसमें नगर पालिकाएँ तथा जिला बोर्ड तथा लिलित हैं) के हाथ में नगर अथवा ग्राम की सड़कें बनवाने, प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करने, ग्राम में रोशनी, सफाई, स्वास्थ्य, प्रादि का प्रबन्ध करने वा वायं होता है। इन जनहित कार्यों के लिए इन सब प्रकार के जातनों को धन भी आवश्यकता पड़ती है। यह धन कर (Tax) तथा और दूसरे साधनों द्वारा प्राप्त दिया जाता है। भारतवर्ष में बेशीय, राज्य तथा स्थानीय शासनों के आय के साधन मिल हैं। इन सदकों प्रायः तथा अय वा हम राजस्व में अध्ययन करते हैं।

इस प्रकार राजस्व में हम यह सोखते हैं कि गरवार दिम प्रवार व दिन हिदाता के अनुमार भरनी आय प्राप्त करती तथा उनका अय वर्ती है। राज्य की आय व अय के असरों व मिट्ठान वे अध्ययन को राजस्व कहते हैं।<sup>1</sup> डा० डाल्टन के अनुसार 'इसका सम्बन्ध सावंभिक पदाधिकारा (Public Authorities) की आय तथा अय तथा इन वा एक दूसरे से सामन्जस्य स्थापित बरतने से है।'<sup>2</sup>

(1) "The investigation into the nature and principles of State Expenditure and Revenue is called Public Finance"— Adam Smith.

(2) Dalton—Principles of Public Finance--P 3,

## राजकीय तथा व्यक्तिगत आय-व्यय का भेद Distinction between Public and Private Finance

राजकीय तथा व्यक्तिगत आय-व्यय में भेद करते समय हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ सेनी चाहिए कि जहाँ तक आय-व्यय के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है दोनों में दोई भेद नहीं हैं। दोनों के साय-व्यय पर एक ही प्रकार के तिहाँत लागू होने हैं। परन्तु फिर भी दोनों में इस प्रकार वे भेद हैं कि एक दो दूसरे से अलग करना आवश्यक ही है। यह भेद विस्तृत है—

(१) आय और व्यय का सम्बन्ध— राजकीय तथा व्यक्तिगत आय व्यय में विपरीत सम्बन्ध पाया जाता है। व्यक्ति सदा ही यह प्रयत्न करता है कि वह अपनी आय से अधिक खर्च न करे। इस प्रकार व्यक्ति का व्यय उस की प्राप्ति से निष्पारित होता है। इस के विपरीत राज्य पहले यह निश्चित करता है कि उसको किस मद्द पर बिना खर्च करना है। इस प्रकार कुर व्यय का अनुमान लगा कर राज्य यह देखता है कि वह निश्चित किए गए व्यय के लिए बेंगे आय प्राप्त करे। इस प्रकार राज्य पहले व्यय निश्चित करता है और किर आय।

परन्तु राजकीय और व्यक्तिगत आय-व्यय वह भेद दृढ़ नहीं है क्योंकि वहूत से अबसरों पर राज्य तथा व्यक्ति दोनों ही इस बात का उल्लंघन कर देते हैं। वहूत से अबसरों पर जैसे विवाह, मन्त्रानलोपित, मृत्यु यादि अबसरों पर व्यक्ति की सामाजिक कुप्रवादीयों के कारण अपनी आय से भी अधिक खर्च करना पड़ता है। भारतवर्ष में तो यह बात प्राप्त देखी जाती है। इस प्रकार दर्ज करने के पदचात व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार राज्य के लिए भी सदा यह सम्भव नहीं है कि वह अपने व्यय के अनुमान आय प्राप्त करने में सफल हो जाए। वहूत से अबसरों पर राज्य को अपना व्यय पूरा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यापारिक मन्दी (*Trade Depression*) के समय सरकार को अपने वहूत से ऊर्जे का करने पड़ते हैं। यही बात भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति में भी दायर है। आजकल भारत सरकार के सामने वहूत सी पर्याप्त योजनाएँ हैं जिन को वह शीघ्र से शीघ्र पूरा देखना चाहती है परन्तु आय के साधनों की कमी के कारण इन योजनाओं के पूरा होने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। यदि यह बात नदा ही सत्य होती तो इन्हें आय के अनुमान अपनी आय प्राप्त कर जेता है तो इन प्रकार की कठिनाई के उत्पन्न होने वा प्रश्न ही उत्पन्न गयी होता। इस प्रकार यह नहीं उचित नहीं जान पड़ता कि व्यक्ति अपनी आय के अनुमान व्यय करता है और राज्य अपने व्यय के अनुमान आय प्राप्त करता है। वास्तव में यह भेद गोण (Kind) का नहीं बरन् मात्रा (Degree) का है।

उपर्युक्त कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि राजनीय और व्यक्तिगत आपन्याएँ में कोई भेद नहीं है, अथवा इन दोनों में भेद करना लाभदायक नहीं है। वास्तव में इन दोनों में भेद करना आवश्यक है, क्योंकि साधारणतया व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही अपना व्यय निश्चित करता है और राज्य अपने व्यय के अनुसार अपनी आय निश्चित करता है और बहुत कम आवस्था पर ही ऐसा होता है कि यह बात ठीक नहीं होती।

**श्रृणु प्राप्ति में भेद—** व्यक्ति साधारणतया इस बात न। प्रयत्न करता है कि वह अपनी आय तथा व्यय का सन्तुलन करे परन्तु ऐसा होना मध्य सम्बन्ध नहीं होता। यदि किसी वर्ष उसकी आय और व्यय बराबर नहीं होते और व्यय अधिक हो जाता है तो वह या तो अपनी भूतकाल की बचत में से उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है और यदि उसने कोई बचत न की होती वह कहीं से छह प्राप्त करता है अथवा अपनी किसी सम्पत्ति को बेचकर धन प्राप्त करता है। इसी प्रकार राज्य के लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रति वर्ष ही अपने बजट का सन्तुलन करे। यदि किसी वर्ष आप व्यय से अधिक बढ़ जाता है तो राज्य को भी भूतकाल वी बचत में से खर्च करना पड़ता है अथवा अपनी किसी सम्पत्ति को बेचना पड़ता है अथवा कहीं से छह लेना पड़ता है। यहा तक तो राज्य तथा व्यक्तिगत आपन्या में कोई विशेष भेद नहीं है। हा, इतना भेद अवश्य है कि व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपना बजट बनाए। बहुत से व्यक्ति बजट बनाता हो दूर रहा अपना हिताम किताम भी नहीं रखते। परन्तु राज्य के लिए बजट का बनाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत तथा राजकीय आय व्यय में जो दूसरा भेद है वह श्रृणु प्राप्ति के सम्बन्ध में है। श्रृणु दा प्रकार का होता है—(१) बाह्य तथा (२) आन्तरिक। बाह्य श्रृणु अपने से प्रतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त विद्या जाता है। परन्तु आन्तरिक श्रृणु अपने से ही प्राप्त विद्या जाता है। व्यक्ति के बचन बाह्य श्रृणु ही प्राप्त कर सकता है। वह आन्तरिक श्रृणु प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति वह अपने आप से कैसे श्रृणु प्राप्त कर सकता है। परन्तु राज्य बाह्य तथा आन्तरिक दोनों प्रकार श्रृणु प्राप्त कर सकता है। बाह्य श्रृणु वह विदेश से प्राप्त करता है और आन्तरिक श्रृणु अपने ही देश के सोना से प्राप्त करता है।

अपने व्यय को पूरा करने के लिए सरकार दे पाए एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के पास नहीं होता। सरकार को नोट छापने का अधिकार है। इन नोटों को देश के हर व्यक्ति को लेना पड़ता है। जब सरकार को व्यय बहुत बढ़ जाता है जैसे युद्ध काल में अथवा किसी आधिक सदृष्टि के समय तो वह नोट छाप कर उस खर्चे को पूरा कर लेती है। परन्तु व्यक्ति के प्रतिबन्धन का बोई मूल्य नहीं होता और न ही वह नोट छाप सकता है। इसलिए उसको बड़ी बिल्लाई का सामना करना पड़ता है।

(३) सीमान्त उपयोगिता का समीकरण— अपनी आप को लंबे करते समय व्यक्ति पा यह प्रयत्न रहता है कि वह उसको इस प्रकार लंबे करे जिससे कि उसको हर उपयोग से समान उपयोगिता प्राप्त हो क्योंकि ऐसा होने पर हो वह धन का अधिकतम लाभ उठा सकेगा। व्यवहार में व्यक्तियों को इस प्रकार लंबे करते नहीं देखा जाता, परन्तु यह बात सत्य है कि उत्तम से प्रत्येक का, सिवाय उनके जिन को ऐसा न रखे को बुढ़ि नहीं है, इस और प्रयत्न चबैश रहता है। राज्य व्यक्ति में भिन्न होता है। राज्य के लिए यह बात सम्भव नहीं है कि वह विभिन्न उपयोग में किए गए सर्व का ठीक अनुमान लगा सके। परन्तु यहीं भी इस बान का प्रयत्न अवश्य किया जाता है कि धन का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि उससे प्राप्त उपयोगिता उस हानि से भ्रष्टिक हो जो कि कर देने वालों को होती है। इस प्रकार पहा भी अधिकतम लाभ का सिद्धान्त सामने रखा जाता है।

व्यक्तिगत आप-च्यव में व्यक्ति यह भी प्रयत्न करता है कि वह अपने धन की इस प्रकार लंबे करे जिससे कि उसको बहुमान और भविष्य में अपने धन से समान उपयोगिता प्राप्त हो। परन्तु व्यक्ति भविष्य पर सहा लगाता है वह बहुमान को ही अधिक महत्व देवर अधिक पत बहुमान में लंबे बताता है। परन्तु राज्य के सामग्रे लंबे करते समय बहुमान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि भविष्य। वित्त मंत्री अपना बजट बनाते समय कभी यह ध्यान नहीं रखता कि वह बहुमान में अधिक धन लंबे करके अपने पूँग के लोगों को सुखी बनाए चाहे आगे आने वाली पीढ़ी को इस सुख के लिए बड़े बड़े बलिदान ही पयो न करने पड़ें। इसके विपरीत बजट बनाते समय वह अपने आपको भविष्य की पीढ़ी का विद्यार्थ भाजन (ट्रस्टी) समझता है और वह सदा यह प्रयत्न करता है कि आगे वाली पीढ़ी को देश की बांगड़ोर सौपते समय वह इस बात का गर्व करे कि वह देश वो उससे अच्छी स्थिति में सौप रहा है जिस में कि उसने उसको स्वयं लिया था। इस भावना के कारण ही व्यक्तिगत आप-च्यव तथा राजकीय आप-च्यव में बड़ा अन्तर हो जाता है।

(४) आधिकार बजट में अन्तर— व्यक्ति का सदा ही यह प्रयत्न रहता है कि वह इस प्रनाल दर्बर करे कि उसके पास कुछ न कुछ बच जाए। यदि बचत न हो तो यह उसको अच्छा नहीं समझता, परन्तु राजकीय बजट में यदि बचत दिखलाए जाती है तो उत पर बड़ा चार विवाद होता है क्योंकि बचत का शर्म लोग यह समझते हैं कि उन पर अधिक कर लगाए गए हैं और अधिक कर देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। परन्तु यहीं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हीन बजट को भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसके विपरीत उस बजट को प्रच्छा समझा जाता है जो सन्तुलित हो।

(५) व्यक्ति के आय साधन सीमित तथा राज्य के असीमित—व्यक्ति के साधन बहुत ही सीमित होते हैं। यदि किसी कारण उम्रवा व्यय मत्तानक ही बढ़ जाय तो वह उसको पूरा करने वे लिए अपनी आय के साधन नहीं बढ़ा सकता। परन्तु राज्य के आय के साधन बहुत में होते हैं। यदि विसी समय व्यय बढ़ जाता है तो सरकार आय प्राप्ति के बहुत से छँट्ठे निकाल लेती है।

(६) राज्य के लिये अधिक धन का व्यय कभी कभी लाभप्रद पर व्यक्ति के लिये नहीं—हर व्यक्ति को अपना व्यय अपनी आय के अनुसार ही रखता चाहिए। अधिक व्यय उसके लिए लाभप्रद नहीं होता। परन्तु राज्य के लिए कभी कभी अधिक व्यय बहुत ही आवश्यक है। यदि राज्य अधिक धन का व्यय यादू के प्राइवेट क साधनों का उपयोग करने के लिए बरता है तो उसमें देश का धन व राष्ट्रिय बढ़ती है और देशगारों का रोजगार मिलता है। यह बात दम हित में लिए आवश्यक है।

(७) व्यनिगत आय भेदपूर्ण परन्तु राजकीय ऐसा नहीं—हर व्यक्ति इस बात का प्रयत्न करता है कि वह विसी को भी अपनी आय व्यय का धन न होने दे। इसके लिए वह बड़ी सावधानी से काम लता है। परन्तु राज्य अपनी आय तथा व्यय की मूल्यांकन फैलाने का प्रयत्न करता है। ऐसा करने में उसकी मात्र घटने के बदले बढ़ती है।

(८) राजकीय बजट में परियोग सुगम—एक व्यक्ति के लिए यह बढ़ा कठिन है कि वह अपनी आय तथा व्यय को अपनी इच्छानुमार बढ़ा देता रहे। यदि वह जाने भी है कि उसकी आय पहले से दुगनी अधिक तिकुनी हो जाए तो भी (सीमित साधनों के बारण) वह कभी भी अपनी आय को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकेगा। इसी प्रकार व्यय को कम करना भी उसके लिए बड़ा कठिन है कार्यिक जीवन-स्तर वे नीचा होने पर व्यक्ति को कष्ट होता है। परन्तु राज्य अपनी इच्छा नुमार अपनी आय तथा व्यय में परिवर्तन करता रहता है। यह एक कापी बड़ी सीमा तक अपनी आय भी बढ़ा सकता है और अत्यवश्यकता पड़ने पर उसको कम भी कर सकता है। ऐसा करने पर उसको व्यक्ति के समान कष्ट नहीं होता।

**अधिकतम समाज-हित सिद्धान्त—(Principle of Maximum Social Advantage)**

अब से लगभग डह मी वर्ष पूर्व लोग का यह विचार था कि सरकार को कम से कम वस्तुत वरके कम से कम धन व्यय करना चाहिए। जै० बी० से (J B Say) इसी धन के थे। उनका बहना था कि राजस्व की सदृश अच्छी योजना कम सर्व करना है और सबसे अच्छा कर वह है जो मूल्य में सबसे बग हो। इस प्रकार वी विचार धारा के दो बारण थे। एवं तो यह था कि उस समय सोगा

में अविनिवाद (Individualism) वी भावना वडी प्रदल थी। वे समझते थे कि मनसे अच्छा चालन वह है जो सोगों की स्वतन्त्रता तथा उनके धन पर कम से कम आधार पहुँचाए। दूसरा कारण यह था कि उस समय के सोगों का विश्वास था कि सखार का एवं ऐपा अनुत्पादक कार्यों में खर्च होना है। इसबे विपरीत व्यन्ति अपना धन उत्पादक कार्यों पर खर्च करता है। इनी कारण ग्लैडस्टन (Gladstone) का कहना था कि पत अविनियोग के पास बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए।

अब हमको यह विचार करना चाहिए कि उपर्युक्त विचार भारा कहा तक सत्य है। मह सोनना कि हर प्रकार का नर बुरा होना है विलक्षण गलत है। इसपे विपरीत मह सोनना भी उत्तम ही गलत है कि हर प्रकार का राजकीय व्यय अच्छा होता है। उदाहरण बे लिए हम कह सकते हैं कि भविरा पर लगाए गए कर से उभने होता है। उदाहरण बे लिए हम कह सकते हैं कि भविरा पर लगाए गए कर से उभने मूल्य में बढ़ि होती है और उससे उपभोग में बढ़ि होती है इसलिए वह नर अच्छा मूल्य में राख होता है। उन्वे विपरीत राजवार का जो व्यय अनावश्यक युद्ध के लड़ने वहा जा सकता है। उन्वे विपरीत राजवार का जो जापान पर लगाए गए धन गरीबा अधिया वे रोड़ारो गे राख होता है उससी बुरा कहा जायगा परन्तु जो धन गरीबा अधिया वे रोड़ारो को आर्थिक सहायता देने में लग्ज विया जाएगा वह अच्छा व्यय ही वहा जाएगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न सब कर बुरे हैं और न उन राजकीय व्यय ही। दोनों ही जनता के लिए सामग्री भिड़ हो सकते हैं।

अब हम दूसरो बात पर विचार करेंगे कि वहा तक सखार द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक तथा अविनिवाद द्वारा किया गया व्यय उत्पादक होता है। आदम लिप्त तथा लिखाँओं का मत था कि अविनियोग द्वारा किया गया व्यय उत्पादक तथा राज्य द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक होता है। इस बात का निर्णय करते के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि उत्पादक तथा अनुत्पादक व्यय कौनता होता है? वह यर्जुन जिसने जनता को लाभ पहुँचाता है उत्पादक कहा जा सकता है और शेष वो अनुत्पादक। यदि इस दृष्टी पर हम राज्य द्वारा शिक्षा, विभिन्न आदि पर किए गए व्यय वो कर्ते तो हम यह वह गलत है कि यह उत्पादक राज्य है व्योरि इस व्यय ने जनता की वार्षिक उत्तरता तथा मोर्याता बढ़ावी है। इसके विपरीत यह कोई अविनियोग नहीं होता। इसलिए इस व्यय को अनुत्पादक ही कहा जाएगा। इस बात से यह सिर तूमा हि जनता तथा राज्य दोनों दे द्वारा खर्च किया गया धन उत्पादक भी हो सकता है और अनुत्पादक भी।

अस्तु, राज्य का सही सिद्धान्त यही है कि राज्य वो आने आय-व्यय का प्रबन्ध ऐसा करता चाहिए जिससे कि अधिकतम समाज हित हो। राज्य वे यहूत से कार्य ऐसे होने हैं जिनसे इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। सरकार करों के हृदय में धनी सोगों ने धन एवं वर्ती है तथा उन धन को विभिन्न ढांगों से किर जनता

को लौटा देती है, जैसे कुछ तो ठेकेदारों को दे देती है, कुछ सरकारी कर्मचारियों दो उनकी सेवाओं के बदले दे देती है और कुछ देशन, देशीगतारी आदि के बीमे के इन में दे देती है पूरे दुष्ट शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रवर्ग वरके सर्व कर देती है। इन यन्ह का प्रभाव यन की उत्तरित तथा वितरण पर पड़ता है।

राजकीय व्यय का उत्तरित पर जो प्रभाव पड़ता है वह उत्पादन शक्ति बढ़ने से पड़ता है। उत्पादन-शक्ति बढ़ने पर कम से कम परिधम द्वारा अधिक से अधिक उत्तरित प्राप्त करसी जाती है। इस के कारण आधिक साधनों का कम से कम दुष्टयोग होता है। वितरण पर पड़ा हृदय प्रभाव समाज में धन की असमानता को कम करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों तथा घरेलारों को इस बात का अवसर प्राप्त होजाता है कि वे समय समय पर होने वाली धारा की असमानता को कम कर सकें। यह असमानता बुढ़ापे की पेन्दान तथा पारिवारिक भत्तों द्वारा कम हो जाती है। इस प्रकार यह कहना अनुनित न होगा कि राजकीय व्यय द्वारा अधिकतम समाज हित होता है।

यह जानने के लिए कि राजकीय आव-व्यय के द्वारा अधिकतम समाज हित हुआ कि नहीं हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। प्रथम हमें, यह देखना चाहिए कि अमूक राजकीय व्यय विस उद्देश्य में किया गया है। यदि बोई व्यय विसी बड़ी आधिक योजना को सफल बनाने अथवा विसी विदेशी आपसमाज दो रोकने के लिए किया गया है तो वह उचित है चाहे उस पर खर्च की एई धन-योग्य मात्रा में वित्ती भी थी न हो। उसमें समाजिक हित की वृद्धि होती है। परन्तु यदि नोई राजकीय व्यय इन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है तो वह समाज हित को कम करता है चाहे उस पर खर्च किया गया धन कम ही थी न हो। दूसरे, इट-ए-ड्रिट के स्वरूप और उसकी प्रणाली पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के बराद्दारा समाज धारा प्राप्त वीं जा सकती है, परन्तु कुछ करा का भार दूसरों से अधिक प्रतीत होता है। इस कारण समाज-हित उस कर द्वारा बढ़ना है जिसका भार बरदाता पर कम से कम पड़े। तीसरे, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वर्दी वा देव वीं उत्पादन शक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यदि वर प्रणाली का यह प्रभाव होता है कि उसके बारण लोगों की धन बचाने की इच्छा तथा उनकी धक्का कम होती है तो उससे सामाजिक हित नहीं बढ़ता।

इस प्रकार यह यह यह सहल है कि राजकीय व्यय का लिद्दत अधिकतम सामाजिक हित होना चाहिए। यह उचित दङ्ग से वर लाने तथा प्राप्त विए गए धन को उचित दङ्ग से व्यय करने से प्राप्त हो सकता है।

### राजस्व के विभाग—

प्रध्ययन की मुदिषा के लिए राजस्व को हम चार भागों में बाट सकते हैं—

**राजकीय व्यय (Public Expenditure)** इसके अन्तर्गत राजकीय व्यय की रौद्रियों तथा सिद्धान्तों का प्रध्ययन होता है और यह निश्चित किया जाता है कि राज्य को किन कार्यों पर कितना व्यय करना चाहिए।

(२) **राजकीय आय (Public Revenue)** इस के अन्तर्गत हम यह प्रध्ययन करते हैं कि राजकीय आय कैसे प्राप्त होती है और राज्य को कित किन रौद्रियों और सिद्धान्तों से वह आय प्राप्त करनी चाहिए।

(३) **राजकीय ऋण (Public Debt)**—इसके अन्तर्गत हम यह प्रध्ययन रखते हैं कि ऋण किन कार्यों के लिए लेना चाहिए, ऋण लेने का सिद्धान बया है और ऋण कैसे चुकाया जाये।

(४) **राजस्व का प्रबन्ध (Financial Administration)**—इसके अन्तर्गत हम राजकीय आय व्यय और ऋण समस्याओं के वास्तविक प्रबन्ध का प्रध्ययन करते हैं। इसमें हम यह भी प्रध्ययन करते हैं कि राज्य का बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और किस प्रकार उसके प्रभुसार ही वह अपना आय व्यय करता है। इसके अन्तर्गत हिसाब की जाव (Audit) भी प्राप्ती है।

## अध्याय २

### राजकीय व्यय

#### (PUBLIC EXPENDITURE)

राजकीय प्रथं-व्यवस्था के दो मुख्य प्रग हैं—(१) राजकीय व्यय तथा (२) राजकीय आय। पिछली शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने राजकीय व्यय की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया या क्योंकि राज्य ने कार्यों का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। उम समय के लोगों का मत था कि राज्य को पुलिस राज्य के समान बेवल न्याय तथा रक्षा का कार्य ही करना चाहिए और किसी प्रकार के आर्थिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु तब से अब तक लोगों के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब लोगों वा विद्वास हैं कि राज्य की रक्षा तथा न्याय के प्रतिरिक्त सामाजिक उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इन बारण आज कल राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसका भूत्त्व अब बहुत बड़ा गया है।

राजकीय व्यय में वृद्धि के बारण—राजकीय व्यय में वृद्धि के निम्न-लिखित बारण हैं—

(१) क्षेत्र तथा जन संख्या में वृद्धि—जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही जैसे राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि होती गई क्योंकि मा तो राज्यों ने नए नए देशों को जीत कर उनको अपने अन्दर सम्मिलित कर लिया या उन्होंने देश के उन भागों की ओर भी ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया जो पहले अवनत दस्ता में थे। इस के प्रतिरिक्त हर देश की जन संख्या निरलार बढ़नी जा रही है। बढ़ते हुए क्षेत्र तथा बढ़नी हुई जन संख्या के बारण राज्य के लिए अधिक कार्य तथा व्यय बराबर घावस्थित हो गया है।

(२) मूल्यों में वृद्धि—राजकीय व्यय वी वृद्धि का दूसरा बारण मूल्यों में वृद्धि है। इहा जाता है कि भारतवर्ष में चारोंवय के समय में (चनुं शताब्दी ईमंवी पूर्व) वस्तुओं का जो मूल्य था आज उसमें उसकी अपेक्षा सेवाओं युनी वृद्धि हो गई है।\* अभी पिछले चौदह, पन्द्रह वर्षों में ही मूल्यों में कई युनी वृद्धि हो गई है। मूल्यों में वृद्धि के बारण राज्य का व्यय बढ़ जाता है क्योंकि एक तो उसको अपने बांसुनारियों के बेतन में वृद्धि करनी पड़ती है और दूसरे उसको अपनी आवश्यकता के लिए प्राप्ति कून्ह इह वस्तुएँ सोल हेती पड़ती हैं।

\*उस समय चालन (१), नैन (२), बी (३), दार (४), नमक (५), दक्ष (६) मन थे।

(३) राष्ट्रीय धन व रहन-सहन के दर्जे में उल्लंघन—एसार प्रतिशत है। विज्ञान में उल्लंघन के कारण नई नई चीजों का आविष्कार होता जा रहा है। इन आविष्कारों के कारण हुपि तथा उद्योग धन्हों की बेहद उल्लंघन हो गई है। और उसके कारण राष्ट्रीय आय भी सूख बढ़ गई है। राष्ट्रीय आय बढ़ने के कारण लोगों के जीवन स्तर तभा राजनीय आय में यो वृद्धि हो गई है। इन बातों के कारण राज्य का व्यय भी बढ़ चला है।

(४) प्रजातन्त्र का भार—प्रजातन्त्र के कारण भी राजकीय व्यय बहुत बढ़ गया है। प्रजातन्त्र में देश के हर कोटे के प्रतिनिधि राज्य के काडों में भाग लेते हैं और अपने-अपने भाग की आधिक छठिनाइयों वो दूर कराने का प्रयत्न करते हैं। इन सब छठिनाइयों को दूर करने में सरकार को बहुत अधिक माथन जुटाने पड़ते हैं। इसके अनियन्त्रित विधान भगवा वे राजस्तों का वैतन उन के राजधानी में ठहरने का खर्च तथा उनके आपात-व्यय पर भी राज्य को बहुत-सा धन खर्च करना पड़ता है।

(५) दोप पूर्ण अर्थ-प्रबन्ध—राजवीम व्यय इतानिए भी बढ़ जाता है यद्यकि राज्य के अधिकारी देल भाल कर खर्च नहीं करते। हमारे देश में युद्ध से पहले केन्द्र में जितने मरनी थे आज उससे लगभग दुगने हैं। राज्य के कर्मचारियों तथा चपरायियों की संख्या भी पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। बहुतसा अलावश्यक खर्च बर दिया जाता है। यही नहीं बहुत भी आधिक योजनाओं पर आवश्यता से योग्य खर्च हो जाता है। इन सब बातों के कारण राजकीय व्यय बढ़ता स्वाभाविक ही है।

(६) युद्ध के रोकने का व्यय—प्रथम महा युद्ध के पश्चात् से सोसार एक भीपाल आपत्ति में को हो कर युजर रहा है। सोसार में महा युद्ध का भय बना रहता है। द्वितीय महा युद्ध के पश्चात् भी यह भय कम नहीं हुआ है। इस कारण भारत के प्राय सभी देशों को बाह्य आक्रमण का सामना करने के लिए एक बड़ी भेना रखती पड़ती है। भारतवर्ष में रक्षा मन्दन्यों लंबे लग भग दो सी करोड़ हैं जो कुल व्यय का लगभग ५० प्रतिशत है। उस के लिए इतालैंड, अमरीका, रस प्रादि देशों को भी यूद खर्च करता पड़ता है। इसके कारण राजकीय व्यय बहुत बढ़ गया है।

राजकीय व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय का भेद—राजकीय व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय में निम्नलिखित अन्तर है—

(१) व्यक्तिगत व्यय व्यक्ति की आय से निविलत होता है परन्तु राजकीय व्यय राज्य की आय पर निर्भर नहीं होता। महा पहले व्यय का प्रतुमान लगाया जाता है और फिर आय के साथ लोजे जाते हैं। परन्तु कभी कभी राज्य वो भी व्यक्ति के समान मिलव्यक्ति करनी पड़ती है।

(२) राजकीय व्यय करना आवश्यक है, परन्तु व्यक्तिगत व्यय दिया भी जा सकता है और नहीं भी।

(३) राजकीय व्यय में इनी मितव्यमिता का ध्यान नहीं रखा जाता जितना कि व्यक्तिगत व्यय में रखा जाता है।

(४) राजकीय व्यय कभी कुछ लोगों के हित में, दिन वा शासन कर्ताओं पर प्रभाव होता है, वरना पड़ता है परन्तु व्यक्तिगत व्यय किसीके प्रभाव के कारण नहीं दिया जाता।

(५) व्यक्ति किसी खर्च को करने से पूर्व वह अच्छी प्रकार देख लेता है कि उसको उससे कुछ लाभ है या नहीं। जहाँ उसको लाभ नहीं होता वहा॒ं वह खर्च करता ही नहीं। परन्तु राजकीय व्यय में यह बात नहीं देखी जाती। राज्य को कभी उस समय भी खर्च करना पड़ता है जबकि उसके करने से राज्य को लाभ न हो, जैसे राज्य को पिछड़े हुए भासों में सड़क, रेल, डाक, टाटा, विभिन्न आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। ऐसे स्थानों पर कोई भी व्यक्ति रख्या खर्च करना नहीं चाहेगा परन्तु राज्य को वह खर्च करना ही पड़ता है।

### राजकीय व्यय के सिद्धात

#### (Canons of Public Expenditure)

राजकीय व्यय को बिना सोचे भरके नहीं करना चाहिए। वह व्यय करते समय निम्नलिखित सिद्धातों का ध्यान रखना चाहिए—

(१) लाभ का सिद्धात (Canon of Benefit), (२) मितव्यमिता वा सिद्धात (Canon of Economy), (३) स्वीकृति का सिद्धात (Canon of Sanction), (४) आवश्यक-सिद्धात (Canon of Surplus), (५) लोच का सिद्धात (Canon of Elasticity)

(१) लाभ के सिद्धात—राजकीय व्यय का यह सिद्धात है कि जनता का भागिकताम हित होना चाहिए। राजकीय व्यय के हारा सामाज की उन्नति होनी चाहिए तथा इसके कारण देश में उत्पत्ति बढ़नी चाहिए। इस व्यय के हारा देश बाह्य आवश्यकों द्वारा प्राप्तिरूप अवृद्धि स्थापित करना चाहिए। इसके हारा देश में व्यय की अव्यवस्था भी दूर हो जानी चाहिए।

लाभ के सिद्धात का भर्त यह नहीं है कि कुछ महों को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण समझकर उन पर सदा ही अधिक धन खर्च किया जाए। कभी कभी रक्षा का व्यय काट कर दिया और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इस प्रवार राजकीय व्यय का प्रकार वरना चाहिए जितने कि हर उपयोग से समाज उपयोगिता प्राप्त हो। यह बात योद्धा बठिन है परन्तु यह मिदात के रूप में अवश्य सम्मने रखनी चाहिए।

लाभ के सिद्धान्त का अर्थ यह भी है कि उसने द्वारा समाज के किसी विशेष स्विकृत या दर्ता को लाभ नहीं होना चाहिए जब तक कि (अ) व्यय की घन राति बहुत कम न हो, (ब) वह घन न्यायालय के द्वारा बमूल न किया जा सके, (स) व्यय किसी एक निश्चिह्न नीति अथवा रिवाज के अनुसार न हो। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार इकूल, कालिजो तथा हस्पतालों को तो अर्थन्हायता दी जा सकती है परन्तु मन्दिर या मस्जिद आदि नहीं बनाये जा सकते।

(२) मित्रव्ययिता का सिद्धान्त—जनता से प्राप्त किए हुए घन की रखने करते समय उसी प्रकार की भित्रव्ययिता में काम बेना चाहिए जिस प्रकार कि अकिञ्चित घन को खर्च करते रामय की जाती है। इस राये को घरोहर के रूप में मानता चाहिए और उसको बड़ी सावधानी से खर्च करना चाहिए। इस प्रकार की सावधानी सार्वजनिक कार्यों (Public works) में विशेषता काम में लानी चाहिए। इन कार्यों पर खर्च किया गया इष्यमा आवश्यक होना चाहिए तथा कार्य उचित दर पर करना चाहिए। कर्मचारियों का तादादला सोच समझकर करना चाहिए जिससे कि उनके इष्यर उधर भेजने में अनुचित खर्च न हो। भारतवर्ष में इस सिद्धान्त वा बहुत कम पालन होता देखा जाता है। यहाँ पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखे हुए हैं, बहुत से कार्य आरम्भ करके छोड़ दिए जाते हैं और उन पर किया गया व्यय बेकार हो जाता है। 'अधिक गन्न उपजाओ योजना' पर संकेत नहोड हस्या खर्च हुआ परन्तु उसके कोई विवेष लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार के भौत भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से जनता के हस्ये का दुरुपयोग आवश्य रोकना चाहिए।

(३) स्वीकृति का सिद्धान्त—इसका अर्थ यह है कि राजकीय व्यय उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसको करने की उचित आज्ञा प्राप्त न कर ली जाये। यदि कोई व्यय बिना स्वीकृति के कर दिया जाए तो व्यय करने वाला कर्मचारी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार छहराया जाये। इस सिद्धान्त में निम्नलिखित नियम भी सम्मिलित हैं—

(अ) किसी भी सरकारी अफसर को उससे प्राप्तिक खर्च करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए जितना कि उसको स्वयं स्वीकृत करने का अधिकार है।

(ब) कहु जेवत उहाँ भीजो पर जर्ब करना चाहिए जिनके लिए घन उधार लिया जा सके और उस कहु जो नीटाने का भी प्रबन्ध आवश्य करना चाहिए।

(स) स्वीकृति की रोति से सम्बन्धित एक नियम लेस्टा-योथण (Auditing) का है। सार्वजनिक व्यय के लिए उसकी पूर्व स्वीकृति ही आवश्यक नहीं है वरन् व्यय करने के पश्चात् उसकी परीक्षा भी उनकी ही आवश्यक है। सभी सार्वजनिक खातों

वो प्रति वर्ष जात होनी चाहिए दिसें कि अनुचित दृढ़ से रखा रखने का क्या जा  
भो और विभिन्न अधिकारी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन न कर सके।

(५) आधिकारिक सिद्धान्त—राजवीय व्यय इतना अधिक नहीं होना चाहिए  
जिससे कि हीन बजट बने। हीन बजट बनाने से जनता का करण-भार बढ़ जाना है  
और जगत का देश की अर्थ-व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है। इसे कारण  
विदेश में भी देश की साल कम हो जाती है। हीन बजट की अवहेलना करते हुए  
दूसरे स्थित घन्तरांगीय अर्थ भ्रम्मेलन ने कहा था, 'जो देश कि हीन बजट की  
नीति अपनाता है वह फिल्में बाले मार्ग पर चल रहा है जो कि विनाश की ओर  
ने जाता है, इस मार्ग से बचने के लिए निमी प्रबार का बनिदान भी बहुत अधिक  
नहीं है।' इस कारण यह आवश्यक है कि हीन बजट न बनाया जाय। बजट  
बनाते भ्रम्म विस मन्त्री को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह उस व्यय को जो  
कि पूरी-व्यय (Capital expenditure) है लाभ-व्यय (Revenue expenditure)  
न माने अद्यता इसके विपरीत न करे नहीं तो बजट द्वारा ठीक स्थिति का  
जान न हो सकेगा।

वहाँ तक हो दित मन्त्री को सन्तुतित बजट (Balanced Budget)  
बनाना चाहिए, अर्थात् आय और व्यय प्राप्त समान ही रखने चाहिये। ऐसा करने  
पर ही देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक रह सकेगी।

यहाँ पह चात भी समझ लेनी चाहिए कि दित मन्त्री को प्रति वर्ष ऐसा बजट  
नहीं बनाना चाहिए जो कि आपिय दिलाये। यदि वह ऐसा बजट बनायेगा तो देश  
के लोग उस पर यह वह कर आपत्ति छापेंगे कि उनके ऊपर कर-भार आवश्यकता  
म अधिक है। इसलिए न तो हीन बजट बनाना चाहिए और न आपिय बजट बरन्  
मन्तुतित बजट बनाना चाहिए।

(५) लोच सिद्धान्त—मार्वेजनिक व्यय का लोचदार होना बहुत ही आवश्यक  
है। यह नो तभी बड़ाना चाहिए जबकि हथायी हृष से आय बढ़ जाये। यदि आय में  
भ्रष्टायी हृष में बढ़ जाने पर व्यय बढ़ा दिया जाता है तो उससे नविष्य में कठिनाई  
की हो सकती है यद्यकि खर्च ना बड़ाना तो सारल है और उग्गे बढ़ने पर बहुत मे  
लोगों को रोकार मिलता है उद्या बड़ुन से लोगों की आय बढ़ती है इमनिग उस पर  
कोई विरोध आपत्ति नहीं करता परन्तु जब व्यय भ्रष्टाया जाता है तो उम पर बड़ी  
आपत्ति की जाती है, जैसे कि मारतवर्प में बहुत से सदाई के दफ्तर बन्द होने पर जब  
बहुत से कर्मचारी हटा दिए गए तो उन्होंने आपत्ति की। इसलिए व्यय को बड़ाने  
नगय गावधानी से काम लेना चाहिए।

राजकीय व्यय का वर्गीकरण (Classification of Public  
Expenditure)—यह शास्त्रियों में इस सम्बन्ध में बड़ा मनमेव है। प्रथम ने  
अपने ही दृढ़ से राजकीय व्यय का वर्गीकरण किया है।

उनीसदी के आधे शास्त्रियों ने राजकीय व्यवहार का वर्गीकरण, उस व्यवहार में समाज को होने वाले लाभ के आधार पर या उस व्यवहार द्वारा के उपलब्ध में जो आय प्राप्त होती है, उसके आधार पर लिया है। कुछ लेखकों ने राज्य के कार्यों के आधार पर भी वर्गीकरण किया है।

जर्मन सेक्षन कोहन (Cohn) तथा अमरीकन लेखक प्लैहन (Plehn) ने समाज को होने वाले लाभ के आधार पर राजकीय व्यवहार का वर्गीकरण किया है। प्लैहन वा वर्गीकरण इस प्रकार है—

(१) वह उस व्यवहार को सबसे व्याधिक महत्वपूर्ण समझता है जो समान रूप में सबको लाभ पहुँचाता है, जैसे रक्षा, राज्य, शिक्षा आदि का व्यवहार।

(२) वह व्यवहार को कुछ व्यक्तियों को विशेष रूप से लाभ पहुँचाता है, जिन्होंने सबके लिए समान लाभ कहा जा सकता है, जैसे बेकारों, गरीबों तथा बूढ़े व्यक्तियों द्वारा आधिक सहायता देना।

(३) वह व्यवहार को कुछ व्यक्तियों को नो विशेष लाभ पहुँचाता है परन्तु उससे आय मारे समाज ही को साथ पहुँचाता है, जैसे न्याय व्यवस्था।

(४) वह व्यवहार को कुछ ही व्यक्तियों को लाभ पहुँचाता है, जैसे राज्य द्वारा सञ्चालित धन्यवाद।

उपर्युक्त वर्गीकरण असन्तोष अनक प्रतीत होता है क्योंकि पहले विभानिक तथा दीव नहीं है। राजकीय व्यवहार जो कि जनना के हित में होता है, उसका इस प्रकार वर्गीकरण करना बड़ा कठिन है। रक्षा व्यवहार ने सभी को समान लाभ दी अवश्य होना है परन्तु उससे परी लोगों को विशेष लाभ होता है।

निकल्सन (Nicholson) का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि उस व्यवहार में राज्य को कितनी आय प्राप्त होनी है। उसका वर्गीकरण इस प्रकार है—

(१) वह व्यवहार जिससे राज्य को कोई भी आय प्राप्त नहीं होती, जैसे निर्धनों तथा देकारों की आधिक गहायता देना अथवा पुद्धर पर व्यवहार करना।

(२) वह व्यवहार जिससे राज्य को कोई आय प्रत्यक्ष रूप से तो न होती हो परन्तु उसका परोक्ष रूप में लाभ पहुँचता हो, जैसे शिक्षा व्यवहार, क्योंकि राज्य की विधित लोगों पर आधिकता अपराधियों की अपेक्षा कम बच्चे करना पड़ता है।

(३) वह व्यवहार जिससे राज्य को आधिक आय प्राप्त हो, जैसे वह जिसमें शुल्क लिया जाता हो अथवा वह रेल जिससे राज्य आधिक सहायता देता हो परन्तु जो कुछ आय देती हो।

(४) वह व्यवहार जिससे राज्य को व्यवहार कितनी आय प्राप्त हो जाये, जैसे डाक सारने, ऐसे अथवा राजनीय उद्योग घन्थों पर किया गया व्यवहार।

इस वर्गीकरण को भी सही नहीं माना जा सकता है। मकुरा' क्योंकि एक श्रेणी का व्यय दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है।

आदम सिंधु ने राजकीय व्यय का वर्गीकरण राज्य के कार्यों के अनुमार चिया है। उसने निम्नलिखित शेगिया तथा उच्च-शेगिया भी है —

रक्तात्मक कार्य—(अ) सेना, (ब) पुलिस, न्यायालय, (म) सामाजिक दोष (जेलमाने, पालमाने, निर्धनता, मरणाई आदि)।

### (२) व्यापारिक कार्य, तथा

(३) विकास सम्बन्धी कार्य—इनमें शिक्षा, गार्डनिंग खोज का कार्य, जैसे अहु शास्त्र (Statistics), सार्वजनिक मनोरजन, निजी व्यापार के घनाने में सहायता देना, सार्वजनिक धार्य, जैसे बन्दरगाह, रोशनी घर आदि वनाना, सम्मिलित है।

इस वर्गीकरण का भी यही दोष है कि हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि कौन सा व्यय औन सी श्रेणी में रखें, जैसे भावदो के एक इकाई का व्याप विकास व्यय भी माना जा सकता है और व्यापारिक भी।

कुछ लेखकों ने यह वर्गीकरण राज्य के स्वरूप के प्राधार पर किया है। यह राजकीय व्यय को एकात्मक राज्य (Unitary State) का व्यय केन्द्रीय तथा स्थानीय व्यय में विभाजित करते हैं तथा साधिक का केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय में बाटते हैं।

परन्तु इस वर्गीकरण का भी यह दोष है कि इसमें हम स्टॉप स्पॉ से यह निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा कार्य बेन्ड को, कौन सा प्रान्तो को और कौन सा स्थानीय मस्यामा को कलना चाहिये, जैसे भारतवर्ष में बड़ी, जिस, नहरों आदि का कार्य बेन्ड प्रान्तों तथा स्थानीय सरकारों के हाथ में है। इस प्रकार बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है।

कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जिन्होंने इस व्यय को उत्पादक तथा अनुत्पादक दो श्रेणियों में विभाजित किया है। परन्तु इन वर्गीकरण में यह कठिनाई उपस्थित होती है कि कौन से व्यय को उत्पादक और कौन से को प्रान्तीय माना जाये। यदि हम लाभ की दृष्टि से यह निर्णय करते हैं तो अधिकतर व्यय अनुत्पादक ही माना जायेगा, जैसे दक्षिणी भारत में बहाई गई नहरों का व्यय शर्यति आवश्यक है परन्तु उनमें सरकार को प्राप्त भाटा ही रहता है। इस सम्बन्ध में 'गविन्म' का भल हीक मालमूल पड़ता है। उम्मा कहता है कि उत्पादक-व्यय उसकी माननी चाहिए जो प्रत्यक्ष ग्राम्यों परीक्षण से राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों या मानवीय साधनों पर उल्लंघन करता है शर्यता उसके द्वारा उन माध्यमों वा ग्राम्य गिरव्ययिता पूर्ण उपर्योग होता है जिसमें मान्त्र में राष्ट्रीय मध्यस्थित तथा राष्ट्रीय ममदि में बढ़ि होती है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा, याताधार, स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय उत्पादक कहा जायेगा।

दा० डॉल्टन (Dalton) ने गजकीय व्यय को केवल दो भागों में विभाजित किया है—(१) मार्गदर्शक मुख्या, जैसे भौतिक व वाहनी आप्रवासी एवं बचाव के माध्यमों पर व्यय, (२) सामाजिक उन्नति जैसे स्वास्थ्य विभिन्न साधारण पर विभास व्यय। परन्तु इस वर्गीकरण में यह दोष है कि कुछ मट्टो को छोड़कर दोष को नहीं जिम थींगी में रखा जा सकता है।

प्रो० शिराज (Shirras) ने भी गजकीय व्यय का दो ही भागों में वाटा है—(१) मुख्य (Primary) व्यय (२) दोल (Secondary)। मुख्य व्यय में वह सब व्यय सम्मिलित होता है जो एक राज्य को रखा, नान्ति तथा व्यवस्था तथा क्रम के अनुसार में बदला दइता है। गोला व्यय में सामाजिक व्यय, मार्गदर्शक व्यवसायों पर विभास व्यय तथा दूसरे विविध प्रकार के व्यय सम्मिलित हैं। मुख्य व्यय में सब प्रकार की रक्षा, न्याय, पुनित, नागरिक आमन वर एवं वरने का व्यय, सब प्रकार के ऋण-वाहे वह उपायक है, चाहे प्रशुताइक-यादि याम्नित है। गोला व्यय में रिक्ता, सामाजिक स्वास्थ्य गरीबी की महायता, देशेजपारी सहायता, अकाल सहायता, रेलवे, निवार्द मदर्झ तथा नार, देशीपोन, हुपि प्रशुतमत्वात, पंचन खंड आदि सम्मिलित हैं।

यहाँ भी यह अधिनार्थ उल्लेख हो सकती है कि इन विभास व्यय को मुख्य मानें और विभास कैला। एक प्रकार वा व्यय एवं व्यक्ति की दृष्टि में मुख्य हो सकता है और दूसरे तो दृष्टि में गोला।

प्रो० पीगू (Pigou) ने भी गजकीय व्यय को दो खंडिता में ही वाटा है। एक को वह हम्मालित होने वाला व्यय (Transfer Expenditure) कहते हैं और दूसरे को हम्मालित न होने वाला व्यय (Non-Transfer Expenditure) कहते हैं। हम्मालित न होने वाला व्यय वह है जिसमें उन्नति के माध्यम सरकारी काम में आ जाते हैं और इस कारण उन गोपनीय का उपयोग देश के नागरिकों द्वारा नहीं किया जा सकता। इन द्वारा के व्यय में मेन, अहार्जी बेड़ा, वायु नाइट, नागरिक आमन, धिक्का आपालय, डारवाजा, नगर पालिका वी द्वारा दी गई साधारण व्यय मम्मिलित होता है। इनमें विपरीत हम्मालित होने वाले व्यय में वह व्यय मम्मिलित होता है जिसमें उन्नति के साधनों का उपयोग केवल सरकारी काम के लिए ही नहीं होना चाहने नागरिकों के लिए भी होता है। इसमें सरकार द्वारा लिए गए व्यय पर व्याप, नेपान, बीमारी काल की सहायता, देशेजपारी वा नाभ, कुछ व्यापार के उपायक पर दी हुई अर्व-सहायता, सरकारी जग्ह का निकाय जूना अधिकारी प्रतिसूतियों (Securities), का पुन लगीदाना यादि वा अन्य सम्मिलित होता है।

इस प्रकार के वर्गीकरण में भी, जैसा प्रो० पीगु ने स्वयं ही माना है, कुछ विभिन्नता आ सकती है जैसे विदेशी ऋण पर दिया गया व्याज तो हस्तान्तरित न होने वाली थेणी में रखा जाएगा क्योंकि उसमें देश के नागरिकों को कोई सामना नहीं होना परन्तु देशी ऋण का व्याज हस्तान्तरित होने वाला व्यय कहा जाएगा।

राजकीय व्यय के वर्गीकरण के बाद विवाद में न वड कर हम यह सचेत है कि आधुनिक राज्य साधारणतया निम्नलिखित बातों पर सर्वं करता है—

(१) रक्षा, शान्ति तथा देश की व्यवस्था का सर्वं—इसमें सेना, पुलिस, जल सेना, हवाई सेना प्रादि का सर्वं सम्मिलित है।

(२) न्याय का प्रबन्ध करना—इसमें सब प्रकार की घटालता का सर्वं सम्मिलित है।

(३) नागरिक शासन पर सर्वं—इसमें विधान सभा का सर्वं, मन्त्रियों का बेतन, सरकारी कर्मचारियों, राजदूतों प्रादि का सर्वं सम्मिलित है।

(४) सार्वजनिक ऋण का सर्वं—ऋण पर व्याज, उसके हिसाब रखने का सर्वं, उसके सौटाने का व्यय।

(५) आपात्कालीन पर किया गया सर्वं—इसमें रेल, टार, डाक, मुद्रा, बैंक, विजली, गैस प्रादि पर किया गया सर्वं सम्मिलित है।

(६) सामाजिक व्ययों पर किया गया सर्वं—इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पेंदान, बेरोजगारी सहायता, प्रादि सम्मिलित है।

इनके अतिरिक्त हर देश का धना कोई न कोई विशेष प्रबार का सर्वं हो सकता है जैसे इङ्लॅंड में राज्य धराने का सर्वं प्रथमा कोई भवसमात सर्वं जैसा भारतवर्ष में १५ प्रगत्त १६४७ ई० को रोजनी प्रादि पर सर्वं किया गया।

### राजकीय व्यय के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of Public Expenditure)

राजकीय व्यय का उत्पन्न पर प्रभाव—

कुछ लोगों का विचार है कि राजकीय व्यय का उत्पन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके विचार में राजकीय व्यय अविचाहन अनुसादन होता है, जिन्हें यह सर्वेश्वर दीक्षा नहीं है। ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि राजकीय व्यय का बहुत सा भाग केवल धन का स्थानान्तरकरण मात्र है। राज्य कुछ लोगों से लेकर दूसरों को देता है, जैसे राज्य जब ऋण पर व्याज देता है प्रथमा बड़े लोगों वो पेंदान देता है तो वह एक थेणी के लोगों से शाया लेकर दूसरी थेणी के लोगों वो देता है प्रथमा जब राज्य कर सेवर शिक्षा, चिकित्सा प्रादि का प्रबन्ध करता है तो वह उन

लोगों की कार्य शमता बढ़ाता है जिनको कि इन मुविषापो से विवित रहना पड़ता। इसी प्रकार जब राज्य रेलों, भूजों, गिरावं, विजली आदि का प्रबन्ध करता है तो वह देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है।

परन्तु कुछ ऐसा व्यय है जिसको निश्चिन हृषि ने अनुत्पादक कहा जाता है और वह है पूढ़ पर किया गया व्यय। उनके इस विचार का एक निश्चिन आधार है क्योंकि देश के भवयुक्तों तथा देश की बहुत सी सामग्री जैसे बोयला, टेल, रबड़ तोहा, बपड़ा, आदिकों जो कि उत्पादन कार्य में आते हैं उत्पादन से हटा कर युद्ध कार्य में लगा दिए जाते हैं और वह नष्ट हो जाते हैं। देशने में यह बात ठीक ही जार पड़ती है पर तु यदि आनुपादक विचार किया जाए तो पना सरोगा कि युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक होतेहुए भी आवश्यक होता है। यदि युद्ध हुसरे देशों की स्वतंत्रता छीनने तथा कुछ लोगों की शक्ति बढ़ाने की इच्छा की पूर्ति करने के लिए लड़ा जाता है तो वह अनुत्पादक तथा अनावश्यक कहा जा सकता है परन्तु यदि युद्ध देश की बाहु आक्रमण से रक्षा करने के लिए लड़ा जाता है तो वह देशने में अनुत्पादक भौति ही ही परन्तु वह आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार का पूढ़ देश का गम्भीर बचाने तथा प्रश्ने आपको दूसरों का दास न होने देने के लिए लड़ा जाता है। यदि यह युद्ध न लड़ा जाता तो देश विदेशियों द्वारा लूट निया जाता तथा नष्ट भ्रष्ट पर किया जाता और दास होने पर वह भविष्य में उतनी आर्थिक दूरति न कर सकता जितनी कि वह स्वतंत्र रहकर कर सकता है। इस कारण इस प्रकार के युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक होते हुए भी आवश्यक है।

आर्थिक व्यय का उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम तीन दृष्टियां से विचार कर सकते हैं—

- (१) कार्य करने तथा बचान करने की शक्ति पर प्रभाव,
- (२) कार्य करने तथा बचान करने की दृष्टि पर प्रभाव,
- (३) भिन्न भिन्न जगहीं और नियोजनों में गांधों के स्थानान्तरकरण का प्रभाव।

(१) कार्य करने तथा बचान करने की शक्ति पर प्रभाव— राजकीय व्यय राज्य के सौणों की कार्य शमता बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। यह जात तो सत्य है कि यह उन सौणों की जिनको महात्मा भिलनी है, कार्य शमता को उत्तरा नहीं बढ़ाता जितना कि उनके बच्चों की कार्य शमता को बढ़ाता है परन्तु यह जात सी देश के निए भी साम प्रद है और इसीलिए विधवा निया बड़े बड़े परिवारों आदि को

आर्थिक सहायता दी जाती है तथा बच्चों के लिए शिक्षा आदि का प्रबन्ध किया जाता है।

(२) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव—राजकीय व्यय वा लोगों की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है। मुख्य राजकीय व्यय जैसे युद्ध योग्यता लाहौर के क्रष्ण पर व्याज आदि का उपको पाने वाले के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु जो व्यय जारी बाला होता है जैसे बीमारी तथा बेरोजगारी वा लाभ, उसमें व्यय करने की इच्छा कम नहीं होती बरन् कभी कभी बढ़ती है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति वो उसकी आप तथा बचत पर सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है तो उससे कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा बढ़ती है। जब सरकार जिसी उद्दीग को आधिक सहायता देती है तो उससे उत्पत्ति बढ़ जाती है।

(३) भिन्न २ जगहों और नियोजनों में साधनों का स्थानांतरण—राजकीय व्यय वा उत्पादन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार को व्यय करने समय मित्रव्यविधान वा व्यान प्रबन्ध रखना चाहिए। यदि वह देखती है कि उपर वो एक स्थान पर लंबे न करके यदि दूसरे स्थान पर लंबे किया जाए तो उससे आर्थिक लाभ होगा तो उसको दूसरे स्थान पर ही रखा लगाना चाहिए। सरकार सहायता देकर ऐसे उद्योग को उनके कर सकती है जो अभी तक अवनत रहे हैं। इसी प्रकार सरकार सहायता देकर ऐसे स्थानों पर भी उद्योग घन्थे जला सकती है जो इस दृष्टि में पिछड़े हए हैं। बुद्धिमानों से सुचालित सार्वजनिक क्रष्ण लेने की शीति से उन व्यों को बूझी लगाने व बचत करने की प्रेरणा मिल सकती है जो कि उत्पादन के लिए निर्दिष्ट रूप से लाभदायक है। साथ ही साव सरकार अपने साधनों का इस प्रकार उपयोग कर सकती है जिससे वि राष्ट्रीय धन की वृद्धि हा सरकार को चाहिए कि बहु ऐसे उद्योग में राया लगाए जिनमें वि पूजीपति अपना रघवा लगाने की तैयार नहीं हैं जैसे नहर का चुनाव जाना (मह निर उद्योग अपनों में लग जाता है) रेली, नहरों आदि का बनाना तथा जल्लों का लगाना, आविष्कार का बरता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य वा प्रबन्ध करना तथा बेरोजगारी का कोमा बरना आदि। इन सब पर किया गया व्यय प्रबन्धक है। इसमें भविष्य में देश वी उत्पादन शक्ति प्रबन्ध बढ़ती है।

उपर्युक्त वाणिज में यह भली भाँति विदित हो गया है कि राजराज व्यय का उत्पत्ति पर प्रच्छा ही प्रनाल पड़ता है।

राजराज व्यय वा विराज पर प्रभाव-राजकीय व्यय वा धन के विराज पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। न्यय की दृष्टि में पह मनव्यक है विभाषण में धन वा

मामान वितरण हो। परन्तु समाज वितरण का कभी भी यह अव नहीं लगाना चाहिए कि हर घरिन वे पाम धन की समान मात्रा होनी चाहिए नरन उभको यह मतदात है कि हर घरिन जो उसकी आवश्यकता वे धनुमार अवधार उसकी आव वो दबं फरने की पोष्यतानुमार धन मिलना चाहिए। परन्तु समाज वे सब नोगा वो इस प्रकार भी धन नहीं मिलता। इस कारण अव बात की आवश्यकता है वि समाज की इस आव की विषयता का मिटाया जाए।

धन का समान वितरण करने के लिए सरकार लगा पो धनी नोगा गे करक अप म नेकर उम धन म गरीब नोगा को उन की आव के धनुमार आर्थिक महापना द। महापना सबम अधिक सबम काम आव वासे भो और सबम कम सबम अधिक आव दाने दो। यहो बात दूसरे ढङ्ग म भी प्राप्त वी जा मननी है। गरकार जनना क लिए शिक्षा चिकित्सा आदि का प्रदान पर मरती है। इन चीजों का विध के अप म लाभ आविना तो कठिन है परन्तु इनके सम्बन्ध में यह बहु जा मकता है वि इनके बारण लाभ पाने वालों का आर्थिक लाभ अवश्य बढ़ता है। सरकार इसी बात को तीसरे ढङ्ग में भी प्राप्त कर सकती है। वह नोगा को गोटी दूध प्राप्ति पर आर्थिक सहायता देकर इन चीजों पा मलो दामो पर बेच गवती है। यदि सरकार इन प्रतार की शिक्षा का अवश्य करे जिसस कि नवयुवक कम खेतन बाने पेशा म अधिक खेतन बाल पशा मे जा मकं तो इसमें भी परोक्ष रूप म धन के वितरण की असमानता बहु होती है।

इस प्रतार यह कहना ठीक ही है वि राजकीय अव द्वारा धन के वितरण की असमानता बहु होती है।

### राजकीय अवय के अन्य प्रभाव

राजकीय अव द्वारा अस की मात्रा निरलार रवी जा मननी है और इस प्रवार आर्थिक उन्नादक माध्यना वा अच्छा अवयोग लिया जा सकता है और आर्थिक लाभ बहाया जा सकता है।

आपति बात में जरकि नित्री व्यापार म एवं अभिका की मात्रा घट जाता है तब सरकार देन मड़क नहर आदि बनावर अदया कुछ उद्योग द्वो आर्थिक महापना देकर अभिका की मात्रा वो बनाए रख सकती है। इस वार्ष के लिए सरकार धान व दबो से मा भग्न नेकर धन प्राप्त वर मवती है। बगो द्वारा प्राप्त लिए गए धन म दबो अधिक लाभ नहीं होना जिनना अद्यु द्वारा धन प्राप्त वरके होता है। एपाकि कर द्वारा अव अविक एक हाथ मे निवार कर दूसरे हाथ मे चली जाती है। वह बदली नहीं परन्तु अलग मे अव-नाविक बढ़ती है और इस कारण नए उद्योग धन्या का प्रभाव निलगा है तथा बेरोजगारी कम होनी है।

वेरोजगार तथा उनके बच्चों को सीधी शार्थिक सहायता देने के बदले उनको मार्वर्जनिक दामो में लगाता चाहिए। इसमें वेरोजगारों की महापता हो जाती है और गाँव साथ उन पर विषा गया अप्रभाव हो जाता है। इस प्रकार वे वार्ष में उत्पादन-शक्ति का जो ह्रास व्यापारिक मन्दी के कारण होता वह भी तहीं होने पाता। परन्तु इस वार्ष का सोच समझ कर योग्य ही बता चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजकीय व्यय का उत्पत्ति, वितरण तथा प्राप्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ती है। वितरण की शक्तिमत्ता कम होती है तथा वेरोजगारी दूर होती है और इस प्रकार देश की उत्पादन-शक्ति नष्ट होने से बच जाती है।



## अध्याय ३

### राजकीय आय

#### (Public Revenue)

भरकार को अपना कार्य चलाने के लिए कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में सरकार को यह दोनों चाँड़े राज्य के लोग दे दिया दरते थे। परन्तु जैसे जैसे राज्य की जिम्मेदारी बढ़ती गई वैसे ही वैसे सरकार को कार्य करने के लिए पृथक् लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी जो अपना सारा समय राज्य का चार्य चलाने वे लिए ही दे सकें। इन लोगों को वेतन देने की आवश्यकता पड़ी। मध्यकालीन युग में अफसरों का वेतन उनको कुछ सम्पत्ति देकर विषयकी भाष्य उनको फिलहाल रहे, दिया जाने लगा। परन्तु कुछ समय पश्चात् वह सम्पत्ति उनकी निजी सम्पत्ति बन गई और इस प्रकार सरकार को अफसरों को वेतन देने की आवश्यकता पड़ने लगी। इसके साथ साथ राज्य के लोगों ने स्वयं इच्छा में राज्य की सेवा करनी भी कम कर दी। प्रजातन्त्र के पश्चात् तो यह बात सूख जोर से हो गई। इसी कारण सरकार को आय प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। यह आय विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है।

राजकीय आय का वर्गीकरण (Classification of Public Revenue)-विभिन्न लेखकों ने राजकीय आय का वर्गीकरण अपने ढंग से किया है।

आदम स्मिथ (Adam Smith) ने राजकीय आय को तिम्नलिखित तीन धरणों में बांटा है—

प्रत्यक्ष आय (Direct Revenue)—इसमें राज्य की निजी आय जैसे सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक उद्योग, उपहार (Gratuity), जब्ती और हजारे सम्मिलित हैं।

(१) व्युत्पन्न आय (Derivative Revenue) इस में आय लोगों में प्राप्त की जाती है। इस आय में कर, कीस, जुमानी, दण्ड आदि सम्मिलित हैं।

(२) प्रत्याशित आय (Anticipatory Revenue)—इसमें भावी आय का अनुमान लगाया जाता है। इसमें राजकीय विगतों (Treasury Bills) तथा दूसरे शृणु वे साधनों से प्राप्त आय सम्मिलित की जाती है।

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि कहांगे में प्राप्त आय सार्वजनिक आय का अहं नहीं मानी जाती।

बेस्टेबिल (Bestable) जो राजकीय आय को दो भागों में विभाजित किया है—

(१) वह आय जो कि राज्य की श्रपणे विभिन्न कार्यों द्वारा प्राप्त होती है, जैसे भव राज्य एक बड़े व्यापारी के हाथ में कार्य करता है अथवा जब वह एक व्यापारीका द्वारा नाते कार्य करता है तो उम्मीदों जो आय मिलती है वह इसमें शम्भिति की जाती है।

(२) वह आय जो कि राज्य की शक्ति द्वारा समाज से प्राप्त ही जाती है।

परन्तु इस वर्गीकरण में नजराने जुमाने, विशेष कर निर्णयन (special assessment) आदि शम्भिति नहीं है।

प्रौ. सेलिगमैन (Seligman) ने राजकीय आय को तीन भागों में बाटा है।

(१) स्वयं इच्छा में दी गई, जैसे नजराने,

(२) सौदे द्वारा प्राप्त की गई, जैसे मूल्य,

(३) आवश्यक (compulsory), जैसे राज्यों ने योक्ता में, जुर्माने तथा इच्छा में, फीस, विशेष करों तथा आय करा में।

इसके अन्तरिक्ष एक और प्रकार का वर्गीकरण भी किया गया है जिसमें देवत दो श्रेणियाँ हैं—(१) कर-आय (Tax revenue) तथा निर कर-आय (Non Tax revenue)

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि, इस प्रकार के वर्गीकरण के प्रयत्नों में विशुद्ध धंधिक हित होता है जिसका स्वावहारिक मूल्य बहुत नम होता है।

### राजकीय आय के विभिन्न साधन

#### (Different sources of Public Revenue)

राजकीय आय निम्नलिखित साधनों से प्राप्त हो सकती है—

(१) कर (Tax)—प्लेह्न (Plehn) ने कर की परिभाषा इस प्रकार की है—‘कर यत के हृष में दिया गया सामान्य अनिवार्य अम दान है जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाभ पहुँचाने के लिए गए बाग को मूल बर्तने के लिए लोगों से लिया जाता है। कर सामान्य लाभ पहुँचाने के कारण व्यायमगत कहा जा सकता है परन्तु उसम नापा नहीं जा सकता।’\* इस परिभाषा में कर की नुड़ विद्येयपत्रों का पता भवता है। यह निम्नलिखित है—

\* Plehn—Introduction to Public Finance—P. 59.

(१) कर अनिवार्य होता है। यदि सरकार किसी व्यक्ति के उनकर कर लगा देनी है तो उसको इच्छा न होने हुए भी देखा पड़ता है। और वर के सम्बन्ध में कुछ ऐसी विशेष बात दिलाई पड़ती है कि बहुत ही बम ऐसे व्यक्ति होंगे जो जि इस की विना महसूस निए देने होंगे। पर यह पह बात बताने योग्य है कि यद्यपि कर अनिवार्य रूप में देना पड़ता है परन्तु विभिन्न प्रकार के वरों वा प्रकार भिन्न होता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनको हम यदा भी न करें जैसे तमाचा कर को तम्बाकू की खरोद बन्द कर देते से मना कर सकते हैं।

(२) कर के सम्बन्ध में दूसरी विशेषता यह है कि वह सामान्य लाभ के लिए लिया जाता है अर्थात् जो व्यक्ति कर देता है उसके बदले सरकार उसको विशेष सुविधा नहीं देनी। जो भी सुविधा करदाता की प्राप्त होगी वह दूसरे लोगों के साथ ही हो जाए तो हो जाए अन्यथा न भी हो। इसी कारण प्रो॰ टाजिग ने कर के सम्बन्ध में कहा है 'सरकार द्वारा निए गए सभ्य प्रकार के अतिरिक्त कर का मार करदाता तथा सरकार वे बीच किसी जैसे को तैसा' (quid pro quo) का न होना है।' इसको एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। सरकार वर बड़े-बड़े अमीर लोगों में लेती है और गरीबा से कुछ भी नहीं लेती। इस कर का कुछ भाव वह दिया क आर बच करती है। जिन स्कूलों में सरकार कर वा दूसरा न्यायी है उनमें उन अमीर लोगों के बच्चे भी पड़ते हैं जिन्होंने कर दिया है और गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं जिन्होंने वोई भर नहीं दिया। परन्तु स्कूलों में अमीर और गरीब आदिमियों के बच्चों वो एकसी दृष्टि से देखा जाता है। अमीर घादमी के बच्चा को कोई दृम बाराण विशेष सुविधा नहीं देता कि उसका यां कर दे रहा है जिनकी गहायता से यह स्कूल चल रहा है। जो सुविधा मिलेगी वह सब बच्चों को समान ही मिलेगी। यद्यपि कर के सम्बन्ध में यह बात साधारणतया लालू होती है परन्तु वर्षीनभी किसी कर वा लाभ देने कुछ ही लोगों को पहुँचता है जैसे पेट्रोल कर का लाभ मोटर वालों को अच्छी सड़का के रूप में पहुँचता है।

(३) फोस (Fees) — यह किसी व्यक्ति से किसी उस लाभ के बदले जो वि सरकार द्वारा उसको पठुता है पूरी अवधा आशिक सागत बनूल कर सी जाती है तो इस प्रकार के अनिवार्य सुविधान को पीस कहा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पीस भी कर के शमान अनिवार्य होती है परन्तु उसमें और कर में एक विशेष भेद है और वह यह कि पीस विभी एक उस विशेष लाभ के बदले देनी पड़ती है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाता है परन्तु वर विना इन प्रकार की मेवा दिए ही लिया जाता है। पीस के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि यह मेवा के मूल्य में अधिक नहीं होती। जो पीस येवा के मूल्य से अधिक होती है उसमें पीस तथा विशेष कर सम्मिलित होता है। पर्वत ने पीस की परिमाणा इस प्रकार दो

है, "प्रीस धन के हृष में एक अनिवार्य प्रशंसान है जो कि विभीति व्यवित की जाहै वह प्राइवेट हो अथवा मिलकर बनाया हुआ, सार्वजनिक शक्ति (Public authority) की आज्ञानुसार सरकार के विसी कार्य में लगे खर्चे के विसी अथवा अद्यता गवर्नर का भुगतान करने के लिए देनी पड़ती है यह जहा सामान्य ताम पूँजीती है वहाँ एक विदेष प्रकार का लाभ भी पहुँचाती है।"<sup>†</sup> जैसे सरकार हमगे राजस्वी फीम नेतो है अथवा कोई फीप देती है। इस प्रकार वे भुगतान से मकान अथवा जमीन लरीदने तथा न्याय बाहने वालों को लाभ पहुँचता है।

**मूल्य (Price)**—खेलन का कहना है कि मूल्य वो दर (Rates) वहा अधिक उचित होगा। मूल्य सरकार को उम बस्तु के बदले दिया जाता है जो कि वह एक अपारिक के नाम जनता को देती है। यह बस्तु सरकार उसी प्रकार देती है जिस प्रकार विकोई पूँजीपति उसको देता है। सरकार बहुत में उद्योगों को चलाती है जैसे रेल डाक तार विजली, गैस आदि। इन सभ उद्योगों की सेवाओं अथवा बरतुआ को सरकार किसी न विसी मूल्य पर जनना नो चेजती है। सरकार साथारेण उन्ही उद्योगों को अपने हाथ में लेती है जो कि राष्ट्र के जीवन के तिर आवश्यक है अथवा जितने निजी पूँजी नही लगाई जाती। परन्तु जिस उद्योग को भी सरकार प्राप्त कर लेती है उम पर उमका एकाधिकार होता है।

इस प्रकार मूल्य कर के समान अनिवार्य नही होता। यदि कोई व्यक्ति रेल गाड़ी में याता न चरे अथवा डाकबाजे तो टिकट न लरीदे हो उसको सरकार टिकट लेने है निए बाध्य नही कर सकती। इस कारण जो व्यक्ति सरकार द्वारा प्रदान की हुई सेवा तथा बस्तु को नही लरीदता उमके अपर मूल्य का कोई बोझा नही पड़ता।

मूल्य प्राप्त कीस भा अन्नर भी माफ़ लेना आवश्यक है। सरकार जिस मवा के बदले फीम लेती है उससे केवल उसी व्यक्ति को लाभ नही पहुँचना वरन् प्राप्त सभी लोगों को उम नेवा या लाभ होता है जैसे न्यायानयों ने वेप्रत मुकदम बाजों को ही लाभ नही होता वरन् राज्य के सभी लोगों को उमका लाभ पहुँचना है। परन्तु मूल्य द्वारा लरीदी जाने वाली सेवा का लाभ केवल उसी व्यक्ति को पहुँचता है जो उसको लरीदता है भव को नही पहुँच मवता। इस प्रकार फीम में जनहित मूल्य स बहुत अधिक होता है।

**विशेष कर मिर्पोरण (Special Assessment)**—यह सरकार अथवा मुद्धार माफ़ (Improvement Trust) किसी स्थान पर काई मड़क बना देना है अथवा गाड़ी निकाल देता है तो इससे उम मूलि का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। किसान लाभ भूमि वालों को महक अथवा रेल के बरने पर होता है उम को भूमि की दिना कमाई हुई भाव (Unearned Income) कहगे और इस आव पर

<sup>†</sup> Introduction to Public Finance P. 60

मरखार जो कर लगाएँगी उम्मी विवेद वर मिर्दारग कहेंगे। यह प्रतिवाय होता है। इसकी निम्ननिमित विवेशताएँ हैं —

- (१) यह किसी विवेद उद्देश्य से लगाया जाना है।
- (२) यह अनुपातिक होता है।
- (३) यह किसी स्थानीय सुधार के कारण लगाया जाना है।
- (४) उम्मी नुवार म होने वाले साम जो नापा जा सकता है।

**जुर्माना य दण्ड (Fines and Penalties)**—जो लोग देश के कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनसे राज्य जुर्माना बसूल करता है। इसका उद्देश्य आय नहीं होता बरन् लोगों को कानून न नोडने देना है। परन्तु यह आय का एक बहुत ही मामूली साधन है।

**भेट (Gift)**—तुच्छ सोग राज्य को अपना धन या सम्पत्ति इस लिए भेट ने दे देते हैं जिससे पि वह उसको जनता के हिंग में मबं करे जैसे बहुत से लोग यज्ञ की गिक्षा चिकित्सा आदि का प्रबन्ध बरने के लिए धन दे देते हैं। भेट की विगेपता यह है कि वह दान करने वाले की स्वयं इच्छा से दी जाती है। उस पर किसी प्रकार वा भी दबाव नहीं होता।

**सरकारी सम्पत्ति (Government property)**—भरकार के पास बहुत सी सम्पत्ति होती है जैसे जमीन, जन्मजल, स्थान, जल प्रादि। इन को बेच कर अधिक इनको पट्टे पर देकार बढ़ाया प्राप्त वर्ती है।

**उपहार (Tribute)**—यह एक हारा हुआ देश जीते हुए देश ने देना है अथवा एक छोटा राजा अपने से दृढ़े किसी राजा को देता है।

परन्तु महा यह यात बताने योग्य है कि हम राजकीय आय के विभिन्न साधनों में कोई विशेष भेद नहीं वर मवतों और वभी वभी तो एक साधन भूमरे मे जा मिलता है जैसे यदि किसी स्थान पर धानी के ननो पर भीटर न लगा हो तो वहां मूल्य घोर कर में अन्वर करना नछिं हो जाएगा। इसी प्रकार जुर्माने तथा कर में केवल उद्देश्य वा भेद है। कर आय के लिए तिता जाता है परन्तु जुर्माना अन्यायों को रोकते वे लिए होता है। इसी प्रकार नव राज्य किसी भेदों के लिए उसकी लागत से अधिक दोष वसूल करती है तो उसमें पीण के प्रतिवाद कर भी सम्भिलित है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजकीय आय के साधनों को किसी विशेष मद्द के अन्वर्तन रखना बड़ा नछिन है।

**कर क्यों लगाया जाना है? (Objectives of Taxation)**—कर लेने के तीन उद्देश्य हैं—(१) धन एकत्र करना, (२) नियन्त्रण करना, (३) राज्यीय आय के स्तर का नियन्त्रण करना।

(१) धन एकत्र करना (To raise revenue)—कर लगाने का मुख्य उद्देश्य राज्य का कार्य सचालन बरने तथा दूसरे राजवीय कार्य करने के लिए यह एकत्र करना है। इस कारण वर लगाते समय इय बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि लगाए गए कर से राज्य को बिनारी आय प्राप्त होगी। इसलिए सरकार बेबत वही कर लगाती है जिनसे राज्य को अधिक आय की प्राप्ति होती है। आय का ध्यान रखते समय सरकार कुछ और बातों का भी ध्यान रखती है और उसको रखना भी चाहिए, जैसे सरकार यह देखती है कि यमुक कर का नैतिक प्रभाव क्या होता है अथवा उस कर वा भार के बत उन्हीं लोगों पर पड़ता है या नहीं जो उसको दे सकते हैं। हमारे देश के वस्त्रई तथा मद्रास राज्या ने मध्य नियेष बानून लाने करने में आय का कोई ध्यान नहीं रखा बरन् इन बात का हो ध्यान रखा है कि उम्रवा लोगों वे नैतिक स्तर पर भच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार चीन वो जाने वाली अधीन वे निर्यात पर पावनी लगाने में भी भारत सरकार कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य से प्रेरित हुई थी।

(२) नियन्त्रण करना (Regulation or Control)—कर लगाने का दूसरा उद्देश्य नियन्त्रण करना है। यदि कोई देश किसी वस्तु के प्रयोग का नियंत्रण करना चाहता है अथवा किसी दूसरे देश की आयात वो कम करना चाहता है तो वह कर द्वारा प्रयोग करने उद्देश्य में सफल हो सकता है। जैसे यदि भारतवर्ष प्रयोग किसी उद्योग की उत्पाति करना चाहता है तो उसको विदेशों से उस वस्तु की आयात कम करनी पड़ेगी जिससे कि देशी वस्तु की माय बढ़े और वह उत्पात उत्तम हो सके। इससे निए सरकार को आयातन्त्रकर लगाना पड़ेगा। इसी प्रवार यदि भारत सरकार चाहे कि देश में मध्य तथा तमाकू का उपयोग कम से कम हो तो वह उत्तरितनर (Excise duty) लगा कर ऐगा कर सकती है।

नियन्त्रण करने के हेतु जो कर लगाए जाने हैं उनका मुख्य उद्देश्य नियन्त्रण करना होता है यद्यपि उससे सरकार नी आय भी बढ़ती है, परन्तु आय प्राप्ति इस प्रवार के बर का गोण उद्देश्य होता है।

यहाँ एक प्रदन उत्तरितनर होता है कि जब इम कर का उद्देश्य आय प्राप्ति नहीं है तो फिर किसी और ढंग से इस कार्य को क्यों नहीं लिया जाता। इसका मुख्य बाधण यह है कि नियन्त्रण के विसी दूसरे ढंग को आपानाने से एक विशेष प्रवार वी मशीनरी तैयार बरनी पड़ती है परन्तु कर-मशीनरी देश में पहने ही तैयार होती है। और जब दोनों से एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हो मशीनरी है तो फिर नई मशीनरी तैयार बरने से क्या लाभ है?

(३) राष्ट्रीय आय के स्तर का नियन्त्रण करना (Regulation of the level of national income)—कर लगाने से आय, व्यक्तिगती से सरकार के पास

चली जाती है और इसके कारण उनके उपयोग वथा विनियोग की हप रेता बदल जाती है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय आद पर भी पड़ता है। इसलिए मरकार को चाहिए कि जब देश में आद की कमी हो और विनियोग कम होने की आशका हो तो वह कर कम साधें। कर कम साधने से व्यक्तियों की बचाने की शक्ति बढ़ जायेगी और विनियोग अधिक होने। इसके विपरीत जब देश में मुद्रा स्फीति हो और आद लूप तेजी से बढ़ रही हो तो मरकार को चाहिए कि वह कर बढ़ा दे। इसमें बचन कम होगी और विनियोग भी कम होगे। इस प्रकार कर के द्वारा राष्ट्रीय आद के स्तर का नियन्त्रण किया जा सकता है।

लर्नर (Lerner) साहब के विचार में कर तभाने समय मरकार को आद से और ध्यान न देहर राष्ट्रीय आद को एक पर्याप्त स्तर पर कायम रखने का ध्यान रखा जाहिए। उनका कहना है कि कर के द्वारा प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं—  
 (१) कर-दाना के पास कम धन रह जाए। (२) मरकार के पास अधिक धन हो जाए। उनके विचार में इन दोनों में स पहला प्रभाव अधिक पहलपूण है और दूसरा कम, क्योंकि सरकार के पास आद के इतने साधन हैं कि वह करदाताओं से कर कमूल किए बिना ही अपनी आद बढ़ा सकती है। इस कारण उनका कहना है कि मरकार को कभी भी अपनी आद बढ़ाने के लिए कर नहीं बढ़ाने चाहिए। कर के बाल उमीद देना में लगाने चाहिए जब कि या तो सरकार किसी प्रकार वे आपाएंक सौदे न होने देना चाहे या जब वह कर दाताओं को नियंत्रण देना चाहे।

कर सिद्धांत (Canons of Taxation)—प्रती पुस्तक 'Wealth of Nations' में आदम स्मिथ ने कर सम्बन्धी चार सिद्धांत दिए हैं। परन्तु उसने नम्बर ने आज तक बिडानों ने इनमें कुछ और सिद्धांत भी जोड़ दिए। इस प्रकार आज कल निम्नलिखित कर-सिद्धांत माने गए हैं—

(१) समता सिद्धांत (Canon of Equality)—आदम स्मिथ का कहना था कि 'प्रत्येक यात्रा की प्रजा को अपनी अविवृतस्तार मरकार को सहयोग ने लिए प्रो-दान देना चाहिए, अर्थात् उस आमदनी के समानुपात में जो राज्य द्वारा दी गई मुरक्खा के अन्तर्गत उसे प्राप्त होती है।'

आदम स्मिथ ने इस सिद्धांत पर बिडानों में बढ़ा भत्तेद है। एक प्रकार के बिडान कहते हैं कि कर सिद्धांत का आधार नैतिकता होना चाहिए। यामालता यात्रा का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक अधिकारी वरायर कर देना चाहिए अपना जमे समान भ्रमुपात में कर देना चाहिए। यह दोनों ही बात गलत है क्योंकि न तो निधन और धनी समान न रहे हों दे सकते हैं और न ही वह यामान भ्रमुपात में कर दे सकते हैं। इस कारण समालता यात्रा की कर देने की योग्यता के अर्थों में प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात् यदि कर-दाना बहुत धनी है तो वह बहुत अधिक कर दे सकता

है इस बारणु उमम अधिक कर लेना चाहिए। इनके विपरीत निर्धन व्यवित वे समझ यह प्रश्न रहता है कि वह आपना जीवन जलाने के लिए कहाँ से धन जटाएँ। तब फिर यदि उसे वर देने के लिए कहा जाए तो क्या यह अनुचित न होगा? आपने तर्ह वे समर्थन में वह भारतम् भिन्न बा ही हवाला देते हैं, जबहाँ उकने कहा है कि आपना द्वारा न बेचल आमदानी के समान अनुपात भे धरन् उमसे अधिक मार्वजनिक व्यष्टि में योगदान देना बहुत अधिक अनुचित न होगा।<sup>1</sup> इस प्रवार समता मिहान्त वा अर्थ है कर दाना की कर देने की शर्ति वे अनुसार कर दा लिया जाना। इनके विपरीत, कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्रत्येक व्यवित को आपनी आप वे अनुपात में ही वर देना चाहिए। परं यह बात अनुचित है क्यानि एक स्वतन्त्र भी सीमान्त उपयोगिता वही नहीं है जो कि उमका है जिस के पास बेचने की रक्ष्ये हैं। तो किर हम एक अनुपात में वर लेकर करनेवाले में बेच मपता भा मतते हैं? इसी कारण प्रथम प्रकार वे विद्वानों का तक न्यायसङ्गत जान पढ़ता है।

(३) निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)— कर पद्धति की दूसरी विलापना कर भी निश्चितता है। कर में वही प्रवार वी निश्चितता वी आवश्यकता होती है। प्रथम तो यह कि कर दाना को यह निश्चय स्थि में मानूम होना चाहिए कि उमको वितना कर धन वे स्थि में देना है। दूसरे तो में यह भी गान्तुम होना चाहिए कि उस बहु धन किम भयस ददा करना है जिसमें कि वह उम समय तक उमका प्रवध वर मदे। तीसरे उम यह भी मानूम होना चाहिए कि उम वर किम दहू म देना चाहिए अर्थात् एक ही बार देना है अथवा दो किसी में अथवा दो ग अधिक वितना मे।

आदम भिन्न का विचार है कि कर निर्धारण में अनिश्चितता गे भाष्टवत्तर का प्रामाण भिलता है। वह हम निपम वो बहुत ही आवश्यक ममभना है क्योंकि उमके विचार में आमलनामा वी अधिकता इनकी बड़ी तुश्छ नहीं है जिनकी कि अनिश्चितता वी तुरार्ह है। हठन भी इसी अति महत्वपूर्ण नियम का मानना है। न्यानि उमन विचार में समाजनी क नार प्रयन करा के निश्चिन शुग विना अमामक पिछ होगे।<sup>2</sup>

निश्चितता के मिहान्त म ही यह मिहान्त भी विवलना है कि पुगना कर बोई कर नहीं होना। इसका कारण यह है कि वह निश्चिन होता है। इसी कारण न कर दाना उगवा यपनी तुपियानुमार प्रवध वर लना है और कर भार उमका मानूम भी नहीं होता।

1 \*The Wealth of Nations, Book V, Vol II, P 32-A. Ann Smith

2 \*पिलाई—सेवल तुश्छ द्वारा—अथवा वे भिलन—एउ ६४१

कर की निश्चितता करदाता के लिए ही आवश्यक नहीं है बरन् राज्य के लिए भी है। राज्य कर का अनुग्रान लगा कर ही अपना व्यव निश्चित करता है। यदि राज्य को प्रत्युषान की हुई घट राजि नहीं मिलती तो उसका कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए राज्य के लिए भी निश्चितता आवश्यक है। इस प्रकार को निश्चितता लाने के लिए ही लाई कानूनालिम ने बड़ाल में स्थायी प्रबन्ध (Permanent Settlement) चलाया था।

(३) सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)— आदमि स्थित वा फहना है कि 'प्रत्येक कर को ऐसे समय और इस दृज्ज से लगाना चाहिए जिसमें करदाता को प्रविक्षण से अधिक सुविधा मिले।'

प्रत्येक कर ऐसे समय और इस दृज्ज से एकत्र करता चाहिए जिसमें कि करदाता को बर देने में कठिनाई न हो। यदि कर ऐसे समय और ऐसे दृज्ज में बमूल किया जाएगा तिसमें कि करदाता को असुविधा होती है तो कम ये गंग करना भार भी बहुत अधिक प्रतीत होगा। उसके विपरीत यदि कर ऐसे समय और दृज्ज से लिया जाएगा तिसमें करदाता को सुविधा होती है तो वह प्रविक्षण से अधिक कर दो भी महसूस न करेगा। इसी कारण कर ऐसे समय एकत्र करना चाहिए जबकि करदाता की आवासार से सूख आय हो रही है। ऐसे समय करदाता को कर वा भार कम नहीं लगाना होता है। यदि हो सके तो कर को दो या तीन किलों में बमूल करना चाहिए। एर बड़ी किस्त पा भार कर्द छोटी छोटी किस्तों से कम महसूस होता है।

(४) मित्रव्यविता का सिद्धान्त (Canon of Economy)— प्रत्येक बर इस प्रकार से लगाना चाहिए जिसमें कि सरकारी खजाने से इससे जितना धन आए उससे जितना भी अधिक लोगों की जेबों से निकले वह कम में बह हो। दूसरे शब्दों में कर के एकत्र करने का लचं कम से कम होना चाहिए। कर लगाने का उद्देश्य आय प्राप्ति का है। परन्तु बर एकत्र करने में लचं भी करना पड़ता है। यदि एकत्र करने में पहुंच से व्यवितयों को लगाया जाएगा और इस प्रकार एकत्र करने का लचं बढ़ा दिया जाएगा तो सरकार की आय स्वाभाविक रूप से ही कम हो जाएगी। इसी बारण प्रादृश्य स्थित ने कहा था कि कर बमूल करने का लचं कम से कम होना चाहिए।

आदमि स्थित के समय में आज तक खजाने ने आश्वर्यनक उत्तरि की है। यद्यपि आदमि स्थित के उपर्युक्त जारी सिद्धान्त आज भी इसी प्रकार छीक माने जाते हैं जिस प्रकार कि वह उसके समय में माने जाते थे परन्तु उसके पश्चात आने वाले अर्थव्याप्तियों ने कुछ और भी सिद्धान्त इनमें जोड़ दिए हैं जो निम्नविवित हैं—

(५) उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of Productivity)~ कर लगाने समय सरकार वो यह देव लेना चाहिए कि जो कर लगाया जा रहा है वह

उत्पादक है या नहीं आवश्यक उसमें सरकार को पर्याप्त आय मिलती है या नहीं। यह बात तो स्वाभाविक ही है कि कर एकत्र करने में कुछ लवं बरका पड़ता है। यदि कर-धन कम है तो लवं निकाल कर इस लवं से राज्य को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, परन्तु यदि कर का धन अधिक है तो लवं निकाल कर अधिक धन सरकार को मिल जाएगा। इगी कारण यह छोटे छोटे करों की अपेक्षा एक बड़ा कर उचित समझा जाता है।

(६) **लोच का सिद्धांत (Canon of Elasticity)**— सरकार की धन की आवश्यकता मदा एक सी नहीं होती। युद्ध जैसे सङ्कृत के सभव तो वह बहुत बढ़ जाती है परन्तु यानि के सभव वह कम होती है। इसी बारण इस बात की आवश्यकता है कि कर-पद्धति लोनदार हो अर्थात् अधिक चलस्त के सभव अधिक आय आने हो सके और कम आवश्यकता के सभव कम आय। यदि कर-पद्धति में यह मुश्किल होगा तो नरकार को बड़े सङ्कृत का सामना करना पड़ेगा। भारत में आय-कर इस मिट्ठान की पूर्ति करता है क्योंकि अधिक आवश्यकता पड़ने पर उगड़ी दर बढ़ा दी जाती है। इसके विवरीत भूमि की मालगुजारी बेलोच है। उगड़ो बहुत काल तक बढ़ाया भटाया नहीं जा सकता और बड़ान में तो वह स्थायी है। इनी बारण राज्य सरकारों के अध्ययन बढ़ जाने पर उनको आय के नए नए साधन सोजने पड़े।

(७) **सरलता (Simplicity)**— आर्टिटेज सिद्धव से शब्दों में 'कर प्रथा मीधी सादी और मध्यमाधारण की समझ में आने वाली होनी चाहिए।' इसके बारण अधिकार बहुत कम हो जाता है। यदि कोई कर-पद्धति इतनी सीधी सादी है तो नह सभवकी समझ में या जाती है तो किर कोई क्या कर एकत्र करने वाले को धूम आदि देगा। कर एकत्र करने वाला तभी धूम आदि ने स्वेच्छा जब कर-दाना नहीं ममझ में नहीं आता कि उम्मको कितना और क्यों कर देना है।

यहाँ एक बात बताने योग्य है और वह यह कि किसी देश की कर पद्धति इन सब मिट्ठानों को पूरा नहीं कर सकती। इस कारण कहीं कर पद्धति मन्दी कहीं जाएगी जो इनमें अधिकाधिक मिट्ठाना के अनुमार होगी।

**करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)**— करा का वर्गीकरण कई प्रवार में किया गया है। इनमें से कुछ नीचे दिए जाने हैं—

पहले वर्गीकरण के अनुमार कर चार प्रवार के होने हैं—

१ अनुगतिक (Proportional), २ बढ़ सान (Progressive), ३ अनिकापी (Regressive) तथा ४ अप्रघोषात्मी (Degressive)।

दूसरे वर्गीकरण के अनुमार कर दो प्रवार के होने हैं— १ प्रथक (Direct) तथा २ अप्रथक (Indirect)।

तोमरे कार्गिकरण में भी दर दो ही प्रवारथे होते हैं— १ विशिष्ट (Specific) तथा मूल्यानुसार (Ad Valorem)।

**अनुपालिक नर—** इस प्रवार के पर में इस बात की परवाह नहीं की जाती कि दर दाता की आय कम है अथवा अधिक। नर सभ प्रवार की आय पर एक ही अनुपात में लिया जाएगा। जैसे यदि कर दी दर ५ प्रतिशत रखी गई है और एक व्यक्ति की आय १००० रुपये है और दूसरे दी १०००० रुपये तो पहले व्यक्ति की ५० रुपया वर देना पड़ा और दूसरे की ५०० रुपये।

**लाभ—** इन प्रवार ने वर का लाभ यह है कि इसके कारण समाज में अब विनरण पूर्णत ही रहता है यदोविं ऊपर ने दोनों व्यक्तियों पे पान पहसु की ८५ प्रतिशत आय रह जाएगी। इसने अनिवार्य इसका यह भी लाभ है कि यह पढ़ति बहुत सरल है। इसने द्वारा बोई भी अपने कर का अनुमान बड़ी सुगमता से लगा जाता है। जै. बी. से (J. B. Say) ने इस सम्बन्ध में कहा है—“अनुपालिक नर की परिभाषा करते की आवश्यकता नहीं है यह मात्रा चैरिसिक (Rule of three) है।”

**हानि—** परन्तु याजहर या उद्देश्य वेक्षन वर पद्धति की सरलता नहीं है। इसके द्वारा सामाजिक न्याय होना चाहिये। परन्तु अनुपालिक नर में न्याय नहीं होता। यदि हम उनपूर्व उदाहरण को ही ने तो हमने पता चलेगा कि जिस व्यक्ति की आय १,००० रुपये है उगे विए रुपये की सीधात उपयोगिता दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा जिसकी आय १०,००० रुपये है बहुत अधिक है। इस बारण यदि दोनों व्यक्तियों के १०० रुपया में से ५ ५ रुपये लिए जाते हैं तो १००० रुपये की आय बाले व्यक्ति पर अवश्य ही अधिक भार पड़ेगा और १०,००० रुपये काले व्यक्ति पर कम। इस विए हम बहुत सज्जते हैं कि अनुपालिक वर न्याय सज्जत नहीं होते।

**घर्ष्मान कर—** यदि पर की दर आय के बहुती पर बढ़ती रहती है तो इस प्रवार ने कर को बढ़ावान वर बढ़ाते हैं। यह प्रकार के वर को लगाते समय आय को कुछ विभागों में बाट लिया जाता है जैसे ५००० रुपए तक की आय ५००० से १०,००० रुपये तक की आय, १०,००० से २०,००० रुपये तक की आय। इसने पद्धति प्रत्येक विभाग की एक वर-दर निश्चित करदी जाती है जैसे ५०००, जैसे कम आय पर ३ पैसे रुपया, ५००० से १०००० रुपये की आय पर ५ पैसे रुपया, १०००० से २०,००० रुपये तक की आय पर ८ पैसे रुपया। वर लगाते समय आय के इस प्रवार के विभाग पर के प्रत्येक विभाग पर उग विभाग की दर के हिसाब से वर लगा दिया जाता है और यिर सब विभागों के करों को जोड़ कर विभी व्यक्ति वा कर-भार मानून वर लिया जाता है। आय के विभाग में बाटने के बारण इस पर को विभाग कर (Graduated Tax) भी बहते हैं।

**लाभ—** अनुप्राप्तिक कर के अवगृणों के कारण बढ़मान कर दो सत्तार के बहुत से देशों ने अपनाया है। यद्यपि आदम स्मित ने 'बर देने की शोष्यता' में अनुप्राप्तिक करों का ही बर्एन किया है परन्तु यारे नज़र बर जब उसने यह बहा कि अधीकर लोगों द्वारा इससे कुछ अधिक देना चाहिए तब इसमें यह स्पष्ट हो गया कि वह अनुप्राप्तिक कर की प्रेक्षा बढ़मान कर दो अच्छा समझा था। बढ़मान बर वे सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं जिनमें उन्होंने इस बर को ही ठीक बताया है।

कुछ लोगों का बहना है कि बढ़मान कर द्वारा 'रामान बलिदान का सिद्धान्त' पूरा होता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे विभी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उसके लिए स्पष्ट वी सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। इसी कारण अधिक आय बाले लोगों से अधिक कर तथा कम आय बाले लोगों से कम कर निपा जायें तो दोनों दो समान बलिदान करना पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ लोगों द्वा कहना है कि यह दाल गलत है। प्रो० पी० ने बहा है कि उपयोगिता हास नियम में बेचल इन बात का पता चलता है कि १००० पौँड बाली आय के अन दे एक पौँड की उपयोगिता १०० पौँड बाली आय के अन्त के एक पौँड की उपयोगिता में कम है। परन्तु बढ़मान कर को न्याय संगत छहराने के लिए यह जानना आवश्यक है कि १००० पौँड बाली आय के अन्त के १०० पौँड की १०० पौँड बाली आय के अन दे एक पौँड में कम उपयोगिता है। यह बात उपयोगिता हास नियम में पता नहीं चलती।

प्रो० हाबसन (Habson) ने बढ़मान कर को दूसरे ढांह में उचित बताया है। उनका कहना है कि हर अधिकता की आय के दो अन्त हैं—एक लागत का अन्त और दूसरा बचत का अन्त। लागत वाले अन्त पर कर लगाना नहिं है व्यापारिक ऐसा करने से आय ही समाप्त हो जायेगी। इसी कारण सब प्रकार के कर बचत के ऊपर ही लगाने चाहिए। प्रो० हाबसन का यह कहना है कि कम आय में लागत अन्त अधिक सम्मिलित होता है परन्तु अधिक आय में बचत का अन्त अधिक होता है। इसी कारण बर बढ़मान रीति में लगाना चाहिए व्यापारिक आय के बढ़ने में बचत लाना अन्त बढ़ता जाता है। परन्तु इस प्रकार की विचार धारा के विरुद्ध यह बहु जा मजबूता है कि पह बाल कहनी कि कम आय में लागत वाला अन्त अधिक होता है और अधिक आय में बचत लाना अन्त अधिक होता है गलत है। इस बात का ठीक अनुभान लगाना नहिं है।

प्रो० मार्डल ने बढ़मान बर को इसनिए उचित बताया है कि इसके द्वारा विवरण में समानना आती है। उनका कहना है कि पूँजीदाद के कारण समाज में पूँजी का बढ़वारा अनुभान हो जाता है। इस अनुभानता को दूर बरने का एक अच्छा साधन बढ़मान कर है जिससे घनी लोगों की सम्पत्ति नियंत्रण लोगों पर पान

चली जाती है। परन्तु यह कहना बड़ा कठिन है कि बढ़मान कर द्वारा धन वा आमदान विनाशण कहा तक थीक हो सकता है। प्रो० पी० ने भी इसी कारण बढ़मान कर को उचित बताया है।

नांद कीन्स ने अपनी ममस्त साधनों के उपयोग की नीति (Policy of Full Employment) के लिए यह बात आवश्यक बताई है कि कर की पुनर्वितरण नीति को अपनाया जाये। यदि समस्त भाषणों के उपयोग की नीति<sup>१</sup> को अपनाया जाये तो उसके लिए यह आवश्यक है कि सोसोरों के उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति बहुत अधिक हो। उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति को तभी अधिक बढ़ाया जा सकता है जबकि अमीर लोगों में, जिनकी उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति कम होती है गरीब लोगों को, जिनकी उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति अधिक होती है बढ़मान करो द्वारा ममस्त का हमलान्तर किया जाये। इस कारण यदि ममस्त साधनों के उपयोग की नीति<sup>१</sup> ने अपनाया जाता है तो बढ़मान कर लगाना आवश्यक है।

अन्त में कुछ लोग का पहुँचना है कि बढ़मान राज्य मनुष्य शरीर के ममान है। मनुष्य का नीतिक कर्तव्य यह है कि वह अपने गे निर्धन लोगों की महायता करे, यह नि सदैह नह्य है कि सबसे राजिनाली कदम जो नवजने भारी बोझ उठाना चाहिए। इस पुस्तिका से यह बात मिल होती है कि घनी लोगों को अधिक वर-भार उठाना चाहिए और निर्धन लोगों को कम। दूसरे शब्दों में कर बढ़मान होना चाहिए।

**हानि—**यद्यपि बढ़मान कर को आय सभी लोग परामर्श दरते हैं परन्तु इस कर के स्थाने में एक बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है और वह यह कि हम यह थीक प्रत्युमान नहीं लगा सकते कि कर की दर कितनी छानाई तक जा सकती है। मक कलच (McCulloch) ने टीक ही कहा है कि यदि हम प्रत्युपातिक कर को छोड़ते हैं तो हम अपने आपको समूद्र में बिना पातावार प्रौर बुतुकतुमा फे पाते हैं। प्रो० सेलिगमन (Seligman) ने भी बढ़मान कर के ऊपर सैद्धान्तिक नशा व्यवहारिक दृष्टि से विचार करने के पश्चात् यह परिणाम निकाला था, “यदि इस प्रकार, हम सारे वादविवाद का परिणाम निवाले, तो हम देखते हैं कि, जबकि बढ़मान कर को हम एक सिद्धान्त के रूप में किसी सीमा तक उचित नहीं सकते हैं, और अनित की योग्यता के प्रत्युमान कर नीति को बनाने की सैद्धान्तिक प्राप्ति वर्षन कह सकते हैं, यह बात तब करनी बड़ी कठिन हो जाती है कि विन गोमा तर और विस प्रकार व्यवहार में इस सिद्धान्त को कार्यान्वित किया जाये ;”

इसके अतिरिक्त यह बात निश्चित करनी भी बड़ी कठिन है कि यही आय को प्रति इकाई उपयोगिता छोटी आय की प्रति इकाई उपयोगिता से कम होती है।

बद्धमान कर को यदि बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी सीमा भा जाती है जबनि सारी प्राय कर के स्प में चरी जाती है। इस प्रकार कर लगाना पुढ़ कात में भने ही उचित हो परन्तु शान्तिकाम में इसके बूँदी एकत्र होने में वास्ता उपस्थित होती है।

**प्रतिगामी कर—**यह कर बद्धमान कर वा ठीक उल्टा होता है। इसमें वभ आय बाले व्यवितरों के उपर कर बी दर अधिक होती है और अधिक आय दातों पर वभ। इस प्रकार कर कर सदा ही अनुचित भाना जाता है। साधारणतया ऐसा वर जान दूभकर नहीं लगाया जाता। वह या तो अचानक ही लग जाता है या इस पारण लग जाता है जि अधिक वारदाता कर से विसी न विसी प्रकार वज भाना है। इस प्रकार के बरों का उद्दैश्य कभी भी धन एकत्र करना नहीं होता।

यहाँ एक बात बताने योग्य है जि बद्धमान कर भी हर एक विभाग में प्रतिगामी होता है क्याकि इसमें एक विभाग वे हर व्यवित वे ऊपर कर की एक सी दर लगाई जाती है। इस प्रकार कर उन लोगों के लिए अधिक होता है जोनि न्यूनतम भीमा के रागीप होते हैं और उनके लिए कम होता है जो अधिकतम रीमा के पस्त होते हैं।

**अधोगामी कर—**इस प्रकार कर वह होता है जो आय के बढ़ने पर बढ़ता तो है परन्तु कर बी दर आय के बढ़ने पर कम ही जाती है। इस प्रकार का कर एक सीमा तक तो बद्धमान होता है, परन्तु उसके दस्तावेज अनुपातिर हो जाता है।

इन मद बरों को निम्न तालिका द्वारा समझाया जा सकता है।

आय	अनुपातिक		बद्धमान		प्रतिगामी		अधोगामी	
	दर	धन	दर	धन	दर	धन	दर	धन
३०००	५%	१५०	५%	१५०	५%	१५०	५%	१५०
५,०००	५%	२५०	६%	३००	८%	२००	५%	३००
१०,०००	५%	५००	१०%	१०००	२%	२००	६%	६००

**आयक्ष कर—**इस प्रकार के कर यह होते हैं जिनका बोमा उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनका उपर वह लगाये जाते हैं। इस प्रकार के करों का बोमा विसी दूसर व्यक्ति पर हस्तान्तरित नहीं विया जा सकता। आय कर इस प्रकार के कर का एक उदाहरण है। आय कर का बोमा कर देने वाले पर ही पाना है, वह विसी दूसरे के उपर इस वाले को नहीं जान सकता।

**लाभ—**इस प्रकार के बरों से निम्नतिति लाभ है ।

(१) इस प्रकार ने कर बद्द मान होने हैं । इनको इस प्रकार तगड़ा जा सकता है तिनिंहें लोगों पर इनका बोझ कम पड़े और थोड़ी लोगों पर अधिक पड़े । इस प्रकार ने करों में तुल्य शूट भी दी जाती है । इस प्रवार यह नर के समानता सिद्धान्त के अनुसार है ।

(२) इस प्रकार वे करों में पितृव्यविता भी बहुत होती है क्योंकि इनके एकत्र उठने का स्वयं बहुत बड़ा होता है । इन बरों वा बहुत सा धन तो आय ने थोड़ा पर ही बमूल करके तरकारी रखने से जमाकर दिया जाता है ।

(३) यह कर निविच्छ ने होते हैं । कर-दाना यह जाता है तिनि उसको किस दर पर तथा किंग प्रवार वर देना है ।

(४) इन करों का लोका लाभ यह है तिन्हीं लोकदार होने हैं । जब सरकार को अधिक धन वीं आवश्यकता होती है तब इन करों की दर को बढ़ाकर अधिक धन प्राप्त कर दिया जाता है और आवश्यकता न रहने पर दर को घटाकर आप हीं बड़ा कर दिया जाता है ।

(५) यह कर उत्तादाव भी है व्योमिक जन महाया ने उठने तथा देश के धन में बुद्धि होने पर यह वर स्वयं ही आप को बढ़ा देते हैं । इस प्रवार वे कर बहुत बड़े मूल्य के महों पर ही लगाये जाते हैं ।

(६) इस प्रकार वे करों वे द्वारा ही लोकों में नागरिकता वीं भावना उत्पन्न होती है तथा वे राज्य के बहुत से कार्यों में भाग लेता आरम्भ कर देते हैं ।

**दृग्निगा—**पर यहाँ इन करों ने उठने लाभ है वहाँ निम्नतिति हानिया भी है ।

(१) इन करों वे कारण कर-दाना को बड़ी कठिनाई से का यामना करना पड़ता है । पहले से उसको अपने हिमाव वा पूरा विवरण आपने कर विभाग को भेजना पड़ता है । यदि आप-कर अफलतर हिमाव से सन्तुष्ट न हो तो वह कर दाना को यामना बही-नादा लेकर अपने सामने लुलाता है । इस प्रकार आप जाते में ऐसा भी तर्चं होता है तथा कठिनाई भी होती है । इसके अतिरिक्त वर के देने में भी कठिनाई होती है क्योंकि आप एकत्र तो होती है और भीड़ी करके परन्तु कर के स्वयं में दी जाती है वह एरदम । इससे कर-दाना को कठिनाई होती है ।

(२) यह वर मनुष्य की मच्चाई पर लगाता जाता है । जो व्यक्ति सच्च होत है या जो अपनी आय वीं छूपा नहीं सकते वीरे नीकरी उठने वाले लोग उनको अधिक कर देना पड़ता है । परन्तु जो लोग सच्चाई से काम नहीं लेते और अपनी आय वीं खूब हिमाव भर कर भेजते हैं वह कर दी बच जाते हैं । व्यवहारिक जीवन में देखने में आता है कि बहुधा व्यापारी दोप्रकार वे बही-नादे रखते हैं—एक वह

(६) एक वर में लोग वर से वधु सकते हैं परन्तु बहुत से वरों से वह नहीं बच सकते।

आय कर के बदले कुछ लोगों द्वा रहना है कि सम्पत्ति के पूँजी मूल्य (Capital Value) पर कर लगाना चाहिये। परन्तु इस वर का क्षेत्र बहुत सीमित है वरपरि यद्यपि आय कर लगानी प्रबाल की आयों पर लगाया जाना है, यह वर अंतर सम्पत्ति की आय पर लगाया जाना है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का उचित मूल्य जानना भी सरल बात नहीं है। इस पर सामारण्यता वडा मनमेद रहता है। इसलिए यह कर भी उचित नहीं जान पड़ता।

एक भर प्रणाली के यह दोष बहुन्कर-प्रणाली में दूर हो जाते हैं। बहुन्कर-प्रणाली में विभिन्न श्रेणी के लोगों पर कर भार ठीक प्रकार में बाटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में कोई भी व्यक्ति कर से नहीं बच सकता।

यद्यपि बहुन्कर प्रणाली में कुछ मुश्य पाए जाते हैं परन्तु बहुत अधिक वर लगाने की नीति भी धनुचित है। आर्थर यॉहू (Arthur Young) का विवाद यहूत से छोटे छोटे परा में था। उन्होंना यह कहना था, 'कि यदि मुझे एक यच्छी वर पढ़ाति की परिभाषा बरनी पड़े, तो यह वह होली चाहिए जिसमें अवलत गिन्दुप्रो पर हूँड़ा भार पड़े, विसी पर भारी न पड़े।' परन्तु इस वर नीति में कुछ ऐसे दोष हैं जिनमें बारग यह अपनाई नहीं जा सकती। यह वर-प्रणाली अव्याहरणिक है क्योंकि इसमें उचोग धन्धों के विवास में बाधा पड़ती है वर-दाताओं को अनुदिधा होती है तथा कर बदूल बरने का खर्च बहुत अधिक होना है।

इसलिए यह बहु जा गवता है कि आचूनिक सभ्य गमान ने तिए न तो एक वर प्रणाली ही उपयुक्त है और न बहु-वर प्रणाली उपयुक्त है वरन् इन दोनों के बीच की बहुपी-वर प्रणाली (Plural Tax System) उपयुक्त है। इस कर प्रणाली में कुछ वडे वडे वर होने चाहिए जिनसे कि आय का एक बड़ा अंश प्राप्त विद्या जा सके। अग्रीक आदिभियों पर कर लगाने में लिए आय और उत्तराधिकारी कर उपयुक्त है। अग्रीक आदिभियों पर कर लगाने में लिए कुछ ऐसी बस्तुओं द्वारा जा सकती हैं जिनका उनके द्वारा उपयोग होता हो परन्तु जो जीवन की आवश्यकताएं न हों। मध्य जंगी बस्तुओं पर वैतिक दृष्टि से कर लगाया जाना चाहिए। विलासिता की बम्बुए जिन का आयात विदेश से होता है, वर लगाने के लिए उपयुक्त है।

वर निर्धारण में न्याय की समस्या (Problem of Justice in Taxation)— घनसात्त्व (Mechanics) का यह एक बड़ा प्रमिल नियम है कि हृत्वा दोभा भी यदि ठीक बाँट कर नहीं रखा जाएगा तो वह सहन करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक छोटे से छोटा कर भी सोने ममम कर

नहीं लगाया जाना तो वह राष्ट्रीय उन्नति के सिए बड़ा भविष्युर सिद्ध होता है, और उसका प्रभाव यह हो जाता है कि नये लोग उसमें नाराज हो जाएं और अन्त में उसके विरुद्ध एक प्रान्दोलन गठा बर दें। इसीलिए कोट्टय ने कहा है कि वर्गों को उस प्रबार प्राप्त बरता चाहिए जैसे कि एक पकड़े कल को जिससे कि खेड़ की कोई हानि नहीं होनी। यदि बर भोजन समझ बर लगाया जाता है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में आप प्राप्त हो जानी है परन्तु उसने बर दाना की उत्पादन शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस लिए यह आवश्यक है कि बर भोजन समझ कर लगाना चाहिए। बर जो न्याय नमूदूर बताने के निए घटने में मिलाता है जिनमें से पुछ निम्नलिखित हैं।

**वित्तीय सिद्धान्त (The Financial Theory) —** इस सिद्धान्त में न्याय वा दृष्टिवाणी सामने न रख कर बेबात आप वा दृष्टिवोण मामने रखा गया है। इस मिदान्त के प्रतिवादकों का जहाना है कि बर लगान याती के लिए एक मात्र पथ प्रदर्शक यह यात है कि बम स कम विरोध के साथ अधिक से अधिक ग्राम हो। बाह्यर्थ साहृदय का कहना है कि बनन को ऐसे नोचों कि वह कम से बग विरोध के माथ चिन्नाये।” परन्तु इस प्रकार की बात या तो एक विदेशी शासन ग्रेज गकता है या एक एक शासन। यिमी देश की प्रजातन्त्र सरकार को कभी नहीं दृष्टिवोण सामने नहीं रखना चाहिए। उएके मामने न्याय का प्रदत्त फ्रदर लूना चाहिए। यदि वह देश की भारी जनता पर बर लगाती है क्याहि उनमें विरोध बरते की जाकित बहुत कम होगी है तो उससे उन लोगों की उनति नहीं हो सकेगी और एसा होने पर कुछ भवय पश्चात देश पतन की ओर अप्रसर होने लगेगा। इस बारण कर लगाने समय बेबत आप वा दृष्टिवोण सामने न रख कर न्याय को भी मामने रखना चाहिए।

**शतिपूर्ति तथा समाजवादी सिद्धान्त (Compensatory and Socialist Theory) —** इस सिद्धान्तों के मानने वालों का मत है कि बड़ी बड़ी आयों पर छोटी छोटी आयों की अपेक्षा अधिक कर लगाना चाहिए। इनमें पहले प्रकार के लोगों वा बाह्यर्थ है कि घन वितरण की असमानता अधिकतर राज्य के कार्यों के कारण है। इसलिए राज्य को समान बर लगाने वा धिवार छोड़ना चाहिए बरन् उसको उन सेगों पर अधिक बर लगाना चाहिए जिनके पाम अधिक घन है और उन पर बम लगाना चाहिए जिनके पाम कम घन है। इस प्रकार राज्य के कार्य के कारण ही समानता आ जाएगी। इसको शतिपूर्ति का गिरावंत कहा गया है। राजनीतिवादी नींगा वा कहा है कि निवम्मी शार्यिक शक्तियों वे कारण घन का वितरण हो गया है। इनलिए बर सब पर समान नहीं हो सकता। राज्य वा यह कर्तव्य है कि वह अधिक शक्तियों वे निवम्मेपन को दूर करते के लिए कर लगाए और इस प्रकार कर द्वारा घन का वितरण समान करदे। इस मिदात वो समाजवादी सिद्धान्त कहते हैं। परन्तु

यदि इन सिद्धातों को मान लिया जाये तो यमीर लोग पर बहुत भारी बरसावे जायेंगे जिसके पल स्वस्थ पूँजी एकत्र न हो सकेगी। पूँजी न होने का पल यह होगा कि देश में उत्पादन न होगा और इस प्रकार देश जो बड़ी हुति होगी। इसलिए करों द्वारा धन के वितरण में समानता लाने की कान भी कुछ उचित नहीं जान पड़ती।

**'जैसा तुम्हे मिले वैसा छोड़ दो'** मिद्दात (Leave as you find them' Theory)—इस मिद्दात वाला का मत है कि वर्षायाम धन वितरण में कोई परिवर्तन नहीं बरना चाहिए। उनके अनुसार वर इस प्रकार लगाना चाहिये कि प्रत्येक आदमी कर अप्ता परके भी उसी स्थिति में रह जाय जिसमें वह पहने था अर्थात् समाज के सब लोग वी आपेक्षित स्थिति पूर्वतः रह। परन्तु यदि इस सिद्धात को माना जाये तो सभी वर्गों के लोग पर बरसाव जो कि अनुचित होगा।

**'प्रत्येक व्यक्ति को कुछ आदा करना चाहिये'** सिद्धात ('Every one ought to pay something Theory')—इस सिद्धात के मानने वाला का महता है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ पर खुकाना चाहिए। ऐसा होने पर वह राज्य के प्रत्येक कर्म में अधिक सरिया तथा बुद्धिमती से भाव लेगा। ऐसा होने पर उसको अपनी स्थिरी तथा राज्य में अपने महत्व का आभास होगा। परन्तु यदि इस सिद्धात को मान लिया जा तो गरीब लोग वी यह नागरिक आधारम बहुत गहरा पड़ेगा। यह आवश्यक है कि अब लोग कर के भार से सर्वदा मुक्त होने चाहिये। इसी लिये ग्राम्यनिक युग में यह सिद्धात को नहीं माना गया।

**सेवा के गूल्य का सिद्धात** (Cost of Service Theory)—इस मिद्दात के अनुसार कर चुकाने का आधार वह म्यार्पै, होनी चाहिये जो कि राज्य व्यवसिया के लिए करता है। जिस प्रकार व्यवसितात व्यवहार में व्यक्ति वो उस सेवा में अधिक गूल्य नहीं देना पड़ता जो कि उसके लिए वी जानी हो इन प्रकार राज्य को भी सेवा के मूल्य से अधिक कुछ भी नहीं देना चाहिए।

यह सिद्धात देखने में बड़ा उचित जान पड़ता है परन्तु व्यवहार में इस पर कार्य नहीं किया जा सकता। यह बात जरूर है कि यह सिद्धात डाक तथा रेम्बे आदि वा किसाया तथ करने में लागू किया जा सकता है परन्तु योप स्थानों पर यह लागू नहीं किया जा सकता। जैसा राज्य व्यवसियों से उनहीं सुरक्षा वा मूल्य बगूत नहीं कर सकता वयोंकि लेना का सच सारे देश के लिए मामूलिक ही किया जाता है, इस लिये यह जान लेना अद्यम्भव है कि इसमें स लिहाजा लाये जिस प्रकार वा लिये किया जाया है। यह प्रत्यक्ष ही है कि राज्य जो निर्णय लेता अमाला लोगों के लिए अधिक रखने बरना पड़ता है क्याकि एक लाल रद्दये वी एक समर्ति वी रक्षा करने में यह लाल रख होता है उससे वही ज्यादा उस रामय होता है जब कि राज्य को

एक-एक हजार रुपये वी सौ मम्पतियों की रक्खा करनी पड़ती है। यदि इस निदान के अनुमार कर पढ़ति होगी तो वह प्रतिगामी हो जायेगी। और यह अन्याय होगा।

इसके अतिरिक्त राज्य गरीब लोगों के लिए मुछ मामाजिक सेवाये बरता है जैसे वह उनको वेरोनिकारी करन्याय इदान करता है नथा उनके लिए जिता और चिकित्सा की सुविधाये भी देता है। यदि यह नवा के अनुसार कर नेगा तो यह एक मखोन ही बन जायगा क्योंकि एवं आर तो राज्य गरीब लोगों वी सेवा करेगा तथा दूसरी और उमी सेवा का उतना ही मूल्य वै लगा।

इन सब बागों के बारम्पर इस सिद्धान्त नी नहीं माना गया।

लाभ अवया 'जैसे-को तैया' सिद्धान्त (Benefit or 'Quid Pro Quo' Theory) — इस सिद्धान्त के अनुमार राज्य वह हर व्यक्ति को उस अनुपान मे कर देना चाहिए जो कि उसको प्राप्त लाभ का गण्य व बुन्न व्यव है। यदि राज्य मे किसी को प्रधिक लाभ प्राप्त होना है तो उसको अधिक कर देना चाहिए। आदम त्सिय ने भी इस सम्बन्ध मे कहा था कि हर राज्य वे व्यक्तियों को राज्य का कार्य चलाने के लिये उस अनुपान से महत्वांग देना चाहिय जिसमे कि उनको राज्य के मरक्खरु से लाभ प्राप्त होना है।' कोहन (John) ने इसी निदान पर राजकीय व्यव का वर्णन करता किया था।

परन्तु इस सिद्धान्त मे भी बहुत से दोष है। राज्य का यहुत ना देसा यह छोड़ा है जो सब को समान त व गठुचाने के लिये किया जाता है परन्तु यहा यह बात निश्चित करनी बड़ी बठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना सर्व विषय गया है। यह बात मेना तथा पुनिस के स्वर्व के लिये विशेषत लागू होती है। इस स्वर्व का प्रधिकतर लाभ गरीबों को ही पहुचता है क्योंकि अमेर आदमी अपनी देख भाल के लिए चौकीदार रख सकते हैं। यही बात मुछ मामाजिक वार्डों के लिए भी लागू होती है। इन वार्डों में जिता, चिकित्सा, पुस्तकानय आदि हैं। इन सब का लाभ भी विशेषत गरीब लोगों को ही पहुचता है। इनके अतिरिक्त राज्य की कुछ नेवाये ऐसी हैं जिन पर किये गये घर्व का आसानी ग पना चल सकता है। इन मे दुटापे वी पेन्नान, बेचारी कान वी सहायता आदि हैं। परन्तु इन सब का मूल्य लेना बहुत मजाक ही होगा।

परन्तु यह सिद्धान्त स्थानीय सरकारों की कुछ सेवाओं पर लागू हो मता है। उनमे एकी, जिताई, ऐस आदि देश कम्पिलित है। परन्तु लभता के विकान के साथ माय लोगों का यह विचार ही चला है कि या तो इस चीजों वा दोई मूल्य ही न निया जाये और यदि जिता भी जाय तो बहुत कम।

इस प्रकार यह वहा जा सकता है कि यदि हर व्यक्ति वी उतना बर देना चाहिए जिता वि उसको राज्य से लाभ प्राप्त होगा है परन्तु राज्य के द्वारा औदन,

स्वतन्त्रा सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन की जितनी रक्षा होनी है उसका अनुमान उपरान्त इठिन है। यह इस नाम के अनुमार वर उपरान्त दर्शन कठिन है।

अब करने की योग्यता अथवा इमता का मिद्दात (Ability to pay or Faculty Theory) — यह गिर्डान के अनुमार एवं अधिक को राज्य का काव्य उपरान्त के लिए उपरान्त वर इस चाहिए जितना कि वह अब वर सवता है। इसके उपरान्त म यदि नाई अधिक अभीर है तो उसको अधिक वर देना चाहिए और वह अभीर ने तो उपरान्त कम कर देना चाहिए। जहाँ तक इस गिर्डात का मम्बध है वह इहत ही अधिक गोर यांग सम्भूत मात्रम पड़ता है। ऐस्तु यह गिर्डान का नामू दर्शन म वर्ती बिट्टाई उपरान्त होनी है क्योंकि अदा करने की योग्यता की परिमाण इरनी दर्शन कठिन है। जिसी अधिक वीकर दर्शन करने की धमता जानने के लिये हमको दो प्रवार विचार दर्शन पड़ता है। एक जो मनुष्य की इठिन म (Subjectively) और दूसरे बाह्य पदार्थ की इठिन से (Objectively)। यह हम करदाना की विज वीकि दृष्टिम कर देना का विचार वर तो उसमें निति असविधा गोर यांग का विचार दर्शन पड़ता है। यह सम्बाद म हीन प्रकार के विचार मिलते हैं—

- (१) समान यांग का मिद्दात (Principle of Equal Sacrifice)
- (२) समानपात्रिक त्याग का मिद्दात (Principle of Proportional Sacrifice)
- (३) यातम त्याग का मिद्दात (Principle of Least Aggregate Sacrifice)

(१) समान त्याग का मिद्दात—ज० एस० मित के अनुमार प्रयत्न अधिक को राज्यकीय व्यय के लिए उतना धन दर्शन चाहिए जिसमें हि उसका अपन भाग स उसमें कम या अधिक असुविधा अनभव न हो जितनी यि दूसर अधिक वो अपन गे होनी है। यह गिर्डान का यह अब हुआ कि उन नामा स अधिक वर उतना चाहिए जो अधिक द मवत है और उनमें यह उतना चाहिए जो वर दे सकता है। यह गिर्डात का नामू बताए समय यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि यही दौरी नोग पर वरन उपरान्त जाय दयाकि यहि कर उतन के बारग वह अपनी यावश्यकतावें भी त खरीद सके तो उन का जो बिट्टान दर्शन पड़ता उसका अनुमान उपरान्त कठिन है। यह प्रवार वर्त आय पर वरन उगा वर यह पर अनुपातिक रीति मे वर उपरान्त चाहिए।

समानपात्रिक त्याग का मिद्दात—यह गिर्डात का अनुमार अस्थिरत वर दानाप्रार उपर वास्तविक यामा समान नहीं यहन या तो उनका आय पा प्रावित दल्दान जो व मरवार ये प्राप्त वरते हैं उमर समाप्तिम द्वाना चाहिए। जा अधिक त्याग वर सकत है उत्ता को अधिक त्याग करने के लिए इन्हें उतना चाहिए। दूसरे यांग म यह मिद्दात के अनुमार वर प्रमाणी बढ़ मान होनी चाहिए।

(३) न्यूनतम त्याग का निष्ठात—यह निष्ठात कर का विचार अधिकार दृष्टि से न करने सामाजिक दृष्टि से करता है। इस निष्ठात के अनुसार कर इस प्रकार से लगाना चाहिये जिससे कि सारे समाज के लाल उसका भार कम से कम पड़े। दूसरे दृष्टि में यह निष्ठात अधिकतम सामाजिक न्याय का निष्ठात सामने रखता है। अधिकतम सामाजिक लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सारे समाज को कम से कम बलिदान करना पड़ेगा। यह निष्ठात सीमान्त इरायोगिना हाथ निष्ठात पर आवश्यित है जो कि यह बननाता कि जिनकी भी अधिक आप होनी है उनकी ही उमरकी इरायोगिना कम होती है। इस बागम यदि बड़ी बड़ी आयो की अवित्तन इकाइया कर के हण में ले लीजाये तो उसमें कर देने वालों पर बोई विशेष भार नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार को अपनी आय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी आयो पर उस समय तक कर लगाने जाना चाहिये जब तक कि उसकी आवश्यकता पूरी न हो जाये। इस निष्ठात के अनुसार हर एक व्यक्ति को तर देने की आवश्यकता नहीं। कर लेवाल अमीर अदायियों से ही निया जाना चाहिये। परन्तु यदि केवल अमीर लोगों पर ही कर लगे गा तो उसके बागम पूँजी के एकत्र करने में कठिनाई उपस्थित ही सकती है जिसका प्रश्न उत्पत्ति पर भी पड़ेगा। इसलिये भूनग बलिदान तभी प्राप्त हो सकता है जब कि सरकार कर भार को विभिन्न लोगों पर इस प्रकार विभाजित करे जिससे वि पूँजी के सचय करने में बाधा उपस्थित न हो।

परन्तु त्याग का सम्बन्ध व्यक्ति की भवनाओं से ही और भवनाओं का जान कर लेना बड़ा कठिन है। इस बारण मनुष्य की कर देने की योग्यता उसके बलिदान से नहीं नापी जाती बरन् उसको पदार्थ की दृष्टि से नापा जाना है। इस दशा में भी योग्यता को नापने के तीन साप्तत बताये गये है—(१) सम्पत्ति (Property), (२) ख्यव (Expenditure) तथा (३) आय (Income) यदि। हम इन सब का विचार करें।

(१) सम्पत्ति—प्रारम्भ में लोकों ना यह विचार चा कि सम्पत्ति के द्वारा किसी मनुष्य की कर देने की योग्यता का पता चल सकता है। परन्तु सम्पत्ति को कर कर आवार मान लेने में बड़ी कठिनाइया आई, जैसे सम्पत्ति का कौनसा मूल्य निया जाये—उगाछ विक्रय गूल्य अथवा उगका वापिक आय प्राप्ति का भूल्य। भूद्वालीन युग में जब कि मन्यति को बैचा नहीं जाना था उस समय सम्पत्ति का मूल्य उसकी वापिक उगाच अथवा आय प्रदान करने की दक्षिण से जापा जाता था और इसी प्रकार उस के ऊपर कर निश्चित विया जाना था। सम्पत्ति में मूल्य के ऊपर कर लेने की प्रवा सबसे पहले अमरीका में पड़ी जहा पर कि भूमि को दूसरी बरनुओं के सामने देना जाता था।<sup>4</sup> परन्तु योग्य ही यह बात अनुभव की गई कि

<sup>4</sup>Piehn—Introduction to Public Finance—P. 92, 93.

मम्पति से मनुष्य की कर देने की योग्यता का ठीक माय नहीं हो सकता। बहुत मध्यिति ऐस होते हैं जिनकी आय तो बहुत ही अचूक उनके पास मम्पति विकृत नहीं होती। इमरित वह कर से बच जाते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के पास छोटी सी भी मम्पति होती है उन्होंने कर देना पड़ता है। इस बारण सम्पति की कर देने की योग्यता का माय मानना छोड़ दिया गया।

**ठथुय**—पम्पति वे पश्चात् व्यय को कर देने की योग्यता का आधार माना जाते नहा। लोगों का विश्वास या कि जो व्यक्ति अधिक खर्च करते हैं उसमें कर देने की अधिक योग्यता होती है। इसी कारण कर व्यय के अनुमार लगाया जाना चाहिए। परन्तु वह धारणा विकृत गलत है। एक व्यक्ति जिसको एक बड़ा परिवार का पालन पालण करता पड़ता है उसको अवश्य ही अधिक खर्च करता पड़ेगा। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का परिवार बहुत छोटा होता है उसको वह खर्च करता पड़ता है। ऐसी स्थिति में पहले व्यक्ति में अधिक और दूसरे में कम कर देना अन्याय ही बहुत जावेगा। इसलिए व्यय भी कर देने की योग्यता का आधार नहीं माना गया।

**आय**—द्वाके पश्चात् प्राय को कर देने की योग्यता का आधार याना गया। आजकल इनी आधार पर कर लगाया जाता है। परन्तु इस आयार पर कर लगाने में भी बहुत सी विट्ठियाँ उपस्थित होती हैं। जैसे ही व्यक्तियों की आय एक भी हो सकती है परन्तु एक का परिवार बड़ा और दूसरे का छोटा ही सकता है। इन दोनों के लाल एक भी दर से कर लगाना मनुष्यित ही होगा। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति की आय अर्थात् नारीस्त्रिय परिवर्त्म का परिणाम हो सकती है परन्तु दूसरे की आय भव्यति में ग्राजन हो सकती है। इन दोनों आयों पर एक सी दर से कर लगाना भी अनुचित ही होगा। इसी कारण लार्ड स्टेप्पर (Lord Stamp) ने कहा है कि विषयी व्यक्ति की कर देने की योग्यता मानूम करने समय हमें निम्नलिखित दाना का ध्यान रखना चाहिए —

(१) वह समय जिसमें आय प्राप्त की गई हो। आय सभी देशों में पहले वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है परन्तु इसमें एक विट्ठियाँ उपस्थित हो सकती हैं कि जिस वर्ष में कर लगाया गया है उसमें कर देने वाले व्यक्ति जो आठा हो आए और उसकी कर भद्रा करने की योग्यता वह ही जाये। इन्हिं यह घट्टा ही यदि तीन तीन महीने की आय पर कर लगाकर उन वर्षों कर दिया जाए।

(२) आय निवालते समय पूँजी की विसावट जा उस आय का प्राप्त करा में हुई वह घटा देनी चाहिए।

(३) यह देखना चाहिए कि आय सम्पत्ति से प्राप्त हुई है अथवा व्यक्ति के परिवर्त्म से। सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उच्ची दर से कर लगाना चाहिए।

(४) कर लगाते समय परिवार का अनुभावी भी लगा लेना चाहिए। जिन लोगों के परिवार बड़े हों उन पर कम दर से वर लगाना चाहिए।

(५) यह भी देखना चाहिए कि प्राय में कितनी बचत सम्मिलित है। बचा पर ही कर लगाना चाहिए।

साधारणतया इन सब बातों का ध्यान रख पर ही आजकल सब देशों में कर लगाये जाते हैं और प्राय को ही कर देने की योग्यता का आधार माना गया है।

एक अच्छी कर-पद्धति की विशेषताएँ (Characteristics of a good Tax System)—

किसी देश की आर्थिक उन्नति के ऊपर उसकी कर-पद्धति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी कारण करों को लगाते समय वही सावधानी से काम लेना चाहिए नहीं तो देश को बड़ी हानि होगी। एक अच्छी कर-पद्धति में नियन्त्रिति युग्म होने चाहिए।

(१) भारतीय वाणिज्य-व्येष्टि की गणतान्त्रिका ने सरकार के कर-जात प्रायोग के प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक अच्छी कर-पद्धति की विशेषता इस प्रकार बताई है, “सरकार की कर-नीति या यू कहिये प्राय आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को धन बचाकर उद्योग में लगाने के लिए और इस प्रकार पूँजी के नियमण के लिए प्रोत्साहित विषय जा सके तथा तैयार भाल की व्यवस्था बढ़ सके।”

(२) अच्छी कर-पद्धति तभी कहलायेगी जबकि उसे प्राय सभी कर-सिद्धान्त पूरे होते हों।

(३) अच्छी कर-पद्धति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर इस प्रकार लगाये जाते हैं कि उससे समाज के वित्ती वर्ग विशेष पर कोई भार नहीं पड़ता। इस प्रकार इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि समाज के ऊपर कर का भार कम से कम पड़े।

(४) कर लगाते समय वही सावधानी से काम लेना चाहिए। सरकार का ध्यानी प्राय का तो ध्यान रखना ही चाहिए। इसके साथ साथ कर-पद्धति का साधारण तथा हर कर का विशेष प्रभाव जो पड़ने वाला है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।

(५) घन्ट में कर लगाते समय ठीक भाकड़ों का होना वही भावधनक बात है। यिन ठीक भाकड़ों के कर का विशेष तो कोई लाभ नहीं होगा उल्टे उससे हानि है। सच्ची है।

कर देने की शक्ति (Taxable Capacity)—कर लगाते समय यह देखना आवश्यक है कि कर-दाता की कर देने की कितनी शक्ति है। पर ‘कर देने की शक्ति’ क्या है? इस बात पर विद्वान् लोग एक मत नहीं हैं और इसी कारण डॉ॰ डाल्टन

ने कहा है कि “स्पष्ट विचारों के हित में, यह धन्दा होता कि ‘कर देने की शक्ति’ वाक्याली को राजस्व के सब गम्भीर वाद-विवादों से बाहर निकाल देना चाहिए।”\*

‘कर देने की शक्ति’ की कई ढंगों से परिभाषा वीर्य है। कुछ लोगों का कहना है कि कर देने की शक्ति का प्रयोग ‘निचोड़ वीरी सीमा’ के अर्थ में किया जाता है। परन्तु सिल्वरमैन का कहना है कि यह परिभाषा बड़ी सुदिक्ष है क्योंकि निचोड़ की सीमा का पहा लगाना बढ़ा कहिं है। एक समय ऐसा हो सकता है जबकि किसी देश के लोगों को थोड़ा सा कर देते हुए भी वहां भार प्रतीत होता है परन्तु दूसरे समय वही लोग बहुत अधिक कर भी बड़ी लुटी से दे सकते हैं। ऐसा साधारणतया युद्ध काल में होता है जबकि देश के मान सम्मान का प्रश्न होता है तथा अपने भीवन मरण का भी प्रश्न होता है। सारे राष्ट्र की दृष्टि से न सोधकर दिय हम इस प्रश्न को व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से भी विचारें तो भी हमारे सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है जबकि देश के अन्दर विभिन्न लोगों की निचोड़ की सीमा विभिन्न होती है। इन कठिनाइयों के कारण यह परिभाषा कुछ उचित नहीं जान पड़ती।

‘कर देने की शक्ति’ की दूसरी परिभाषा इस प्रकार की गई है, ‘अधिकृतम् धन जो कि किसी देश की आय में से इस प्रकार आटा जाये जिससे कि भविष्य में वह आय बनी रहे।’ सर जोशिया स्टाम्प के विचार में ‘कर देने की शक्ति’ वह धन है जो कि जिसी देश की आय में से इस प्रकार आटा जाये कि उससे देश में लोगों को दुखपूर्ण तथा दरिद्र जीवन न बिताना पड़े तथा देश की आर्थिक व्यवस्था प्राथिक ग्रस्त व्यस्त न हो। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कही गई है कि देश के लोगों के पास एक न्यूनतम धन राखि छोड़ देनी चाहिए। जिससे वह बाद करने के योग्य तथा इच्छुक रहें। परन्तु महा पर ‘न्यूनतम धन राखि’ शब्द सदिक्ष है क्योंकि इनसे यह पना नहीं चलता कि यह केवल जीवन वीर शोधियक आवश्यकताओं के लिए प्रयोग विए गये हैं अथवा समाज के लोगों के जीवन-न्तर के लिये प्रयोग दिए गए हैं। यदि देश के लोगों के पास एक न्यूनतम धन राखि ही छोड़ी जाये तो उस दशा में उन्नत देश की ‘कर देने की शक्ति’ अधिक होगी और अवसर वीर बन। रही जीवन-न्तर की बात, वह देश, देश में निल है। ‘कर देने की शक्ति’ की परिभाषा करते समय हमें केवल इसी बात से न न्यूनतम नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे पास इन्होंने धन बच जाये जिससे कि भविष्य में हम अपनी आय को कायम रख सकें वरन् हमको इस बात का प्रश्ल बरना चाहिए कि हम अपनी आय को बढ़ावें।

\*<sup>प्रैली शिवाजी (Praillie Shrivastava)</sup>, के ‘भ्रमार ‘पर्दे दी जीक्षा’ यह सारी वचत है जो कि उत्तरित में से न्यूनतम उपरोक्त नों घटा कर उत्तरी उत्तरि

\* Dalton—Principles of Public Finance—Page. 171,

यी माना को प्राप्त करने के लिए चाहिए, यदि लोगों का जीवनस्तर पूर्वत रहे। न्यूनतम उपभोग में शिराज लोगों के लिए न्यूनतम जीवित सम्मिलित करते हैं तथा लोगों को व्यापार तथा उद्योग घन्थों के उन्नत करने के लिए पूँजी के बढ़ाने तथा उसको बढ़ाने की दृष्टि देते हैं। न्यूनतम जीवित ने शिराज का अधिकाय कार्य अमल की आवश्यकताओं से है। शिराज के प्रनुभार 'कर देने की शक्ति' निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है—

(१) अप्रत्यक्ष करों में कभी भी पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों को गावधानी में इम प्रकार लगाना चाहिए जिसमें कि लोगों की 'कर देने की शक्ति' भविष्य में घट न जाये।

(२) जनन्यस्था का भी 'कर देने की शक्ति' पर प्रभाव पड़ता है। यदि निमी देश में जनन्यस्था आय की अपेक्षा अधिक होती में बढ़ रही हो तो 'कर देने की शक्ति' कम हो जाती है।

(३) यदि आय का अधिकतर भाग आराम तथा विलासिता की वस्तुओं पर वर्च होता है तो उसमें 'कर देने की शक्ति' बढ़ जाती है।

(४) मासारण्यवर्ष यह कहा जा सकता है कि जिनका धन का अगमन विनाश होगा 'कर देने की शक्ति' उतनी ही बढ़ जायेगी। पर इसका यह मतलब नहीं है कि धन का अभाव वितरण होना चाहिए। भन का समान वितरण होने ने गरकार को गरीब लोगों की म्हायता पर कम लच्छे करना पड़ता है।

(५) यदि किसी देश पर याहू कहा जी भवेक्षा आन्तरिक कहण अधिक होता है तो उस देश की 'कर देने की शक्ति' बढ़ जाती है क्योंकि उस देश में व्याज बिदेशों में नहीं जाता।

(६) युद्ध बाल में शान्ति काल की अपेक्षा अधिक वर देने की शक्ति हाती है क्योंकि मुद्रकाल में सभ्या पर्जी को बढ़ाने में नहीं लगाया जाता तथा उस समय नोग राष्ट्र भवित वी भावना से प्रेरित होकर अधिक कर देना चाहने हैं।

दा० डाल्टन शिराज की परिभाषा पर आरप्ति वर्ते हुए सबकल वर्तते हैं कि वर्तमान जीवनन्धन को अपरिवर्तनशील क्यों भाना जाये? दा० डाल्टन ने शिराज की उपर्युक्त वादों जिन पर 'कर देने की शक्ति' निर्भर होती है पर भी आपत्ति नी है। उनका बहना है कि इन सबके पदचान् सिवाय गडबड के कुछ न बचेगा।\*

दा० डाल्टन ने 'वर देने की शक्ति' को दो प्रकार बनाया है—(१) जिसी एक राष्ट्र की स्वनन्धन 'कर देने की शक्ति' तथा (२) दो अद्यवा अविता राष्ट्रों की आपेक्षित वर देने की शक्ति। इनमें से पहली बात के सम्बन्ध में दा० डाल्टन का

\* Dalton—Principles of Public Finance Page. 169.

मत है कि वह किसी प्रकार भी नापी नहीं जा सकती। दूसरी बात गर्वात् आपेक्षित 'कर देने की शक्ति' के सम्बन्ध में उनका विचार है कि हम उनको 'कर देने की योग्यता' से पता लगा सकते हैं। अन्त में हाँ डाल्टन इस सम्बन्ध में कहते हैं 'मिरा साधारण परिणाम यह है कि आपेक्षित 'कर देने की शक्ति' एक सर्व बात है, जो कि उचित रूप से दूसरे शब्दों में व्यक्त की जा सकती है, परन्तु इवतन्त्र 'कर देने की शक्ति' एक कल्पित कथा है जिससे भयानक भूल होने की सम्भावना है।'\*



## अध्याय ४

### कर-भार

#### (Incidence of Tax)

कर के सम्बन्ध में यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि उसका अन्तिम भार किस पर पड़ता है, क्योंकि देखने में यह प्राप्ता है कि जो व्यक्ति कर को देते हैं उन्हीं पर उसका अन्तिम भार नहीं पड़ता यद्यपि वह उसको दूसरे पर छेकेने का प्रयत्न करते हैं। इस बात को जानने के लिए हम को कर-दबाव (Impact of Tax), कर-भार (Incidence of Tax) तथा कर-विवरण (Shifting of Tax) में भेद करना पड़ेगा।

**कर-दबाव**—जिस व्यक्ति पर कानून द्वारा कर लगाया जाता है अर्थात् जिस व्यक्ति की जेब में से सबसे पहले कर के हृष में दब्बा निकलता है उसी पर कर-दबाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश से कपड़ा आयात करता है तो उसको आयात-कर देना पड़ता है। इस कर का प्रारम्भिक भार आयात-कर्ता पर पड़ता है। परन्तु उसका अन्तिम भार उस पर नहीं पड़ता क्योंकि वह कपड़े के दाम बढ़ा कर, कर को दूसरे सौदागरों द्वारा उपभोक्ताओं से बमूल कर लेता है। इस प्रकार यद्यपि कर का प्रारम्भिक दबाव तो व्यापारी पर पड़ता है परन्तु उसका अन्तिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। इसके विपरीत यदि सरकार किसी की आय पर आय-कर लगाती है तो उसका प्रारम्भिक और अन्तिम दबाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है क्योंकि वह किसी दूसरे पर उसका विवरण नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जेब में से कर के हृष में दब्बा निकलता है उसी पर उसका अन्तिम भार पड़ना आवश्यक नहीं है बरन् कुछ दशाओं में वह दूसरे लोगों को सहन करना पड़ता है।

**कर-भार**—जिस व्यक्ति को कर का अन्तिम दबाव सहन करना पड़ता है उस पर कर-भार होता है। कर-भार जानने के लिए हमको यह देखना चाहिए कि यदि कर न लगाया जाता तो कर के हृष में दिया गया रखाना किस की जेब में रहता। उपर्युक्त उदाहरण में यदि कपड़े पर आयात-कर न लगाया जाता तो कपड़े के दाम न बढ़ने के कारण कर का रखाना उपभोक्ता की जेब में ही रहता। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कर-दबाव कपड़े के व्यापारी पर पड़ता है परन्तु कर-भार उपभोक्ता पर पड़ता है। दूसरे उदाहरण में यदि कर न लगाया जाता तो वह धन

मत है कि जेव में ही रहता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन कर का भार कर बाय दोनों करन्दाला पर ही पड़ते हैं।

यो कर-विवर्तन—यह वह विधि है जिसके द्वारा कर का भार दूसरे व्यक्तियों पर टाना जाता है। साधारणतया हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके ऊपर बर-भार न पड़े। इसलिए वह जिसी न विसी प्रकार उसको दूसरों पर ढेलने का प्रयत्न बरता है परन्तु वह सदा ही अपने प्रयत्न में सफल नहीं होता। इस प्रकार कर विवर्तन किसी विसी दशा में तो थोड़े से विन्दुओं तक ही सीमित रहता है परन्तु दूसरी दशा में वह कई विन्दुओं तक पैदा जाता है। जैसे यदि एक छोटे व्यापारी पर कर लगाया जाता है तो वह उस को डाकोता के ऊपर ढेल देता है परन्तु उपभोक्ता उसको विसी और व्यक्ति पर नहीं ढेल सकता। इस प्रकार यहाँ पर कर एक विन्दु में दूसरे विन्दु तक ही टाना गया है। इसके बिरीन यदि जिसी गिरि में काम बरते वाले गजदूर पर कर लगाया जाता है तो वह उपके कारण मिल मालिक ने उसी मजदूरी लेने का प्रयत्न करता है, मिल मालिक अपने माल के। दायर बदाकर उसको थोक व्यापारियों में बमूल करने का प्रयत्न बरता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी में उसको बमूल करने का प्रयत्न करता है और फुटकर व्यापारी उस बर को उपभोक्ताओं से बमूल करने का प्रयत्न करता है। इन प्रकार कर का विवर्तन कई विन्दुओं पर किया जा सकता है।

कर विवर्तन के सम्बन्ध में कई दार्त्तंजली शावश्यक हैं, जैसे, विवर्तन की दशा (Direction of shifting), विवर्तन का रूप (Form of shifting), विवर्तन की मात्रा (Measure of shifting) आदि।

कर विवर्तन की दशा—यह आगे या पीछे ही सबनी है। जर व्यापारी वर नगरे पर अपनी वस्तु का मूल बदा देना है तो वह उस कर को आगे की ओर टेकना है, अर्थात् उस कर का बोझा वह उपभोक्ताओं पर आता है। इनके बिरीन बर लेने पर यदि व्यापारी यह देखता है कि वह कर लगी हुई दस्तु को ऊपर दामों पर नहीं देख सकता तो वह मिल मालिक को डाना ही कम मूल्य देवर उस पर कर को ढेलने का प्रयत्न करता है। इसको कर का पीछे ढेलना जाते हैं। बमो व भी वर का विवर्तन विन्दु भी नहीं हो सकता, जैसे यदि जिसी व्यापारी ने घृत मा मान खिंच रखा है और सरकार उस माल पर कर लगा देनी है परन्तु मान की भाग लचकीली होने ने बारह यदि वह उस कर हो आगे को न बढ़ा गए तो उस बर का भार उसी व्यापारी पर पड़ेगा।

विवर्तन का रूप—वर विवर्तन दो प्रकार किया जा सकता है। पहले, व्यापारी वस्तु का भूल्य बर के बराबर बढ़ा कर उसको उपभोक्ताओं पर ढेनेव

पर कर का कितना भार पड़ेगा और यह बात निश्चित होने पर कोई भी कर घटुचित हर से नहीं समाया जायेगा।

कर देने की योग्यता जानने के लिए भी कर भार की समस्या का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि गरीब लोगों की कर देने की योग्यता अमीर लोगों से कम होती है। इसलिए कर लगाने समय इस बात का प्यास रखना आवश्यक है कि कर भार गरीबों पर कम से कम पड़े और अमीरों पर प्रधिक में प्रधिक। कर लगाने की यह योग्यता कर-भार के अध्ययन से ही प्राप्ती है।

हर देश में प्राय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो प्रकार के कर लगाये जाते हैं। प्रत्यक्ष करों का कर-भार तो जानने में कोई कठिनाई नहीं होती परन्तु अप्रत्यक्ष करों का कर भार जानने के लिये कर-भार की समस्या का अध्ययन करना आपश्यक है। दिना इसके अध्ययन किये ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जा सकता है जो गरीबों के उपयोग में आती है।

यदि सरकार की यह नीति हो कि वह किसी एक वर्ग विशेष के लोगों से कर दसूल करेगी तथा दूसरे वर्ग से नहीं करेगी तो वह ऐसी चीजों तथा ऐसे छज्ज में कर दसूल करेगी जिसका भार केवल उसी वर्ग के लोगों पर हो। इस प्रकार वीं चीजों तथा दूसरों का पता कर भार की समस्या का अध्ययन करने से होता है।

इस लिये कर भार वीं समस्या का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है।

### कर-भार के सामान्य सिद्धान्त

#### (General Principles of Incidence of Tax)

(१) कर भार वस्तु की मांग और पूर्ति की लचक पर निर्भर होता है—

किसी वस्तु के ऊपर लगाये गये कर का भार इस बात पर निर्भर होता है कि उस वस्तु की मांग और पूर्ति की लचक कौसी है। यदि अन्य बाने समान हों तो विसी वस्तु की मांग जितनी भी लचक वाली होगी उसका उतना ही कर-भार विकास पर होगा। इसके विपरीत यदि अन्य बातें समान हों तो किसी वस्तु की पूर्ति जितनी भी लचक वाली होगी उसका उतना ही भार उपयोगका पर होता। यदि विसी वस्तु की मांग विना लचक वाली है तो मूल्य के घटने वढ़ने का उस वस्तु की मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् यदि मूल्य बढ़ जाये यद्यपि वह जाये तो उपयोगका वस्तु की समान पहले जितनी मात्रा ही खरीदता रहेगा। इसलिए यदि कर लगने के कारण मूल्य बढ़ जाता है तो वह बड़े हुए मूल्य पर भी पहले जितनी ही मात्रा खरीदेगा; इन्हींलिये कर वा भार उम पर होगा। इनमें विपरीत, यदि वस्तु वीं मांग लचक वाली है अर्थात् मूल्य में योद्धा सा भी परिवर्तन होने पर वस्तु वीं मांग बहुत प्रधिक घट या बढ़ जानी है तो इस दशा में कर लगने से मूल्य के बढ़ने पर

वस्तु की मांग कर हो जायगी। इसलिये यदि विक्रेता अपना सारा भाल बेचना चाहता है तो वह मूल्य को नहीं बढ़ाएगा और अपने सब भाल को बेचेगा। इम प्रकार कर का भार उस पर पड़ेगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मांग के बेलोच होने पर कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है और उसके तोनदार होने पर उसका भार डिक्रेना पर पड़ता है। पूर्ति के नोनदार अधिक बेलोच होने का इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति नोनदार है अर्थात् कर लगने पर मांग में कमी होने पर उस को घटाया जा सकता है तो विक्रेता कर का भार उपभोक्ताओं पर छोड़ने में गफल हो जायगा। साधारणतया विक्रेता इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह पूर्ण कम करके करन-भार वो उपभोक्ताओं पर ढाले और उपभोक्ता इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह मांग कम करके कर का भार विक्रेताओं पर डाले। इस मीनातानी में जो भी पथ मजबूत होगा उसी पर कर का भार कम पड़ेगा अर्थात् यदि उपभोक्ता मजबूत होते तो उन पर करभार कम पड़ेगा और यदि विक्रेता मजबूत होते तो उन पर करभार कम पड़ेगा। पूर्ति का विचार करते समय हमें समय की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना होगा। यदि मूल्य निर्भरण का समय कम होता है तो उसमें पूर्ण भाग के बराबर नहीं की जा सकती, इसलिये मूल्य पर मांग का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत समय अधिक होने पर पूर्ति को मांग के अनुमार घटाया जा सकता है, इसलिए मूल्य पर पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शल्यकाल में बन्नु की पूर्ति साधारणतया बेसोन तथा दीर्घकाल में वह नोनदार होती है। इसलिए अल्पकाल में करन-भार विक्रेता पर ही सकता है परन्तु दीर्घ बाल में वह क्रेता पर होगा। अन्त में हम यह बह सकते हैं कि किनी कर का भार क्रेता लगा विक्रेता में से से कितना विष पर पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर है कि मांग की लघक वा पूर्ति वी लघक के साथ या अनुपात है। यदि मांग और पूर्ति की लघक समान है तो कर का भार क्रेताओं और विक्रेताओं पर समान पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कर खींची हुई बरतु का मूल्य कर के आधे वे बराबर बढ़ जाएंगा।

उपर्युक्त कथन अवहार में साधारणतया सत्य होता है। परन्तु कई बार ऐसा होता है कि जिस वस्तु पर बह लगाया जाता है उस वस्तु के क्रेताओं लगा विक्रेताओं पर ही उस का भार नहीं पड़ता बरन् किसी दूसरी उस वस्तु के भेटाओं तथा विक्रेताओं पर रहता है जिसके बनामें पहली वस्तु काम आनी है। उदाहरण के लिए यदि मुरब्दे पर कर लग जाए तो यदि मुरब्दे वाला बोट के दाम कम देता है तो इस वा भार मुरब्दे के बोट बनाने वालों पर पड़ सकता है और बोट वाला उस को मजबूर कर लेता है।

(२) कर भार स्थानान्वयन वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर होता है— कर भार इस बात पर भी निर्भर होता है कि जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है,

उम्मीद्धानापत्र वस्तुएँ (Substitute) हैं या नहीं। यदि कर सगने के नारें विसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, परन्तु उस के स्थान पर हम कोई दूसरी वस्तु (जिस पर कर न लगा हूँथा हो) काम में ला सकते हैं, तो ऐसी अवश्य में कर का भार विनेताओं पर पड़ेगा वयोंकि यदि वह मूल्य बढ़ावेंगे तो दूसरी विकार वाली वस्तु का उपभोग होने लगेगा। जैसे यदि चाय पर कर लगा दिया जाए तो लोग वहाँ वा प्रयोग करने लगेंगे। इसलिए चाय बैचने वाले अधिक चाय बैचने के लिए चाय वा मूल्य न बढ़ा वर समय ही कर का भार सहन करेंगे। यह बात मिट्टान्त में तो शीर्ष है परन्तु व्यवहार में चाय पर लगे हुए कर का भार चाय-विकेन्द्रों पर न पड़वर चाय के उपभोक्ताओं पर भी कुछ समय तक पड़ेगा वयोंकि चाय पीने वालों वो वहाँ वीं आदान छालने के लिए कुछ न कुछ समय लगेगा। इन बीच में वह चाय का भी प्रयोग बरेंगे और वहाँ वाली। इसलिए कुछ समय तक चाय बनने वाले मूल्य में कुछ वृद्धि करके उगावी बैच सकते हैं। जिस समय तक विनेता ऐसा करने में सफल हो सकते हैं उम समय तक कर का भार चाय के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

(३) कर भार उत्पत्ति के नियमों पर निर्भर होता है—कर-भार वा इन्हें उत्पन्न के नियमों से भी बहुत गहरा है। विसी वस्तु वीं उत्पन्न नियमित्ति तीन नियमों में से विसी एक वे अन्तर्गत अवश्य हींगी—(१) अमर्गत उत्पत्ति रसान्तरा नियम (Law of Constant Returns), (२) अमर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns), (३) अमर्गत उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns)। अमर्गत उत्पत्ति समानता नियम वे अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तु चाहे वस्तु मात्रा में उत्पन्न हो अथवा अधिक मात्रा में, प्रति इकाई उत्पादन-व्यय समान ही रहता है। जो वस्तु अमर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम वे अत्यंत उत्पन्न होती है उसका उत्पादन व्यय अधिक मात्रा उत्पन्न करने में बदला है तथा कर मात्रा में उत्पन्न करने में बदला है। अमर्गत उत्पत्ति वृद्धि नियम वे अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तु का सामान स्वर्ण अधिक उत्पादन पर पटता है तथा वस्तु उत्पादन पर थदता है। इनना समझ लेने के पश्चात् यह उपभोग मरस है कि कर सगने पर उम का अन्तिम भार दिन पर पड़ेगा।

अमर्गत उत्पत्ति समानता नियम के अन्तर्गत कर-भार—यदि विसी वस्तु पर कर लगाया गया है और वह अमर्गत उत्पत्ति समानता नियम के अन्तर्गत उपन्न ही जा रही है तो उम कर का भार नेता पर पड़ेगा वयोंकि कर लगते हैं पन्नस्वरूप जब मूल्य में वृद्धि होतर मात्रा न हो जाएगी तब उम वस्तु भी वस्तु मात्रा में उत्पन्न निया जायेगा। ऐसा करने पर भी उत्पादन व्यय पूर्वत ही रहता है।

इन पारण उत्पादक कम उत्पादन करके पूर्णी दो मास के वरावर बरने का प्रयत्न बरता है। इस प्रकार वह उपभोक्ताओं को कर भार राहन बरने के लिए वाप्त बर देता है। उदाहरण के लिए यदि इस नियम के अन्तर्गत उत्पाद होने जाना विभी वस्तु का उत्पादन व्यय १५ रुपये मन है और उस दो मास १००० मन है तो और उस पर ८ घाने मन का बर लग जाने पर यदि मास ८०० मन रह जाय तो नी उत्पादन व्यय १५ रुपये नहीं हो रहगा। इसलिये वह पूर्णी दो विना हानि के १००० मन में घटा बर ८०० मन पर सकता है। इस प्रकार विना उप वस्तु दो १५ रुपये घाने मन के हिसाब स प्रबन्ध बर भार को उपभोक्ताओं पर ढाल देता।

**अन्तर्गत उत्पन्न हाम नियम के अन्तर्गत कर भार—जब किसी वस्तु का उत्पादन नमगत उत्पत्ति हाम नियम के अन्तर्गत होता है तो बर के लगत के कारण गूच्छ ग जो बृद्धि होती है वह कर के बन के बरावर नहीं होती बर उपम बम होती है। इस प्रकार बर का युत भार नहीं पर नहीं पड़ता। एसा लगन का यह बारता है कि बर लगन पर जब वस्तु की मास कम हो जाती है तो उसकी बम मात्रा दो उत्पन्न दो जाती है और वस्तु के उत्पादन पर नमगत उत्पन्न हाम नियम के लागू होने के बारण बम मात्रा का उत्पादन-व्यय प्रति इकाई कम हो जाता है। उत्पादन व्यय में कमी हो जाने के बारण ही वस्तु का मूल्य बर की गात्रा के बरावर नहीं बढ़ता। मान लिया दि बर लगन से पुक एक लाठा मन गेहूँ १२ रुपये मन की दर पर उत्पादा जाता है। गेहूँ पर १०० मन बर लग जाता है। इसके फलान्वल्प गेहूँ की मास घट बर ७५ हजार मन रह जाता है। परन्तु ७५ हजार मन गेहूँ को ११ रुपय आठ घाने प्रति बन की दर पर उत्पादा जा सकता है। इसम ११ रुपय मन बर का जोड़कर गहूँ का मूल्य १२ रुपये के घाने होता है। इस प्रकार मूल्य तो यह १२ रुपय मे १२ रुपय के १० घाने अधिक ८ घाने प्रति मन परन्तु कर लगा १ रुपय मन की दर पर। इस प्रकार उपभोक्ताओं पर कुल ८ घाने प्रति मन बर का भार पड़ा।**

**बस्तरत उत्पत्ति बृद्धि नियम के अन्तर्गत कर भार—** जो वस्तु उपगत उत्पन्न बृद्धि नियम के अन्तर्गत उपम की जाती है उस पर यदि बर भगाया जाता है तो उस वस्तु का मूल्य बर के मूल्य से नी अधिक बढ़े जाता है। इस प्रकार उन पर कर के पर १ मे भी अधिक भार पड़ता है। इसका बारण यह है कि बर लगने पर उस वस्तु दो मांग घट जाती है और बम मात्रा का लगत गत घट जाता है। इसलिए वस्तु के मूल्य में बर के बन से भी अधिक बृद्धि हो जाती है। इसको एक उदाहरण द्याया दिया जा सकता है। मान १०० घाने दोई रुपया ८ घाने प्रति गज की दर मे १० हजार गज बगाया जाता है। इस वर्षडे पर १ घाना गज का बर लग गया। बर लगने से मूल्य में जो बृद्धि होई उसके कारण वर्षडे की मास घटकर ८ हजार गज रह गई। यह ८ हजार गज वर्षडा ८ घाने ६ घाने प्रति गज की दर मे

बनाया जा सकता है। इस प्रकार विकेता वपडे को द धाने ६ पाई जमा १ आना, प्रथमत ६ आने ६ पाई प्रति गज की दर पर बेचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर तो बड़ा मुल १ आना प्रति गज की दर से परन्तु वपडे का मूल्य बड़ा १ आना ६ पाई प्रति गज की दर से। इस प्रकार इम दशा में केतामो को कर के धन से भी धार्धिक बर-भार सहन करना पड़ेगा।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कर केवल उन्हीं वस्तुओं पर लगाना चाहिए जो अमर्गत उत्पत्ति हास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है और उन वस्तुओं के उत्पादन पर जो अमर्गत उत्पत्ति बृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होनी है प्रार्थिक स्फूर्त्या देनी चाहिए।

**पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कर भार (Incidence Under Perfect Competition)**—पूर्ण प्रतियोगिता नी व्यवस्था में बहुत प्रकार के उत्पादक होने हैं। उनमें में कुछ उत्पादक तो बहुत ही अच्छे होने हैं और उनका प्रति इकाई उत्पादन-अय बर्म होता है परन्तु कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं जो कठिनाई से ही अपनी लागत नियाल पाते हैं। ऐसे उत्पादकों को भीमान उत्पादक कहते हैं। इस प्रकार उत्पादकों में से प्राय हर एक का उत्पादन-अय भिन्न होता है परन्तु वस्तु का विक्रय मूल्य भव के लिए समान होता है। ऐसी व्यवस्था में कर के भार का प्रभाव दो प्रकार से प्रधायन किया जा सकता है। पहले, कर प्रभाव जब वह वस्तु पर लगाया जाता है, दूसरे, कर प्रभाव जब वह उत्पादकों के साम पर लगाया जाता है।

**वस्तु पर लगाये गये कर का प्रभाव**—पूर्ण प्रतियोगिता नी व्यवस्था में जब वस्तु पर कर लगाया जाता है तो उसके भार को देखने के लिए हमको कई बासों का ध्यान रखना पड़ेगा। (१) वस्तु की मात्रा और पूर्ति की लचव-वारतु की मात्रा जितनी धार्धिक लचकीली होती है उसना ही कर का भार विकेता पर पड़ता है। इस के विपरीत वस्तु की पूर्ति जितनी धार्धिक लचव वाली होती है उसना ही कर का भार केतामो पर पड़ता है। परन्तु केतामो और विकेतामो की आपसी प्रतियोगिता के कारण बर भार दोनों पदों की सीधा करने की शक्ति के मनुमार बढ़ जाता है। साचाराणतया विकेता इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह कर-भार त्रैतामो पर ढकेल दे परन्तु यदि बर की मात्रा बहुत बर होती है तो विकेता उसकी स्वय ही महन बर सते हैं।

(२) उत्पत्ति के नियम—जैसा कि बर लगाया जा चुका है जो वस्तु उत्पन्न समालता नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है उसका पूरा कर भार उपभोक्ताएँ पर होता है। परन्तु जो वस्तु उत्पत्ति हास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होती है उसका पूरा कर भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ता बरन् कुछ कम पड़ता है क्योंकि मात्र कम

होने के कारण वस्तु की कम पूर्ति कम मूल्य पर उत्पन्न की जा सकती है। जो वस्तु उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है उस पर लगाए गए कर के कारण उपभोक्ता पर कर से भी अधिक भार पड़ता है क्योंकि कम मांग हो जाने पर वस्तु पूर्ति उत्पन्न करने से प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बरतु पर लगाए गए कर का भार साधारणतया उपभोक्ता पर ही पड़ता है।

लाभ पर लगाये गये कर का प्रभाव—लाभ पर लगाए गए कर का प्रभाव इसमें निम्न होता है। यहाँ पर एक ऐसी न्यूनतम सीमा होती है जिससे नीचे वाली आयों पर कोई कर नहीं लगाया जाता। छोटे छोटे उत्पादकों की आय (जिनको सीमान्त उत्पादक कहा जा सकता है) पर कोई कर नहीं लगता क्योंकि यह न्यूनतम सीमा से कम होती है, परन्तु अब उत्पादकों की आय पर कर लगता है क्योंकि वह न्यूनतम सीमा से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में यदि बड़े बड़े उत्पादक मूल्य बढ़ा कर, कर वसूल करना चाहेंगे तो वह ऐसा करने से सफल न हो सकेंगे क्योंकि याहू नीमान्त उत्पादकों के पास चले जायेंगे क्योंकि उन पर कर न होने के कारण वह अपने मूल्य को नहीं बढ़ावेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में कर का भार अच्छे उत्पादकों पर पड़ेगा। यदि कर आय के प्रनुपात में भी लगाया जाता है तो भी कर का भार उत्पादकों पर ही होगा क्योंकि बड़े बड़े उत्पादक जिन पर अधिक कर लगेगा वह इस दर से कि कहीं छोटे छोटे उत्पादक जिन पर कर कम है। मात्र वो सस्ता न दें वह वस्तु के मूल्य को न बढ़ा कर अपने आप ही कर-भार सहन बर्खायें। इस प्रकार लाभ पर लगाया गया कर दूसरों पर ढेकना किन है।

**एकाधिकारी के अन्तर्गत कर का भार (Incidence Under Monopoly)—** एकाधिकारी का एक मात्र उद्देश्य यह होता है कि वह अधिकतम लाभ प्राप्त करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह इनी उत्पत्ति करता है जो कि उसको अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। यह तभी होता है जबकि एकाधिकारी की सीमान्त आय (Marginal Revenue) तथा सीमान्त लागत (Marginal Cost) बराबर हो जाती है। एकाधिकारी पर दो प्रकार से कर लगाया जा सकता है— (१) एकाधिकारी लाभ पर, (२) उत्पत्ति पर।

लाभ पर कर का भार— जब एकाधिकारी के लाभ पर कर लगाया जाता है तब यह या तो एक मूल्य रेकम (Lump sum) के रूप में लिया जाता है या लाभ के किसी प्रनुपात में लिया जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में कर का भार एकाधिकारी पर पड़ेगा क्योंकि एकाधिकारी पहले ही ऐसा मूल्य निश्चित कर चुका है जो उस को अधिकतम लाभ दे रहा है। इसलिए यदि वह मूल्य को बढ़ावेगा तो मांग बढ़ होने

पर उमका नाभ घट जाएगा। इसलिए एकाधिकारी वस्तु का मूल्य न बढ़ा कर इसपर ही वर भार सहन करता है।

उत्तरि की मात्रा पर कर— जब उत्पत्ति की मात्रा पर कर लगाया जाना है तभी कर को उत्तरि लागत में सम्मिलित किया जाता है। वस्तु की भीमान लागत रह जाये में पहले से अधिक मूल्य पर ही सीमान्त लागत और भीमान आय बगदार होती। इस प्रकार वर लगने पर वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। मूल्य की यह बृद्धि नितनी होती यह इस बात ऐर निमंत्र होता कि उम वस्तु की मात्रा तथा पूर्ति की तरफ कर्त्ता है। यदि वस्तु की मात्रा लोचदार है तो कर वा भार अधिकतर एकाधिकारी पर होता क्योंकि मूल्य बढ़ने पर मात्र कम हो जाती और एकाधिकारी का नाभ वम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मात्र बेलोन है तो वर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा क्याकि यह मूल्य में बृद्धि होने पर मात्र कम न होती। यदि इम वस्तु की पूर्ति पर विचार करें तो इम कह महत्व है कि जिस वस्तु की पूर्ति लोचदार है उम वस्तु पर लगाये गए कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा क्योंकि वर लगने पर यदि मात्र कम होती है तो भी एकाधिकारी को बोई लाति नहीं होती। इसके विपरीत, यदि पूर्ति बेलोन है तब कर का भार एकाधिकारी पर पड़ेगा क्याकि मात्र के अनुमार पूर्ति न घट महत्व के लागत वह सारी पूर्ति को कम मूल्य पर देने का प्रयत्न करेगा। यदि मात्र पूर्ति ने अधिक लघवदार है तो वर वा अधिक भार उपादक पर होता। इसके विपरीत, यदि पूर्ति मात्र की अपेक्षा अधिक लोचदार है तो वर वा अधिक भार उपभोक्ता पर रहेगा। उत्तरि के नियमों के अनुमार भी वर का अधिकतर भार उपभोक्ता पर रहेगा क्योंकि वर सहने पर वस्तु वा मूल्य कुछ न कुछ अधिक हो जाएगा। यदि वर की मात्रा उत्पत्ति के बढ़ने पर घटती हो तो एकाधिकारी अधिक मामान देने के लिए कम मूल्य रखेगा और इस प्रकार वर-भार एकाधिकारी पर होता। इस दशा में एकाधिकारी वस्तु वा मूल्य घटा कर उमको कम मूल्य पर भी लेकर महत्व है।

**भूमि पर लगाये गये कर वा भार (Incidence of Tax on Land)—** भूमि पर लगाए गए कर का भार जानने के लिए इसको बई जाना वा ध्यान रखना पड़ेगा। आधिक लगान पर लगाए गए कर का भार जमीदार पर होता है क्योंकि आधिक लगान भूमि की उपज के मूल्य में वा लागत तर्जे निमात वर बनता है। इस लागत तर्जे में सामान्य लाभ के अनियन्त्रित कुछ भी नहीं होता। इसलिए बालकार कर का भार, गहर तर्जे को नैदर्जन लोगा क्योंकि उसके पास बोई बचत नहीं होती। हा यदि जमीदार बालकार में पूरा आधिक लगान न ले रहा हो तब वर का भार बालकार पर भी पड़ सकता है।

भूमि पर पत्तले उगाई जाती है। यदि नर किसी एक फमल, जट, वा डगाने वाली भूमि पर लगा दिया जाता है और दूसरी फलानों को उगाने वाली भूमि पर नहीं लगाया जाता तो इस कर का भार जूट के उपभोक्तामां पर पड़ा ब्याकि यदि वह कर देने के लिये राजी न होये तो जूट के उत्पादक जूट था उत्पादन छोड़ देंगे और उनकी माग पूरी न हो सकेगी। इसलिये उनको कर देना ही पड़ेगा।

यदि कर भूमि की उपज की मात्रा के अनुपात में लगाया जाता है तो उपकर भार माग भी लचक पर निर्भर होता है। इस कर के लगते से उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है। यदि माग बेक्षीच है तो मूल्य बढ़न पर भी माग कम न होगी इसलिये कर भा भार उपभोक्ता पर होगा। इसके विपरीत जब माग लचक वाली हो तब कर लगने में बहुत जो मूल्य में जो वृद्धि होती है उस के कारण माग कम हो जाती है। इसके परन्तु कीमत खेतों पर खेती होनी बन्द हो जाएगी। इस प्रकार संग्रह कम हो जाएगा। इसलिए जमीदार कर वो व्यय ही सहन करेगा और यदि नहीं करेगा तो उमर्हा लगान कम हो जाएगा।

**इमारतों पर लगाये गये कर का भार (Incidence of Tax on Buildings)—** इमारतों पर लगाए गए कर वा भार वज्र ऐचोदा होता है। इमारतों का पर भार इमारतों के मानिक पर ही नहीं पड़ना चरन् वह किराएदार तथा बनाने वाला पर भी पड़ सकता है। यदि विराएदार इस इमारत में व्यापार कर रहा है तो वह कर-भार वो शरने ग्राहकों पर भी टक्के ल सकता है। परन्तु व्यापारी अपने ग्राहकों पर कर भार तभी ढकेल सकेगा जबकि वह उसी से साधारणतया भाल खरीदत है और दूसरे दिसी म्पान से न खरीदत है। परन्तु यदि आवाषकन के संधारन तथा इकाइ की उप्रति ही जाए तो व्यापारी की कर-भार ढकेलने की शक्ति पर आधात पड़ती है व्योरिक ग्राहक उभयं भाल न खरीद कर दूसरे उन म्पानों से खरीदते लगते हैं जहाँ कर व लगा दूधा है। परन्तु इस प्रदर्श माल योद्धों वा लाभ देवल भर्मीर आदमी ही उठा सकते हैं, गरीब आदमी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वर भार उन पर पड़ेगा।

प्रब हमनो यह देखना चाहिए कि विराएदार तथा सालिक मकान दोनों में किस के ऊपर कर-भार पड़ता है। यदि मकानों की माग बेक्षीच है (जो कि साधारण-तथा होती है) तो कर का अतिकर भाग विराएदार पर पड़ता है। इसके विपरीत योद्ध मकानों की माग लोचदार है यथार्थ गदि दिसी स्थान पर मकानों की पूर्ण उपकी माग में अधिक ही तब कर का भार मानिक मकानों पर पड़ सकता है परन्तु यह कर भार उन पर योद्ध ही ममद के लिए रहता है नयोरि जैसे जैग जगनमख्या की वृद्धि के साथ मकानों की माग बढ़ती है वैसे ही वैसे मालिक मकान कर भार किराएदारों

पर दकेलना आमंभ कर देते हैं। इस प्रकार अन्त में प्राय सारा दृत-भार किराये दारों पर पड़ता है।

**आयात और निर्यात करों का भार (Incidence of Import and Export Duties)**—आयात और निर्यात करों से दो देशों के बीच होने वाले व्यापार में बड़ी वाधा उपस्थित होती है। इन करों के भार को निश्चित करने में हमको कई दातों की ओर ध्यान देना होगा। इसमें हमको यह देखना चाहिए कि कह दो देश जो आपस में व्यापार कर रहे हैं उनको एक दूसरे की वस्तुओं को प्राप्त करने की कितनी तीव्रता है। दूसरे शब्दों में हमको यह देखना पड़ेगा कि एक देश के लिए दूसरे देश की वस्तु की मात्रा कैसी है। लोचदार है प्रथमा देसोंच। यदि एक देश (जारत) के लिए दूसरे देश (अमरीका) की मशीन की मात्रा देसोंच है परन्तु अमरीका के लिए भारत की जाय की मात्रा लोचदार है तो इस प्रकार के बीच वा अधिकतर भार भारत के लोगों पर होगा। इगरा कारण यह है कि भारत के लोग अमरीका की मशीन खरीदे बिना नहीं रह सकते परन्तु प्रमरीका के लोग भारत की चाय के बिना अपना काम चला सकते हैं। इन कारण उनको मशीन खरीदने तथा चाय बेचते समय वर भार अपने आप महत बख्ता पड़ेगा।

कुछ सोगों का ऐसा विवाद है कि आयात और निर्यात करा वा भार भदा ही उम देश के सोगों पर होता है जो वि उनको नगाते हैं और यह कि यह कर भार विदेशी लोगों पर नहीं छेला जा सकता। परन्तु यह यात गलत है। यदि कोई देश एमा है जिसमें कि किसी वस्तु की समार में उत्तम होने वाली मात्रा का एक बहुत बड़ा मात्रा उत्तम होता है तो ऐसा देश इग वस्तु पर नगाये गए निर्यात वर वा भार विदेशियों पर दकेलन में सफल हो सकता है तथा विदेशी जो वस्तु इस वस्तु के बढ़ने में दें उसका आयात कर भी विदेशियों को ही देने पर वाप्त करेगा। इगके विपरीत यदि किसी देश में समार की उत्पत्ति वा एक छोटा सा भाग ही उत्पन्न होता है तो ऐसा देश विदेशियों पर दृत-भार नहीं छेल सकता।

यदि वह देश जिनकी अधिकतर निर्यात पकवा माल है तथा अधिकतर आयात कर्त्ता माल तथा चाय पदार्थ है आयात अथवा निर्यात कर लगते हैं तो इनका वा भार उन्हीं देशों के लोगों पर पड़ेगा वयोंकि पकवे माल की मात्रा साधारणतया लोचदार तथा बढ़ने माल की मात्रा के लोच होती है। इन्हें वे लोग विदेशिया पर भरने आयात तथा निर्यात करों को नहीं दकेल सकते।

यदि विस्तीर्ण वस्तु का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय है तो इस वस्तु की पूति जिसी एक देश वा बाजार में निए जिसमें उस वस्तु की बोडी नहीं आजा, जिसको ही नोचदार होती है। ऐसी स्थिति में नगाये गये आयात अथवा निर्यात वर वा पूरा भार उसी देश के लोगों पर होगा।

करभार इस बात पर भी निर्भर होता है कि विदेशी उत्पादक की आपात करने वाले देश के उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता है, अथवा वह एकाधिकारी है। प्रतियोगिता की स्थिति में तो विदेशी-उत्पादक कर भार को दूसरों पर ढाल ही नहीं सकता, परन्तु एकाधिकारी की स्थिति में भी वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर उमका लाभ बहुत ही जावेगा। इस प्रकार दोनों हालतों में करभार विदेशी उत्पादक पर ही पड़ेगा।

**आयकर का भार (Incidence of Income-Tax)**—आय कर के भार के सम्बन्ध में लोगों के दो विचार हैं। एक प्रकार के लोग कहते हैं कि जब व्यापारी अपने माल का मूल्य निश्चित करता है तो वह प्रत्यक्ष अथवा परीक्षण से आयकर को ध्यान में रखता है। परन्तु दूसरे प्रकार के लोगों का विचार है कि आयकर दूसरों पर नहीं ढाला जा सकता। इसलिए हमारे लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या विजेता आयकर को मूल्य बढ़ा कर दूसरों के ऊपर ढकेत सकता है।

पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घ काल में मूल्य सीमान्त उत्पादक के उत्पादन-व्यय के बराबर हो जाता है और सीमान्त उत्पादक को कोई लाभ नहीं होता। इस लिए मूल्य के निश्चित करने में आयकर सम्मिलित नहीं होता। यदि कोई व्यापारी अपना मूल्य बढ़ा कर, कर वो वसूल करने का प्रयत्न भी करेगा तो दूसरे उत्पादकों उसको ऐसा न करने देने। वहले सो अपने ही देश के उत्पादक वही प्रकार के होंगे। उनमें से बुछ आयकर देते होंगे और बुछ आयकर नहीं देते होंगे। जो उत्पादक आयकर नहीं देते वह अपने माल को सस्ता बेच सकते हैं। इस निए यदि कोई व्यापारी मूल्य बढ़ा कर, कर वसूल करने का प्रयत्न बरेगा तब कर न देने वाले व्यापारी उसको ऐसा नहीं करते देते। इसके अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने वाले व्यापारी को विदेशीयों के साथ भी प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। प्रत्येक देश में कर लगाने का एक सा ढंग नहीं होता। जिस देश में कर कम लगता होगा उस देश के उत्पादक अवदय ही प्रतियोगिता कर सकते हैं। प्रतियोगिता दे भव के कारण कर लगाने पर भी व्यापारी मूल्य नहीं बढ़ाते। इसलिए कर भार उन्हीं पर पड़ता है।

एकाधिकारी भी माध्यरथन्त्रिया आयकर का भार स्वयं ही सहन करता है। एकाधिकारी रवय ही इन प्रकार का मूल्य निश्चित करता है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो। इसलिए यदि कर लगाने पर वह मूल्य में किसी प्रकार की बढ़िया करता है तो उसको अधिकतम लाभ प्राप्त न होगा। इसलिए यह स्वयं ही कर का भार सहन करेगा।

बड़ी दटी कम्पनियों भी कर भार वो उपेतने का प्रयत्न नहीं करती। कम्पनियों के हिस्तेदार कई प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ को कर देना पड़ता है और कुछ को कर नहीं देना पड़ता। इसलिए कम्पनी के मव हिस्तेदारों को कर को ढकेतने में कोई हाचि न होने के कारण कर भार कम्पनी ही सहन करती है।

बुठ दशाओं में कर-भार का विवर्तन किया भी जा सकता है जैसे जब मूल्य अदृष्ट तेजी से बढ़ रहे हो तथा जब अपूर्ण प्रतियोगिता हो। पर इस प्रकार कर का विवर्तन थोड़े ही समय के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि दीर्घवाल में कर के भार वा विवर्तन नहीं किया जा सकता।

**कर का पूँजीकरण (Capitalisation of Taxes)**—जब विसी टिकाऊ सम्पत्ति की आय पर कर लगा दिया जाता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली गुद्ध आय घट जाती है जिस के कारण सम्पत्ति का मूल्य भी घट जाता है। इस प्रकार की स्थिति को कर का पूँजीकरण (Capitalisation of Taxes) कहते हैं। यह का पूँजीकरण व्याज वी प्रबलित दर के अनुमान किया जाता है। इस बात को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक भूमि का वार्षिक लगान १०० रुपये है तथा व्याज की दर ४ प्रतिशत है तो उस भूमि का मूल्य २५०० रुपये होगा (४ रुपये प्राप्त होते हैं १०० रुपये पर, तो १०० रुपये प्राप्त होने २५०० रुपये पर)। यदि सरकार लगान पर १० प्रतिशत कर लगा देती है। इसके कारण भूमि का गुद्ध लगान १०० रुपये से घट कर ६० रुपये रह जाता है। इसलिए भूमि का मूल्य भी घट जाता है। यदि भूमि का मूल्य चेवन २२५० रुपये ( $1\frac{3}{4} \times 60$ ) रह जाता है। इसनिए कर लगाने के पश्चात् यदि भूमि बेची जाती है तो उसको खरीदने वाला उस भूमि का इतना मूल्य देगा जिसमें कि उसको ४ प्रतिशत व्याज प्राप्त होता रहे, अर्थात् वह २२५० रुपये देगा। इस प्रकार इस कर का भार भूमि खरीदने वाले पर न पड़ कर भूमि बेचने वाले पर पड़ेगा। बेचने वाला इस कर का पूँजीकरण कर देगा और उसी वह अपनी भूमि का मूल्य घटा देगा। इस प्रकार कर का सारा भार सम्पूर्ण के स्वामी पर पड़ेगा।

**कर का पूँजीकरण क्या किया जा सकता है?**—कर का पूँजीकरण निम्नलिखित बातों के पूरा होने पर ही हो सकता है—

(१) जब वस्तु टिकाऊ हो तथा उसकी पूर्ति न बढ़ाई जा सके—कर का पूँजीकरण उसी सम्पत्ति पर किया जा सकता है जो टिकाऊ हो तथा जिसकी पूर्ति मार्ग के अनुमान न घटाई बढ़ाई जा सके, जैसे भूमि। यदि वस्तु टिकाऊ न होनी तथा उसकी पूर्ति मार्ग के अनुमान घटाई बढ़ाई जा सकेगी तो कर का पूँजीकरण सम्भव नहीं हो सकता जैसे गोटी। इस प्रवार की वस्तु पर लगाये गये कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा।

**जब न दीर्घ काल के लिये लगाया गया हो—**कर का पूँजी करने का सम्भव है जब कि उसको दीर्घ काल के लिए लगाया गया हो। यदि कर थोड़े समय के लिए लगाया जायेगा तो सम्पत्ति को उस समय तक नहीं बेचा जायगा जब तक कि कर लगा हूँगा है क्याकि उस समय तक विकेता को अपनी गम्भीर सम्पत्ति का कग मूल्य

मिलेगा। वह उसको तभी बेचेगा जबकि उसको उसका पूरा मूल्य मिलेगा। ऐसी स्थिति में कर का भार सरीदार पर पड़ेगा। यदि यरीदार उसका पूरा मूल्य देने के लिए तैयार न होगा तो आंतिक सम्पत्ति को उम समय तक जद तक कि कर लगा हुआ है न बेचकर, वर हटने के पश्चात् पूरे मूल्य पर बेचेगा। इस बात से यह हुआ नि कर का पूँजीकरण तभी हो सकता है जबकि वर समय समय के लिए लगाया जाया हो।

(३) जब कर लगी हुई वस्तु का पूँजीहृत मूल्य हो—कर का पूँजीकरण तभी किया जा सकता है जबकि वह चीज़ जिन पर न कर लगाया गया हो। बाजार में येची यरीदी जा रही है येची यरीदी जा रही है। इस दृष्टि से भजदूरी का पूँजीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि भजदूर को बाजार में बेचा जारीदा नहीं जा सकता। क्याचित् एक ऐसे भगाज में जहा गुलाम प्रथा हो गुलामों दी भजदूरी का पूँजीकरण किया जा सकता है क्योंकि वहा गुलामों को दूसरी बस्तुओं के बगान बेचा नारीदा जाता है। ऐसे समाज में भजदूरी पर कर समने पर गुलामों का बाजार मूल्य नहीं हो जायेगा और कर का भार गुलामों के स्वामी पर पड़ेगा।

(४) जब कर केन्त्र किसी एक वस्तु पर ही लगाया गया हो—कर का पूँजीकरण तभी सम्भव है जबकि वह सब चीज़ पर न लगाया जाये बरन् किसी एक चीज़ पर ही लगाया जाये। यदि कर सब चीज़ों पर लगान इष्ट से लगाया जायेगा तो लगाया लगाने वालों को राब रखाना पर एक सा ही साम प्राप्त होगा। परन्तु यदि वह किसी एक वस्तु पर लगाया जायेगा तो उस वस्तु से कन लाभ प्राप्त होगा और दूसरी से श्विष्ठ। इसलिए यदि पहली वस्तु वा स्वामी कर का पूँजीकरण न करेगा अर्थात् वह कर के अनुसार उसका मूल्य न घटायेगा तो उस वस्तु को बौद्ध न यरीदेगा और हरएक व्यक्ति दूसरी चीजों में अपना रप्या लगायेगा। उदाहरण के लिए यदि विद्याये पर तो ५ प्रतिशत कर लग गया और कम्पनी के हिस्तो ने प्राप्त लाभाश (Dividend) पर न लगा तो हर व्यक्ति अपनी कम्पनी के हिस्तो में रप्या लगायेगा। इसलिए भवान का स्वामी यदि अपने भवान को बेचना आहेगा तो उसको कर के अनुसार अपनी राम्पति वा मूल्य घटाना ही पड़ेगा।

(५) जब कर लगी हुई वस्तु वा रामिल्य शीघ्र बदले—जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है उसका स्वामिल्य शीघ्र बदलते रहना चाहिए नहीं तो बेचने, भरीदने के कारण वस्तु के मूल्य में जो कमी होनी है वह न हो सकेगी।

कर का रूपान्वय (Transformation of Tax)—योद किसी कर का पूँजीकरण कर दिया गया तो उगना अनिश्चय पढ़ नहीं है कि उसका भार उस वस्तु के बेनायो पर वित्तुल न पड़ेगा। व्यापारी कर को उस समय तक आगे नहीं ढायेगा अतः जब तक कि वह उत्पादन के ढाहो में उल्लति न करे। उत्पादन के ढाहो में उल्लति होने पर कर के बारग होने वाली हानि साम में बदल रखती है। उल्लति

के कारण जब कर की हानि साझे में बदल जाती है तो इस बहु कर का रूपान्तर नहीं है। सेलिगमेन (Saligman) का कहना है कि रूपान्तर में कर का भार उत्पादक पर ही पड़ता है परन्तु डी० टी० लकड़ावाला (D. I. Laekdawala) के अनुसार रूपान्तर के पश्चात् कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है क्याकि उन्हीं का उपभोक्ता वो नोई लाभ नहीं होता।

### कर विवरण के सिद्धान्त

#### (Theories of Shifting of Taxes)

कर विवरण के मध्यमें कर्द प्रकार के विचार पाये जाते हैं। यह विचार निम्नलिखित है—

**फिजियोक्रेट्स का सिद्धान्त (Theory of Physiocrats)**—इस विचार के लोगों का विचार यह था कि वास्तविक बचत खेती पर ही होती है, इसलिए जमीदार पर ही कर लगाना चाहिए। यदि कर दूसरे उद्योगों पर लगाया जायेगा तो उसका विवरण उस समय तक होता रहेगा जब तक कि वह जमीदार के ऊपर छहरे। इसलिए दूसरे उद्योगों पर कर न लगाकर जमीदार पर ही भीषण कर लगा देना चाहिए। इस विचार के विशद हम पहले ही तर्फ द चुके हैं। (देखिए एक और बहु कर-प्रशासनी)

**कर प्रसार का सिद्धान्त (Diffusion Theory of Taxes)**—इस सिद्धान्त के अनुसार कर विवरण उत्तमवत तर होना चाहिए जब तक वि वह सार भासाज भैंसे। बेनार्ड (Canard) ने कर प्रसार की तुलना इपिंग की चीर फाई (Operation of Cupping) से की है। उसका बहु है कि यिस प्रकार घरीर की किमी एक नम मे यदि दूत निकान लिया जावे तो बैचल उमी नस मे भून की कमी नहीं होती बल्कु सारे घरीर मे उमर्की कमी हो जाती है। उमी प्रवार जब कर किसी एक स्थान पर लगा दिया जाता है तब इसका भार बैचल उम स्थान पर न ठहर कर मारे समाज मे फैल जाता है। इस प्रकार कर का भार किमी एक स्थान पर नहीं ठहरता। १८ वी शताब्दी वे अन्त के लगभग लाई मैसफी-ड ने बहा था, 'ये यह भर्त्य यानका हैं दि विमी स्थान मे लगाया हुया कर विमी भील मे गिरे हुए पट्टर के समान हैं जो कि उसमे बृत बनाता है जिसम वि एक बृत दूमरे बुन की उपस्थिति भरता है तथा उमर्की भारे यादें हैं और बैचल मे लगानार भमल परिष्ठ में हलचल मच जाती है।'

इस सिद्धान्त के मानने वाला का मत है कि एक पुराना कर काई कर नहीं होता (An old Tax is no Tax)। इसका पुराने कर का भार किमी गर

नहीं पड़ता। इस बारण उमको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। उदाहरण के लिए भारत में नमक कर पुराना कर था, इसलिए इसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तर्क के समर्थन में कई वारों कही जा सकती है। पहली, पुराने कर का नूत्रीकरण विद्या जा सकता है इसलिए उसपर भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता। परन्तु, जैसा पहले बताया जा चुका है, टिकाड सम्पत्ति पर लगाये गये कर का ही खूनीकरण किया जा सकता है। दूसरी, बर प्रकार के सिद्धान्त वाले कहते हैं कि हर कर सारे समाज में शाने दाने इस प्रकार गैंग जाता है कि उमका कर भार निश्चित बरना बढ़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार कर भार इतना कम हो जाता है कि बह किसी भी भी गहनूम नहीं होना। इसलिए कर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं।

इस सिद्धान्त वे विश्व बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। पहली, यह कि यद्यपि पुराने कर वा भार समाज के सारे लोगों के ऊपर फैल जाता है परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि उसका भार मात्रम ही नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष में नमक पर से कर हटाने का प्रभाव यह हुआ कि नमक का मूल्य कम हो गया। उस प्रकार उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इसलिए यह कहना कि पुराना कर, कर ही नहीं हटाया थी या मात्रम नहीं पड़ता। दूसरे, बर कोई कर लगाया जाता है तो उसके सारे समाज में फैलने से पहले लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ समय उसको अनुभव करके वह उसको महसूस करना छोड़ देते हैं जैसे कि बदन के पुराने फोड़े का कुछ भयं पश्चात् ज्यान ढोढ़ दिया जाता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पोदा शरीर को कष्ट नहीं देता। इसी प्रकार पुराने कर वा भार भी कष्ट देता रहता है।

**आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory)**—आजकल वे लोगों का विश्वास है कि कर बेबल बचत (Surplus) पर लगाया जा सकता है। यदि बचत पर कर लगाया जायेगा तो वह इस बचत में से चुका दिया जायेगा। परन्तु यदि यन्त न हुई तो कर का विवरण उम मध्य तक होना रहेगा जब तक कि बचत ही। यदि किसी बद्दु पर कर लगा दिया जाये तो उसका भार ब्रेता और विशेष पर, यदि उनको बचत हो, पड़ सकता है।

कर की उत्पादनव्यय का भग माना जाता है। इसलिए किसी बस्तु वे मूल्य में कर भी सम्मिलित विद्या जाना चाहिए। यदि बस्तु का मूल्य पहले ही इतना अधिक है कि उसने भर सम्मिलित किया जा सकता है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस मूल्य में बचता पहले ही सम्मिलित है। यदि मूल्य इतना ऊना नहीं है तो गृह्य इतना ऊना हो जायेगा कि उसमें कर भी सम्मिलित होगा।

कर का विवरण भाग ब्रेता तथा विशेष पर पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर होगा कि उन दोनों के लिए भाग तथा पूर्ण की कौमी भवक है। यदि पूर्ण लक्ष

बाती है पर मान बेलोच है तो वर का भार विनाशो पर पड़ेगा। इसके किसीत यदि माँग नोचदार है और पूर्ण देलोन है तो कर का भार विनेनाशो पर पड़ेगा। इस प्रकार माँग और पूर्ति की लचक से कर के भार वा पता लगाया जा सकता है। व्यावहारिक जीवन में न तो माँग ही पूर्ण रक्षा से बेलोच होती है और न पूर्ति ही इसलिए कर का भार विनेनाशो तथा विनेनाशो पर किसी न किमी मात्रा में पड़ता है। यह बात हर प्रकार के कर के अपर लागू होती है, चाहे वह वस्तु पर लगाया गया हो, अथवा सेवा पर, अथवा धर्म पर, अथवा धूनी पर अथवा आय पर।

### करों का प्रभाव (Effects of Taxes)

सबसे अच्छी कर पढ़ति वह वही जा सकती है जिसका आर्थिक प्रभाव सबमें प्रचल्ला हो। कर के प्रभाव को हम तीन भागों में बाट सकते हैं—(१) उत्पत्ति पर प्रभाव (२) वितरण पर प्रभाव तथा (३) आय प्रभाव।

करों का उपचिति पर प्रभाव (Effects on Production)—कर का उत्पत्ति पर प्रभाव तीन प्रकार से पड़ता है—(अ) कार्य करने तथा बचाने की योग्यता पर प्रभाव, (ब) कार्य करने तथा बचाने की उच्चता पर प्रभाव, (स) आर्थिक साधनों के विभिन्न पेयों तथा खेतों में बदलने पर प्रभाव।

(अ) कार्य करने तथा बचाने की योग्यता पर प्रभाव—कर का मनुष्य के बचाने तथा कार्य करने की योग्यता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कर लग जाने पर कर-दाना की आय कम हो जाती है जिसके कारण बेचने उमी वी बाध्य करने की योग्यता कम नहीं होती बरन् उसके बच्चों भी भी हो जाती है व्यापक वह प्रब पहले में कम आवश्यनकताओं को पूरी कर सकता है। यही कारण है कि छोटी छोटी आयी तथा जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं पर कर नहीं लगाया जाता क्योंकि इन पर कर लगाने से गरीब आशमिया भी कार्य करने भी योग्यता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बुध ऐसी वस्तुयें हैं जो जीवन के लिए आवश्यक तो नहीं हैं परन्तु जिनकी आदमी को आदत पड़ गई है, ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने से उन पर गर्व बढ़ जाता है जिसके फलाफल आवश्यक वस्तुओं पर किया जाने वाला सब घट जाता है। इसलिए इन वस्तुओं पर लगाया गया कर भी कार्य करने भी योग्यता को प्रदाता है। यह बात निश्चित नहीं हो कठिन है कि विनी आय पर कर न लगाया जाये, पर कर लगाते समय इतनी आय आवश्यक छोट देनी चाहिए जिसे विनी वर-दाता अपना जीवन ठीक प्रकार चला जाए।

कर लगाने से मनुष्य की बचाने की योग्यता अवश्य कम हो जाती है। इसलिए जब बड़ी २ आया पर कर लगाया जाता है तो उससे बहुत कम हो जाती है।

(घ) कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव—किसी कर का एवं व्यक्ति के कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर यह कार्य पड़ता है यह कर के प्रकार तथा व्यक्ति पर इस कर का प्रभाव के अन्दर निर्भर होता है। मनुष्य पर कर का कार्य प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर निर्भर है कि उगके लिए आय की मात्रा वी सोच कमी है। यदि १५मी व्यक्ति वे लिए आय की मात्रा की जोख कम है तो वह कर लगाने पर ग्रधिक कार्य करेगा परन्तु यदि उसके लिए मात्रा की जोख ग्रधिक है तो वह कर लगाने पर कम कार्य करेगा। आय की मात्रा की जोख हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को एक बड़े परिवार को पालना है अथवा जो व्यक्ति भविष्य में एक निश्चित घन राशि एकत्र करना चाहता है जब्यवा जो धन एकत्र करके समाज में बढ़ा बनाना चाहता है, वह व्यक्ति कर लगाने पर ग्रधिक कार्य करेगा। इसके विपरीत या व्यक्ति इन भावनाओं में दूर है वह कर लगाने पर कोई ग्रधिक कार्य नहीं करेगा। व्यापारी लोगों को मर्दी के भवय छोटे से छोड़ा कर भी ग्रधिक दिमाइ देता है परन्तु तेजी के भवय बड़े में बढ़ा कर भी ग्रधिक मालूम नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी कम्पनियों को सदा यह चिन्ता रहती है कि उनका ग्रधिक से ग्रधिक विनियोजन हो। इसलिए कर लगाने पर उनकी कार्य करने तथा बचाने पौरी डृष्टा रहती है।

कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर इश बात का भी प्रभाव पड़ता है कि कर किस प्रकार का है। यदि कर अचानक होने वाली आय, जैसे लाटरी की आय, पर लगा दिया जाए तो कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसी प्रकार पिता से सम्पत्ति प्राप्त करने वाले तथा एकाधिकारी की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर मी कर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अचानक होने वाली प्रदावा पिता से प्राप्त हुई आय का तो कार्य करने तथा बचाने में कोई सम्बन्ध नहीं स्पष्टिक इस प्रकार की आय प्राप्त करने के लिए कोई परिव्रम नहीं करना पड़ता। एकाधिकारी पर लगे हुए कर का प्रभाव भी उसकी कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं दालेगा क्योंकि वह पहले ही ग्रधिक से ग्रधिक आय प्राप्त करने के लिए मूल्य निश्चित कर खुका है। मूल्य में परिवर्तन से उसकी आय घट जायेगी।

आय पर सामान्य आय-कर लगाने का सोगो की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कुछ विशेष अनुभोग पर लगाये गये कर की अपेक्षा ग्रधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों का यह मुझाव है कि सामान्य आय कर के स्थान पर विशेष-कर लगाना चाहिए। परन्तु वित्री कर का वितरण पर प्रच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। आय-कर के लगाने के द्वारा पर भी लोगों की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा निर्भर होती है। यदि आय-कर परिव्रम द्वारा प्राप्त की गई आय तथा सम्बन्धित

में प्राप्त आय पर कुछ भेद-भाव से लगाया जाता है तो इसका कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा भेद-भाव करने से मनुष्य की कार्य करने वाली इच्छा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु उसकी बचाने की इच्छा पर उसका अवश्य प्रभाव पड़ता है। यदि आय पर बढ़ायान कर लगाया जाता है तो इससे बड़ी २ आयों के बचाने तथा उसको प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। हमारे देश में लियाकत अली द्वारा बनाये गये बजट का ऐसा ही प्रभाव पड़ा था।

कुछ लोगों का मुझाव है कि उत्तराधिकारी कर (Inheritance Tax) लगाया जाना चाहिए। परन्तु कुछ लोगों का विश्वास है कि इस कर के कारण सम्पत्ति के एकत्र करने में बड़ी वादा उपस्थित होगी। परन्तु ऐसी कोई वात नहीं है। यदि इम कर का बीमा करा दिया गया है तो उसका उसी प्रबार प्रभाव पड़ेगा जिस प्रकार कि आपने कर का क्षेत्रिक ऐसा करने में बीमा करनी की बीमा ग्रीष्मियम् उसी प्रकार देना पड़ेगा जिस प्रकार कि सूखारों को कर। परन्तु यदि उत्तराधिकारी कर इटली में अर्थशास्त्री रिनानो (Rignano) के बताये हुए ढाँड़ पर लगाया जाये तो उसका कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसका बहुत है कि इस प्रकार का बहु सम्पत्ति की आय के प्रनुहार लगाना चाहिए—क्षम आय बाली पर कम और अधिक आय बाली पर अधिक। ऐसा होने पर लोगों की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर बहुत प्रभाव पड़ा। उत्तराधिकारी कर का एक अद्या प्रभाव यह होगा कि इसके लगाने पर उत्तराधिकारी की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा बहु जापेगी क्योंकि वह जानता है कि उसकी अधिक सम्पत्ति नहीं मिलेगी। परन्तु सम्पत्ति मिलने की आशा में बहुत से लोग बात करता हों देने हैं और कुछ नो जहके मिलने की आशा में अहं-भार बढ़ा लेते हैं। इस प्रबार उत्तराधिकारी कर का कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(स) आर्थिक साधनों के विभिन्न पेशी तथा जीवों में घाँटने पर प्रभाव—  
माध्यराहितया नोगो ना यह जिज्ञासा है कि क्या के लगाने गे आर्थिक साधन एवं पेशी तथा एक क्षेत्र वो छोड़ कर दूमरे पेशी आयवा क्षेत्र में चले जाते हैं और इमवे दारण उत्पत्ति कम होती है क्योंकि नये पेशी के माध्य पूँजी का ठीक प्रकार वा सामग्र्य नहीं हो पाता। परन्तु कर लगाने पर पूँजी की इस प्रकार की गति साधारणतया सम्भव नहीं होती क्योंकि पूँजी तथा आय विशिष्ट (Specialized) हा जाते हैं। हा, वर लगाने से उम पेशी तथा क्षेत्र में नई पूँजी चही चमार्द जाती। परन्तु इसी पेशी में भगाई गई पूँजी इस नात पर निर्भर होती है कि उम बहुत की आय तथा पूँजी की नक्का कैसी है।

कर का आर्थिक साधनों के लगाने पर कोई प्रभाव न पड़े इमानिए कुछ लोगों ने अचानक होने वाले नामों (Windfalls), भूमि की मिथ्यता, एकाधिकारा

तथा मब प्रकार के पेशो पर सामान्य बर लगाने का गुभाव दिया है। इन करों के लगाने से आर्थिक साधनों के एक पेशे तथा स्थान को छोड़कर दूसरे पेशे तथा स्थान पर जाने की कम सम्भावना रहती है यद्यकि ऐसा करने से बोई लाभ न होगा। गान लिया एकाधिकारी पर कर लग गया तो यदि वह उस देश को अधिका स्थान नी छोड़कर जायेगा तो उसको दूसरे पेशे अधिका स्थान पर प्रतिमोगिता करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि सब पेशो अधिका स्थानों पर एक साकर लगाया जायेगा तो दूसरे पेशे अधिका स्थान पर बर भार कम न होने के बारण कोई अपने साधनों वा स्थानान्तरण न करेगा। अधिकान्तर होने पाले लाभों में तो ऐसा करने का कोई अवमर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार भूमि की नियति पर लगाया भया कर यद्यकि भूमि के स्वामी पर होता है तथा यद्यकि भूमि की पूर्ति कम या अधिक नहीं की जा सकती इसलिये बर लगाने वा भूमि की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आर्थिक साधनों का एक पेशे अधिका स्थान पर छोड़ना सदा ही हानिकारक नहीं होता। कभी २ वह लाभदायक भी होता है और उसको कर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के बर सदिरा कर, एकाधिकार पर कर तथा विशेष बायं के लिए भूमि के प्रयोग पर कर आदि है।

परन्तु कभी कभी आर्थिक साधनों का एक पेशे अधिका स्थान को छोड़ना हानिकारक भी होता है। यदि मकानों पर बर लगा दिया जाये तो उसमें मकानों की कमी हो जाती है और इसके कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गरजाण कार हे विषय में कुछ मतभेद है। कुछ का बहना है कि इस कर को लगाना उचित है परन्तु कुछ इसको अनुनित बताते हैं। परन्तु इस बर के कारण आर्थिक साधन एक पेशे को छोड़कर दूसरे में अपश्य जले जाते हैं और यद्यपि प्रारम्भ में इस बर से उपभोक्ताओं को हानि हो सकती है परन्तु प्रत्त में इससे समाज को लाभ होता है।

वरों के बारण आर्थिक साधन एक थेज वो छोड़कर दूसरे में भी चले जाते हैं, परन्तु यह बान उन्हीं साधनों वे लिए भव्यता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परन्तु कुछ साधन ऐसे हैं जो अपने स्थान को छोड़ ही नहीं सकते जैसे रेत, गहर आदि में जगे हुए साधन। इसी लिए इन बर लगाये गये कर का इन साधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि भूमि के मूल्य पर कर लगाया जाता है तो उसके बारण भी भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यद्यकि भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए बहुत से आर्थिक भूमि पर बर लगाने की भलाह देते हैं।

वरों के बारण आर्थिक साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाने की फजी लाभदायक भी होता है। इसी बारण उद्योगों का विभिन्न स्थानों पर ठीक

प्रकार का वितरण हो जाता है। ऐसा होने पर बड़े शहरों प्रधिकरण जनसभ्या की अमस्त्या बहुत बुध गुलक जाती है। परन्तु यह लाभ तभी प्राप्त होता है जब कि करों के कारण पिछड़े हुए क्षेत्रों में उच्चोग्न्यन्दे चालू हो जायें। ऐसे क्षेत्रों को उन्हन् वरने ने लिए तो सरकार आर्थिक सहायता (Subsidy) भी दे सकती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करों का उत्पत्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है करों के कारण उत्पत्ति कम हो जाती है यद्योंकि इनके कारण साधारणतया सोग कम बचत करते हैं। करों का प्रभाव उनके प्रकार तथा करदाताओं की आदतों पर विभर होता है।

### करों का वितरण पर प्रभाव (Effects of Taxation on Distribution)

करों का धन के वितरण पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनमें द्वारा प्राधुर्निक समाज में जो धन का असमान वितरण है उसको कम किया जा सकता है। जर्मन अर्थशास्त्री वेगनर (Wagner) ने सबसे गहने करों द्वारा धन के असमान वितरण को दूर करने की बात कही थी। उसके पश्चात् इस बात की बड़ी मान्यता ही गई और धार्जकल असमान वितरण के अन्याय को इसी दृष्टि से दूर किया जाता है।

कर कई प्रकार के होते हैं जैसे अनुपातिक, वर्द्धमान, प्रतिगामी तथा अप्रतिगामी। इनमें से प्रतिगामी, अनुपातिक तथा मामूली वर्द्धमान करों से धन का वितरण असमान होता है। इसके विपरीत बहुत दालू वर्द्धमान कर (steeply progressive tax) से धन का वितरण समान हो जाता है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस प्रकार का कर ही लगाना चाहिये। परन्तु इस प्रकार का कर लगाते समय छोटी-छोटी श्रायों पर कर नहीं लगाना चाहिए तथा जिन व्यक्तियों को एक बड़े परिवार का पालन करना होता है उनको पारिवारिक सहायता देनी चाहिए। परन्तु इस प्रकार के कर का उत्पत्ति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बारें यूंजी व शम एक स्थान से दूसरे उस स्थान पर चले जाने हैं जहाँ कर नहीं होता। इस बात को धोकने के लिए कर वो बहुत बड़े दोनों में लगाना चाहिए।

सब अविनियोग पर लगाया गया समान कर तथा अनुपातिक कर लगाना बड़ा सरल है परन्तु यदि धन का वितरण समान न हो (जो साधारणतया नहीं होता) तो यह कर प्रतिगामी होते हैं अर्थात् इनका भार गरीबों पर प्रधिक पड़ता है। जो बहुत अधिकतर लोगों के उपयोग में आती है उन पर लगाया गया कर भी प्रतिगामी होता है। वस्तुओं पर दो प्रकार का कर लगाया जा सकता है—विशिष्ट (specific) तथा मूल्यानुमार (Ad valorem), इनमें से मूल्यानुमार कर अधिक न्यायसङ्गत है क्योंकि उसकी इस प्रकार लगाया जा सकता है जिससे उसका भार अमीरों पर पड़े। अनियंत्रित व्यय पर लगाया गया कर तथा वित्री कर भी प्रतिगामी होते हैं।

पहना इसलिए है क्योंकि जैसें-जैसे अधिकतर की आय बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उसके स्वयं का उसकी आय के साथ अनुपात पठता जाता है। इसलिए यह कर अधिकतर छोटी आयों पर ही पड़ता है। इससे इसलिए वि इसका भार उन लोगों पर पड़ता है जिनका परिवार बहुत बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक के समान इसको बढ़ाना भी नहीं बनाया जा सकता। इस कर को इस प्रकार नहीं बनाया जा सकता त्रिसरे कि कम आय वाले लोगों पर इसका भार कम हो तथा अधिक आय वालों पर अधिक। इन सब बातों के कारण इस कर को जहाँ तक ही सके नहीं बनाना चाहिए। परन्तु हमारे देश में प्रायः सभी राज्यों ने आय की दृष्टि से इस कर को बनाया है। यह न बर बनाते समय यद्यपि कुछ आवश्यक बम्तुएँ छोड़ दी गई हैं परन्तु किर भी जिन चीजों पर यह कर लगा हुआ है उनमें से बहुत सी गरीबों के उपयोग में आती है। इसलिए कर का भार उन पर भी पड़ता है। उत्तराधिकारी पर लगाने वाले कर को भी बढ़ाना बनाना आवश्यक है। कर को न केवल सम्पत्ति के मूल्य का ध्यान रख कर लगाना चाहिए बरन् इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर-दाता की आधिक स्थिति कैसी है। सम्पत्ति पर भावोरणतया उसकी पूँजीकृत कीमत पर कर न लगाए कर उसकी आर्थिक आय पर कर लगाना चाहिए। परन्तु बहुधा पूँजीकृत कीमत पर भी कर लगाना आवश्यक होता है, जैसे उस समय जब हमको एक बड़ा भारी विदेशी ऋण नुकाना है। सम्पत्ति पर लगाए गए कर वो यदि बढ़ान कर दिया जाए तो उस के द्वारा धन का वितरण समान करने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दानूँ बढ़ान कर आयों की अरामानता को दूर करने में बड़ा राहायक है।

#### करों के अन्य प्रभाव (Other Effects of Taxation) —

करों के सम्बन्ध में यह बात बतानी आवश्यक है कि उनके एकत्र करने का स्वयं कम से कम होना चाहिए। इसलिए कर ऐसी आयों तथा वस्तुओं पर लगाना भाहिए जो मूल्य में अधिक हो। यसकि अधिक भीतर कम मूल्य की वस्तुओं के ऊपर लगाए गए कर को एकत्र करने का सर्वं वो एकसा ही होता है परन्तु बड़ी आय नया मूल्यवान् बहुत ही प्राप्त आय अधिक होती है। आप कर तथा उत्तराधिकारी नर के एकत्र करने का खर्च साधारणतया वस्तुओं पर लगे हुए कर की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण यह है कि गहनी प्रकार के करों का बहुत सा भाग गतिको द्वारा ही काट कर सजाने में जमा कर दिया जाता है। वस्तुओं का कर भी यही तरह ही उस समय एकत्र बरता चाहिए जब वह देश की सीमा को पार करें। इस प्रकार आमत बरतों का सर्वं चुन्नी से बहुत कम होता है।

करों को एकत्र करते समय इन बातें जो ध्यान रखना चाहिए कि बर-दातों पर कर का खर्च कम से कम पड़े तथा उसको बर कर से कम महसूस हो। बहुत से

ग्राम पर कर दाताओं को बहुत से फार्म घर कर ग्रामकर विभाग को भेजने पड़ते हैं तथा ग्रामकर अधिकारी करदाता को हिसाब दिखाने के लिए अनेक दार अपने फार्म बुलाता है। इसने कारण कर दाता वा उच्च भी बढ़ता है तथा उसको बड़ी कठिनाई भी उठानी पड़ती है। जहाँ तक ही कर दाताओं को इन बातों ने बचाना चाहिए।

करों का रोडगार पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि कर देने से रोडगार कम हो जाता है परन्तु ऐसी बात नहीं है। सरकार बोलो धन कर दें हाथ में दिया जाता है उसको समुद्र में फेंका हुआ नहीं समझना चाहिए। कर देने से व्यवसायित जनता के हाथ में से निकल कर सरकार के हाथ में बची जाती है जिससे सरकार की धनियों की माला बढ़ जानी है। इस प्रकार जनता व सरकार की धनियों की माला पहले जितनी ही रहती है।

कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका रोडगार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जैसे जिसी उत्पादक पर मजदूरों की सख्ती के अनुसार वर लगाने पर रोडगार कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि सरकार उत्पादकों को धनियों की सख्ती के अनुसार अपने सहायता देती है तो इसमें रोडगार बढ़ता है। करों का रोडगार पर प्रभाव देखन वे लिए हमको सार्वजनिक व्यय को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि करों के एकत्र करने का व्यय कम में बहुत ही नहीं चाहिए। उनके द्वारा कर दाताओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा उसके कारण रोडगार नहीं घटना चाहिए।

## अध्याय ५

### सार्वजनिक ऋण

(Public Debt)

सार्वजनिक ऋण क्या होता है?— जिम प्रकार एक व्यक्ति के जीवन कान में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब उसको प्रपनी आय तथा बचत से अधिक खर्च बरना पड़ता है उसी प्रकार किसी देश की सरकार को भी समय समय पर आय से अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर व्यक्ति के समान राज्य को भी ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेने का अभिप्राय यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सरकार फिजूल खर्च बर रही है व्योकि बहुत से अवसर ऐसे होते हैं जिन पर ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे अवसरों पर यदि ऋण न लिया जाए तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, जैसे युद्ध काल में। ऋण की आवश्यकता देश में चलने वाले सभी प्रकार के शासनों को पड़ती रहती है। परन्तु हर प्रकार के शासन की ऋण की आवश्यकता का प्रकार अलग अलग होता है जैसे केन्द्रीय सरकार युद्ध लड़ने के लिए ऋण ले सकती है, राज्य सरकार अपने राज्य की कृपि तथा उद्योग धन्दों की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा कर सकती है तथा स्थानीय शासन अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाने, पानी, बिजली गैंग आदि का प्रबन्ध करने के लिए ऐसा कर सकती है। इस प्रकार के सब ऋण आवश्यक होते हैं। परन्तु कभी कभी सरकार ऐसे कार्यों के लिए भी ऋण ले सकती है जिनसे राष्ट्र की कोई भलाई नहीं होती। इस प्रकार यह जिस कार्य के लिए भी कोई सरकार ऋण लेती हो वह सार्वजनिक ऋण कहलाएगा।

सार्वजनिक ऋण सरकार की किसी वर्ष की आय का एक अङ्ग होता है। परन्तु क्योंकि ऋण को कुछ समय पश्चात् लौटाना पड़ता है इसलिए दीर्घकालीन दृष्टि से उसकी सरकारी आय नहीं कह सकते। इस प्रकार सार्वजनिक आय में हम केवल वही आय ममिलित करते हैं जिसको वापस देना नहीं पड़ता। ऋण को वापस देना ही पड़ता है। यदि वह व्यक्ति जिससे ऋण लिया गया हो मर जाए अथवा उसका कोई पता न चले तो उससे लिया हुआ ऋण तथा उस पर व्याज उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दिया जाता है। तुछ ऋण ऐसे भी होते हैं जिनका मूलधन मरकार को लौटाना नहीं पड़ता परन्तु उन पर सरकार को व्याज आवश्यक देना पड़ता है। इस प्रकार सरकार की दूसरी प्रकार की आय तथा ऋण में यही भेद किया जा सकता

है जब कि दूसरी प्रकार की आम ज्ञो लौटाने का कोई भार सरकार पर नहीं होता परन्तु अरण को किसी त किसी रूप में लौटाने का भार मत्कार पर बरसत रहता है।

### सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत अरण की तुलना (Public and Private Debts compared) —

सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत अरण में निम्नतिवित भेद है—

[१] राष्ट्र व्यक्तियों का एक समूह है। जब सरकार अरण खेती है तो वह राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के सामाजिक उत्तरों सर्वं करती है। इस प्रकार अरण का बुछ न कुछ लाभ उन व्यक्तियों को भी पहुँच जाता है जिनसे वह अरण लिया जाता है। इसके विपरीत जब एक व्यक्ति दूसरे से करण लेता है तो वह उसको बेवल प्रपने लाभ के लिए ही रखते करता है। इस अरण का कोई लाभ अरण दाता को नहीं पहुँचता। उसको कभी कभी हानि हो जाती है क्योंकि वह प्रपनी बुछ आवश्यकताओं से मनुष्ट चरने से बचत रह जाता है।

[२] जब सरकार अरण लौटाती है तब देश के लोगों से लिए गए वर के हारा ही वह उसको लौटाती है। इन करों का बुछ भार उन लोगों पर भी पड़ता है जिन्होंने कि सरकार से अरण दिया है। इस प्रकार उन लोगों को लिए हुए अरण में से कर वा धन घटा कर जो बुछ बचता है वह प्राप्त होता है। इहाँ विपरीत व्यक्ति को प्रपनी आम प्रथावा बचत में से अरण इनका घटता है और यदि उनको अरण लेकर भी अरण चुकाता पड़ता है तो वह उस व्यक्ति से अरण नहीं ले सकता जिसने कि उसको अरण दिया था। इस प्रकार व्यक्तिगत अरण गारा लौटाया जाता है। अत मार्वजनिक अरण से एक और तो अरण-दाता को लाभ होता है परन्तु दूसरी ओर वर लगाने के बारण उम्मी हानि होती है। यह दोनों कारों व्यक्तिगत अरण में नहीं होती।

[३] सरकार के हाथ में सत्ता होती है। वह अपने तथा व्यक्तियों के लिए नियम लाती है। इसलिए वह जरता को अरण देने तथा अरण पर क्रम व्याप्त लगे पर विवश कर भक्ती है। वह अरण को चुकाने से इन्वार वर मरती है, यद्यपि ऐसा कभी नहीं होता है। इसके विपरीत व्यक्ति दूसरे में उसकी इच्छा के विरुद्ध करण नहीं ले सकता। वह उसकी इच्छा के विरुद्ध व्याप्त कर नहीं कर सकता और न ही वह अरण चुकाने से इन्वार नह सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो कानून उसको अरण चुकाने के लिए बाध्य कर देता है।

[४] राज्य मदा ही चलता रहता है। लेवल उम्मी चलाने काने व्यक्ति ही बदलते हैं। यह नए व्यक्ति पुराने व्यक्तियों के मध्य भार अपने उपर ले लते हैं। इमनिए सरकार का दोष बालीन अरण मिल सकता है। परन्तु एक व्यक्ति की

प्रायु बहुत कम होती है और उसके ऋण का भार साधारणतया दूसरे व्यक्ति अपने ऊपर नहीं लेते, इसलिए उसको दीर्घ कालीन ऋण नहीं मिलता।

[५] सरकार की साथ व्यक्ति से बहुत भाषिक होती है। इसलिए सरकार को व्यक्ति की अपेक्षा कम व्याज पर ऋण मिल जाता है।

[६] सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋण से सकती है परन्तु व्यक्ति केवल बाह्य ऋण ही ले सकता है। वह अपने घाप से ऋण नहीं ले सकता, परन्तु सरकार अपने देश के लोगों से ऋण ले सकती है।

[७] सरकार साधारणतया उत्तादक कार्यों के लिए ऋण लेती है परन्तु व्यक्ति उत्तादक तथा अनुत्तादक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए ऋण लेता है।

[८] सरकारी ऋण का देश की उत्तादन तथा वितरण व्यवस्था पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है परन्तु व्यक्तिगत ऋण का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

**सार्वजनिक ऋण का इतिहास (History of Public Debt)**— सार्वजनिक ऋण का रिवाज १७ वीं शताब्दी के ग्रन्त से हुआ। उससे पूर्व राजा को ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि या तो वह अधिक कर लगा कर रखा ले लेता था या कहीं कहीं कोई राजा पढ़ीसी राजा वे राज्य को लूट कर अपना कार्य चला लेता था। इसके पश्चात राजाओं ने दैकों से ऋण लेना आरम्भ कर दिया परन्तु राजाओं द्वारा देकों का ऋण न लौटाए जाने पर बहुत से दैक फैज हो गए।

बैस्टेबिल (Bastable) ने बताया है कि पहले-पहल जिनोंवा तथा ऐनिस में सार्वजनिक ऋण देको द्वाया एकद किया गया था। यह दैक इसी कार्य के लिए स्थापित किए गए थे। डच लोगों ने भी सरकारी तीर पर ऋण लिया था तथा कुछ देशों को ऋण दिया भी पा। इङ्ग्लैंड में सबसे पहले दैक ऑफ इङ्ग्लैंड ने १६४४ ई० में सरकार को ऋण दिया-था।) यह दैक इसी कार्य के लिए स्थापित किया गया था।

पिछले कई सौ वर्षों में सार्वजनिक ऋण का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज कल बदाचित ही कोई राज्य होगा जिस पर कुछ ऋण न होगा। यह ऋण अपने देश बोहायों से तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशीों से भी लिया जाता है। आजकल वे दुग में जितनी भी बड़ी यदी आधिक योजनावें हैं वह राज ऋण द्वारा ही पूरी की जाती है। यदू की सड़ने के लिए तो ऋण के बिना याम चलता ही नहीं।

**ऋण और कर का भेद (Difference between debt and taxes)**— ऋण प्रीत दर में अपनिवित भेद है—

१ जो धन सरकार छहण के रूप में लेती है उसको बापस करने का भार उम पर रहता है। परन्तु करो द्वारा प्राप्त किया हुआ धन सरकार को चौदाना नहीं पड़ता।

२ कर साधारणतया वर्तमान आय में से दिया जाता है परन्तु छहण भूतकाल की वर्तमान में से दिया जाता है।

३ जब कोई गतुष्य वर देता है तो उसके पास से वह धन सदा के लिए नभा जाता है परन्तु छहण के रूप में दिया गया धन उसको कुछ समय के पश्चात निल जाता है और यदि मूलधन न मिले तो उम पर व्याज तो अवश्य ही मिलता रहता है।

**ऋण अथवा कर (Debt versus Taxes)**— यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार अपनी आय ऋण द्वारा प्राप्त वरे अथवा कर द्वारा। साधारण दृष्टि से देव कर कोई भी यह कहेगा कि सरकार को अपनी आय करो द्वारा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि सरकार को करो पर कोई व्याज नहीं देना पड़ता। परन्तु यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि सरकार अपनी सब आय करो द्वारा प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वरों की एक सीमा होती है जिसमें ऊपर उनको नहीं लगाया जा सकता। माथ माग बहुत अधिक वर लगाने में उल्लंघन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि उल्लंघन न हुई तो देन का मारा अधिक ढाढ़ा श्री भस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए सरकार अपनी सब आय को करो द्वारा प्राप्त नहीं करती बरन् कुछ आय ऋण द्वारा भी प्राप्त करती है। अब हमें यह देखना चाहिए कि सरकार को कौनसी आय कर द्वारा प्राप्त करती चाहिए और जौन मी ऋण द्वारा। इस मन्दन्ध में निम्नलिखित नियमों ने बास लिया जाना है—

(१) जो आग साधारण तथा निरन्तर बदलने वाला हो उसके लिए आय करो द्वारा प्राप्त बर्नी चाहिए। ऐसे व्यय के लिए कठग लेने वा उनका भार इनका अधिक बढ़ जाएगा कि उसको चुकाना बिठन हो जाएगा। हा, यदि असमान ही कोई बड़ा व्यय करना पड़े तो उसको ऋण द्वारा किया जा सकता है क्योंकि ऐसे अवसरा पर करो द्वारा आय प्राप्त करनी बिठन हो जानी है। इस प्रकार के अवसर मुढ़, बाड़, भूकम्प, अवात यादि हो भवने हैं।

(२) जो व्यय बार बार न होने वाला हो उसको ऋण द्वारा आय प्राप्त वर्के गुरा करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार वा व्यय एवं बार होने, के पश्चात बहुत दिनों तक नहीं होता। जब तक वह व्यय दूसरी बार हो उसको उगमे पहले ही चुकाया जा सकता है। इसके अनिवार्य इस प्रकार के व्यय वा साम वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं होना बरन् प्राप्त भाने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठानी

है। इसलिए यदि ऋण का कुछ भार भविष्य में आने वाले बच्चों पर डाल दिया जाए तो वोई अनुचित न होगा।

(३) जिस व्यय का लाभ लोगों को लोडे दिन तक ही पहुँच उनको करी द्वारा तथा जिसका लाभ उनको अधिक समय तक पहुँचे उनको कहा द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार शिक्षा, पुस्तिकाल, सेना आदि पर करी द्वारा एकछ विद्या हुआ धन खर्च करना भाहिए और रेलो, सड़को, नहरो, पुलो आदि पर विए गए खर्च के लिए आवश्यक धन कहा द्वारा प्राप्त करना चाहिए।

इस प्रकार हम वह समझते हैं कि करी द्वारा साधारण व्यय को तथा कहा द्वारा किसी वडे परन्तु न बलने वाले व्यय को करना चाहिए।

### सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण (Classification of Public Debts)—

विभिन्न लेनदेनों ने सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। कुछ वर्गीकरण निम्नलिखित है—

स्व इच्छित तथा प्रन-इच्छित ऋण (Voluntary and Involuntary Debt)— जो कहा द्वय इच्छा से किया जाता है उसको स्व-इच्छा कहते हैं। इस ऋण को कहा देने वाला जितना चाहे अपनी इच्छा से देना है। सरकार पर उसका बोई दबाव नहीं होता। परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार को धन की आवश्यकता होती है और स्व-इच्छित ऋण पर्याप्त भाग में प्राप्त नहीं होना तो सरकार ऐसे अवसरों पर लोगों को जहाँ देने के लिए बाध्य कर देती है। इस प्रकार के ऋण प्रन-इच्छित कहलाते हैं। ऐसे ऋण इन्हेंड में १७वीं शताब्दी में लिए गए थे।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋण (Internal and External Debt)— जब विभी देश के व्यक्तिगत शब्दों शब्दों सरकार को कहा देते हैं तो उसको आन्तरिक ऋण कहा जाता है, जैसे यदि भारत सरकार को कहा की आवश्यकता पड़े और यह ऋण उसको भारतवर्ष में यो ही प्राप्त हो जाए तो उसको भारत का आन्तरिक ऋण कहा जाएगा। इसके विपरीत जब सरकार वो अपने देश से कहा न पिए बरन् उसको विदेशों से जहाँ पाप्त करना पड़े तो उस ऋण को बाह्य ऋण कहेंगे, जैसे यदि भारतवर्ष वो इन्हेंड से स्टार्टिङ शब्दों का भारत ऋण लेना पड़े तो उसको बाह्य ऋण कहेंगे। आन्तरिक ऋण इच्छित तथा प्रन-इच्छित हो सकता है परन्तु बाह्य ऋण सिवाय उन दशाओं के यदि कि एक देश वा दूसरे पर अधिकार हो इच्छित ही होगा है। आन्तरिक ऋण लेने पर देश की राष्ट्रीय धार्य पर बोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इस दशा में केवल धन का किर से बटवारा हो

जाता है। देश का धन देश में ही रहता है। इसके विपरीत पास्त्र करण में ऐसा नहीं होता। जब काई देश दूसरे देश को जहाँ देता है तो उम देश में उनका पर दूसरे देश में चला जाता है। इसमें पहले की राष्ट्रीय आय कम हो जाती है और दूसरे की बढ़ जाती है। जब ग्रान्टरिंग करण चुकाया जाता है तब भी देश की राष्ट्रीय आय पर काई विवेष प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु उम वाले करण अवश्य उपरा आय चुकाया जाता है तो राष्ट्रीय आय पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिसकि उनका धन देश में बाहर चला जाता है। यदि किसी देश के व्यक्ति दूसरे देश की प्रतिभूतिया (Securities) की धरीद ले तो वाले करण आन्टरिक करण में बदल नक्ता है और भारतवर्ष ने द्वितीय महा पुढ़ में स्टालिज़्म करण को शपथा करण में बदल भिया। इसके विपरीत, यदि विदेशी लोग किसी देश की प्रतिभूतिया धरीद ने तो आन्टिरिक करण वाले करण में बदल सकता है।

**इन करणों का भार (Burden of these debts)**— यहा यह जानना आवश्यक है कि इन करणों का देश पर कितना भार पड़ता है।

**आन्टरिक करण का भार**— जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है इन करण में देश वा धन देश में ही रहता है। धन वेदत एक वर्ग के हाथों में सिवाय कर दूसरे वर्ग के हाथों में चला जाता है। इसलिए इस करण का कोई प्रत्यक्ष द्रव्य भार (Direct money burden) नहीं हो सकता। परन्तु इस करण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार (Direct real burden) बहुत अधिक होता है। प्रत्यक्ष वास्तविक भार इम दात पर निर्भर होता है कि करण के द्वारा धन किस के हाथ में सिवाय कर दियके हाथ में चला गया है। यदि धन अमीर लोगों वा हाथ में सिवाय कर दात लोगों वा हाथ में चला गया है तो उसके बाख्य धन ने विनकरण की अतामानता दूर हो जाएगी और करण वा भार देश पर कम पड़ेगा। इसके विपरीत यदि करण के कारण देश में धन विनकरण की असमानता बढ़ती है तो उसका भार बहुत अधिक होता है। यदि कभी ऐसा सम्भव हो कि सबका नव करण छोटी आय दाते व्यक्ति लाते व्यक्ति से और उत्तर करण को चुकाने वा नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से और उत्तर करण को चुकाने वाले व्यक्ति को वही आय वाले व्यक्ति हो व्यक्ति देने हैं और उनको चुकाने वाले व्यक्ति ने उनके अनियंत्रित कुछ छोटी आय वाले लोगों पर भी लगाया जाता है इसलिए इन करण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार बहुत होता है।

करण के द्वाय देश की सम्पत्ति अमीर लोगों ने अमीर लोगों के पास ही नहीं जानी वरन् देश के नवयुद्धों से बढ़ लोगों के पास तथा संत्रिय देशों में चली जानी है। पहली बात इसलिए होती है कि बढ़ लोग अपनी सम्पत्ति में से

अरण दत्त है परन्तु नवप्रधान का अपनी जान का गवर्नर मे डाल कर युद्ध म सहना पड़ता है तथा वापस आने पर करा द्वारा उस अरण वो चुकाना पड़ता है। दूसरी बात अगलिए होनी है क्योंकि कलां एक वर्ष की हुई सम्पत्ति में से दिया जाता है परन्तु उसे करे उस घन में से चुकाया जाता है जो उद्योग-पद्धो तथा अप्पाचार में सहा रहता है।

शास्त्रिक अरण वा प्रश्नदाता भार भी देश के लोगों पर पड़ता है। इसका कारण यह है कि यह अरण द्वारा चुकाया जाता है और करों के कारण करदाता की वार्ष नहने तथा बचाने की व्योगला अवश्य पड़ती है। इसपे अतिरिक्त अरण चुकाने के लिए वभी कभी उन मदों पर घन लच नहीं किया जाता जिन पर वि नामाजिक हित की दृष्टि से करना चाहिए था। इन का देश पर वो प्रकार मे प्रश्नदाता भार पड़ता है। (१) देने मे उत्पादन वस्तु होता है (२) देश मे घन विनाश की प्रसमानता बढ़ती है।

युद्धकाल मे दिए गए अरण वा प्रश्नदाता तथा अप्रश्नदाता दोनों प्रकार का भार पड़ता है। यदि युद्ध बहुत समय तक चलता है तो यह भार बड़ा बना जाता है। युद्ध के परन्तु जब दम्भुओं के मूल्य तथा व्याज वो दर गिर जाती है तो अरण वा वास्तविक भार बढ़ जाता है। इनमे प्रतिरिक्त वाजार मे व्याज की दर गिरने से सरकारी प्रतिभूतियों वा मूल्य भी बढ़ जाता है क्योंकि उन पर मिलने वाला व्याज वैकों की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए अरण वा भार और भी बढ़ जाता है।

इस प्रकार मध्यपि आन्तरिक अरण का प्रत्यक्ष द्रव्य भार बुद्ध नहीं होता परन्तु उगमा प्रथम तथा प्रश्नदाता वास्तविक भार बहुत होता है।

वाहु अरण वा भार—इस अरण का प्रत्यक्ष द्रव्य भार उस घन से नापा जाता है जो वि मूल्यन तथा व्याज ने दृप मे दिया जाता है और इसका प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस आधिक रक्ति से नापा जाता है जो वि अरण चुकाने के कारण इसी देने से नोगा रो होती है। यदि इसी देना के प्रभार लोग उग अरण को चुकाने हैं तो प्रत्यक्ष वास्तविक भार वस्तु होता है परन्तु यदि गरीब लोग उराने चुकाने हैं तो यह भार बढ़ जाता है।

इस अरण पर अप्रत्यक्ष भार, जाहे बढ़ द्रव्य भार के रूप मे हो अथवा वास्तविक भार के रूप मे, इस वारण पड़ता है क्योंकि इस अरण वो चुकाने के लिए द्रव्य को द्वारा एक विया जाता है तथा इस वारण भी पड़ता है कि सांख्यनिक व्यय इस प्रकार नहीं विया जा सकता जिसमे वि लापाल्ज, वडे, बहुते, लोगों वा एवं विद्वास हैं कि वाहु अरण का प्रश्नदाता भार बुद्ध नहीं पड़ता बरन् उससे बुद्ध लाभ ही होता है क्योंकि अरण चुकाने के लिए देश अद्वितीय उत्पादन बरता है जिसमे अधिक लोगों वा रोडगार मिलता है। परन्तु यह मिलार विवृत भवत है। अरण

चुकाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों को ही प्रोत्साहन मिलता है परन्तु ऐसा होने पर कुछ दूसरे उद्योगों से आर्थिक साधन इन विशेष उद्योगों की ओर चरे जाते हैं जिसके कारण इन दूसरे प्रकार के उद्योगों का उत्पादन बहुत घट जाता है। आर्थिक साधनों के इस प्रकार एक उद्योग में दूसरे उद्योग में जाने वा प्रभाव साधारणतया हानिकारक होता है।

वाह्य ऋण वा भार इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इसके कारण अरणी देश के लोगों की कांच करने तथा बचाने की श्रमिता कम हो जाती है। इस का प्रभाव देश के व्यापार तथा उद्योग जगत पर पड़ता है।

### वाह्य ऋण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क (Arguments for and against external debts) —

वाह्य ऋण की बाबत लोगों में कई प्रकार के विचार पाए जाने हैं। कुछ लोग उम ऋण को अच्छा बताते हैं और कुछ छाराब। जो लोग इसके पक्ष में हैं वह निम्नलिखित तर्क देते हैं —

(१) वाह्य ऋण उन देशों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए है तथा जिनकी अपनी आर्थिक उन्नति बरनी है। भारत के प्रधान मन्त्री ने विदेशी पूँजी (जो विदेशी देश पर विदेश का ऋण ही होता है) का भवत्व इस प्रकार बताया था, “भारतीय पूँजी की पूर्ति करने के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता केवल इसलिए ही नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय वचन हमारी दस पैमाने पर भीष्म उन्नति बरने वे लिए पर्याप्त न होगी जिस पर हम चरखों चाहते हैं बरन् इसलिए भी कि बहुत सी दक्षाओं में वैज्ञानिक, यांत्रिक तथा ग्रीष्मोगिक ज्ञान सम्पूर्णी तथा पूज्जीहृत बस्तुएँ भी विदेशी पूँजी के साथ आते ही जाती हैं।”

(२) युद्धकाल में तो विदेशों से आयात करने वे लिए उन देशों से ऋण लेना ही पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध में इन्हॉलैण्ड ने एक बड़ा भारी ऋण अमरीका, कनाडा, भारतवर्ष तथा दूसरे देशों से लेकर ही युद्ध लड़ा है। यदि इन्हॉलैण्ड वो इन देशों से ऋण न मिलता हो कदानित इन्हॉलैण्ड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता।

(३) युद्ध के समाप्त होने पर यूरोप के उन देशों वे साथने जो दि युद्ध बात में नष्ट-प्रष्ट हो गए थे यह समझा आई कि वह किर में यानी उन्नति कीसे करें। ऐसे अवसर पर वाह्य ऋण ही इन देशों की सहायता के लिये आया जिस दे वारण कुछ ही बर्षों में वह किर उन्नति करने लगे हैं।

(४) कभी कभी वाह्य ऋण की आवश्यकता विनियम दर को ठीक रखने के लिये भी पड़ती है। यदि आयात अधिक होने के बारण विनियम दर विदेशी देश के विरुद्ध जा रही हो तो वह देश विदेशी विनियम बो ऊधार लेकर विनियम दर को ग्राने विश्व होने से रोक सकता है।

**विपक्ष में हक्क—**(१) बाह्य अद्यता के कारण देश का बहुत सा धन व्यापार के हाथ में चला जाता है जिस कारण देश के व्यापार तथा उद्योग धन्धों को बड़ी हानि होती है।

(२) यदि बाह्य अद्यता के साथ सावधानी से काम न लिया जाए तो उसके कारण एक देश दूसरे का आर्थिक दृष्टि से दाम हो जाता है। इस दासदार के कारण उस देश को बड़ी हानि होती है।

यदि हम बाह्य अद्यता के पक्ष तथा विपक्ष के तरीं का अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि उसके लाभ अधिक हैं और हानिया कम। हमारे देश के श्री आर० सी० दत्त ने भी बाह्य अद्यता का कोई विवेष विरोध नहीं किया था। उनका कहना था कि यदि भारतवर्ष से अद्यता प्राप्त न होता हो तो उसकी विदेशी से प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु उसका नियन्त्रण भारतवासियों के ही हाथ में रहना चाहिए।

**उत्पादक या पुनरुत्पादक तथा अनुप्तादक या मृत-अद्यता—Productive or Reproductive and Unproductive or Dead weight Debt—**

उत्पादक अद्यता वह अद्यता है जिसके पीछे अद्यता के धन के बराबर सम्पत्ति होती है। इस प्रकार के अद्यता सरकार उन उद्योगों को चलाने के लिए लेती है जो उसके अधिकार में होते हैं। सरकार साधारणतया उन उद्योगों की चलाती है जो या तो राष्ट्रीय हित में सरकार द्वारा चलाने आवश्यक होते हैं या उन उद्योगों को चलाती है जिनमें पूर्वीपति अपना धन लगाने की तैयार नहीं होते परन्तु जिनका चलाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए सरकार को उसी प्रकार अद्यता की आवश्यकता होती है जिस प्रकार किसी निजी व्यापार को होती है। इन प्रकार के उद्योग रेल, नहरें, बिजली, गैसें प्रादि होते हैं। इस प्रकार के अद्यता का व्यावधान भौगोली भी आम से चुकाया जाता है। इस प्रकार के अद्यता का व्यावधान भौगोली भी आम से चुकाया जाता है। इस प्रकार के अद्यता का व्यावधान भौगोली भी आम से चुकाया जाता है।

इस के विपरीत अनुप्तादक अद्यता वह होते हैं जिसके पीछे कोई सम्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार के अद्यता सरकार या तो युद्ध लड़ने के लिए लेती है या बजट का सन्तुलन करने के लिए लेती है। इन अद्यता पर सरकार जो व्याज देती है उसको वह करों द्वारा एकत्र करती है।

**मृत-भार याता अद्यता, सक्रिय अद्यता तथा निष्क्रिय अद्यता (Dead weight Debt, Active Debt and Passive Debt)—**

श्रीमती हिक्स ने अद्यता को दीन भागों में बांदा है—मृत भार याता, सक्रिय तथा निष्क्रिय। मृत भार याता अद्यता उस व्यव वी पूर्ति करने के लिए लिया जाता है जो कि देश की उत्पादन सक्रिय को नहीं बढ़ाता, जैसे युद्ध लड़ने के लिए लिया

यथा अरण। महिम अरण इस प्रकार लगाए जाते हैं जिसमें कि देश की उत्तराधन याकिन बढ़नी है तथा उनमें कुछ आय भी प्राप्त होनी है जैसे रेन, नहर बिजली आदि पर संग्राह यथा अरण। निष्क्रिय अरण वह होने हैं जिनमें न सोई आय ही प्राप्त होती है और न देश की उत्तराधन घटित ही बढ़ती है, परन्तु इन अरणों को इन प्रकार संग्राह यथा जाता है कि उनमें उपयोगिता तथा संतोष प्राप्त होता है, जैसे, सार्वजनिक इमारतों यात्रों आदि पर संग्राह यथा अरण।

### अनिश्चित-वालीन तथा निश्चित-वालीन अरण (Funded and Unfunded Debt)—

अनिश्चित कानून तथा निश्चित वाल अरण के भेद करने में विद्वानों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। आइम स्मिथ ने इस सम्बन्ध में लिखा है, 'ब्यक्ति के समान राष्ट्र भी साधारणतया अपनी व्यक्तिगत माल पर अरण को छुकाने के लिए कोई कोप निश्चित अथवा बन्धक किए बिना उधार लेने लगते हैं, और जब उनको इस ढंग से अरण प्राप्त नहीं हुए, वे विशेष कोप को निश्चित अथवा बन्धक करने अरण प्राप्त करने लगते हैं।'<sup>1</sup> इनमें से पहली प्रकार का अरण निश्चितवालीन अरण है और दूसरी प्रकार का अनिश्चितवालीन अरण। परन्तु आदरबद्ध अनिश्चितवालीन और निश्चितवालीन अरण का वही प्रयोगन नहीं है जो कि आइम स्मिथ के समय में था। ड्रॉन काहन (Cohn) स्मिथ के भेद को पुराना बताते हुए कहते हैं कि इन दोनों में वास्तविक भेद यह है कि अनिश्चितवालीन अरण दीर्घासीन होने हैं तथा निश्चितवालीन अरण लघुकासीन। परन्तु आगे चलकर वह यह कहते हैं कि यद्यपि अरण के विभिन्न कारण तथा उद्देश्य समय की अवधि के पांचे होते हैं।<sup>2</sup>

डॉ. डाल्टन ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि 'निश्चितवाल' 'अनिश्चितवालीन और 'अन्पकाल' (Floating) शब्दों का प्रयोग परमार भवामक होता है। इस प्रकार १८१६ में जारी विए गए अनिश्चित-कास अरण को जो कि अन्पवालीन अरण के एक भाग के लिए घन एकत्र बरसे के लिए था और जो कि १८६० और १८६० से बीच जुकाम जाने वाला था, सरपार्टी तीर पर निश्चितवालीन अरण वहा यथा है।<sup>3</sup> आधुनिक वाल में जिम अधिकार से इन शब्दों वा प्रयोग किया जाता है उसकी ममभाने का वेगवर (Wagner) ने प्रयत्न किया है। वह बहता है कि अनिश्चित-वालीन और निश्चितवालीन अरण का भेद हम निम्नलिखित बातों ने जान सकते हैं—

\* Adam Smith—Wealth of Nations—Book V, Chap. III.

1. Finanzswissenschaft—P. 757.

2. Dalton, Principles of Public Finance—P. 246.

(१) ऋण का उद्देश्य—निश्चित कालीन ऋण माधारणकावा शीघ्र समाप्त होने वाली मावश्यकताओं के लिए होते हैं। यह सत्राने के चालू स्थायी का भुगतान बरने के लिए होते हैं। परन्तु अनिश्चित कालीन करण नागरिकों की स्थायी मावश्यकताओं के लिए बूँदी एकत्र बरने के लिए होते हैं।

(२) ऋण की अवधि—अनिश्चित नागरिक ऋण शीघ्र कान के लिए होता है परन्तु निश्चित कालीन ऋण लघु काल के लिए।

(३) स्थण चुकाने की दानूनी शर्तें—निश्चित कालीन ऋण का भुगतान देखते ही धरवदा कुछ घोटे मरम्य में दिया जाना है। परन्तु अनिश्चित कालीन ऋण की हिति में काल-दाता का मूलधन पर सीमित विधानदण होता है। ऋणी (राज्य) ऋण को एक निश्चित योजना के प्रभुमार खुकाता है अर्थात् मूलधन वो चुकाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं करता। अन्त वाली बात इन ऋणों नी जान के लिए मावश्यक है।

बास्तव में अनिश्चित कालीन और निश्चित कालीन ऋण का भेद करना बड़ा कठिन है। यह बंद राज्य, राज्य, समय, समय, तथा एक ही राज्य में विभिन्न प्रवस्तरों पर तथा किसी सरकारी अफसर की इच्छा के अनुसार भिन्न हो सकता है। जैहन के अनुसार यह नहीं आवेदिता है। एक अपहर उस ऋण को जो तीन, पांच धरवदा दस वर्षों तक चलने वाला हो अस्थायी वह सकता है परन्तु दूसरा छ मात्र धरवदा एवं वर्ष तक चलने वाले ऋण को स्थायी कह सकता है। जैहन का इस प्रबन्ध में यह मत है कि निश्चित कालीन ऋण शब्द वा प्रयोग वही भी उस ऋण के लिए नहीं बरता आहिए जो कि उस अधिक वर्षों में धरवदा चलने वाला ही जिसमें कि वह लिया गया है। “परन्तु इस प्रकार की सीमा के लिए कोई निश्चित लियाज नहीं है। इन दोनों विभिन्नों के बीच एक गहरी रेता छीनने के प्रयत्न में हमारे गागने वही कठिनाई आती है जो कि प्रस्तर कथा प्रत्यक्ष करों के बीच भेद बरने के प्रयत्न में आई थी। सरकारी, दानूनी तथा वैज्ञानिक प्रयोग इतना भिन्न है कि सब प्रयोगों के विलाने के प्रयत्न में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।”\*

शोध्य तथा अशोध्य स्थण (Redeemable and Irredeemable Debt)—जूँकि सरकार सदा चलती रहती है नेबल उसको चलाने वाले व्यवित ही बदलते हैं, इतिए सरकार को ऐसा करण भी प्राप्त हो जाता है जो सदा चलता रहे अर्थात् जिसमें मूलधन को चुकाने का कोई भार सरकार पर न हो। इस प्रकार के ऋण पर सरकार के बत व्याज ही देती है। इस ऋण की अशोध्य नहीं जाता है। इसके विपरीत सरकार अधिकतर ऐसा ऋण लेती है जिसके ऊपर उसको व्याज भी देना पड़ता है और जिसमें मूलधन उमको कुछ समय धरवदा चुकाना पड़ता है। इस

\* Plehn—Introduction to Public Finance P. 358.

प्रकार के ऋण के लिए सरकार एक ऋण-परियोग कोष (Sinking Fund) चालू बरती है जिसमें वह प्रति वर्ष इतना दूधा जमा करती रहती है जिससे कि वह ऋण की अवधि समाप्त होने तक मूलधन के बदावर हो जाये। इस कोष में से ही ऋण-दाताओं का भूलधन चुकाया जाता है। इसमें से कौनसा ऋण वब लिया जाये यह परिस्थिति पर निर्भर होता है। साधारणतया यह वहाँ जा सकता है कि जो उद्योग निरन्तर चलने वाला हो जैसे रेत, नहर आदि, उसके लिए अद्योग्य ऋण लिया जा सकता है और जो उद्योग कुछ समय तक चलने वाला हो उसके लिए सांघर्ष ऋण लिया जा सकता है। इस के अतिरिक्त यदि हम ऋण भार को भविष्य में आने वाली पीढ़ी पर ढकेनारा चाहते हैं तो भी हम अशोध्य ऋण से सकते हैं।

**सार्वजनिक ऋण के प्रभाव (Effects of Public Debt)**—गार्वजनिक ऋण का प्रभाव दो बातों के बारण पड़ता है—(१) ऋण देने से व्यक्तियों की बचत में कमी हो जाती है, (२) ऋण को जनता के हित के लिए खर्च किया जाता है, इस खर्च का प्रभाव विभिन्न प्रकार से पड़ता है।

**उपभोग तथा उत्पादन पर प्रभाव (Effects on consumption and production)**—सार्वजनिक ऋण का वर्तमान तथा भविष्य के उत्पादन पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण लेती है तो जनता उसको घणनी बचत में से खरीदती है। इसलिए ऋण का वर्तमान उपभोग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु इस ऋण का वर्तमान उत्पादन पर अवस्था प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि बिस रुपये से मरकारी ऋण खरीदा जाता है उस धन को लिये उद्योग घर्षण में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए उनकी उत्पत्ति घट जाती है। हा, यदि सरकारी ऋण बचत में से न खरीद कर गड़े हुए धन में से खरीदा गया हो तो उसका उत्पत्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

भार्वजनिक ऋण का उत्पत्ति पर दूसरे ढङ्ग से भी प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण लेती है तो व्यापारियों को अच्छा व्यापार होने की आशा हो जाती है। इसलिए वह उत्पत्ति बढ़ाने के लिए वैर्धी के पास ऋण लेने के लिए जाते हैं और क्योंकि वैर्धी का जाज सृजन करते हैं इसलिए व्यापारियों को ऋण मिलने में बहिराइ नहीं होती। ऋण मिलने पर वह उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार यह देखने में आता है कि ऋण के कारण उत्पत्ति कदाचित् कभी घटती हो।

धन बचत में न जा कर उपभोग कार्यों में लग जाता परन्तु अब वह बचत में बदल जाता है। इस प्रकार भविष्य में अधिक पूँजी हो जाती है जिसके कारण उत्पत्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

अमीं तक हमने ऋण का प्रभाव व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचारा है। ऋण का प्रभाव इसलिए भी पड़ता है कि सरकार उस ऋण को ले कर जनदा के भले के लिए सर्वं करती है। वह ऋण को ऐसी वस्तुओं पर सर्वं करती है जिन गर वि व्यक्ति अपना धन लगाने को दैयार नहीं होते परन्तु जो लोगों के लिए उपयोगी होती है। इन वस्तुओं को वह कम मूल्य पर गरीब लोगों को देती है। इस प्रकार समाज के सब लोगों के उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। उपभोग का स्तर बढ़ने का उत्पत्ति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी उनी सरकार ऋण से ऐसे साधन जुटाती है जिनका प्रभाव उत्पत्ति पर बड़ा अच्छा पड़ता है, जैसे रेल यातायात की उन्नति करना, नदी का निकालना विज्ञानी की शक्ति उत्पन्न करना आदि। यह सभी उत्पत्ति में बड़े सहायक होते हैं। इस प्रकार यह कह जा सकता है कि ऋण का भविष्य की उत्पत्ति तथा उपभोग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

**वितरण पर प्रभाव (Effect on Distribution)**—सार्वजनिक ऋण का वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण लेती है तो उसको साधारण-तमा बड़े बड़े पूँजी पति ही खरीदते हैं, साधारण साधन वाले व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकते क्योंकि एक व्यक्ति जो ऋण खरीद सकता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे भारतवर्ष में एक व्यक्ति २५००० रुपये ग्राहका प्रधिक के ही द्वे जरी बिल खरीद सकता है, इससे कम नहीं। हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी ऋण को अध्य श्रेणी के लोग भी नहीं खरीद सकते। ऋण खरीदने पर धन के वितरण की असमानता कुछ भागों में कम हो जाती है। इसके विपरीत पर्दि सरकार १० ग्राहक १०० रुपये के ऋण-भ्रातों के रूप में ऋण एकत्र करती है और उस ऋण को छोटी छोटी भाग वाले व्यक्ति खरीद लेते हैं तो उससे धन के वितरण की समानता बढ़ सकती है।

जब ऋण अध्यवा व्याज को चुकाया जाता है तो उसके लिए कर लगाये जाते हैं। कर साधारणतया बड़े बड़े आदमियों पर ही लगते हैं, छोटो पर कर कम लगते हैं। इन करों में से यदि छोटी भागों वाले व्यक्तियों के ऋण का भुगतान किया जाता है तो उससे धन का समान वितरण होने में सहायता मिलती है परन्तु यदि उस से बड़े बड़े व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए ऋण का भुगतान विद्या जाता है तो उस से धन के वितरण की असमानता बह नहीं होती, वह बढ़ जाती है चौंकिं करों का कुछ भाग छोटी भाग वाले व्यक्तियों से भी जाता है।

इस प्रकार यह किया जाता है तो उम से धन विनाश की अत्यधिकता कुछ प्रश्नों में बन हो जाती है।

ऋण द्वारा भविष्य में हाने वाली आप वर्तमान में हो जाती है क्योंकि जो ऋण वर्तमान में लिया जाता है उसको भविष्य में थोड़ा थोड़ा करते चुकाया जाता है और उसके लिए करा द्वारा धन एवं विनाश किया जाता है। इस प्रकार न्यूरा द्वारा समय के विभिन्न भागों में धन का विनाश समान हो जाता है। दूसरे शब्दों में वर्तमान में करा द्वारा चलाए गए उद्योगों का भार वेक्त वर्तमान में ही नहीं पड़ता बल्कि वह भविष्य में आने वाली सभानी पर भी पड़ता है और यह अनुचित भी प्रतीत नहीं होता क्योंकि भविष्य में लोगों को इन उद्योगों से लाभ भी होता है। ऐसी स्थिति में मारा भार वर्तमान में रहने वाले लोगों पर दाकिना अनुचित ही प्रतीत होता है।

व्यापारिक मंटी में सार्वजनिक ऋण का महत्व (Importance of Public Debt in Trade Depression)—व्यापारिक मंटी में चारा पोर एवं उदासीनता का वायुमण्डल दिलाई पड़ता है। व्यापार प्राप्त समाचर हो जाता है। इसमें उत्पादन भी घट जाता है। उत्पादन घटने का प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता है। बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। वैकं आदि साथ सम्बन्धितों की स्थिति भी घटाय जाती है। इस प्रकार के उदासीनता में वानावरण में प्राप्त सभी सम्पद देशों की सुखारेर लोगों की सहायता करती है। ऐसे समय में वह भावेजनिक ऋण लेती है। इस ऋण के द्वारा बहु जनता के हित के कुछ कार्य करती है। यह बाबू ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक लोगों की रोजगार निलंबित हो रहे रहे, मरको, नहरो, इमारतों आदि का बनवाना। इस प्रकार के बहुत में उदाहरण हमको १९२६ के पद्धतान् होने वाली व्यापारिक मंटी में मिलते हैं। इस समय अमरीका में विभिन्न सम्बन्धी द्वारा बेरोजगारी दूर बरते का प्रयत्न निया गया। उनमें से अद्वितीय बर्कन्प्रोत्रेम एडमिनिस्ट्रेशन ने १००,००० गे अधिक सार्वजनिक इमारतों को ५६५,००० मील लम्बी सड़कें, ३०, १८०,००० पुलों को, ३६,००० स्कूलों तथा पुस्तकालयों को, ७,००० पावरी तथा ब्रेक के मैदानों की बनवाया अथवा उन्नत किया। इस प्रकार के कार्यों से देश में स्थायी लाभ पहुचाने जानी सम्भवि उद्देश्य हो। गर्द तथा उस समय जब भोग विद्यालयों से रहे थे उनमें आज्ञा की लहर दीड गई।\* अमरीका के व्यापारिक और देश ने भी अपनी अपनी परिविहारिक अनुमारदास प्रकार के कार्य-क्रम आपने हाथ में लिए। इस प्रकार की नीति वा समर्थन करने हुए हाँ द्वारा बताते हैं यि इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों के लिए आवश्यक धन या नो करों द्वारा प्राप्त हो सकता है या ऋण द्वारा। इनमें से यदि करों द्वारा दूसरा भार ना किया जाए तो कोई लाभ न होगा क्योंकि ऐसा बरने में धन जनता के हाथ में

\* K. D. Jalan—'A Pamphlet on Unemployment in India', P. 14.

निवार वर सखार के हाथ में आ जाता है। इसलिए यदि एक और सरकार द्वारा रोजगार की स्थिति मुधारने का प्रयत्न होता है तो दूसरी ओर निजी पूँजी रोजगार देने ने वर्ष असर्व रह जाती है। परन्तु यदि उन प्रवार के नाम रुद्ध द्वारा विषय जाये तो उसमें माहौलों की माँग बढ़ने की आशा अधिक रहती है, योकि उप शक्ति वो सावध मृजन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस तर्फ बचत के द्वारा नवे विनियोजनों के अवसर बढ़ जाते हैं और रोजगार की स्थिति मुधर जाती है।<sup>1</sup> इस प्रवार हर देखते हैं कि व्यापारिक गदी के गमय सावेजनिक कारों से बहुत लाभ होता है और यदि इन कारों को रुद्ध द्वारा किया जाये तो और भी अधिक लाभ होता है।

**युद्ध कालीन अर्थ-व्यवस्था (War Finance)**—आधुनिक पुढ़ को सड़ने के लिए कितने धन की आवश्यकता है इसका अनुग्रात लगाना कठिन है। इतनी बड़ी धन राशि को किसी एक साधा से प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए वर्द्ध प्रकार के साधनों से धन प्राप्त किया जाता है। उनमें से कर, सार्वजनिक रुद्धि तथा मुद्रा प्रकार गुह्य हैं। अब हमको देखना चाहिए कि इनमें से कौनसा ढङ्ग कहा तक उपयुक्त है।

**कर**—बहुत से भव्य शास्त्रियों का कहना है कि पुढ़ ना सब व्यय करो द्वारा प्राप्त करना चाहिए। अपने वयन के समर्थन में वह निम्नलिखित तर्क देने हैं —

(१) कर ने कारण अमीर आदमी रिजूल लर्ची नहीं कर सकते परन्तु गरीब सोगों के जीवनन्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(२) कर वे कारण मुद्रा स्वीकृति के लुण्ठरिणामा से बचा जा सकता है।

(३) कर के कारण गरीब और अमीर सोगों वा पुढ़ में समान वित्तान हो जाता है। एक और अमीर आदमी अपने पन से सहायता करते हैं तो दूसरी और गरीब आदमी आपनी जान जोखिम में डाल कर पुढ़ तड़ते हैं।

(४) कर के द्वारा पुढ़ लड़ने पर पुढ़ के पश्चात देश के ऊपर कोई भार नहीं रहता।

इसके विपरीत यह बहु जा सकता है कि कोई भी आधुनिक पुढ़ करा द्वारा नहीं रहा जा सकता। करों की एक सीमा होनी है जिसके ऊपर उनको लगाने से जापान एवं बड़ा दुरा प्रभाव पहना आरम्भ हो जाता है। उत्तराधिक कम होने लगता है। इसके परास्वलय बरों में कमी हो जाती है। प्रो० ईलिगर्मेन ने कहा है कि यदि हम सब बड़ी बड़ी आद्यों तथा व्यापारिक लाभों को जल भी करलें तो भी पुढ़ का धाधा यर्ज भी पूरा न होगा। इसके विवरण करा पर कोई भरोसा नहीं दिया जा सकता। हम करों की दर ही तो बढ़ा सकते हैं परन्तु हम उन से हमेशा

\* Dalton—Principles of Public Finance—P. 236.

उदना धन प्राप्त नहीं कर सकते जिनका हम चाहते हैं। इसी लिए आदम स्मिथ ने भाहा या कि करो में सम्बन्ध में दो और दो निलकर चार नहीं होते, वह सीन हो सकते हैं।

इस प्रकार हम वह सबते हैं कि करो द्वारा युद्ध को चराना तो अच्छा है परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। यदि युद्ध घोड़े समय चले तथा उसमें कभी खर्च हो तो उसका व्यय करो द्वारा पूरा किया जा सकता है भव्यता नहीं।

**सार्वजनिक ऋण—**बहुत से लोगों का विचार है कि करो वी श्रेष्ठा सार्वजनिक ऋण युद्ध लड़ने के लिए उचित है। जो लोग ऋणों वा समर्थन करते हैं वह निम्नलिखित तरं देने हैं —

(१) ऋणों के प्रति जनता का ऐसा विरोध नहीं होता जैसा कि करो वे प्रति होता है क्योंकि जनता उनको प्रथमी स्वयं इच्छा में सखारार को देनी है।

(२) ऋण देने पर ऋण-दाता के उपभोग वा स्तर नहीं गिरता क्योंकि ऋण बचत में से दिए जाते हैं।

(३) ऋण का व्यापार तथा उत्पादन पर ऐसा दूरा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि करा का।

(४) पर्याप्त ऋण मिलने पर मुद्रा स्फीति बरने वी आवश्यकता नहीं रहती।

परन्तु करो के समान ऋणों की भी एक सीमा होती है। जनता सखार वो अपनी बचत में से छह देती है। पर यह आवश्यक नहीं है कि बचत इतनी ही जिससे सारे युद्ध का लंबे चल सके। इसके आर्तिक युद्ध समाप्त होने पर ऋण तथा उसके व्याज का एक बड़ा भारी योगा देश के ऊपर रह जाता है। यामान्य मूल्य गिरने पर (जो कि बहुधा युद्ध के पश्चात् होता है) ऋण वा बास्तविक भार और भी अधिक बढ़ जाता है।

इस प्रवार पृथक हा जा सकता है कि सखार वी चाहिए कि वह पहने करो द्वारा धन प्राप्त करने का प्रयत्न करे। आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले। यदि इन दोनों से काम न चले तब मुद्रा स्फीति करे। प्राय सभी देश इसी नीति से आम सेते हैं।

**मुद्रा-स्फीति—**मुद्रा-स्फीति युद्ध लड़ने वा तबसे तट्टन ढाँड़ है क्योंकि इसमें जनता का कोई विरोध नहीं होता। जनता वे हाथों में जब अधिक श्रद्धा शक्ति आती है तो वह भूल ते अपने आपको भगीर समझकर लुप्त होती रहती है। ऐसे समय में बहुत से उद्योग-वन्धे चालू हो जाते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है। इन वालों के बारण तथा इस बात के बारण कि सखार जनता से ग्रहण हप में कुछ नहीं मांगती जनता का मुद्रा-स्फीति से कोई विरोध नहीं होता। साथ साथ सखार वो वर तथा ऋण प्राप्त करने में जो बटिनाई उपस्थित होती है वह नहीं

होती। सरकार रवय अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट छपवाती रहती है। नोट छपवाने में सरकार को बहुत ही कम व्यय करना पड़ता है। इसनिये बहुत रो देशों में इसी पद्धति से काम लिया जाता है।

परन्तु मुद्रा-स्फीति का ढङ्ग नितना सरल है उससे कही अधिक भयानक भी है। एक बार मुद्रा पद्धति का कार्य प्रारम्भ हुआ चाहिए फिर वह थोड़े के समान संरपट दौड़ता है। मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर ऊचा होता रहता है। जिस गति से मुद्रा-स्फीति का कार्य जलता है उसी गति से मूल्य-स्तर बढ़ता जाता है। यदि किसी को मुद्रा-स्फीति के भयानक परिणामों को देखना है तो वह १६२३ में में जर्मनी की दशा से पता लगा सकता है जब कि मूल्य का मूल्य भट्ट १००,१००,०००,०००,००० हो गया था। इसके फलस्वलूप जर्मनी में द्रव्य का कोई मूल्य न रह गया था और इसलिए लालों घर बवाद हो गए। इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति में सट्टे बाजी का बाजार गम हो जाता है और लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। सी० एन० घोषणा ने तो मुद्रा-स्फीति की 'एक ढकेली' से उपमा दी है जो कि बादनी है और जिसके विषय कोई चारा नहीं चलता। इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति से सदा ही बचना चाहिए।

युद्ध की तीनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्था के गुण व अवगुण जान लेने के पदनात् भव हमारे निए यह निश्चित करना सरल हो गया है कि युद्ध काल में कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले उस सीमा तक कर भार बढ़ा दे जहा तक वह उत्तरिति की हानि न पहुँचायें। यदि इसमें काम न चले तो अरण के द्वारा युद्ध कार्य चलाये और मदि अरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न हो सके तो भल्त में मुद्रा-स्फीति से काम चलायें। पर इस प्रकार वाले शहर को जगा सावधानी से चलायें। सरकार को चाहिए कि वह इनमें नोट छापे जो कि अर्थ-व्यवस्था को नष्ट घट्ट न कर सकें।

### सांवंजनिक अरण के चुकाने के ढङ्ग (Methods of repayment of Public Debts)

एक साधारण व्यक्ति जब धन में डान लेता है कि उसको अरण चुकाना है तो वह ऐसा करने के लिए पहले पर्याप्त धन एकत्र करता है और तब उस अरण को चुकाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरणी अरण को चुकाता ही नहीं बल्कि ऐसा बरने से साफ मना कर देता है। परन्तु यदि वह प्रन्त वाला ढङ्ग प्रयोग करता है तो उसकी अदालत द्वारा अरण चुकाना पड़ता है। इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को किसी प्रकार अरण चुकाना ही पड़ता है। साधारण

व्यक्ति के ऋण चुकाने के दक्ष नम होने हैं परन्तु सरकार ऋण को कई ढंगों में चुका सकती है।

(१) ऋण चुकाना (Repayment of debt)—व्यक्ति के समान सरकार भी ऋण को इच्छा के रूप में चुकाती है। परन्तु ऐसा तभी होता है जबकि ऋण की मात्रा कम हो और बजट में बहत हो। परन्तु आजान्त्रिक बदान्चित ही कोई ऐसा देश होगा जहा पर इस प्रकार ऋण चुकाया जाता हो। इसलिए ऋण चुकाने के पूरे ढंग अपनाये जाते हैं।

(२) ऋण निपेद (Debt repudiation)—यह ऋण चुकाने का सबसे सरल ढंग है। इसमें सरकार जो ऋण लेती है उसको चुकाने से इकार बरदेनी है। इस प्रकार ऋण-दाता को अपना भूल धन वापिस नहीं मिलता। परन्तु ऋण चुकाने का यह ढंग कई बातों के कारण नहीं अपनाना चाहिए।

(अ) ऐसा परन्ते में देश में बेबत एक बर्यं विदेष द्वारा हानि पहुँचती है और दूसरे बांग अथवा घरों को कोई हानि नहीं पहुँचती। यह बात आनुचित जान पड़ती है।

(ब) ऐसा बरने से सरकार बुद्ध समय तक ऋण प्राप्त नहीं कर सकती बायोकि लोगों का सरकार पर मेरियास छठ जाता है।

(स) यदि निपेद बाह्य ऋण का दिया गया है तो इसका और भी बुध प्रभान पड़ सकता है। विदेशी ऋण-दाता कई प्रकार स हमारा प्रतिकार बर भरते हैं। वह अपनी सरकार की ऋण निपेद बाने बाले देश के विरद्ध नीति कार्यदाही बरने के सिए बाध्य करे, अथवा उस देश के धनुओं को सहायता देकर उसके विरद्ध भड़काते रहे, अथवा उसका माल सर्टीफिकेट बन्द कर दें अथवा उस देश के विरद्ध गलत प्रचार करते रहे। इस प्रकार के सब ढंग १६१७ की भान्ति के पश्चात् हम के विरद्ध अपनाए गये थे।

ठा० डाल्टन ने कहलाया है कि १६२८ ई० की मर्दी के पश्चात् ऋण-निपेद के द्वारे ढंग भी अपनाये गये हैं, जैसे ऋण चुकाने की प्रवधि यो ददा दना, ब्याज की दर वा घटा देना, मूदा-रक्ति के बाध्य इच्छा का मूल्य गिरा देना आदि। परन्तु इस प्रकार से भी सामाजिक न्याय नहीं होता। इसलिए ऋण चुकाने के इन ढंगों को नहीं अपनाना चाहिए।

(३) वार्षिक वृद्धि (Terminal Annuities)—इस ढंग में सरकार जिनका ऋण लेती है उसका धोधा बोधा भाग प्रति वर्ष चुकाती रहती है। हर वर्ष ऋण भी किसी में मूलधन तथा ब्याज दोनों सम्मिलित होत है। ऋण को इस ढंग से जुपाने पर सरकार का ऋण भार प्रति वर्ष कम होना जाता है।

(४) ऋण रूपान्वरण (Conversion of debt)—इस ढंग में ऋण चुकाया नहीं जाता वरन् उसका रूप बदल जाता है। जब सरकार यह देखती है कि

लोशी का उसमें विश्वास है तथा बाजार में व्याज की दर गिर रही है तो यह पुरान ऋण के बदले एक नया ऋण इस्तू करती है। यह ऋण पहल की अपेक्षा कम व्याज की दर पर दिया जाता है। इस ऋण के इस्तू होन पर पुरान ऋण दातारा के सामने दी रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि वह अपना रुपया सरकार में बापिस्त ले ल। दूसरा रास्ता यह है कि वह पुरान ऋण के बदल दूसरा ऋण खरीद से। ऐसा करन पर पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और कम व्याज की दर बाला नया ऋण रह जाता है। जब ऋण दाता पुरान ऋण के स्थान पर नया ऋण खरीद लते हैं तो उसमें ही ऋण का रूपान्तरण हो जाता है। ऋण-दाता रूपान्तरण के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि सरकारी व्याज की दर बाजारी दर से कुछ अधिक होती है। जो लोग करण के स्थान्तरण के लिए तैयार नहीं होते उनको नया करण गे प्राप्त धन में से करण चुका दिया जाता है।

नय करण को आविष्ट बनान के लिए सरकार या तो ऋण को बट्ट पर बचती है या उसको बचती तो है उसके वास्तविक मूल्य पर लकिन उसको वास्तविक मूल्य से अधिक पर चुकान का बचन देती है। पहली दिन म १०० रुपय का ऋण ६७ रुपया ६८ रुपये म बचा जाता है और ऋण को चुकाते रामय उसका पूरा मूल्य अर्थात् १०० रुपय चुकाय जाते हैं। दूसरी दिन में १०० रुपय का ऋण १०० ही रुपये म बचा जाता है परन्तु ऋण चुकाते समय सरकार करण-दाता को १०० रुपये के स्थान पर १०५ रुपया १०५ रुपय देने का बचन देती है। ३० डाल्टन ने यह स्थान्तरण के इन दोना ढङ्गो की निदा की है। उनका कहना है कि पहल ढङ्ग को प्रफुल्ल से यापि रूपान्तरण करत समय ऋण का भार घट जाता है परन्तु उसमें भविष्य में सरकार के ऊपर ऋण भार बढ़ता चला जाता है क्योंकि ऋण का मूल्य बढ़ता जाता है और यदि बाजार म व्याज की दर गिर जाती है तो भार और भी बढ़ जाता है न्योंकि सरकारी ऋण पर व्याज की दर अधिक होन के बारण हर अविष्ट उसी दो मोल लना चाहेगा। सरकारी ऋण नी मात्र बढ़ जान पर उसका मूल्य बढ़ जायगा। इस सम्बन्ध में ३० डाल्टन बहुत है इसलिए इस प्रकार दो ऋण विनियोजनों को उनके व्याज की दर को देखते हुए बहुत प्रिय है न्योंकि उनमें पूरी का मूल्य बढ़न का व्यवहारिक विश्वास होता है परन्तु इसी बात के कारण वह सरकार के अन्तिम भार को बढ़ा देते हैं। अधिकतर प्रियपक्ष ने इसकी अनुचित अर्थ व्यवस्था बह कर निदा की है। \* करण चुकान वा दूसरा ढङ्ग भी पहल के समान ही निवृत्ति है। इसमें भी सरकार दो ऋण भार बढ़ जाता है।

बहुत मेरी लोगों का यह विश्वास है कि ऋण के रूपान्तरण से ऋण भार घट जाता है। परन्तु इस प्रकार का विचार बहुत प्रधिक ठीक नहीं है क्योंकि व्याज की दर में समय २ पर प्रधिक परिवर्तन नहीं होता और यदि होता भी है तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि व्याज में जो बचत होती है वह मुन बचत का एक छोटा सा भाग होता है। इसके अतिरिक्त ऋण के रूपान्तरण से भरकारी आय में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि बरो को बम कर दिया जाता है। इस प्रकार इस ढंग से करन्दातामों को भल ही लाभ हो सकता ही खजाने ही कोई विशेष लाभ नहीं होता।

रूपान्तरण करते समय बुद्ध बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। (१) वित्त मन्त्री को मुझा बाजार की स्थिति बो ध्यान पूर्वक देखते रहना चाहिए। (२) रूपान्तरण करने से पूछ इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिस मविष्य में व्याज की दर कर तबा सामाय मूल्य स्तर की बैसी स्थिति होने वाली है। (३) रूपान्तरण करते समय ऋण का मूलधन उस समय तक मही बढ़ाना चाहिए जब तक कि ऐसा करने की विशेष आवश्यकता न हो। (४) रूपान्तरण का ढंग सख्त होना चाहिए।

(५) ऋण परिशोध कोप (Sinking Fund)—कभी कभी सरकार ऋण चुकाने के लिए इस प्रकार का प्रबन्ध करती है जिसमें कि मूलधन तथा उस पर चक्रवृद्धि व्याज दोनों मिलकर ऋण की अवधि समाप्त होने तक ऋण भार के बराबर हो जायें। इस बायं को करने के लिए सरकार प्रति वर्ष बुद्धि निरिचित रूपया नियोग स्थान पर व्याज पर लगा देती है। हर वर्ष के अन्त में जो व्याज मिलता है उसको दूसरे वर्ष के आरम्भ में पिछे व्याज पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार हर वर्ष ऐसा बरते करते मूलधन और व्याज मिलकर ऋण के बराबर हो जाते हैं। जैसे यदि सरकार को ५०,००० रुपये का ऋण ५ वर्ष में चुकाना है और व्याज की दर ५ प्रतिशत है तो प्रति वर्ष सरकार को ६०५० रुपये व्याज पर लगाने पड़े, पहले वर्ष के आरम्भ में ६०५० रुपये व्याज पर लगाने से उन पर उस वर्ष के अन्त में ४५० रुपये के सामग्र व्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष में ६०५० रुपये दूसरे वर्ष के तथा ६५०० रुपये पिछले वर्ष के (६०५० रुपये पहले वर्ष का मूलधन तथा ४५० रुपये उस पर व्याज) इस प्रकार १८५५० रुपये लगाये जायेंगे। इन पर दूसरे वर्ष में ६२५ रुपये व्याज मिलेगा। तीसरे वर्ष में ६०५० रुपये, तीसरे वर्ष के तथा १६४७५ रुपये पिछले, इस प्रकार २८,५२५ रुपये लगाए जायेंगे। चौथे वर्ष के आरम्भ में ६०५० रुपये नौदे वर्ष के तथा २६६५० रुपये पिछले, इस प्रकार ३६००० रुपये लगाये जायेंगे। पाचवे वर्ष में ६०५० रुपये, पाचवे वर्ष के तथा ४०६५० रुपये पिछले वर्षों के, इस प्रकार पाचवे वर्ष के अन्त में ऋण-परिशोध कोप

में पूरे ५०,००० रुपये एकत्र हो जायेगे। जब इम प्रकार अहण को चुकाने के लिए सरकार उसके लिए एक कोष एवं नियन्त्रित करती है तो उसको अहण-परिसोध-कोष कहते हैं।

अहण-परिसोध कोष दो प्रकार से एकत्र किया जा सकता है। पहले, वार्षिक धार्य में से, दूसरे नया अहण लेकर। दूसरे दब्ज को बेबल अहण का रूपान्तरण ही कह सकते हैं क्योंकि यहा नया अहण पुराने का स्थान अहण वर सेवा है। अहण-परिसोध कोष के हारा अहण चुकाने का प्रयत्न तबसे पहले इन्हें दब्ज-सेवा में शिट के समय में हुआ था। यह कार्य प्राइस नामक एक पादरी के मुकाबले से किया गया था। कुछ समय पश्चात् इन्हें दब्ज के अतिरिक्त अमरीका आदि देशों ने भी इस पद्धति को अपनाया। परन्तु यह यह बात बतानी प्रतिवेदन न होगी कि अहण-परिसोध कोष की जो पद्धति प्राइस हारा बताई गई थी उसमें अब बहुत परिवर्तन हो गया है।

अहण-परिशोध कोष या हो निश्चित हो सकता है या अनिश्चित। पहले प्रकार के कोष में एक निश्चित धन राशि प्रति वर्ष जमा की जाती है, परन्तु दूसरे प्रकार के कोष में धन तभी जमा किया जाता है जबकि बजट में बचत हो। यदि बचत न हो तो कुछ भी जमा नहीं किया जायेगा।

निश्चित अहण-परिसोध कोष का विचार तीन दृष्टियों से किया जा सकता है—(१) वह समय जिस में अहण चुकाना है। (२) वह दब्ज जिससे अहण-परिसोध कोष में से अहणों का भुगतान करना है। (३) विभिन्न अहणों को अदा करने के लिए कोण का उपयोग।

(१) अहण-परिसोध कोष को जितने थोड़े समय के लिए कायम किया जाये उतना ही अच्छा है परन्तु अहण का समय इस बात पर निर्भर हो सकता है कि वह अहण किस लिए किया गया है। यदि अहण किसी पूँजी-वस्तु के लिए किया गया हो तो बहुत समय तक कायम रहने वाली है तो कोष की अवधि उस वरन्तु के जीवन-काल तक की हो सकती है। पूँजी-वस्तु के बेकार होने पर कोष को उसके फिर से खरीदने के काम लाया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि अहण युद्ध के लिए लिया गया हो तो उसको दीदारपूर्वक घुकाया जाना चाहिए नहीं तो देश के ऊपर अहण भार कायम रहेगा।

(२) अहण-परिसोध कोण में से हम तीन प्रकार सम्भा दे सकते हैं—(अ) जब वार्षिक भुगतान प्रति वर्ष बढ़ता रहे, (ब) जब वह समान रहे तथा (ग) जब वह घटता रहे। यहाँ दब्ज से भुगतान बरले के लिए एक एकत्र होने वाला परिसोध कोण कायम किया जाता है और यह चक्रवृद्धि व्याज पर बढ़ता है। हर वर्ष इस कोण में एक निश्चित धन राशि जमा कर दी जाती है और प्रति वर्ष में कमाया हुआ ध्याव भी उस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कोण का धन चक्रवृद्धि व्याज पर

वहता जाता है। दूसरे छह से भुगतान करने में वर्ष में कमाया हुआ सारा व्यापकों में जमा नहीं दिया जाता करन् उसका एक अद्य ही जमा किया जाता है, जोप की ऋणदाताओं को दे दिया जाता है। इस प्रकार ऋणभार प्रतिवर्ष समान रखा जाता है। तीसरे छह से भुगतान करने में वर्ष में कमाये गये व्यापक में भी अधिक ऋणदाताओं को भुगतान के रूप में दे दिया जाता है। इस प्रकार ऋणभार प्रति वर्ष घटता चला जाता है। इन तीनों में दूसरा पहले से तथा तीसरा दूसरे से अच्छा है। पहले प्रकार के जोप में यह भय रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसको काम में लिया जाता है परन्तु योप दोनों प्रकार के जोपों के साथ ऐसा होने की कम आवश्यकता रहती है क्योंकि इन दोनों दाताओं में प्रतिवर्ष ऋणदाताओं को कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है।

(३) अब हमको यह देखना है कि विभिन्न प्रकार के ऋणों का भुगतान करने के लिए कोप को कैसे काम में लाया जाए। यदि सरकारी ऋण एक ही प्रकार का है तो कोप में से भुगतान करने में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होनी। परन्तु जब सरकार वो वई प्रकार के ऋणों का भुगतान करना है तो वह वो छह अपना सवारी है। पहला, यह कि वह किसी एक कोप को किसी विशेष ऋण का भुगतान करने के लिए निश्चित बर दे अथवा नारा भुगतान करने के लिए निश्चित न करके उसमें से उमका कुछ भाग निश्चित बर दे। इन दोनों छहों से भुगतान करने में सरकार हे लिए कोप को किसी भी काम के लिए प्रयोग में लाना कठिन हो जायगा।

### पूंजी कर (Capital Levy)—

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् पूंजी बर एवं बटी चर्चा का विषय रहा है। कुछ लोगों का नहाना है कि यह के भार को बहुत समय तक अपने ऊपर रखे रहने वी अपेक्षा यह अच्छा है कि उसकी किसी न किसी प्रकार समाप्त कर दिया जाये। ऐसा करने से सामान्य मूल्य-स्तर गिरने पर जो ऋण भार बढ़ जाता है वह नहीं बढ़ने पाता। रिकार्डों ने अपनी पुस्तक बढ़ने में इस सम्बन्ध में कहा है कि “एक देश जो अपने ऊपर एक बड़ा ऋण एक बर लेता है वह अपने आप को एक यही कृतिम स्थिति में रख लेता है” “एक देश अपने आपको इस कृतिम पद्धति के कारण कठिनाइयों में डाल दिया है उस के लिए अपने आपको ऋण चुका कर छुड़ा लेना बुद्धिमत्ता होगी, चाहे इस ऋण को चुकाने के लिये उसको अपनी सम्पत्ति के किसी भय का भी विकास लेने का बरना पड़े।” परन्तु बहुत से लोगों ने पूंजी बरों का विरोध किया है। पूंजी बर के पक्ष और विपक्ष के तरफ़ पर विचार करने से पहले हमको यह समझ लेना आवश्यक है कि पूंजी बर का होता है।

पूँजी कर यह होता है जिसमें व्यवित्र की आय पर कर त लगाकर उमर्ही वास्तविक सम्पत्ति पर कर लगाया जाता है। यह लगाने समय एक सीमा निश्चिन बर दी जाती है जिसमें नीचे कर नहीं लगाया जाता। उससे ऊपर की सब सम्पत्तियों पर कदमाल कर लगाया जाता है। इस प्रकार वे पूँजी कर को अनुसारिक मूद्दे पर भी नहते हैं।

पूँजी कर के पक्ष में तर्फ—जो लोग पूँजी कर के पक्ष में हैं वह इसके लिए निम्नलिखित तरं देते हैं—

(१) यदि पूँजी कर लगा कर हम ऋण के भार से मुक्त हो जाते हैं तो इसमें व्यापार और उद्योग-धन्धों पर करों का भार कम रह जाता है। इसके बारण वह उन्नत हो जाते हैं तथा जो धन ऋण का व्याज और मूलधन चुकाने में बढ़ किया जाता है उसको बहुत से सामाजिक वार्षों में लगाया जा सकता है।

(२) यह अनुचित होगा कि जो लाखों लोग लडाई में लड़े तथा जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला उनको उत्त सोगों के ऋण पर व्याज देना पड़े जो कि लडाई में नहीं लड़े परन्तु जिन्होंने वेबल अपना हथया ही ऋण पर दिया। इस प्रकार लड़ने वालों पर दो प्रकार का भार पड़ा। पहला अपनी जान को जोखिम में डालने का तथा दूसरा ऋण पर व्याज चुकाने का। इसके दिपरीन न लड़ने वालों को दो प्रकार का लाभ हुआ। पहला, उन्होंने जिना किसी जोखिम में पड़े युद्ध में माल बेच कर लाभ उठाया तथा दूसरे, उन को युद्ध के पश्चात व्याज भी मिल रहा है।

(३) युद्ध के पश्चात् जब मामान्य मूल्य-स्तर गिर जाता है तो ऋण का वास्तविक भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके कारण कर-दाताओं पर बड़ा भारी बोझ एड जाता है। इसलिए युद्ध ऋण को पूँजी कर छारा उसी समय चुका देना चाहिए जबकि मूल्य-स्तर ऊचा हो।

पूँजी कर के विपक्ष में तर्फ—

(१) युद्ध के पश्चात् जब सरकार ऋण का भुगतान बरती है तो पूँजीपति उमर्ही व्यापार में लगते हैं। ऐसा न हो सकने के बारण व्यापार तथा उद्योगों को हानि पहुँचेगी। इसके अतिरिक्त पूँजी कर लगाने से साल (credit) भी कम हो जाएगी। साथ कम होने पर मूल्य-स्तर और मददूरी भी गिर जाएगी।

(२) पूँजी कर के बारण विदेशी पूँजी नहीं आ पाती जिसका व्यापार और उद्योगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।

(३) पूँजी कर लगाने पर लोगों वा पूँजी एकत्र करते का उत्तम समान हो जाता है।

(४) पूँजी कर लगाने पर देश की पूँजी विदेशों में लगाई जाने सकती है।

(५) पूँजी कर के लगाने में यदी कठिनाइया भारी है क्योंकि पूँजी के मूल वा दीक्षणुमान लगाना बड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त इस कर को एकत्र करते का सचें बहुत हो जाता है।

(६) एक बार पूँजी कर लगा देते के पश्चात् यह कौन कह सकता है कि वह हिरनही लगेगा।

(७) यह कहना चलता है कि अमीर आदमियों ने लडाई में जोई बनियान नहीं किया। युद्ध में उनकी हानि उससे किसी प्रकार भी कम नहीं होनी जितनी गरीब आदमियों की होती है।

यद्यपि पूँजी कर के विरुद्ध इन्हें तर्कः दिए गए हैं तो भी हम यह कह सकते हैं कि इस कर द्वारा युद्ध भार को जितनी जल्दी हो सके समान बर देना चाहिए। इससे राष्ट्र के ऊपर से अरण वा वोझ़ी ही बम नहीं होगा बरत् इसके द्वारा अरण भार नवयुद्धों के बधों से हटाकर उन बृद्ध लोगों के कल्पों पर भा जाएगा जो अपने जीवन के अन्तिम पहर में पहुँच जुके हैं। नवयुद्धों पर अरण भार न होने के कारण वह अपने जीवन बो बिना कठिनाई के चला सकेंगे।

**विभिन्न राज्यों के आपसी अरण (Inter-Governmental Debts)**—  
प्रथम गहायुद्ध के पश्चात् विभिन्न राज्यों के आपसी अरणों के खुगान वा प्रदान बड़ा गम्भीर प्रश्न था। यह अरण दो बातों के कारण उत्पन्न हुए। पहले, पराजित देशों ने ऊपर विजयी देशों ने अपने युद्ध वा सचें तथा दुमरी प्रकार की हाजि रा भार अरण ने रूप में ढाला। दूसरे, उन देशों ने जिनको युद्ध में बम विदिवान बरता पड़ा था, उन देशों को जिन्होंने युद्ध में अधिक विदिवान बिया था क्षतिग्रुहि के रूप में कुछ देने का वचन दिया। परन्तु इस प्रकार वे अरण चाहे जिस द्वारण से भी उत्पन्न हुए हो उनके बूकाने में एक ही प्रकार वीर समरथाएँ उत्पन्न होती हैं।

इस प्रकार वे अरणों के बूकाने में दो प्रकार भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पहली, अरण बूकाने के लिए एकान्त साधनों वा उपतन्त्र बरता, दूसरी, एकत्र दिए हुए साधनों वा दूसरे देश में उत्पान्न वरते समय उत्पन्न होने वाली समस्याएँ। अब हम इन दोनों समस्याओं पर विचार करेंगे।

अरण को चुकाने समय साधनों की उपतन्त्र बरते वे लिए था तो बर लगाने पड़ते हैं या मुद्रा स्फीति से काम करना पड़ता है। ऐसा बरने के लिए विदेशों से अरण

भी निया जा सकता है। परन्तु इससे कोई लाभ नहीं होता व्योकि ऐसा करने से एक अरण के स्थान पर दूसरा अरण आ जाता है। इन में से चाहे जिस प्रकार भी साधन जटाए जाएं हर एक से देशों के लोगों की वास्तविक आय कम होगी है तथा यदि भारी करों के कारण उत्पादन घटना कम हो जाए तो इस से उनकी वास्तविक आय और भी कम हो जाती है। भूद्वा स्थिति का मामले अधिक भार गरीबी पर पड़ता है।

साधनों को उपचय करके जब उनको धूसरे देश से हस्तान्तर करते तो प्रबन्ध आता है तब भी अग्री देश अपना खेतों के सामने एक समन्वय सज्जी हो जाती है। इस सम्बन्ध में कीन्ह और ओहलिन (Ohlin) का १८२६ में बड़ा बाद विवाद हुआ। कीन्ह का कहना था कि साधनों के हस्तान्तरण से अरणी-देश के ऊपर हस्तान्तरण का दोगुना प्रभाव (Secondary Burden of Transfer) भी पड़ेगा परन्तु ओहलिन के अनुसार इस प्रकार की कोई आशঙ्का नहीं है।

कीन्ह का कहना है कि विदेशी आपाती अरणी देश से मान तभी खरीदेंगे जब कि नियन्त्रित की जाने वाली वस्तु का अग्री देश में कम मूल्य होगा। परन्तु इन वस्तुओं के मूल्य को वितना कम किया जाए यह इस बात पर निर्भर है कि अरण प्राप्त करने वाले देश के लिए अरणी देश की वस्तुओं की मांग की लचक कैसी है। यदि उसकी मांग की लचक कम है तो मूल्य घोड़ा कम करना पड़ेगा परन्तु यदि भाग की लचक अधिक है तो मूल्य अधिक कम करना पड़ेगा। इस प्रकार मूल्य कम करने पर अरणी देश को हानि होगी। यह हाँन जा सकता और भी अधिक बढ़ जाएगी जब कि विदेशी आपात का मूल्य अधिक होगा। इस प्रकार अरणी देश के ऊपर केवल अरण चुकाने का ही भार नहीं पड़ता बरन् हस्तान्तरण का दोगुना प्रभाव भी पड़ेगा।

इसके विपरीत ओहलिन का विचार है अरणी देश को अपने साधनों की विदेश में हस्तान्तर करने के लिए अपने मूल्य-स्तर को गिराने की कोई आवश्यकता नहीं इसकिए अरणी देश पर हस्तान्तरण का कोई दोगुना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए ओहलिन इस प्रकार तर्क देता है। जब अरणी देश किसी विदेशी देश को अरण का भुगतान दिला है तो अरणी देश में लोगों की आय कम हो जाती है और विदेशी देश में आय बढ़ जाती है। ऐसा होने पर अरणी देश में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है परन्तु अरण प्राप्त करने वाले विदेशी देश अरणी देश से पुराने गूल्य पर ही मान पाएंदता रहेगा। इस प्रकार यह ही सकता है कि अरणी देश का व्यापारिक ग्राहिक्य (Balance of Trade) बिना मूल्य गिराए ही उसके पास में हो जाए। इस प्रकार मह कहा जा सकता है कि अरणी देश को साधनों के हस्तान्तरण से कोई गोण हानि नहीं होगी।

इस बाद विवाद से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में है। यह सत्य है कि अहण प्राप्त करने वाले देश में आस्तविक आप वह जाने तथा उम देश की अहणी देश से वस्तुओं की माँग बढ़ जाने से व्यापारिक पारिषद अहणी देश के पथ में हो जाए। यह भी सत्य है कि अहणी देश को ग्राफ्टा मास विदेशों में भजने के लिए अपने देश में वस्तुओं के मूल्य कम करने पड़े और इस प्रकार वरा पर हस्तान्तरण वा गौण प्रभाव पड़े। व्यापारिक स्थिति किसी किस दशा वे पथ अवश्य क्रियाक्ष में होगी यह कई बातों पर विवर्त है, जैसे निर्यात की भाग की लंबक, नियात वस्तुओं की पूर्ति की स्थिति निर्यात वस्तुओं का साल कम करने मूल्य गिरान की सम्भावना विदेशियों द्वारा लगाए गए आयात-वर प्राप्ति। यदि अहण प्राप्त करने वाले देश के लिए आयात वस्तुओं की माँग बेलोच है तो अहणी देश को लाभ होगा परन्तु यदि मांग लोचदार है तो अहणी देश को हानि होगी। इसके अतिरिक्त यदि आयात करने वाला देश अपने देश में मूल्य को बढ़ने नहीं देता तो अहणी देश का अहण भार और भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब अहण प्राप्त करने वाला देश अहणी देश से प्राप्त किए हुए माल पर आयात कर लगाता है तो उसका भार भी अहणी देश पर ही पड़ता है।

बहुत से लोगों का विवार है कि अहण प्राप्त करने वाले देश को व्यापार में बड़ी हानि होगी। इसका कारण यह है कि अहणी देश में वस्तुओं का भाव कम होने के कारण उस देश का माल अहण प्राप्त वाले देश में ही नहीं बरन् विदेश में भी अहण प्राप्त करने वाले देश के माल के साथ प्रतियोगिता करेगा। इसके कारण अहण प्राप्त करने वाले देश के उद्योग घन्यों की बढ़ा आधान गहनेगा तथा उम देश में वरोजगारी फैल जाएगी। परन्तु ऐसा सदा ही सत्य नहीं होता। यदि अहण देने वाला देश कृषि प्रधान रूप से अहण प्राप्त करने वाला देश और्योगिता है तो इस प्रकार वो कोई दात न हो सकती। इसके अतिरिक्त अहण प्राप्त पहले बाले देश में लोकों की आय बढ़ने पर उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है और इसलिए उस देश में उद्योग-घन्यों पर कोई विसेष प्रभाव न पड़ेगा। और यदि अहण प्राप्त करने वाले देश को हानि भी होगी तो वह योंडे रमय के लिए ही होगी। चुछ ममय पश्चात वह देश अपने उद्योग घन्यों का नई परिस्थिति से सामर्जस्य कर लगा और इस प्रकार उसकी कठिनाई डूर हो जाएगी।

परन्तु युद्ध अहण वे द्वारा इस प्रकार वी लाभ व हानि पर बाद विवाद में द्वितीय दृष्टि से भले ही उपयोगी हो व्यापारिक दृष्टि से उसका कम उपयोग है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमरीका प्राप्ति वो जूकाए जाने वाले अहण वा वर्जन करते हुए डॉ. डॉल्टन कहते हैं, 'जहा तक विदेशी राज्यों को युद्ध अहण चुकाने

का प्रश्न है वहा तक अब हम सब वोलन्हेविक हैं। .....भुगतान करने वाली गुन्दर तालिकाएँ जो कि १९६४ तक अद्यता उससे आगे तक चलने वाली थी, आज ऐसल कागज के टुकड़े हैं।<sup>4</sup> इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध-शृणु का प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है ज्योकि बुद्ध समय पश्चात् उनका भुगतान बन्द बरिष्या जाता है जैसे प्रथम महायुद्ध वे पश्चात् शृणु देसों ने कर दिया था।

\* Dalton— Principles of Public Finance— P, 299.

## अध्याय ६

### राजस्य का प्रबन्ध

(Financial Administration)

सरकार द्वारा प्रपना काय करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन द्वारा द्वारा जनता से बसूल किया जाता है। इस धन को सरकार विभिन्न मदा पर खर्च करती है। धन द्वारा बसूल करते तथा खर्च करते समय सरकार के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि धन इस प्रकार बसूल किया जाए कि विसी एक वर्ष के ऊपर उसका विशेष भार न पड़े तथा इस प्रकार खर्च विया जाये जिससे कि उससे समाज का अधिकारिक हित हो। जिस प्रकार व्यवित के लिए यह आवश्यक है कि वह हिसाब वीं ठीक प्रकार से रखे तथा समय समय पर उसकी जाव पढ़ताल करता रहे जिससे कि उसको आर्थिक स्थिति का ठीक अनुभव होता रहे इसी प्रकार सरकार के लिए भी हिसाब को ठीक रखना तथा उसकी जाव पढ़ताल करना बड़ा आवश्यक है। हमारे देश में सार्वजनिक वित्त पर नियन्त्रण करने के लिए निम्नलिखित चार सम्पाद्य हैं—

- (१) व्यवस्थापक सभा (Legislature)
- (२) शासन विभाग (Executive Government)
- (३) वित्त मन्त्री-मण्डल (Finance Ministry)
- (४) जाव विभाग (Audit Department)

### व्यवस्थापक सभा—

यह सभा राज्य द्वारा प्राप्त की गई सब आय पर, राज्य द्वारा लिए गए सब खर्च पर, राज्य द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋण पर तथा राज्य द्वारा रखे गए हिसाब पर नियन्त्रण करती है। यह सभा शासन करने वाले विभाग को नये कर लगाने आवधार वर्तमान करों की दर बढ़ाने वीं आज्ञा देती है। यही विसी मद पर खर्च करने वे लिए आज्ञा देती है। यही यह निश्चित करती है कि अमुद काय के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जा सकता है। सार्वजनिक हिसाब वीं जाव पढ़ताल करने के पश्चात् जाव विभाग अपनी रिपोर्ट इसी सभा को पेश करता है।

यद्यपि यह सभा शासन विभाग को कर लगाने आवधार उसको बढ़ाने की आज्ञा देती है परन्तु यह वार्ष इस सभा द्वारा स्वयं इच्छा से नहीं विया जाता।

कर लगाने का प्रस्ताव शासन विभाग से प्राप्त होता है। इस प्रस्ताव को मानने अथवा न मानने का अधिकार तो उस सभा जो है पर नये कर को लगाने का इस तो कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शासन विभाग से ही प्राप्त होता है और उसको मजूर करने अथवा न करने का अधिकार भी इसी को है। यह सभा स्वयं इच्छा से किसी दर की दर की नहीं बढ़ा सकती।

व्यवस्थापक सभा का नियन्त्रण दो समितियों द्वारा होता है—(१) अनुमान समिति (Estimate Committee) और (२) सार्वजनिक हिसाब समिति (Public Accounts Committee)। इनमें से अनुमान समिति यह देखती है कि व्यवस्थापक सभा द्वारा जो खर्च मजूर विया गया है यह नियन्त्रिता से किया जाता है अथवा नहीं तथा सार्वजनिक हिसाब समिति यह देखती है कि सार्वजनिक व्यय उचित ढाँचे से किया गया है अथवा नहीं। बास्तव में इन दोनों समितियों के कार्य एक दूसरे से टक्कर लाते हैं।

### (२) शासन विभाग—

शासन विभाग का कार्य सभे राज्य के लिये एक सामान्य नीति का निर्धारित करना है। यही अब सम्बन्धी सब वार्षिकों को करता है। यह विभाग अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों का वेतन, छट्ठी, पैशान आदि को निर्दित करता है।

वित्त गण्डवारी वह राब प्रश्न जिनकी मन्त्री मन्त्री मण्डल से लेनी आवश्यक है आगकल मन्त्रीमण्डल की अर्थ-समिति (Economic Committee) के पास भेजे जाते हैं। इस समिति में वित्त मन्त्री तथा पापा अन्य मन्त्री जो वित्त से सम्बन्धित होते हैं, होते हैं। हर मन्त्री अपने खर्च का प्रस्ताव इस समिति के सचिव के पास भेजता है जो इन सब की जात्य प्रदत्ताव करके समिति के पास मजूरी के लिए भेज देता है। जहाँ तर्फ अनुमान का सम्बन्ध है इस समिति का नियंत्रण ग्रन्ति होता है।

### (३) वित्त मन्त्रीमण्डल—

सार्वजनिक वित्त का नियन्त्रण केंद्र में वित्त मन्त्री मण्डल द्वारा तथा राज्य में वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा किया जाता है। वित्त मन्त्री मण्डल का कार्य यह देखना है कि शासन करने वाले विभागों द्वारा जो सार्वजनिक व्यय दर्ज किया जाता है उस में नियन्त्रिता से काम लिया जाता है या नहीं। हर सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि यह खर्च करते समय उसी प्रकार की सावधानी से काम ले जिससे कि यह घरना निजी खर्च करता है। इस काम को देखने का काम ही वित्त मन्त्री मण्डल का है। इसके प्रतिरिक्ष इस मन्त्री मण्डल द्वारा पड़ता है कि राज्य के विभिन्न भाग उतना ही राज्य कर रहे हैं कि

नहीं जितना कि उनके लिए मजूर हुआ है। यदि वह मजूर किए हुए धन को वर्ष में खर्च न कर सके तो वने हुए धन को सोटाना पड़ता है। इन धन को और समय पर सोटाया गया है अथवा नहीं यह बात भी यही मत्रीमण्डल देखता है। इम मत्रीमण्डल के पास लख करने वाले विभाग की रिपोर्ट समय समय पर आनी रहती है। इन रिपोर्टों की जरूर करना तथा यदि शावश्यक हो तो कुछ सलाह देना भी इसी मन्त्रीमण्डल का दाम है। वित्त-मन्त्रीमण्डल जास्ति के एक विभाग तथा दूसरे विभाग के खजे में भी सामन्तवस्य स्थापित रहता है। इसके पास गवर्नर विभागों की रिपोर्ट आने के बारें उसको यह पता रहता है कि विस विभाग में कोई बायं किस मूल्य पर किया गया है। यदि एक विभाग में दूसरे की अपेक्षा अधिक स्वर्च कर दिया गया है तो यह विभाग उसको खर्च कर सकता है। इस प्रकार कम से कम दाम पर सब काम हो जाता है।

यह आवश्यक है कि वित्त विभाग का सार्वजनिक धन पर पूरा पूरा नियन्त्रण हो। हमारे देश में सार्वजनिक व्यय के ऊपर तो वित्त विभाग का बापी नियन्त्रण है परन्तु आय पर राज्यों में उसका नियन्त्रण कुछ सीमित है। राज्यों में मालगृहारी की अवश्यक धाय विभाग (Revenue Department) करता है और उसको मालगृहारी के लगाने, एकत्र करने, कुट देने आदि पर पूर्ण अधिकार है। वित्त विभाग का मालगृहारी पर बहुत कम नियन्त्रण है। इसी प्रकार वित्त विभाग वा पानी की दर, आवकारी, मुद्राक वर, रजिस्ट्री तथा ज़ज़लाल के ऊपर भी बहुत कम अधिकार है। परन्तु चित्त विभाग वे पास इन सब विभागों की रिपोर्ट समय समय पर आती रहती है और आवश्यकता पड़ने पर वह इन विभागों को सलाह भी देता रहता है। परन्तु देश में बेन्द्रीय आय विभाग विहार विभाग के नियन्त्रण में ही कार्य करता है और बेन्द्रीय आय विभाग के आधीन बेन्द्र की अधिकार आप है। परन्तु सोब सभा का आय पर कोई विरोप नियन्त्रण नहीं है।

वित्त विभाग को खर्च पर नियन्त्रण करने का पूर्ण अधिकार है। इन अधिकार के पालनवापन ही यह विभाग आगे कुछ दर्शनियों का सरकार के दूसरे विभागों को हस्तान्तर कर देता है। परन्तु इन विभागों हो इन बातों का अधिकार नहीं दिया जाता कि वह उस मद पर स्पष्ट खर्च कर सके जिनका बजट में कोई छलेख नहीं किया गया अथवा जिसकी संदातिक दृष्टि में उसकी बरने वा अधिकार नहीं है।

राज्यों में वित्त विभाग का सचिव ही बारे वित्त का नियन्त्रण करता है परन्तु देश में अधिक वाम होने के कारण इस कार्य को दो विभागों में बाट नियम करा दिया है। इन विभागों का पार्थ चरतारी नियम छारा होता है। इनमें से एक विभाग आय और व्यय का विभाग है और दूसरा विभाग अर्थव्यवहार कारों का विभाग है। आदिक विभाग का सम्बन्ध बजट बनाने तथा उसको देखने मात्रने से है।

यह गार्डेंगाय अधिक्रम प्रोग्राम (Ways & Means Programme) को बनाता, पूँजी व्यवस्था के लिए धन निश्चित करता तथा देश की आर्थिक नीति को समय समय पर देखता भावना रहता है। अतएव इस व्यपक विभाग आय और व्यय पर नियन्त्रण करता है। यह नियन्त्रण विभाग के उपन्युचिकों द्वारा किया जाता है जो विभिन्न मन्त्री मण्डली (Ministries) के आर्थिक मलाहकारों के हप में कार्य करते हैं। साधारणतया यह सदृशोग में कार्य करते हैं परन्तु यदि इनमें आपम में भवभेद हो जाता है तो इन्हें उपन्युचिकों की बात को नहीं दाल सकते। इन प्रकार के भवभेद द्वारा कार्य के दूसरा ढंग रखा जाता है।

(४) जाच विभाग—शासन विभाग विस धन को प्राप्त करके खर्च करता है उसकी देश भान के लिए जाच विभाग होता है। जाच विभाग का काम शासन विभाग से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होता है। यह विभाग शासन विभाग की गलतियों को व्यवस्थापक सभा की नजरों में जाने के लिए स्वतन्त्र है। वास्तव में यह होता भी इसी कार्य के लिए है। यदि हिसाब में कोई गलती होती है तो नियन्त्रक विभाग महानेता परीक्षक (Comptroller and Auditor General) उसको सार्वजनिक हिमाच समिति (Public Accounts Committee) की नजरों में लाता है। इस प्रकार महानेता परीक्षक व्यवस्थापक सभा के बदले कार्य करता है।

व्यवस्थापक सभा के अतिरिक्त महा लेधा परिदाक शासन विभाग के लिए भी कार्य करता है। शासन विभाग अपने नीने काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों की आर्थिक शक्ति को निश्चित करता है तथा आर्थिक कार्यों को करने, दिग्गज रहने, सार्वजनिक धन को प्राप्त करने तथा सर्व करने में नियम बनाता है। यह देखने के लिए कि सरकार की सब आज्ञायों का उचित रूप से पालन हो रहा है भववा नहीं महा लेधा निरीक्षक ही होता है। यदि किसी विभाग के हिसाब में कोई गलती होती है तो उसको सरकार की नजरों में जान की महानारा निरीक्षक का ही है।

आर्थिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में साधारण बातें— आर्थिक नियन्त्रण के भवन्धन में दो साधारण बातें होती आवश्यक हैं— १. मितव्ययिता (Economy), २. उचित रूपता (Regularity)। मितव्ययिता का अर्थात् यह है कि सार्वजनिक धन को इत प्रकार खर्च किया जाए जिससे कि इसका पूरा पूरा नाम प्राप्त किया जा सके, भर्ती इस धन को खर्च करते समय हर प्रकार की किसी तर्की को द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक धन को गर्दं करने में उचित रूपता हो, अर्थात् जो धन खर्च किया जाए वह उन्हीं बातों पर दिया जाए जिनको व्यवस्थापक सभा द्वारा मजबूर कर दिया हो तथा हर व्यपक उस

प्रधिकारी द्वारा मजूर किया गया हो जिससे उस व्यय को मजूर करने का प्रधिकार हो ।

### बजट

'बजट' शब्द का अर्थ—बजट शब्द एक फ्रान्सीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चमड़े का एक छोटा सा खेला । जिस अर्थ में बजट शब्द का प्रयोग आजकल किया जाता है उसका इनिहाम वालपोल (Walpole) वी १७३३ई० की आर्थिक योजना से आरम्भ होता है जबकि उपर्याम में उसको "बजट खुला" के नाम से सम्बोधित किया गया था । ऐसा कहने में वालपोल को एक भदारी के रूप में तथा उसके बजट को खालीखियों के पिटारे के रूप में रखा गया था । परन्तु आजकल यैते के ऊपर ध्यान न दिया जाकर केवल उस खेले में बन्द बस्तु के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है और वह बस्तु होती है वह आर्थिक प्रस्ताव जो वित्त भवित्व लोक सभा के सामने प्रति वर्ष प्रस्तुत करता है । इस प्रकार बजट विस्तीर्ण में होने वाली आप तथा व्यय का विवरण होता है । भारत संविधान की धारा ११२ में लोक सभा के दोनों सदनों के सामने एक 'आर्थिक आविष्कार विवरण' (Annual Financial Statement) प्रस्तुत करने वा उल्लेख है । यह विवरण बजट के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसी प्रकार का विवरण राज्यों में भी देखा दिया जाता है ।

बजट का अद्वैत—बजट का किसी देश के आर्थिक जीवन में बड़ा महत्व होता है । बजट शास्त्र विभाग तथा व्यवस्थापक सभा द्वारा बिए गए आर्थिक नियन्त्रण का प्रस्थान विन्दु है । यह उससे भी अधिक है । यह मुचाल वित्त का आपार है जिसके चिना कोई स्थायी सामाजिक उन्नति नहीं हो रक्ती । यह उन उद्देश्यों की परिमाण करता है जिन पर सांबंधित घन कानूनी-रूप से स्वर्च-विद्या जा रखता है और उन विविष्ट उद्देश्यों पर इत्य व्यय की सीमाएं निर्धारित करता है जिनका उल्लेखन नहीं किया जा सकता ।\* यदि किसी देश में बजट नहीं बनाया जाता तो उसकी अर्थ व्यवस्था प्रस्त व्यस्त हो जाती है और उसका शासन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है । इस बात की सत्यता सुनून राष्ट्र प्रधारीका वी १६२१ई० से पहले की स्थिति से जानी जा सकती है जबकि वहां पर बोई बजट नहीं बनाया जाता था वरन् हर एक विभाग अपना अपना आर्थिक अनुमान कार्रेस के सामने प्रस्तुत करता था । इसमें हर एक विभाग इस बात का प्रयत्न करता था कि यह अधिक से अधिक स्वर्च करे । ऐसा होने से बड़ी कठिनाई होती थी । इसनिए १६२१ के पश्चात इस एढ़क्ट को समाप्त करके बजट पद्धति को चालू किया गया । बास्तव में व्यवस्थापक

\* P. K. Wattal— The A. B C of Indian Government Finance—P. 28

भभा शासन विभाग के कार्यों पर बजट के द्वारा ही नियन्त्रण करती है। शासन विभाग केवल उन्हीं चीजों पर तथा उन्हीं उद्देश्यों के लिए तथा उनका ही स्पष्ट सर्व कर सकता है जितना कि अवस्थापक चभा द्वारा निश्चित कर दिया गया है। इस प्रकार शासन विभाग दिन सोचे समझे एवं नहीं कर सकता।

परंपरामुँ में बजट के द्वारा ही सामाजिक उल्लंघन की जा सकती है। इसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तभा समाज में यथा वितरण की असमानता को दूर किया जा सकता है। बजट में किए गए कर के प्रस्तावों तथा बजट द्वारा उद्योग-पश्चों तथा कृषि को दी गई आर्थिक सहायता का उत्पादन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त रामाज में फैली हुई धन वितरण की असमानता को बढ़े थड़े अधीर लोगों पर कर लगा कर तथा इस प्रकार प्राप्त किए हुए धन को गरीब लोगों के लिए शिक्षा, विवित्सा, भकात प्राप्ति का प्रबन्ध करके दूर किया जा सकता है।

बजट के द्वारा मुद्रा स्फीति की बुराई को भी बहुत कुछ कर किया जा सकता है। मुद्र काल में जब आवश्यकता से अधिक नोट छप जाते हैं तब बजट में किए गए सार्वजनिक क्रए तथा कर-प्रस्तावों द्वारा देश की अधिक ग्राम-शक्ति को वापिस लिया जा सकता है।

आजकल के युग में प्राय सभी देश अपने सामने एक लोक द्वितीयी राज्य (Welfare State) का ध्येय रखते हैं। इस ध्येय को पूर्ति भी बजट द्वारा ही हो सकती है। आजकल के बजट केवल इसी बात की ही ध्यान में नहीं रखते कि सरकार जनता से रपवा से कर किए प्रकार उनको लोगों की भलाई के लिए लर्व करे थान् वह पह देखते हैं कि देश के परंपराम साधन कितने हैं और उनको किस प्रकार इस द्वारा से गति प्रदान की जाए जिससे कि देश में सब लोगों को रोजगार मिल जाए तथा वह उचित भावा में चोजो का उपयोग कर सके। यह बात प्राप्त करने के लिए सरकार निजी पूँजी को आमे आमे के लिए प्रोत्साहन देती है और जिन क्षेत्रों में यह पूँजी आमे नहीं आपनी पूँजी लगती है। सरकार की इस प्रकार की सब नीतिया बजट द्वारा ही लोगों के सामने आती है।

बजट के सम्बन्ध में कुछ साधारण बातें— (१) यहा तक हो बजट सल्लुक्षन (Delegation), द्वैत व्यापार, आवश्यकता पर्याप्त पर, द्वैत बजट बनाया जा सकता है परन्तु बहुत से हीन बजट घनाने से देश की सास पड़ती है और देश में मुद्रा स्फीति हो जाती है। परन्तु यहा पर प्रश्न उठ सकता है कि बजट में कौन कौन से मद सम्मिलित किए जाएं क्योंकि भर्य और व्यय दो प्रकार के होते हैं— (१) पूँजीहर (Capital) तथा (२) आयम (Revenue)। इन दोनों में

में बजट में बेकल आगम आय और व्यय तथा ऐसा पूँजीहत व्यय जो अनुत्पादन हो, सम्मिलित विया जाता है। इस प्रकार की आय और व्यय के सम्बन्ध में बजट सन्तुलित होना चाहिए। बास्तव में यदि देखा जाए तो बजट का सन्तुलन इस कान पर निर्भर होता है कि उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं। वही बार बजट को सन्तुलित दिखाने के लिए वित्त मन्त्री उसमें वह चीजें सम्मिलित नहीं करता जो वास्तव में उसको करती चाहिये। इसपरी डाटन आदि ने सार्वजनिक सातों की दिलावट परी नियुणता वह कर पुकारा है। ऐसे तो बजट का प्राप्तिकर तथा हीनका बेकल आगम आय और व्यय के सम्बन्ध में ही देखी जाती है परन्तु जहां तब ही बजट पूँजीहत तथा आगम आय और व्यय के सम्बन्ध में ही सन्तुलित होना चाहिए।

बजट में जो आय और व्यय सम्मिलित निए जाते हैं वह वही होने हैं जिनकी उम वर्षे में जिमके लिए कि बजट बनाया गया है प्राप्त होने की आशा है। वही-सते के समान बजट में वह आय और व्यय सम्मिलित नहीं लिए जाते जो कि किनी वर्ष में होने वाले हैं वरन् बेकल वही आय और व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी नि एप्ये पर्से के रूप में लिए और दिए जाने की उस वर्ष में आशा है। उदाहरण के लिए यदि एक ठेनेदार का काम प्रगत्य १९५१ से शुरू हो कर अप्रैल १९५२ में समाप्त होने वाला है तो उस ठेनेदार का भुगतान नरने के लिए १९५१—५२ के बजट में (जिसमें कि वह बास विया गया है) प्रबन्ध नहीं विया जाएगा वरन् १९५२—५३ के बजट में जिसमें कि उसकी भुगतान विया जाएगा उसका प्रबन्ध होगा। इस प्रकार बजट वही साते आधार (Book-keeping basis) पर न बनाया जाकर इव्य आधार (Cash basis) पर बनाया जाता है।

(२) बजट में सभ प्रवार की आय और व्यय सम्मिलित होनी चाहिए। विदेशी भवा के लिए अलग बजट नहीं बनाना चाहिए अथवा शासन के हर विभाग के लिए प्रत्येक बजट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा न बरने से देश की बाह्यविद्या प्राप्तिकर रिपब्लिक का पौर्ण अनुभान नहीं समाया जा सकता। हा बहुत ने देश में रेलवे का बजट अलग बनाया जाना है और ऐसा बरने के दो कारण हैं—

(१) रेलवे नीति और रेलवे प्रबन्ध राजनीति से भ्रतग होन चाहिये।

(२) एक बार जब रेलें एक निश्चिन घन रासि सरकार को दे चुकती हैं तब उनके पास जो कुछ शेष बचता है उसकी रेलों की उपलिह करने के लिए डाइवना चाहिए।

हासारे देश में १९२४ ई० से रेलवे बजट जापारण बजट से घलग बनाया जाता है। अभी हाल ही में दानोदार भाटी प्रमण्डल के लिए भी अलग बजट बनाया जाने चाहा है। इसके लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से घन प्राप्त होता है।

(४) बजट में सम्मिलित की गई आय और व्यय कुल (Gross) होती है। इसमें एक ओर वह सब आय दिखाई जाती है जो कि किसी दर्पण में मिलने वाली होती है। दूसरी ओर वह सब सर्व दिलाया जाता है जो कि उस आय को एकत्र करने में होता है। हमारे देश में केवल मानवजुली ही ऐसा भद्र है जो कि वास्तविक (Net) दिलाया जाता है। लम्बरदार जो भारागुजारी वसूल करता है और राज्य सरकारे आय में इस वास्तविक आय को ही दिखाती है। इसी प्रकार पूँजीकृत आय को भी वास्तविक ही दिलाया जाता है। परन्तु इन्हें में ऐसा नहीं किया जाता। वहां पर वास्तविक आय दिखाई जाती है। इन्हें वाली पद्धति में लोक सभा का आय पर भी उतना ही नियन्त्रण हो जाता है जिनका कि व्यय पर, परन्तु भारतवर्ष में लोक सभा का आय पर बहुत कम नियन्त्रण है। इगलिए इन्हें वाली पद्धति को भारतवर्ष में भी चानूं किया जाए तो उचित होगा।

(५) बजट बताते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ तक हो आय और व्यय का अनुमान वास्तविकता के समीप हो। ऐसी बात सैमानिक दृष्टि से तो उचित जान पड़ती है परन्तु व्यवहार में इसका पालन कठिन बढ़ा कठिन है। वह अफसर जो आय और व्यय का अनुमान लगाते हैं उनका मानारेतत्वा यह प्रयत्न रहता है कि वह आय को कम और व्यय को अधिक दिखायें। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में तो आप का ठीक अनुमान लगा लेना बड़ा कठिन काम है क्योंकि यहां पर बजट भार्व के महीने में बन नहर लैंगर हो जाता है और वर्षा का मौसम उसमें पीछे आता है। इसलिए इस बजट में मानसून की स्थिति वो ध्यान में रख कर आय और व्यय निरिचित नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त हमारे देश में ठीक आकड़े न मिलने के कारण आय और व्यय का ठीक अनुमान लगाना कठिन है। यही कारण है कि यहां पर वास्तविक आय और बजट आय में बहुत अन्तर रहता है। उदाहरण के लिए १९५३-५४ के केन्द्रीय बजट में ६४ लाख रुपये का अधिकार्य दिलाया गया था परन्तु वह आय और व्यय को दोहराया गया तो लगभग २६ करोड़ रुपये का पाठा लिया। यह इसी वर्ष नहीं इसमें पूर्व के वर्षों में भी यह बात हो चुकी है। बजट का ठीक अनुमान दो बानी के कारण भावशक्त है। पहली, व्यवस्थापक सभा यह देखता चाहती है कि केंद्र-दाना से आवश्यकता से अधिक करन न लिया जाये। दूसरी, वित्त विभाग यह चाहता है कि कोई भी शासन विभाग अपनी आवश्यकता से अधिक धन न से क्योंकि ऐसा होने पर दूसरे विभागों को बगड़ धन मिलेगा और इससे देश को हानि होगी।

(६) बजट केवल एक वर्ष के लिए ही बनाया जाता है। परन्तु सनुक राष्ट्र अमरीका के कुछ राज्यों में दो वर्ष के बजट भी बनाये जाते हैं।

(७) बजट में जो रप्या मन्त्री किया जाता है वह केवल एक वर्ष के लिए ही होता है। वर्ष के समाप्त होते ही उस शरण को खर्च करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है इसके समानित का नियम (Rule of Lapse) वहते हैं। इस नियम के बारें वर्ष के अन्त में प्रायः सभी सरकारी दफतरों में खर्च करने की दौड़ घूप लगी रहती है ताकि बजट में मन्त्री किया हुआ धन समाप्त न हो जाये।

(८) यह आवश्यक है कि बजट मन्त्रालय उसी ढंग से लगाया जाये जिस ढंग से कि राष्ट्रीय हिसाब रखा जाता है। इसमें देश के एक राज्य के अनुमान का दूसरे राज्य के अनुमान से मुकाबला किया जा सकेगा। ऐसा मुकाबला हो जाने से आर्थिक नियंत्रण भरत ही जाता है हमारे देश में केन्द्र और भूज्यों में बजट बनाने वा एक सा ही ढंग अपनाया गया है।

### बजट का तैयार करना

बजट तैयार करने ने तीन बातें समझे जाती हैं—

- (१) बजट कीन तैयार करता है ?
- (२) बजट कब तैयार किया जाता है ?
- (३) बजट कैसे तैयार किया जाता है ?

(१) बजट कैन तैयार करता है ?—प्रायः सभी देशों में बजट शासन विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसका कारण यह है कि यह विभाग ही धन को प्राप्त करता है और वही उनकी स्वर्चं बरता है। इसलिए यह विभाग यह जानता है कि विस मद से कितनी और प्रायः प्राप्त हो सकती है और विस मद पर वितना और धन स्वर्चं करता उचित होगा। इन्हींने सभी देशों में बजट तैयार करने का कार्य शासन विभाग पर छोड़ दिया गया है।

(२) बजट कब तैयार किया जाता ?—हमारे देश के विस्तृत होने वे कारण बजट तैयार करने के लिए कोई समय तो विस्तृत नहीं किया जाया है परन्तु प्रायः सभी स्थानों पर बजट तैयार करने का कार्य सिस्तम्बर मास में शारम्भ हो जाता है। इस प्रकार हमारे देश में बजट कार्यान्वयन होने से ६ से नेकर १५ मास पूर्व बनाया जाता है। इतनी पहले हर बात का ठीक मन्त्रालय नगा लेना बड़ा निति है। इसी कारण भारत के एक वित्त मन्त्री ने बहाल्या कि भारतीय बजट ‘मानसून में झुका’ (Gamble in Monsoon) है। भारत के एवं वित्त मन्त्री ने वह सुमाद दिया या कि बजट का समय पहली अप्रैल से बदल कर पहली नवम्बर अवधा पहली जनवरी कर देना चाहिए।

(३) बजट कैसे तैयार किया जाता है ? — स्वतंत्र देश एक प्रजातंत्र देश है। इसमें राज्यों को स्वभावन का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए हमारे देश में हर राज्य प्रस्ताव भरता बजट बनाता है। प्रीर एक बजट बैन्ड द्वारा बनाया जाता है। बजट की तैयारी कई भागों में बाटी जा सकती है —

(१) स्थानीय अफसरों द्वारा प्रनुभान का लगाया जाना तथा इन प्रनुभानों का उच्च नार्यालय द्वारा एकत्र करना।

(२) प्रनुभानों की छान बीम करना।

(३) बजट का बनाता तथा लोक सभा में पेश करना।

(४) स्थानीय अफसर प्रपत्रे प्रपत्रे हिसाब को प्राप्त व्यापक कार्यालयों में उसको दो भागों में बांट कर भेजते हैं —

पहले भाग में वर्तमान साधनों से प्राप्त आय तथा वर्तमान में होने वाले व्यय को दिखाया जाता है।

दूसरे भाग में नई नई योजनाओं पर होने वाले व्यय तथा यदि किसी वर्तमान आय के साधन को छोड़ना हो तो उसका वर्णन होता है।

पहले भाग में आय और व्यय भलग भलग दिखाए जाते हैं। इनको अद्य विभाग से प्राप्त हर फार्मों पर दिखाया जाता है। इन फार्मों में साधारणतया निम्न नियत साने होते हैं —

- (i) वित्त वर्ष की पास्तविक आय व व्यय,
- (ii) चालू वर्ष में मजूर आय व व्यय के प्रनुभान,
- (iii) चालू वर्ष के दोहराये हुए आय व व्यय के प्रनुभान,
- (iv) प्राप्त वाले वर्ष के बजट के प्रनुभान,
- (v) चालू वर्ष तथा पिछो वर्ष की वास्तविक आय व व्यय जो बजट में सम्बन्ध रख सकते हैं।

इनमें से दूसरे साने के अतिरिक्त सब साने स्थानीय अफसरों द्वारा भरे जाते हैं। इन सब सानों में लीसरा और चौथा साना सुख्त है। इनमें से प्रथम हीसेरे साने के शीकड़े एकत्र किये जाते हैं हीर उसने आधार पर चोये साने के प्रनुभानिक शीकड़े तैयार किये जाते हैं। यह मह बात बहाने मोग्य है कि बजट के प्रनुभानों को बड़ी सावधानी से लीपार करना चाहिए, जिससे कि आने वाले वर्ष में घनुमति वास्तविकता से बहुत दूर न जा पड़े। हर वर्ष की परिस्थिति समान नहीं होती। इसलिए बजट के प्रनुभान पिछो वर्ष के वास्तविक शीकड़ों में कुछ जोड़ घायब घटा कर प्राप्त नहीं हो सकते बरन् उनको भविष्य में होने वाली जाता को घटन में रख कर तैयार करना चाहिए।

नई नई योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण दूसरे भाग में होता है। इस भाग में पह भी विस्तारा जाता है कि इन योजनाओं पर विभिन्न घन मध्यिक सर्वे होने की आशा है तथा चर्चानाम आप के साथनों को छोड़ने से विवरी आव फी हानि होने की आशा है।

स्थानीय अपसर इन सूचनाओं को अपने अपने विभाग के सर्वोच्च अफसरों के पास भेजते हैं। सर्वोच्च अफसर सब जिलों में प्राप्त आए व व्यय के अनुमानों को जोड़ कर अपने विभाग की हुल आय व व्यय का अनुगमन लगा लेते हैं। यदि आवश्यकता हो तो वह उस में कुछ परिवर्तन भी कर देते हैं। इसके पश्चात सर्वोच्च अफसर अपने अपने अनुमानों को सिवायर से से कर भवन्नर के महीने तक प्रबन्ध तथा अर्थ विभागों द्वारा भेजते हैं।

(२) प्रबन्ध विभाग सब विभागों में प्राप्त अनुमानों का निरीक्षण वरके इन को अर्थ विभाग के पाम अपनी टिप्पणियों सहित भेज देता है। इसके पश्चात अर्थ-विभाग प्रबन्ध विभाग के अनुमानों का निरीक्षण करता है। यदि प्रबन्ध विभाग के हप्ता अर्थ विभाग में विसी बात पर भत्तेद होता है तो इस की सूचना सरकार को अन्तिम निर्णय के लिये दी जाती है। प्राय और व्यय के अनुमानों के अतिरिक्त इस बात का भी अनुगमन लगाया जाता है कि किसी योजना वो कार्यान्वित करने वे लिए वित्ती ऋण की आवश्यकता होगी।

(३) इसके पश्चात अर्थ-विभाग बजट हैयार करता है। बजट में नये बढ़ों का लगाना तथा बचे हुए धन का सर्वे करना तथा इसी प्रकार वो दूसरी बातों का निरुद्ध सरकार द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार के निर्णय वे पश्चात विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये बजट बनाया जाता है। हमारे देश में राज्यों व व्यय केन्द्र में बजट इसी रीति से बनाया जाता है।

बजट का पास होना—बजट के हैयार हो जाने पर इसको फरखरी वे पन्द्र अवधार मार्ज के आरम्भ में विधान सभा अधिवासों द्वारा हमारे दोनों दलों द्वारा ने सामने प्रस्तुत किया जाता है। जिस समय बजट पेश किया जाता है उस दृष्टि वही भीड़ होती है। दर्दक लोग युह बाये विस्त मन्त्री की ओर देखते हैं और उसके बजट के भाषण को सुनने के लिये उत्सुक रहते हैं। विस्त मन्त्री पहले पिछते दृष्टि आरह महीनों का हिसाब पेश करता है। इसके पश्चात बचे हुए एक या दो बातें जी आव व व्यय वा विवरण देता है और अन्त में आने वाले वर्ष के अनुमानों वो प्रस्तुत करता है। यदि पिछले वर्ष तथा आने वाले वर्ष के आवदों में अधिक अन्दर रह जाता है तो वह उसका कारण देता है। इसके अतिरिक्त वह नये नये करों तथा युही व्ययों का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। विस्त मन्त्री वे बजट भाषण की एक प्रति दस्त के प्रत्येक सदस्य को दी जाती है। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन उस पर

बोई बहस नहीं की जाती। परन्तु उत्त के पारस्परा कुछ समय बजट पर बहस के लिए निश्चित विधा जात है। बजट पर पहले तो साधारण बहस होती है। इसके पश्चात अनुदान की मांग पर राय ली जाती है। यहाँ वह चाहत बताने योग्य है कि सदन को सब प्रवार के सचिवों पर राय देने का अधिकार नहीं है। विधान की धारा ११३ के अनुसार कुछ लंबे ऐसे भी होते हैं जिन पर सदस्य अपनी राय नहीं दे सकते।\* बजट पर दो या तीन रोज तक साधारण बहस होती है। इस बहस के बीच कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता और न ही बजट पर राय ली जा सकती है। परन्तु साधारण बहस से यह लाभ हो जाता है कि सदस्य उस बारे पर भी बहुत कर सकते हैं। जिस पर उन को राय देने का अधिकार नहीं होता। इससे यह भी लाभ होता है कि एकाकार को यह पता बत जाता है कि सदस्यों का बजट के प्रति कौन रखेगा है। इसके पश्चात अनुदान की मांग पर राय ली जाती है। अनुदान की मांग वही मन्त्री प्रस्तुत करता है जिनका उससे सम्बन्ध होता है। अत्येक अनुदान की मांग पर बहस करने के लिए एक समय निश्चित किया जाता है। यदि उग्र गम्भीर के बीच बहस पूरी नहीं होती तो अधिकार उग्र पर बहस बन्द कर देने की आज्ञा देता है। इस प्रकार बहत से मह ऐसे होते हैं जो कि बिना बहस किए ही पास करने पड़ते हैं। इस प्रकार समय निश्चित करने के कारण इन्हें जैसे देश में  $1/3$  से  $1/2$  तक का लंब बिना बहस किए ही पास हो जाता है। भारतवर्ष में बहस के लिए ८ से १२ दिन तक दिए जाते हैं। इसलिए महा तो इससे भी अधिक लंबे बिना बहस के पाया हो जाता है। भारतवर्ष में लेवानुदान (Votes on Account) पदति के चालू होने के कारण यहमानस्यक नहीं रह गया है कि बजट पर बहस विस्तीर्ण वर्ष में प्रारम्भ होने से पूर्व ही समाप्त कर दी जाये। इसे कारण बजट पर बहस के लिए अधिक दिन बढ़ाए जा सकते हैं।

\* इस प्रकार के दूर्व बद देते हैं औ माल की समावन निधि (Consolidated Fund of India) में से किए जाते हैं। इस प्रकार के दूर्व लिम्पिहित हैं।—

(b) राष्ट्रपति का वगन, उसके भर्ते हथा उसके दक्षता से सम्बन्धित दूसरे खबरें;

(म) राष्ट्रपतिवाद के सम्बन्ध में उपस्थिति का वेतन एवं लौक सम्मा के हरे वरे उप स्थिति का वेतन,

(g) चार्ज जा सकते सरकार को देता है ;

(५) सरोकर, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों वा वेतन आदि;

(३) कम्पट्रोलर तथा आडीटर जनरल का वेतन भन्ते हां पा पे-शन :

(२) विस्तो मुद्रारेस से सम्बन्धित, सर्वे :

(८) शनिवार द्वारे या विषय सम्बन्धी राज्यानि दारा ऐसा बोलिए कर दिवा। गवा हो।

वैद्युत के समान राशियों में भी कुछ गड़ प्रेसे होने हैं जिन पर विद्युत संचार को प्रभ देने का अधिकार नहीं होता।

किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वह कटौती के प्रस्ताव (Cut motions) पेश कर सकें। इस प्रकार के प्रस्ताव दो उद्देश्यों से पेश किए जाते हैं—(१) सचें में मितव्यिता लाने के लिए उपया, (२) यह सामने के लिए कि किसी मद्द पर सबै करने वाली प्रस्ताव रखा गया है वह उचित है अथवा नहीं। सापाराखण्ड कटौती के प्रस्ताव इनमें से दूसरे उद्देश्य के लिए पेश किए जाने हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राजनीतिक होता है। इनके द्वारा सरकार की नीतियों की धारोंवाला की जाती है।

यदि वर्षे के समाप्त होने से पूर्व किसी मद्द अथवा कुछ महों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए अनुपूरक माल (Supplementary demands) रखी जाती है। इन मालों का अनुभान उसी रीति से लगाया जाता है जिससे कि बजट के अनुभान लगाये जाते हैं। अनुपूरक मालों को भी बजट के समान ही पास कराना पड़ता है। अनुपूरक मालों को सदन के सदस्य अच्छी नियम हो गयी देखते हैं। परन्तु सरकार के समाने ऐसे भवसरों पर दो बातें रहती हैं। पहली यह कि वह अनुपूरक बजट पास दरा ले ग्रो दूसरी यह कि वह बजट में ही हर मद के लिये उदारता दे व्यव वा प्रबन्ध करे। इन दोनों में से पहली बात अधिक अच्छी है क्योंकि अनुपूरक माल के पेश होने पर सदस्यों को उम पर बहस मरने वा अवसर प्राप्त हो जाता है। परन्तु दूसरा बात अण्णाये जाने पर उन पर ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार किसी ऐसे मद पर सबै करना चाहती है जो कि उसी मांग में मम्मित नहीं किया जा सकता अथवा व्यष्ट या नया मद इसना आवश्यक है कि सरकार विना उसकी सहद की नजर में लावे हुए दूसरे पर धन सबै नहीं करना चाहती। ऐसे भवसरों पर सरकार एक रूपये की एक साकेतिक माल (Token demand) पेश करती है। इसके लापि एक अत्यन्त विवरण में यह दिया रहता है कि इस माल ने पूरा करने के लिए चापन कहा दे लाये जायें।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्षे समाप्त होने पर पता चलता है कि कुछ मदों पर उसके अधिक बर्बं हो गया है जो कि उसके लिए बजट में रखा गया था। यह अनुचित है। इस प्रकार के लावे को उचित सबै बर्ताने के लिए अतिरिक्त अनुदान (Excess Grant) की पद्धति का निर्माण किया गया है। इस प्रकार के अतिरिक्त अनुदान विधान सभा के सामने पेश करने से पहले सार्वजनिक बातें समिति (Public Accounts Committee) के सामने पेश करने पड़ते हैं। इस समिति की नजूदी हो जाने पर इस प्रकार के लावे को ध्यान दर्शाये जाते हैं।

**विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)**—जब बजट की मांग पर राष्ट्र के ही जाती है तब एक विनियोग विधेयक ऐसा किया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य पास ही हुई मांगों को बानूती रूप देना तभा सचित निधि (Consolidated Fund) में से धन निकालने का प्रयोग कर देना है। यह विधेयक शार्टमिन्ड भागी, अनुदूरक मांगों आदि के लिए ऐसा किया जाता है। हर विधेयक के द्वारा ही निहते यथं में घासिक सब किए नए रूपए को बानूती रूप दिया जाता। इस विधेयक में सरोथः बरते हैं लिए प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। यह इस तिए है जिसमें कि सोक सभा द्वारा पास की हुई मांगों में बोई बदल न की जा सके।

भारतवर्ष में जो कान करी आदि से एक विधा निया जाता है उसको साक्षी पहले सचित निधि में जमा किया जाता है। इस वे पश्चात हर कोट में से इस विधेयक के द्वारा ही धन निकालकर सर्व किया जाता है। यद्यपि इस विधेयक में सदस्य सोग कोर्ड संशोधन ऐस नहीं कर सकते तो भी इस का यह साम है कि उनको गुम्भाव देने का एक और अवधार प्रिय जाता है।

**आपाती व्यय (Emergent Expenditure)**—१९१६ वे एक के भनुसार आपाती व्यय के पाता करने पा अधिकार गवर्नर की था। १९३५ के विधान में इस व्यय के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु नये विधान के भनुसार एमारे देश में एक आपाती कोष (Contingency Fund) है जिसमें से आवश्यकता पड़ने पर धन सर्व किया जा सकता है। इसके पश्चात व्यवस्थापक राया से इस सर्व की स्वीकृति ही जाती है। इस प्रकार व्यवस्थापक सभा सर्व को मजूर करती है तथा सचित निधि से धन निकालने की धक्का देती है।

**करों पर मद लेना (Voting of Taxes)**—हमारे देश वे केवल में सरकार के कार प्रस्ताव एवं भर्ये विल (Finance Bill) के द्वारा पेश किए जाते हैं। याज्यों में इस प्रवार के लिए विभिन्न विल पेश किया जाता है और कुछ याज्यों में विभिन्न करों वे लिए विभिन्न विल पेश किया जाता है और कुछ में सब करों के प्रस्ताव का एक ही वित देश किया जाता है। इस विल में प्रस्तावित करों द्वारा व्यवस्थापक सभा पठा तो सही है और वित्ती कर यो विलुप्त रामान्त्र भी वर सही है परन्तु कर को यका नहीं सकती यथा किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं रखा जाता।

हमारे देश में भर्ये विल तथा द्रव्य विल (Money Bill) में कुछ भेद किया गया है। भर्ये विल में कर और व्यय के भ्रतिरित और याते भी समिलित होती हैं परन्तु द्रव्य विल में केवल कर और व्यय रामान्त्री प्रस्ताव ही होते हैं।

पेश किया हुया होई विल द्रव्य विल है घणवा भर्ये विल इस का गिर्ण्य घणवा ही करता है। घणवा वी बात को बोई चुनोती नहीं दे रहता। द्रव्य विल के लिए घणवा के प्रमाण पत्र (certificate) दो आवश्यकता होती है परन्तु भर्ये

विल के लिये इस प्रकार ने प्रभाग पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु अर्थ विल बिना राष्ट्र पति की लिख रिप के बेश नहीं किया जा सकता। यह दोनों विल लोक सभा (Parliament) में ही ऐसा लिये जा सकते हैं। इब विल को जब लोक सभा पास करती है तो वह राज्य परिषद (Council of State) के पास भेजा जाता है। यदि राज्य परिषद उसको बैमा ही पास न कर दे जैसा कि लोक सभा ने लिया है तो कोई बात नहीं पर तु यदि वह उसमें कोई सक्रियता करे तो उन सक्रियतों पर विचार करने के लिए विल फिर सो सभा में आना है। लोक सभा उन सक्रियतों को माने या न माने। यदि वह नहीं भी मानती तो भी विल पास हो जाता है। इसके विपरीत अर्थ विल पर यदि दोनों सदनों में मत भेद हो तो दोनों सदनों वे सदस्यों की एक सभा बूलाई जाती है और उस सभा के बहु मत से यह विल पास लिया जाता है।

अर्थ विल बजट के साथ ही ऐसा किया जाता है। इस विल के बाने में यह बात लियी होती है कि जब हित में इस विल पर १६३१ ई० के करों के अस्तायी रूप से एकत्र बरने वाले एकट (Provisional Collection of Tax Act) के अतिरिक्त वार्षिक करना आरम्भ कर दिया जाय। इस एकट के अनुसार अर्थ विल में प्रस्तावित करों को एक इस लेना आरम्भ कर दिया जाता है। यदि लोक सभा कर को घटाती है अचला समाप्त करती है तो कर का धन लौटा दिया जाता है। परन्तु इस प्रकार से कर के बाल ५० दिन तक एकत्र लिए जा सकते हैं। यदि ५० दिनों में अर्थ विल पास न हो सके तो इस विल के अन्तर्गत एकत्र किए हुए करों को लौटाना पड़ता है। इस प्रकार पास हो जाने के पश्चात् यह विल एकट बन जाता है।

### सार्वजनिक ऋण पर नियन्त्रण—

जिस प्रकार कि करों वे अपर व्यवस्थायक सभा का नियन्त्रण होता है उसी प्रकार जब सरकार को सार्वजनिक ऋण लेना होता है तब उस को लोक सभा से इसकी धनुमति लेनी पड़ती है। लोक सभा (केन्द्र में) तथा विधान सभा (राज्यों में) पह नियन्त्रित करती है कि ऋण किम काम के लिए लिया जावे तथा किम शर्त पर लिया जाये।

भारतराष्ट्र में सार्वजनिक ऋण तथा करों की स्थिति में अन्तर है। यह पर करों को लगाने तथा एकत्र करने की आत्म लोक सभा से लेनी पड़ती है परन्तु सार्वजनिक ऋण भारतराष्ट्र की संचित निधि की धरोहर पर उस सीमा तक लिया जा सकता है जो कि समय अन्त पर लोक सभा द्वारा नियन्त्रित की जाएगी। भारत सरकार राज्य सरकारों को उस सीमा तक भी ऋण दे सकती है भववा उनके छह साल की गारंटी कर सकती है जो कि लोक सभा द्वारा पास रिए गए किसी कानून में निश्चित भी जापेगी।

नियमण बुद्ध बढ़ जायेगा। भविष्य में ऐसी आज्ञा है कि केंद्रीय सरकार प्रति वर्ष हीन बजट घोषणेंगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि संसद यह निश्चित करे कि सरकार किस सीमा तक ऋण ले सकती है और कि यह बात अभी तक निश्चित नहीं की गई है।

देश दी वर्तमान स्थिति में यह बात भी आवश्यक है कि बजट अनुमान जहाँ तक हों सही हो जिससे कि प्रति वर्ष की वस्ताविक बजट हीनता रिखाई जा सके। इसके साथ साथ संसद ने इस बात की भी तहली होनी चाहिए कि सार्वजनिक खाते में ग्राधिक घन आ रहा है जिससे कि संसद को पता चल जाये कि ऋण बेवल आवश्यक बातों के लिये ही लिया जा रहा है।

बुद्ध क्षोणों का यह सुभाव है कि संसद ने अपने परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त बुद्ध नये कार्य भी उन्हें चाहिये इसके अतिरिक्त सर्व में फिल्डविता तथा समता लाने की बड़ी आवश्यकता होती है। फिल्डविता देश की निर्धनता के बारण प्रौद्योगिकी के भार को सब स्थानों पर समान रूप से फैलाने के लिए आवश्यक है।

# द्वितीय खण्ड

## भारतीय राजस्व

### अध्याय १

#### वेन्द्रीय राजस्व

(Central Finance)

किसी देश के राजस्व का प्रभाव उस देश के उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि परिवार पर बड़ा गहरा पड़ता है। यदि किसी देश में अच्छी राजस्व व्यवस्था है तो वह देश हर दृष्टि से उत्तम बनेगा और यदि राजस्व व्यवस्था अच्छी नहीं है तो देश की सब प्रकार की उत्तमता रक्खा जायगी।

भारतीय राजस्व पर प्रभाव ढालने वाली वार्ता—

भारतीय राजस्व पर निम्नलिखित वार्ता वा प्रभाव पड़ता है—

(१) जनता की कृपि पर निर्भरता—१९५१ की जन गणना के अनुसार हमारे देश के ५५% सोग खेती पर लगे हुए हैं। इन्हिए यह स्वाभाविक है कि सावंजनिक बोप म कृपि ही आय व्यवसाय की अपेक्षा अधिक धन प्रदान करेगी और कृपि की स्थिति पर ही सावंजनिक बोप में धन की कमी या अधिकता होगी। हमारे देश की कृपि मनसून पर निर्भर है। इसीलिए भारतीय ब्रह्मट की स्थिति मानसून की हिति पर निभर होनी है। यदि किसी वय वया अच्छी हो जाती है तो उस वर्ष व्यापार उद्योग घर्षे भारि पूर्व उभत हो जाते हैं। इस से सरकार की कराय बढ़ती है तथा रेलो वी आय भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि किसी वर्ष वर्षा नहीं होती तो व्यापार तथा उद्योग की अवसरा खराब हो जाती है। रेलो की आय घट जाती है तथा में दृट करनी पड़ती है भीर घनाज या प्रबाध बनने में बहुत सा धन याचं करता पड़ता है। इस प्रकार आय सी घट जाती है परन्तु आय बढ़ जाता है। यही

कारण है कि भारतीय बजट को 'मानसून में खेल' (Gamble in Monsoons) कहा गया है।

(२) जनता की निर्धनता—हमारे देश के सोशो की निर्धनता सर्व-विद्युत है। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय संसार के कुछ देशों को छोड़कर कदाचित् सबसे कम है। १९४६-४७ के सशुद्ध राष्ट्र सभ के अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय ५७ डालर थी जबकि उसी वर्ष में यह आय एकूण राष्ट्र अमरीका में १४५३ डालर, इंग्लैण्ड में ७७३ डालर, कनाडा में ८७० डालर, न्यूजीलैंड में ८५६ डालर थी। इन आकड़ों से हम भारत के सोशो की निर्धनता का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस निर्धनता का प्रमाण राज्य की आय पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय वाणिज्य मण्डल दे एक अनुमान के अनुसार भारत में १९३८-३९ ई० में २,८१,३०१ करदाता थे। इनकी सह्या बढ़कर १९४६-४७ में ४,६१,०७६ हो गई। इनमें से वह कर दाता जिनकी आय एक लाख से अधिक थी १९३८-३९ में ४२६ थे और १९४६-४७ में २,५८८ थे। देश के विभाजन के पश्चात् उनकी संख्या केवल २,५५२ रह गई। इन आकड़ों से हम यह अनुगाम लगा सकते हैं कि भारतीय ग्रन्थ कोष को आयकर से वितरी कम आय प्राप्त होती है। आय की कमी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनता के हित के अन्य कार्यों पर बहुत बहु बहु सर्व हो पाता है।

(३) धनका असमान वितरण—भारतवर्ष में धन का वितरण समान नहीं है। यहां पर एक और तो वरोंपति है और दूसरी और ऐसे लोग हैं जिनको दो समय भर पेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता। धन के इस असमान वितरण के कारण कर आय अधिकार दबी बड़ी आयों जाने व्यक्तियों पे प्राप्त होती है। उत्तर-विधिवाणिज्य मण्डल ने भारतीय कर-दाताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है— श्रेणी १—५००० रु तक की आय, श्रेणी २—५००० रु से १०,००० रु तक की आय, श्रेणी ३—१०,००० रु से १५,००० रु तक की आय, श्रेणी ४—१५,००० रु से २५,००० रु तक की आय, श्रेणी ५—२५,००० रु से ५०,००० रु तक की आय, श्रेणी ६—५०,००० रु से १,००,००० रु तक की आय, श्रेणी ७—१,००,००० अथवा उससे ऊपर की आय। इनमें से पहली दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों पे लोग १९३८-३९ में अमावस्या १८७ १७२, १११ तथा १४६ प्रतिशत कर संरक्षित की देते थे। परन्तु १९४६-४७ में इन श्रेणियों का अदान भट्ट वर अमावस्या ३४४, ६४५, ६२ तथा ४८७ प्रतिशत, रुपय, १८८५, विपरीत, परामर्शी, न्यूरी, रुपय, राहती, गंगालयी, जे. बोग, जो १९३८-३९ में कुल कर का अमावस्या १५१, ६०१ तथा १३६ प्रतिशत अदान देते थे उनका अदान बढ़ कर अमावस्या १६४४, १५७ तथा ४२१ प्रतिशत होता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९४८-४९ में वह लोग जिनकी आय २५,००० रुपये वाला उसके अधिक थी कुल कर आय का लगभग ७५ प्रतिशत अशासन देते थे।

(४) मामों की अर्धांकता—भारतवर्ष में लगभग ८१ प्रतिशत लोग यामों में रहते हैं। इन लोगों की आय बहुत कम होती है। भारत सरकार के अर्थ-उपदेश के अनुसार १९४६-४७ में शामा में प्रति व्यक्ति आय ४०१ रुपये थी। परन्तु नगरों में यह आय ११२१ रुपये थी। यही वारण है कि यामों के लोग सरकारी बोप को बहुत कम अशासन देते हैं।

येन्ट्रोय शासन परिपाठी—भारतवर्ष सदा से बेन्द्रीय शासन-पद्धति का प्रमुखामी रहा है। यहाँ सदा से ही राज्य वे ऊर यह मार रहा है कि वह रक्षा न्याय तथा जन हित वालों पर धन खर्च करे। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय की वृद्धि की हमारे देश में बड़ी आवश्यकता है।

### एकत्र तथा संघानीय शासन पद्धति (Unitary and Federal System of Government)—

किसी देश में या तो एक शक्ति के हाथ में शासन सत्ता होती है या कई शक्तियों के हाथ में शासन की बापड़ोर होती है। पहली अवस्था में शासन-पद्धति को एकत्र-शासन पद्धति (Unitary System of Government) पहा जायेगा और दूसरी स्थिति में शासन पद्धति वो संघानीय शासन पद्धति (Federal System of Government) कहा जायेगा। एकत्र शासन पद्धति या भ्रमिग्राम यह नहीं है कि किसी एक स्थान पर पैठवर कोई शासक कुछ अफसोरों द्वी सहायता से राज्य का काम चलाता रहता है। एकत्र-शासन पद्धति में राज्य वो कुछ प्रान्तों में बाटा जा सकता है जैसे अकबर ने अपने राज्य को कई प्रान्तों में बटा था। परन्तु प्रान्तीय शासक हर मामतों में अकबर के धार्धीन थे। यह दादशाह वी आज्ञा दिना कोई काम नहीं कर सकते थे। इस प्रकार शासन की शर्वोच्च शक्ति (Supreme Power) बादशाह में निहित थी। इसके विपरीत, संघानीय-शासन में राज्य को जिनने भागी में बाटा जाता है उन नव को मुछ विषयों के अतिरिक्त वीप विषय में पूर्ण स्वतंत्रता होती है जैसे हमारे देश में बेन्द्रीय सरकार सारे देश वी रक्षा, रेल, यातायात, मुद्रा व टक्कान इंडिया के लिए लिमेड्ट है। इन विषयों में प्रान्तीय शासन के द्वारा कोई आधीन है। परन्तु वीप विषयों में शास्त्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह कर लगा सकते हैं, राज्य के सामाजिक कोई उच्चोग चला सकते हैं, कर की दर बढ़ा या घटा सकते हैं आदि और इस प्रकार प्रान्त आप वो इच्छानुसार सर्व कर सकते हैं। बेन्द्रीय शासन उनको

इन सब विषयों पर कुछ भी नहीं कह सकता। हमारे देश में १६३७ ई० में सधानीय शासन के तागू होने से पूर्व प्रान्तों को कर सागरे का कोई अधिकार न था। वह किसी बड़े अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते थे। वह कोई बड़ी योजना घपने हाथ में नहीं ले सकते थे। इस प्रकार प्रान्तों की हर विषय में ऐन्ड पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार दस समय हमारे दश में एक शासन पढ़ति थी और प्राचीन सधानीय शासन पढ़ति है।

एवं शासन पढ़ति तथा सधानीय शासन पढ़ति दोनों में एक से ही राजस्व के सिद्धांत लागू होते हैं। दोनों प्रकार की शासन पढ़तियों में राजस्व वा प्रदानध परते में नित्यमिता तथा नियमिता की आवश्यकता है। परन्तु सधानीय शासन की कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जो एक शासन पढ़ति में नहीं पाई जाती। सधानीय शासन में आदिक माध्यनों को वैदीय शासन तथा प्राचीय शासन तथा स्थानीय शासन में बाट दिया जाता है। इसके साथ ही साथ हर प्रकार के शासन को सम भी बाट दिया जाता है। वैन्ड के हाथ में वह विषय होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं जैसे देश की रक्षा, विदेशी प्यापार, रेल यातायात, डाक खाने तथा तार घर, गुदा व टर्कसाल आदि। इन सब विषयों को यदि प्राचीय शासनों को दे दिया जाए तो देश में वही अध्यवस्था होने की आशङ्का रहती है। इसलिए यह सब विषय केन्द्रीय शासन अपने हाथ में रखता है। परन्तु देश की मान्त्रिक शान्ति को बायत रखते तथा सामाजिक जीवन को उन्नत करने से सम्बन्धित विषयों को प्राचीय शासनों को दिया जाता है। इस प्रकार प्राचीय शासनों को पुनिस, जेल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इण्डि, दृष्टोग आदि दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो विषय बचते हैं उनको वही तो मैन्द्रीय शासन अपने हाथ में ले लेता है और वही वह प्राचीय शासन भी दिये जाते हैं।

**सधानीय शासन के सिद्धांत—**सधानीय शासन में आदिक साधनों तथा कामों का बटवारा वडे विवार के पश्चात निया जाता है। पेसा बरते समय यह देश जाता है कि विस कार्य को कौन ठीक प्रकार से कर सकता है तथा विस साधन यों कौन उचित रीति से विदेश नर सकता है। परन्तु इस प्रकार वार्ष और साधनों का बटवारा करते पर भी साधारणतया यहू देश जाता है कि वैन्ड शृण्डा प्रान्तों के पात्र अपना कार्य सुचारू रूप से सचालत करने के लिए साधनों की कमी यह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र शृण्डा प्रान्त एक दूगरे को सहायक अनुदान (Grant-in aid) देते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सहायता देना सेद्धान्तिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है परन्तु इसको आधिक दृष्टि से बरना पड़ता है। सधानीय शासन निम्नलिखित सिद्धांतों पर प्राप्तिरित होता है।

(१) **एकरूपता (Uniformity)**— सधानीय शासन वा पहला उिदाव यह है कि सधान की प्रत्येक इकाई केन्द्र को किसी एक ऐसे विषय के लिए जो सब

इकाईयों के लिए समान महत्व रखता हो एवं यही अदान है। परन्तु व्यवहार में ऐसा होना सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि समान की प्रति नेक इकाई के पास समान आंशिक साधन नहीं होते और न ही उनका समान व्यय होता है। यदि हमारे देश में कोई यह आवास करे कि उड़ीसा ग्राम्या प्रासाम को बम्बई आवास गढ़ास के बराबर अन्यायान दे तो मह अनुचित होगा क्योंकि पहले ही आसाम गांधी उड़ीसा के साधन बम्बई तथा मढ़ास से बहुत कम हैं और दूसरे आसाम व उड़ीसा बम्बई और मढ़ास की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए हैं इसलिए उनको उभयन करने के लिये बहुत धन की आवश्यकता है। इसलिए यह बहुत जा सकता है कि यद्यपि एक हप्ता का सिद्धान्तिक दृष्टि में तो टीक है परन्तु व्यवहार में उसका पालन करना चाहिए है।

(२) स्वतन्त्रता (Independence)— संघानीय शासन का दूसरा सिद्धांत यह है कि संघान की प्रत्येक इकाई को आविक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए और अन्यैक प्रत्येक इकाई के पास आपता वार्य चलाने के लिए पर्याप्त राष्ट्र हो, उनको पर लगाने वाला भरण लेने का अधिकार हो तथा उनको अपनी इच्छानुसार खर्च करने का भी अधिकार हो। इस प्रवार पर यह आवश्यक है कि संघान जी एक इकाई दूसरी पर निर्भर न हो। परन्तु इच्छित संघानीय शासन प्रत्येक इकाई जो इस प्रवार की स्वतन्त्रता प्रदान करता है परन्तु किर भी बेन्द्र अपने पास अधिक साधन रख तेवा है जिस के बारण प्रान्तों के पास साधनों की कमी हो जाती है और समय समय पर केन्द्र प्रान्तों को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहता है।

(३) पर्याप्तता (Adequacy)— संघानीय शासन का तीसरा सिद्धांत यह है कि संघान की प्रत्येक इकाई जो पास आपता वार्य चलाने के लिए पर्याप्त राष्ट्र में साधन हो। साधनों की पर्याप्तता के बल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही आवश्यक नहीं है बरत् साधन भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। व्यवहार में प्रान्तों के पास व्यय के ऐसे मद होते हैं जिन पर भविष्य में व्यय बढ़ता जाता है परन्तु उनके साधन ऐसे होते हैं जिनसे आप आवश्यकतानुसार नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके विपरीत बेन्द्र के पास व्यय के ऐसे मद होते हैं जिन पर सान्ति बाल में तो साधारणतया समान व्यय होता है परन्तु सबट के समय उन पर खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसके विपरीत उसके पास आप के साधन ऐसे होते हैं जिनसे प्राप्त आप की आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यही बारण है कि प्रान्तों ने अपना वार्य चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है परन्तु बेन्द्र के सामने आपारणतया इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। यही कारण है कि हमारे देश में प्रान्त इह बात की मात्र करते रहते हैं कि उनको बढ़ने वाले आप के साधन दिए जाएं। इसी

लिए यह प्रावश्यक है कि सधान में इन बात का प्रबन्ध भी किया जाये कि यदि आवश्यकता पड़े तो साप्तों का फिर से बटवारा किया जा सके।

(४) अधिकृत प्रबन्ध (Administrative Expediency)—सधानीय दासन का चौथा मिट्ठुति यह है कि आधिकृत साधनों का बटवारा करते समय सावारण कर दाताग्रा का हित सामने रखा जाये। जहाँ तक हो सके कि इस ढङ्ग से लगाने चाहिए जिससे व्यापार तथा उद्योगों पर उनका कम से कम प्रभाव पड़े। करों का भार तपान पी सब इकाईों पर एक लापड़ा चाहिए। ऐसा न होने पर उन आतों में से व्यापार तथा उद्योगों की उन्नति तो जायेगी जिनमें कर भार कम होगा और उनमें इनकी उन्नति न हो सकेगी जहाँ कर भार अधिक होगा। इसके प्रतिरिक्षण यह भी आवश्यक है कि सधान की जो इकाई कर लगाये वही उसको लवं करे। ऐसा न होने पर लवं करने वाली इकाई को खांचे करने में मितव्ययिता का कोई ध्यान नहीं रहता। भारतवर्ष में बेश्न आवश्यक तथा यूट नियान्त्रकर लगाता तथा एकत्र बरसा है और उसका पुछ भाग प्राप्तों में बाट देता है। परन्तु पवधि यह सुदृढ़ान्तिक रूप से उजानीक दृष्टि से गलत है तो भी इसको आधिकृत दृष्टि से किया जाना है।

भारतवर्ष में संघानीय आवश्यकता का विकास (Growth of Federal Finance in India)—प्रब्रह्मन यह बताते हैं कि हरारे देश में सवारीय लामन पद्धति का विकास कैसे हुआ? ऐसा बताते हैं कि हम अपने बर्णन वी उस समय से प्रारम्भ करने वें जब तो कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बङ्गाल की दीवानी मिली। यह दीवानी १७६५ ई० में मिली थी। उस समय मालयुजारी राजकीय आय का सबसे प्रमुख साधन था। मालयुजारी जमीदारों द्वारा एकत्र की जाती थी और वही उसको सरकारी रखने में जमा कर देते थे। परन्तु आय प्रतिरिक्षण लाने के लिये लाड़ कानूनिकित ने बङ्गाल में भूमि का स्वायी बन्दोबत्त किया जो आज तक पाया जाना है। यह कायं १९६३ ई० में किया गया था। जमीदारों को कुल मालयुजारी का  $\frac{1}{2}$  भाग सरकारी रखने में जमा करना पड़ता था। शेष  $\frac{1}{2}$  भाग जमीदारों के परिधय के प्रतिकल के रूप में उनके गान रह जाता था। उस समय आय के दूसरे साधन नमूना कर, सीमा कर (Circumference) तथा आन्तरिक आवागमन वर थे। परन्तु इन सब साधनों में प्राप्त ही आय बहुत कम थी। इस प्रकार मालयुजारी ही उस समय आय का एक मात्र साधन था। परन्तु आवश्यकता का देखने हृए बन्धनी थी आय बहुत कम थी। इसका कारण यह था कि बन्धनों उस समय बहुतसी संडाइया लडने में ब्यस्त थी। इसके प्रतिरिक्षण बन्धनी के नीतियों परी प्रधनी जेवें भरतों की ही लगी हुई थी। इस लिए जब बन्धनी ने इङ्ग्लैंड की सरकार से इण्ड भागा तो उसने कहण इस शर्त पर देवा स्वीकार किया हि वह बन्धनों के हिनाव पर पूरी पूरी दृष्टि रखेगी। इसलिए १८३३ ई० में चार्टर एट वास किया गया। इसके अनुसार बङ्गाल

के गवर्नर को भारत वा गवर्नर जनरल बनाया गया और उसको सारे भारत के लिये कानून बनाने तथा उस में सशोधन करने तथा उसको हटाने की शक्ति दी गई। अम्बई और मद्रास के गवर्नर बङ्गाल के गवर्नर जनरल में शाखीन काम बरते थे। १८३३ ई० से पहले मद्रास और अम्बई के गवर्नर अधिक सामना में पूर्ण रूप से रखतन्त्र थे। वह अपने अपने लोगों में स्वयं कर लगते थे तथा लोगों को शान्ति और न्याय प्रदान करते थे। परन्तु १८३३ के एकट के पश्चात राष्ट्र धाय भारत सरकार के नाम से एकत्र लकड़ी होती थी। यही नहीं, बरत् जो अब गढ़ारा तथा अम्बई प्राप्ति ने स्वयं लिए थे वह भी भारत सरकार वे अहण हो गए। इस प्रकार उस समय इतना नियन्त्रित हो गया था कि वि सी प्राप्ति को कानून बनाने का अधिकार नहीं था न ही प्राप्ति के पास आय वे साधन ही थे और न ही वह किसी नीकर को रख सकते थे। इस प्रकार भारत सरकार वो प्राप्ति ने एक ऐसा बात में हस्तांत्रित करने वा अधिकार पा।

इस पद्धति के दोष—इस पद्धति के निम्नलिखित दोष हैं—

१— इस प्रकार के हस्तांत्रित के कारण प्राप्ति वे गवर्नर बहुत अम्बुज रहते थे।

२— प्राप्ति को देयल लकड़ी ही करना पड़ता था। इसलिए वह निम्नोच्च पूर्व लकड़ी करते थे। वह ब्रिट बना कर भारत सरकार के पास भेज देते थे और उनके लिए आवश्यक धा भारत सरकार एकत्र बरती थी।

३— उस समय के बर प्रतिगामी (Regressive) होते थे। उनका भार गरीबों पर अधिक पड़ता था। अमीर सोगों पर कर नहीं लगते थे। इससे ऐसी की विहित सारांश होती चली गई और उनके साथ साथ भारत सरकार की आविष्कारिता भी बढ़ने लगी। १८३३ और १८५८ के बीच भारत सरकार को स्वतंत्र बार हीन बजट बनाने पड़े।

४— इस पद्धति के कारण प्राप्ति में ईर्ष्या बढ़ गई वर्तोंकि अधिक धन उन प्राप्ति को नहीं मिलता था जिसको उसकी आवश्यकता थी बरत् उसको मिलता था जो सबसे अधिक धन के लिए मांग करता था।

**विस्तृतीकरण की ओर दग (Steps towards Decentralization)—**

**पद्धता दग (१८६०—१८७७)**— १८५७ ई० की शान्ति के पश्चात देश का शामन अधिकारी सरकार वे हाथ में छा गया। उस समय मुख्य लोगों ने एक शासन पद्धति के अवगुणों को बताते हुए कहा कि देश की आधिक व्यवस्था में प्राप्ति दो भी सम्मिलित बनाना चाहिए जिससे कि वह धारा पूर्वक तथा मित्रव्यक्ति से लकड़ी परे। उनका यह भी नहीं था कि ऐसा होने पर आय भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्राप्ति

आप के नए नए साधन खोजने का प्रयत्न करेंगे। उनका यह भी कहना था कि संघानीय शासन के हारा सब प्रान्तों के साथ समता का व्यवहार हो सके। इस समता के कारण प्राची भी आपस की ईर्पा समाप्त हो जाएगी। इस विचार धारा के समर्थक सर हेनरी बेन तथा सर विलियम मैनसफील्ड नाड़नित ने सदस्य तथा भैमे वित मन्त्री थे। भैमे वा कहना था कि जेल, दिक्षा लिकिस्ता तथा मठों प्राची को सौंप देना चाहिए। इन सब महों पर व्यव करने के लिए बानून और व्याप से प्राप्त सारी आय भालगुजारी वा  $\frac{1}{2}$  भाग तथा प्रान्तों से ऐत्र द्वारा अनुज्ञानकर (License Tax) का  $\frac{1}{2}$  भाग प्रान्तों द्वारा देना चाहिए।

परन्तु मर्दांश और बन्दई के राज्यपात्रों के विरोध के बारए शासन वा विवेन्द्रीकरण न हो सका। उन्होंने कहा संघानीय शासन लागू करने में यह बहिनाई उपरित होगी ति बेन और प्राची में आत्म और व्यय का बटवारा उचित प्रवार से न हो सके। ऐमा बरने में यह विवित करना भी कठिन हो जाएगा ति प्रान्तों में रखी हुई सेना का व्यय विताना है। इसके अतिरिक्त उत्तरा यह भी कहना था कि विवेन्द्री शासन वे अन्तर्गत केन्द्रीय शासन को प्राधिक मामलों में प्रान्तों पर नियंत्र रहना पड़ेगा। उनका यहना या ति विद्रोहियों ने हाथों से देस को बेवल एक शाहन घटति के हारा ही बचाया जा सकता है। इस विरोध के बारए शासन के विवेन्द्रीकरण न कार्य उस समय न हो सका।

परन्तु जब साईं मेयो (Mayo) भारत के बाइसराय हुए तो उन्होंने थडे जोरदार शब्दों में विवेन्द्री शासन का समर्थन किया। उनका कहना था कि स्पानीय परिरक्षितियों में अनविज होने के कारण कुछ चीजों का शब्दन्वय करना बेन्द्रे के लिए बहा नहिन है। इसलिए इन चीजों को प्रान्तों को सौंप देना चाहिए। उनके मुकाबले के बारए १८५१ ई० में कुछ विभागों जैसे जेल, पुलिस, जिला, रजिस्ट्री, लिकिस्ता, छपाई, सड़कें, जानपाद इमारतें आदि को प्रान्तों द्वारा सौंप दिया गया। कुछ समय पश्चात कुछ और विभागों जिसमें इमारतों का बगाना तथा उनकी भासूली गरम्मत, लिकिस्ता तथा शेवाएं आदि समिलित हैं वा प्रबन्ध भी प्रान्तों को सौंप दिया गया। परन्तु प्रान्त विसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते थे जिनका बैठन २५० रुपए मासिक से अधिक होता था। वह विसी अपतर का बैठन भी नहीं बढ़ा सकते थे। इन महों पर खाचे करने के लिए प्रान्तों को उनकी हस्तांगतिरा लिए गए विभागों से प्राप्त आय सौंप दी गई तथा इसके अतिरिक्त उनको ५, ६, ८७, ११० रुपए चार्जित की जाना भी दी जाई। यह उपरान्त प्रान्तों को उनकी अद्वदेशशास्त्रालूकर देने का विवित विद्या गया। यदि इससे भी व्यय पूर्ण न होता था तो प्रान्तों द्वारा नए कर लगा वर आप प्रान्त वरनी पड़ती थीं।

इस योजना के कारण सरकारी सजाने को दस साल पौड़ का लाभ हुआ। प्रान्तों ने घन को देख भाग कर यह विया तथा उनको इस बात का सतोष भी प्राप्त हुआ कि वह घोड़े से विषयों में तो केन्द्र से स्वतन्त्र है।

परन्तु इस योजना के कुछ दोष भी थे। पहला दोष यह था कि प्रान्तों में शास्त्र को बाटने का बहु सतोष जनक नहीं था। इसको दूसरा दोष यह भी था कि प्रान्तों को नियन्त्रित करने में प्रेरणाहृत देने के लिए कोई दीज न थी। यदि प्रान्तों वे पास वर्ष में समाप्त होने पर पूछ घन व्यव जाता था तो उनको उस घन को भारत सरकार वो लौटाना पड़ता था।

**दूसरा पग (१८७७—८०)**-- यद्यपि लाइंगेपो की योजना से केन्द्र और प्रान्तों के सम्बन्ध बुछ मुधर गए परन्तु एक नियन्त्रित शास्त्र के कारण प्रान्तों को अपने हटाए हुए व्यय को पूरा करना कठिन हो गया। शास्त्र बदलति की इस योजना की प्रभावशीलीता और घोर तरह समय में दित्त मन्त्री, सर जॉन स्ट्रेचे (Sir John Strachey) का ध्यान आकर्षित हुआ। इसलिए उन्होंने एक योजना रखी जिसमें कि कुछ विभागों द्वारा सामान्य व्यवस्था का नया तथा कुछ दूसरे छोटे छोटे विभागों की आप प्रान्तों को मिले। परन्तु सरकार ने इस योजना को न माना।

१८७७ ई० में जब लाइंगेपो की योजना से केन्द्र और भारत के बाइसराय हुए तब उन्होंने सर जाव हट्टेचे की सहायता से विवेन्द्रीष्ठरण की ओर एक नया पग उठाया। उन्होंने कुछ और मह विनम्र उत्पादक कर, स्टाम्प, चानून और न्याय, सामान्य प्रबन्ध आदि दें, प्रान्तों वो दीप दिए। इसके ताय ताय कुछ महा की भाव भी प्रान्तों वो सुन्दर ही गई। इन भट्टों में उत्पादक कर, स्टाम्प, चानून और न्याय सम्मिलित थे। परन्तु यह मह इस दार्त पर हस्तान्तरित किए गए थे कि प्रान्तों के नियन्त्रण के कारण इन भट्टों की आप में जो वृद्धि होती उत्पादा आपा भाग उनको भारत सरकार को देना पड़ेगा। परन्तु आप के इन भट्टों के विनाम्रे पर भी प्रान्तों का व्यय पूरा नहीं हो सकता था। इस लिए सरकार ने प्रान्तों को याण्ड देना भी स्वीकार किया। इस प्रकार प्रान्तों को तीन साधनों से आप प्राप्त होती थी— १ १८७१ ई० में प्रान्तों को हस्तान्तरित विभागों की आप, २ नई योजना के अन्तर्गत प्रान्तों को हस्तान्तरित सेवाओं की आप तथा ३ केन्द्रीय सरकार से सहायता।

**प्रान्तों पर जाग्रन्दिव्याँ—**१८७७ ई० के एक प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय सरकारों पर निम्नविवित पावन्दिव्याँ लागू की गई—

१—वे नए कर नहीं लगा सकती थीं और न बर्नमान करो के व्यवस्थ में शोर्ड परिवर्तन कर सकती थीं।

२—प्रान्तीय सरकारों कोई नदा वायं उस समय तक नहीं कर सकती थीं जब तक कि उसको बरने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता था ।

३—वे २५० रुपए भासिक से अधिक बेतन पाने वाले लोगों को नीकरी हो नहीं होती थी और न ही उस नीकरी के स्वान को समाप्त कर सकती थी ।

४—सार्वजनिक हिसाब के इप में वे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थीं ।

प्रान्तीय सरकारों को सरकारी खजाने में एक अनुत्तम धन राशि रखनी पड़ती थी । अपने खाले में जमा धन से अधिक वे खजाने से नहीं गिकाल रुकती थी । वे अपनी चालू आय से अधिक खर्च नहीं कर सकती थीं ।

१७७८ के एक द्विसेरे प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय सरकार भारत सरकार से योजना प्राप्त लिए बिना बचट के आकड़ों से अधिक खर्च नहीं कर सकती थीं । परन्तु यदि उनकी आय बचट के आकड़ों से अधिक होती थी तो उनको उस अधिक आय तक खर्च करने का अधिकार था ।

१८७७ हूँ की योजना के दोष—इस योजना के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों द्वारा आय के जो महं दिए गये थे उनसे पर्याप्त आय नहीं मिलती थी । प्रान्तीय सरकारों को बेतल आय वाले महों से ही दिलचस्पी थी ।

परन्तु इस योजना से बेन्द्रीय सरकार वो आधिक दूरिट से बहुत लाभ हुआ । यह लाभ बड़ात तथा उत्तरी पश्चिमी प्रान्त तथा अवध के अच्छे प्रबन्ध के कारण हुआ ।

तीसरा धन (१८८२-१९२१)—१८७७ हूँ की योजना के दोष भारत सरकार को शीघ्र ही पता चल गए । इस कारण लार्ड रिपन (Lord Ripon) वे आने पर कुछ और परिवर्तन लिये गए । अधिष्ठ में आय के मरों को लीन भावों में बढ़ा दिया गया—१. पूर्ण रूप से बेन्द्रीय, २. पूर्ण रूप से प्रान्तीय तथा ३. बेन्द्रीय और प्रान्तीय ।

[१] पूर्ण रूप से केन्द्रीय—इनमें सीभा-कर (बहा को छोड़कर), नमव-कर (बहा को छोड़ कर), यथोम वी आय, टाक-खाने वी आय, रेलो वी आय, उपहार, तार वी आय, कौबी लोक-नर्म (Military Public Works), विनियम से लाभ आदि सम्मिलित हैं ।

[२] पूर्ण रूप से प्रान्तीय—इनमें प्रान्तीय कर, साधारण लोक-नर्म, चानून और न्याय से प्राप्त आय, शिशा, पुलिस, स्टेनरी तथा छनाई, प्रान्तीय प्रतिनूतियों का व्याप, प्रान्तीय रेलों, लिपिताकाल, लिपिक कद, उत्तर छोड़े छोड़े लिपार से ।

इनके अन्तर्गत कुछ प्रान्तों को कुछ और आय के विभाग भी दिए गए हैं, जैसे बहा को मछलियों की आय, उत्तरी पश्चिमी प्रान्त तथा भ्रवध वो तराई,

भाटर तथा दूरी सम्पति की आय, पानी की मिनों तथा परबर की स्थानों का किराया भाइ, बम्बई प्रान्त को फिर से पालू की गई आवागमन वी सेवा से प्राप्त आय आदि।

[३] प्रान्तीय तथा केन्द्रीय—इनमें भालगुडारी, बन (बहा को छोड़कर), चत्तादन वर, निर्धारित कर, स्टाम्प, रजिस्टरेशन सम्बलित है।

इस प्रवार के प्रबन्ध के पलस्वलर लगभग है आय जो ४२ करोड़ रुपए थी भारत सरकार के पास चली गई और ही आय जो सम्भग १६ करोड़ रुपए थी प्रान्ती के पास आ गई।

परन्तु हाँ प्रवार के उदार प्रबन्ध के लिए जाने पर भी भारत सरकार ने देह की बढ़ती हुई सम्पति से प्राप्त आय को लेने का अधिकार अपने पान्दर ही निहित रखा। इस कारण भारत सरकार इस बात पर आग्रह करती थी कि केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच होने वाली प्रसविदियों (Contracts) बो समय समय पर बदला जाए। इसके अतिरिक्त प्रान्त किसी एक निश्चित सीमा से अधिक एवं नहीं कर सकते थे। इस प्रकार प्रान्तों को कुछ समय पश्चात इस बात वा जान हो गया कि यह प्रबन्ध सिद्धान्तिक दृष्टि से उदार भले ही हो पर व्यवहार में वह उदार नहीं था। प्रान्ती को अपनी बढ़ती हुई आवागमनताओं दे लिए आवश्यक घन प्राप्त नहीं हो सकता था।

साड़े रिपन ने जनता को स्व-शासन की सिद्धा देने के लिए नगर पालिकाओं तथा जिला बोर्डों की भी स्थापना की।

पश्च वर्षीय प्रसविदे—इसके पश्चात बेन्द्र और प्रान्तों में हर पाचवे वर्ष में प्रसविदे होने वी प्रथा पड़ी। हर पाचवे वर्ष प्रान्तों के हिसाब की अच्छी प्रबार जाव वी जानी थी जिसने कि केन्द्रीय सरकार को आय में हुई सुदृढ़ी का उचित अनु प्राप्त हो जावे। यह प्रसविदे १८८६-८७, १८८१-८२, १८८६-८७, १८०४-५ भाइ में वश्वे गए। १८८६-८७ में सरकार द्वारा हठ वे आवगण वा भय या तथा १८८१-८२ में रुपए वी विनोगद दर निर रही थी। इसलिए बेन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों द्वी प्रियों वाली सब दबत को स्थय ले लिया। परन्तु १८८६-८७ में प्रकाल के पारण प्रान्तों द्वी आर्थिक स्थिति बहुत स्थाय हो गई थी इसलिए बेन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों द्वी बुठ सहायता प्रदान की।

इन प्रसविदों के द्वेष—इन प्रसविदों से प्रान्तीय शासन बड़ा असतुष्ट था क्योंकि इन के कारण वह अपनी आर्थिक नीतियों को अविराम ठलने वाली नहीं दिना सकता था। इसका बारण यह था कि उसकी शारी दबत नेन्द्रीय शासन अपने लाभ के लिए ले लेना था। इसके अतिरिक्त आय का बटवारा केन्द्र और प्रान्तों के बीच ही असमान था वरन् प्रान्तों प्रान्तों के बीच भी असमान था। इसलिए प्रान्तों में आपम में

वही ईर्ष्या रहती थी। इन प्रसविदों का एक यह भी दोष था कि इनके रहने हुए प्रांत मिलध्यविता की बात सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि जब पात्र वर्ष के पश्चात प्रसविदा बदला जाता था तो पहले पात्र बर्षों में किए गए खर्च को ध्यान में रख कर ही दूसरे पात्र बर्षों के लिए उनको बचत का भाग दिया जाता था। इस प्रकार जो प्रान्त अपिन खर्च करता था उनको बचत का अधिक भाग मिलता था और जो कम खर्च करता था उसको कम भाग मिलता था।

इन नव दोषों के होने हुए भी यह कहता पड़ेगा कि इस नये प्रबन्ध के कारण प्रान्त पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हो गए तथा वह शासन शब्दात्म में पहले से अधिक दिलचस्पी लगते रहे।

१६०४ई० के पश्चात इन प्रसविदों द्वारा आभाग-स्थानी (Quasi-permanent) बना दिया गया, अर्थात् इनमें तभी बदल की जाती थी जब उपर्युक्त आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त पिछड़े हुए प्रान्तों को चलत करने के लिए सरकार ने प्रान्तों और बेन्द्र में बटने वाली आय पा लगभग आधा भाग उनको देना स्वीकार किया। परन्तु १६०७ में भारत सरकार ने प्राय सभी प्रान्तों पर बढ़े हुए महोंवी आय का आधा भाग देना स्वीकार किया जिसे कि प्रान्तों का प्राप्ती भेद भाव यामादा हो जाए।

उस समय तक प्रान्तों की आर्थिक शक्ति (Financial Powers of the Provinces at that time)— १६०५ई० तक प्रान्त भारत की कुनै आय वा संग्रहण के भाग प्राप्त करते थे। उनके अधिकार में कुछ ऐसे भी आय के महं थे जो सरकारी थे और वह उनकी बचत अपने पास रख सकते थे।

परन्तु किर भी भारत सरकार द्वारा प्रान्तों पर बढ़ा करा नियन्त्रण था। भारत सरकार प्रान्तों के बजटों को मनूर ही नहीं रखती थी बल्कि इनमें अपनी इच्छानुसार बदल भी कर सकती थी। प्रान्तों को यह अधिकार नहीं था कि वह कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति कर सकें। वे २५००० रुपये वार्षिक से अधिक स्थायी-स्थापना (Permanent establishment) नहीं बढ़ा सकते थे। प्रान्तों को केन्द्र की आज्ञा दिना नए कर सागाने का अधिकार न था। मालगुजारी पर भी बेन्द्र का नियन्त्रण था। वे केन्द्र की आज्ञा दिना की भी भूमि सम्बन्धी नियम नहीं बना सकते थे। उनको भारत या इंडिया में कहाँ जेने का अधिकार भी न था। प्रान्तों को लोक-व्रक्षों [Public Works] पर दस भाग रुपए तक खर्च करने का अधिकार या परन्तु यदि वह कहाँ के हारा कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे तो उनको भारत सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती थी और उसकी भारत सरकार हारा वही देत भाल होनी थी। इस प्रकार १६०५ई० तक बेन्द्रीय सरकार प्रान्तों पर बढ़ा करा नियन्त्रण रखती थी जिसके प्रतीक भारतवासी था कि भारत के लोग राज्य करने के घोर नहीं हैं। पर यहाँ यह बात

बतानी आवश्यक है कि १६०५ ई० तक भारत में कांग्रेस के परिवर्तन के कारण बड़ी जागनि नीदा हो गई थी।

**विनियोकरण आयोग (Decentralisation Commission) —** १६०६ ई० में केन्द्र और प्रान्तों के आपाती सम्बन्धों की जानकारी के लिए एक विनियोकरण आयोग की नियुक्ति की गई। परन्तु इस आयोग की जाव का क्षेत्र घृतना सीमित था कि वह कोई महत्वपूर्ण सुभाव न दे सका; इन आयोग का सुभाव था कि प्रान्तों को नियुक्त घन्टावार (Fixed grants) न दिये जावें। भारत सरकार ने इस सुभाव को मात्र लिया और १६१२ में प्रान्तीय असविदों को स्थापी बना दिया गया। आय के साधनों के पहले के समान तीन भाग ही रहे पर केन्द्र और प्रान्तों में बटे हुए आय के भागों में आपसमेत नुसार कुछ परिवर्तन कर दिए गए। निम्नलिखित तालिका से इसका ज्ञान हो सकता है\* —

आय		व्यय	
आय के भाग	प्रान्तीय अवधि	व्यय के भाग	प्रान्तीय अवधि
१ मालानुजारी (सिचाई वे अया सहित)	१ बहुग के लिए २ प्रभाव वे लिए	१ मालानुजारी २ सरपादक कर	१ बहुग, २ प्रभाव
२ उत्पादक कर	पूर्वी बङ्गाल, आसाम तथा बांबई को सारा, तथा नध्य प्रदेश, बङ्गाल तथा सुपुत्र शान्त को	२ उत्पादक कर	आय वे खाने के साधन
३ पी० डल० डी०	३ —	३ —	—
४ बग	४ बग	४ बग	बाय
५ बडे सिचाई के साधन	५ प्रजाय न्यूनतम सीधा ४ साधन	५ बडे सिचाई के सीधा ४ साधन	५
६ बडे शोर छोड़े सिचाई के साधन	६ बङ्गाल	६ बडे शोर छोड़े सिचाई के साधन	६ बङ्गाल

१६१२ में किया गया प्रबन्ध १६१६ तक रहा। १६०५ और १६२० ई० के बीच भारत सरकार की आय और व्यय में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस

\* Dr. B. R. Ambedkar's Evolution of Provincial Finance in British India P. 132

बीच में शिशा, खेती तथा दूसरी सामाजिक प्रावश्यकताओं का व्यय बढ़ रहा था। प्रपत्र महापुढ़ के भारण रखा व्यय भी बढ़ रहा था। आय के पुराने मट्ट जिनमें मालगुजारी, अपील तथा नमक-बर थे प्रपत्रित आय प्रदान करते थे। इस लिए सीधाकर, आय बर, उत्पादक बर आदि से आय बढ़ाई जाने लगी।

**चीया पग (१६१६ ई० से सुधार)**—प्रथम महापुढ़ के पश्चात् संघाट का स्तोर से यह घोषणा की गई थी कि वह चाहते हैं कि भारत में स्वशाचित सत्त्वाओं की उत्तनि हो तथा भारतवासी शास्त्र की हर शास्त्र में प्रधिकारिक भाषा में जिसमें कि उनको हक्कूत की जिम्मेदारी नहरूस हाने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत मन्त्री घोन्डेगु तथा भारत के वाह्यात्मक नेम्सफोर्ड ने भारत का धनमण करके एक सामूहिक रिपोर्ट (Joint Report) दी जिसमें इस बात पर वल दिया गया कि प्रान्ता को उचित रूप से अपनी जिम्मेदारियों को नियाहने देने के लिए उनको व्याधानिक प्रशासनी (Administrative) तथा धार्यिक स्वतन्त्रता प्रदान करनी पड़ेगी। इसको प्राप्त बताने के लिए यह प्रावश्यक होगा कि बेन्द्रीय सरकार के आय के गढ़ प्रान्तीय सरकारों ने आय के महों से बिल्कुल अन्तर कर दिये जाएं। इतनिए उन्हाँने सुभाव दिया कि पहले बेन्द्रीय सरकार की प्रावश्यकताओं के लिए व्यय तिरिचत बरना चाहिए। इस व्यय को पूर्य करने के लिए उसको प्राप्त साधन दे देने चाहिए। याप साधनों को प्राप्तों ही सौंप देने चाहिए और उनको सद प्रान्तीय सरकारों ने तिये जिम्मेदार बनाना चाहिए। विभाजित महा में स दुछ तो बेन्द्रीय सरकार को द दिए जाएं और कुछ प्रान्तीय सरकारों को द दिए जाएं। इस प्रकार गुप्तार के पश्चात् आय के मट्ट या तो बेन्द्रीय होंगे या प्रान्तीय।

**बेन्द्रीय सरकार के आय के मट्ट**—मालगुजारी [संसार्द सहित], स्टाम्प, रजिस्ट्री, माइक-बर, बन आदि।

**प्रान्तीय सरकारों के आय के मट्ट**—मालगुजारी [संसार्द सहित], स्टाम्प, रजिस्ट्री, माइक-बर, बन आदि।

इस प्रकार १६१६ ई० के मुपारों के पश्चात् भारत दर्पं में जिस धार्यिक पद्धति का विकास हुआ वह एक तथा सधानीय पद्धतियों के बीच की थी। यहाँ तक आय के महों के बटवारे का प्रस्तु या यह पद्धति पूर्ण रूप से सधानीय थी वहाँकि इसमें ऐंड शूट प्रान्तों के आय के मट्ट एक दूसरे से पूर्ण रूप से अत्यन्त थे। परन्तु हिंसात बनाने तथा उसकी जाच करने हेतु आदि लेने के मामलों में प्रान्त बेन्द्र पर निर्भर थे।

इन मुपारों के पलस्वरूप बेन्द्र को १३६३ वरोड रूपये की घाट होने की सम्भावना थी। इस घाट को पूरा करने के लिए इस रिपोर्ट में यह सुभाव

दिया गया था कि प्रान्ती अत्यधिक समान्य बचत (Normal Surplus) के आधार पर बेंड को अरपान होना चाहिए। इसके पश्चात्परप कट्टात और समुक्त प्रान्ती पर प्रभाव ४०% करोड़ रुपये तथा ३७४ करोड़ रुपये बज़ार और बम्बई को ज्ञाता ६८ लाख रुपए तथा ३८ लाख रुपये देने पड़ेगे।

**मेस्टन परिनिर्णय (Meston Award)**— युद्ध प्रान्ती जैसे मद्दाय तथा संयुक्त प्रान्त ने इस दोषना वा दबा दिशेष दिया। इस वारेण प्रान्ती और बेंड के आधिक सम्बन्धों वी पूर्णत जीव बरते के लिए सरकार ने साईं मेस्टन (Lord Meston) की अधिकारी में एक रिप्रिवियुट दी। जीव के परचात यह समिति इस परिणाम पर पूछती कि सामान्य दबा के आधार पर अरपान होने से युद्ध प्रान्ती, जिन्होंने मुझ वाल में रिप्रिविया से नाम लिया, के साथ सम्बन्ध हो जायेगा। इसलिये इस समिति ने सुभाव दिया कि प्रान्ती वो अपनी दबी हैं लंबे बरते की शक्ति (Increased spending powers) के घनुसार अरपान होना चाहिये। दूसरे शब्दों में उनका बहुता था कि सुधारों के पश्चात्परप प्रान्ती की जितनी आप बड़ेगी उसके आधार पर ही प्रान्ती को अरपान होना चाहिये।

परन्तु मेस्टन के परिनिर्णय से भी स्थिति ये बोई दिशेप बदल नहीं हुई क्योंकि यह भी मद्दाय को कुल का १३% प्रतिशत, संयुक्त प्रान्त को १४% प्रतिशत देना था। इसके दिशेप बम्बई को बदल ५% प्रतिशत तथा बज़ार को ६% प्रतिशत देना था।

मेस्टन समिति ने यह राजीवार दिया कि उपर्युक्त अरपान न्याय उपर्युक्त नहीं है। इसलिए भविष्य के अरपानों के लिए उसने एक आदर्श आधार तयार किया जो कि प्रान्ती की बर देने पदवा अरपान होने वी योग्यता पर आधारित था। सुध मशोधन के साथ न्योक मशा ने इस सुभाव को मान लिया और भविष्य के लिए नियमितिन प्रामाणिक मरावान माने गये—

## प्रतीक

## अंशदाय का छन्दोगत

मद्दाय	१७/६०
बम्बई	१३/६०
बज़ार	१६/६०
संयुक्त प्रान्त	१८/६०
पंजाब	६/६०
इंडिया	६६/६०
मध्य प्रदेश और बरार	५/६०
पानाम	२१/६०
विहार और उठीका	युद्ध नहीं

यह भी निश्चय किया गया कि जड़ वेन्ट्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति मुश्यर आयोगी तो यह अस दान समाप्त कर दिये जायेंगे ।

इन मुश्यरों हारा प्रान्तों को इस बात का प्रधिकार दिया गया कि वह उपनी आय की प्रतिभूति (security) पर भारत अपवाह इज़्ज़तें से कहणे ले सकते हैं । भारत में कहणे लेने के लिये उनको गवर्नर-जनरल से तथा इज़्ज़तें ने कहणे लेने के लिए भारत मन्त्री से आज्ञा तेजी आवश्यक थी । कहणे वेतन उसी व्यव के लिए लिये जा सकते थे जो या तो चालू आय में से पूरा न हो सके और या उस कहणे से स्थायी जननहित राष्ट्रपति उत्पल होती हो । अधिष्ठ में प्रान्तों वे बजट वेन्ट्र देन्ड्र से अलग बनने लगे ।

यह आज्ञा वी जाती थी कि मुश्यरों के लागू हो जाने के पश्चात् प्रान्तों तथा केन्द्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति में कुछ मुश्यर होगा परन्तु युद्ध व्यय बढ़ने, गूल्मो के कहा होने, विनीयद दर के विरने तथा १९२० में वर्षा न होने के कारण स्थिति पहले से खाराब हो गई जिसके कारण निम्नलिखित बातें हुईं—

१ हीन बजट, २ एक बहुत भारी भयु वालीन कहण, ३ प्रस्तावी विनीयद दर, ४ मृदा सबट ।

इचकेर समिति (Inchcape Committee) यह सब बातें प्रान्तों द्वारा वेन्ट्र दीनों में हुईं । इन सब बातों के कारण भारतवर्ष की सांख विदेशी में बहुत गिर गई और उसको विदेशी से आर्थिक व्याज पर कहणे लेना पड़ा । सरकार ने नये कर लगाकर परिविति का हालाना करना चाहा परन्तु वह ऐसा करने में सफल न हो सकी । इसनिए सरकार ने इचकेप (Inchcape) समिति वी नियुक्त वी जिसने केन्द्रीय सरकार के घ्यम में १९२५ ब्योड रप्पे घटाने की तथा रक्षा व्यय की ५०% करोड रप्पे पर लाने वी सिफारिश भी । परन्तु जब इन बातों से भी त्यक्ति में बोई बदल न हुई तब सरकार ने नमक-कर की दुगना कर दिया जिसके कि हीन बजट बचत बाले बजट में बदल गया ।

इचकेप समिति के अधिकार इस बाल में वोर भी कहे आयोग और समितिया नियुक्त की गई जिनमें एकवर्ष समिति, भारतीय प्रशुल्क बोर्ड (Indian Tariff Board), भारतीय कर जाच समिति, हिटन ब्झ मायोग आदि मुख्य हैं । इन सब समितियों द्वारा आयोगी का उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति में मुश्यर करना था ।

१९२३ ई० के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति में कुछ मुश्यर हुए क्योंकि वर्षा के कारण फसलें छल्डी हो गई तथा धूरोप से भारतीय बस्तुओं की मांग बढ़ जाने के कारण हमारा व्यापार-प्राधिक्य हमारे पद्म में हो गया । उस

गम्य के द्वारा सरकार बोले यह प्रतीन हुआ कि मेस्ट्रेट परिनिर्णय के अन्तर्गत प्रान्ती को जो भ्रशदान केन्द्र को देना पड़ता है वह न्याय सज्जत नहीं है, इसलिए वह उसको उत्त समव तक बांध स करी रही जब तक कि सारा ग्रामीय भ्रशदान समाप्त न हो गया। इसके अतिरिक्त प्रान्ती की जहर सने की शक्ति को भी बढ़ा दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रान्ती ने सार्वजनिक जहर लेना आरम्भ किया परन्तु प्रान्ती को यह जहर उससे कहीं दर पर मिला जिस पर कि वह कल्पीय सरकार थे लेदे थे। इस लिए प्राती ने केन्द्रीय सरकार से ही जहर लेना आरम्भ किया। पान्तीय सरकार द्वारा लिये गए जहर को मुद्रावस्थित करने के लिए एक प्रान्तीय जहर (Provincial Loans Fund) चालू किया गया जिसमें से कि उनको बम व्याज पर जहर गिल जाता था। इसके प्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने यह भी घोषणा की कि बाद कोई प्रान्त किसी वर्ष में केन्द्र से अपने धन से अधिक सेंग तो उसको उस वर्ष के अन्त तक उस पर कोई व्याज न देना पड़ेगा पर वर्ष बीतने के पश्चात उससे व्याज भवद्य लिया जाएगा।

मेट्रन परिनिर्णय के विरुद्ध पान्ती की शिकायत—पान्तीय भ्रशदान के समाप्त करने पर भी प्रान्ती को मेस्ट्रेट परिनिर्णय से शिकायत बती रही। शिकायत करने वाले प्राती में से बगाल और बम्बई मुख्य थे। इन प्रान्ती का कहना था कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार का व्यय प्राय प्रति वर्ष रामान ही रहता है परन्तु इस के अधिकार में आप के ऐसे मद्द हैं जिन से अध्य बड़ता बढ़ती रहती है। इसके विपरीत वर्षपि प्रान्ती का व्यय आए वर्ष बढ़ता रहता है क्याकि उनके पास चार्जोंय विकास सम्बन्धी मद्द है परन्तु उनके आप के मद्द मालगुजारी तथा मद्दकर आदि है जिनकी आप प्रति वर्ष प्राय समान ही रहती है। आप बदने की बात तो दूर रही इनमें से मद्दकर से तो आप बदने की सम्भावना है क्योंकि लोगों को मान है कि मद्द नियेष किया जाए। ज़ज़लों से तब आप प्राप्त हो सकती है जब कि उन पर वहले पर्याप्त पूंजी वर्ष की जाए। इस प्रकार प्रान्ती के पास आप के जो मद्द हैं उन से आप बड़ने की सम्भावना बहुत कम है परन्तु उन का व्यय आपें दिन विधा, शहरों विकिता, प्रकार आदि पर बढ़ता रहता है।

प्रान्ती की यह भी शिकायत वी कि एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त में आप की दृष्टि से विषमता पाई जाती है। यह विषमता वर्ष वालों के कारण है जैसे सब प्राती का समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है, उनके आप के मद्द भिन्न हैं तथा प्रान्तीय भ्रशदान की समाप्ति पर कुछ प्रान्तों को दूसरों से अधिक लाभ हुआ है।

बगाल और बम्बई प्रान्तों का यह भी बहना था कि केन्द्रीय सरकार उन के द्वितीय समूह प्रभाव तथा गशात की भ्रेश्या अधिक आप प्राप्त करती है परन्तु उनको कोई विहंग सहायता नहीं करती।

व्यापारिक मंडी का प्रभाव—व्यापारिक मंडी के कारण बेन्द्रीय तथा प्राचीय सरकारों को दृढ़ी काठनाइया का सम्भव करना पड़ा। कृषि-वस्तुओं का मूल्य निरन्तर गिर रहा था जिसके कारण व्यापार तथा उद्योगों वी बड़ी बुरी हालत हुआ गई थी। इसके कारण रेलों की आय घट रही थी तथा आप-कर वी आय भी बहुत कम हो रही थी। जन-साधारण की क्षय कम्ति न म हो जाने पे कारण तथा गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के कारण विदेशी माल का आयात तथा निर्यात भी कम हो रहा था। इसलिए सीमा-कर की आय भी बहुत घट रही थी। इन सब बातों के कारण बेन्द्रीय सरकार यदि हीन बजट बना रही हो तो कोई आवश्यक की बात न थी। सरकार ने मित्र्यविता के प्राय सभी सम्भव साधनों को अपनाया परन्तु फिर भी स्थिति में कोई विशेष सुधार न हुआ।

प्रातों की हालत तो बेन्द्रीय से भी सराव हो गई। उनकी मर्ज, उत्तराइक-कर रखिस्ट्री हया स्टाम्प की आय बहुत घट गई। इसके अतिरिक्त उनको मालुगारी में भी छूट करनी पड़ी। भूचाल तथा याड़ प्रा जाने के कारण उनको बहुताया घन भी खर्च करना पड़ा। इन प्रकार उनकी आय बहुत घट गई थी और व्यय बहुत बढ़ गया था। प्रातों ने इस स्थिति का सम्भव करने के लिए बहुत से मित्र्यविता के साधन अपनाये तथा अपनी आय वो बदाने का प्रयत्न किया और अस्त में वह स्थिति पर कातू पाने में सफल हो गए।

इस बीच में बेन्द्रीय सरकार ने प्रातों की बैंडप्रकार से सहायता की जैसे उन्होंने १९३५-३६ में जूट उगाने वाले ग्रान्टों को जूट-कर का आधा भाग दे दिया। उसने बिहार के काल बीडितों की भी बहुत सहायता की। उसने चिछड़े हुए प्रान्तों को १९३५-३६ में सहवारी आन्दोलन वी उन्नति करो, सड़कें बनाने मादि के लिए भी सहायता की।

पांचवा पग—(१९३५ वा विदान तथा स्वान्त्र भारत का नया विधान)

१९३५-३६ के विधान के अनुसार अम के लोकों वी तीन व्येशियों में बाटा गया है—(अ) सशीय, (ब) सामी (Concurrent) तथा (स) प्रातीन।

(अ) संघीय स्रोत—इसमें मिलित सम्मिलित है—

- (१) आयात और निर्यात कर, (२) शोधविधियों तथा कुछ अन्य नियमों वालों को छोड़ कर भारत में तंगर हिसे बाते वाले मान पर उत्तराइक-कर,
- (३) कारपोरेशन कर, (४) नमन कर, (५) कृषि को छोड़ कर अन्य आय पर कर, (६) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्बन्धित कर, (७) उत्तराइक-विकास-कर (कृषि भूमि को छोड़ कर), (८) तानान अरकार्यालय आशार ददों पर स्टाम्प कर, (९) बायू तथा रेन मार्ग द्वारा भेजे जाने वाले तथा याकियों पर सीमा-कर, (१०) मुद्रा तथा यिनके बनाने पर होने वाली आय, (११) आव, दार,

टेलीफोन, बे तार वा तार, ड्राइकास्टिंग, (१२) रेल, (१३) समुद्र-तटीय जहाजों की आय, (१४) हवाई जहाजों से प्राप्त आय, (१५) अपील, (१६) तमाकू पर आदि ।

(च) सामग्री—इन में निम्नलिखित स्रोत सम्मिलित हैं —

(१) हवाई भूमि को छोड़ कर आय सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी वर (२) चैर्च, विल आदि पर मृशाक वर (३) मुसाफिया तथा माल पर सीमा कर (४) भाड़े तथा महसूल पर लगावे ग्रूप वर ।

उपर्युक्त वर सभ द्वारा लगाये तथा एकत्र निए जाते थे परन्तु प्रान्तों को इन में से कुछ भाग भिन्नता था ।

इनके प्रतिवित (१) आय-कर (कृषि आय-कर को छोड़ दर), (२) प्रातीय गूची के प्रत्यक्षत धाने वाली वस्तुओं को छाड़कर आन्ध्र बस्तुओं पर उत्पत्ति वर, (३) निर्यात कर, जट का निर्यात-वर आदि से होने वाली आय का सभ तथा प्रातीय में विभाजन हो जाता था किन्तु गव-सरकार नो यह अधिकार था कि वह अदि उस वरी आर्थिक रियलि अन्धी न हो प्रान्तों को बोई हिलान द ।

(स) प्रातीय—निम्नलिखित मह आय-वायरनारो के हाथ में थे —

(१) शाति और न्याय, (२) पुलिस (३) प्रान्तों का सार्वजनिक जलगृ, (४) प्रान्तीय पेशने, (५) चिकित्सा, (६) शिक्षा (७) सड़क पुल आयवा छोटी छोटी रेल, (८) गिरावंट, (९) हृषि, उत्तरी विद्या तथा अनुराधान, (१०) बन, (११) खाने तथा तेल के थोक, (१२) प्रान्तीय व्यापार (१३) उद्योगों की उन्नति (१४) भाग, चरण, गुलाम आदि मालक बस्तुएँ (१५) जूता, (१६) मालगुजारी उत्तरां लगानी तथा एकल करना, (१७) हृषि सम्पत्ति पर कर, (१८) भूमि तथा इमारतों पर कर, (१९) हृषि-भूमि वा उत्तराधिकारी वर (२०) सनिव पदार्थों के भविकार पर कर, (२१) पदुश्मो ठथा नावों पर कर, (२२) दिशी तथा विशालन पर, (२३) विलासिता, तथा मनोरञ्जन पर, (२४) प्रान्तीय स्टाम्प आदि ।

१६३५ १० में विधान दे द्वारा बैन्द्र तथा प्रान्तों को सार्वजनिक जलगृ लेने का अधिकार पहल से भी अधिक दिया गया था परन्तु सभीप सरकार की प्रान्ता विना प्रान्तीय सरकारें भारतवर्ष से बाहर सार्वजनिक जलगृ नहीं ले सकती थी । भारत मन्दी को अब भारत के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का बोई अधिकार न था । परन्तु कुछ ऐसी भीजे थी जिन पर विधान सभा नो अन्ती राय देने का अधिकार न था जैसे गवर्नर-कन्वर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायधीश आदि का देना । परन्तु इस विधान में गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल को यहूत अधिक भविनार दिए गए थे । इन भविनारों के कारण वह आय और व्यय के किसी भी मह पर प्राप्ति करके उठको नाम्बूर वर सकता था ।

**ओटो नीमियर रिपोर्ट (Otto Niemeyer Report)**—१९३५ई० के विधान की पारापो १३८ (१) और (२), १४०, (२) तथा १४२ के अन्तर्गत सरकार ने लिए यह ग्रावस्वक या किएवा विदाइद समिति (Expert Committee) नियुक्त की जाये जो कि यह सुझाव दे कि आयन्कर (हृषिकर के अतिरिक्त), जूट नियर्त-कर वा बटवारा वेन्ड्र और प्रान्तों में विस प्रकार किया जाये तथा प्रान्तों को और विस प्रकार की सहायता दी जाये। भारत मन्त्री ने सर ओटो नीमियर को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। सर ओटो नीमियर भारत में १९३६ई० की जनवरी में आये और तीन मास तक अच्छी प्रवाह द्वारा द्वारके एक एपोर्ट पेश की।

**रिपोर्ट-अपनी रिपोर्ट में सर ओटो नीमियर ने दो बातों को अपने सामने रखा।** पहली, भारत सरकार की आधिक स्थिति और साख पर कोई आधार न पढ़ते। दूसरी, प्रान्तों को ऐसी आर्थिक सहायता दी जाये जिससे कि प्रान्तीय स्व शासन की स्थापना के समय उनके पास पर्याप्त साधन रहें। सर ओटो नीमियर ने सबसे पहले यह महसूस किया कि वेन्ड्रीय सरकार प्रान्तों को अध्ययन करने की कोई आशा नहीं है। इस लिए वेन्ड्रीय सरकार प्रान्तों को कोई बड़ी अर्थ-सहायता नहीं दे सकती और न ही इस प्रकार वो अर्थ सहायता कुछ प्रान्तों के लिए आवश्यक ही है। ही कुछ प्रान्तों की आधिक स्थिति अवश्य ही लागत होने की आशाका है, इस लिए उनको कुछ सहायता देनी आवश्यक है जिससे कि उनको अपना बायं सचालन करने में कोई अडिनाई उपस्थित न हो। कुछ नए विराण विषय हूप तथा कुछ पुराने निर्धन प्रान्तों को इस प्रकार वो सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रख कर उन्होंने दो प्रकार की गोपनीयता देने का सुझाव दिया—(१) आर्थिक तथा (२) अन्तिम। आर्थिक सहायता गद्दारा, बम्बई तथा पञ्चाब प्रान्तों को एटोड कर दें तथा सभी प्रान्तों को दी गई। फिर भी मद्रास को कुछ सहायता इसलिये दी जाई क्योंकि उसमें से कुछ उडिया-भाषा घोलने वाला भाष्य अलग कर दिया गया था और बम्बई को इसलिये सहायता दी गई थी नयोंकि उसमें से सिध अलग कर दिया गया था। इस प्रकार बज्जाल को ७५ लाख, बिहार को २५ लाख, अर्थ प्रदेश को १५ लाख, पासाम को ४५ लाख, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त को १० लाख, उडीसा को ५० लाख, सिध को १०५ लाख तथा सद्युक्त प्रान्त को २५ लाख (पाल बर्यों तक) द्वारे वार्षिक दिए गये। सिध के अलग होने के कारण बम्बई को २० लाख रुपये वार्षिक दिए गये। सिध के अलग होने के कारण बम्बई को २० लाख रुपये वार्षिक दिए गये। इसके अतिरिक्त उडीसा तथा सिध को अमरा १६ लाख रुपया ए लाख रुपये की अनार्थी तहस्ता (Non-recurring grant) दी गई।

प्रान्तों वी सहायता करने के उन्होंने निम्नलिखित तीन छङ बताये—

(१) प्रान्तों द्वारा वेन्ड्र से लिये गये छहण को समाप्त करके—उन्होंने

सुझाव दिया हि बद्धाल, विहार, आसाम, उडीसा तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त का अप्रैल १९३६ वे पहने का सब तरण समाप्त भर दिया जाये। गध्य प्रदेश वा १९३६ ई० के पूर्वे वा तथा १९३१ ई० के पूर्व का दो घोष रपये का त्रण समाप्त भर दिया जाये। इस प्रकार पठ्ठे को समाप्त करने पर प्रातों की निम्नलिखित वार्षिक बचत होगी —

प्रान्त	वार्षिक बचत
बद्धाल	३३ लाख
विहार	२२ "
आसाम	१५½ "
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त	१२ "
उडीसा	६३ "
गध्य प्रदेश	१५ "

जट निर्यात-कर को थांट भर—जट देने वाले प्रान्तों को पहले ही जट निर्यात कर का ५० प्रतिशत भाग निः रहा था। घोटो नीमियर ने सुझाव दिया कि उनको ६२½ प्रतिशत दिया जाये। परन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने यह बताते स्थाट भर दी कि यह सहायता जट उत्पन्न करने वाले प्रान्तों को इसलिए नहीं दी जा रही है कि इस भर इन प्रान्तों का बोई वित्त ग्राहकीय अधिकार है भरन् इस लिए दी जा रही है वि उनको सहायता की आवश्यकता है।

(३) अर्थ-सहायता दे भर—इन दोनों प्रकार की सहायता के अतिरिक्त उन्होंने बुठ वार्षिक सहायता देने का भी सुझाव दिया। इस प्रकार समुक्त प्रान्त को (पांच वर्ष तक) २५ लाख, आसाम को ३० लाख, उडीसा को ४० लाख, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त को १०० लाख तथा सिंग को १०५ लाख रपये (जो १० वर्ष परचार भीरे भीरे कर दिये जायेंगे) देने का सुझाव दिया गया।

अन्तिम सहायता—हर घोटो नीमियर का दूसरे गहरे पूर्ण सुझाव आय-कर वित्तरण सम्भवी था। उनके सकार के ग्रनुहार आय-कर का ५० प्रतिशत भाग प्रातों को मिलना था। परन्तु आय-कर में कारोबारेशन भर समिलित न था। इस सुझाव के दैने समय घोटो नीमियर ने केन्द्र को प्रान्तों का आय भर ना सारा अथवा प्रारंभिक भाग पांच वर्ष तक उस दिविति में अपने पास रखने का अधिकार दिया जब तक कि ऐन्ड वा आय-कर का भाग तथा रेलो द्वारा केन्द्र को दिया गया साथ मिला कर १३ करोड़ रपये न हो जाये। उसमें आगे वार्ष वर्षों में केन्द्र प्रान्तों का अपने पास रखा हुआ आय-कर का भाग भीरे भीरे लीटाये गा। इस प्रकार प्रतीय स्व शासन के ११ वें वर्ष में प्रान्तों को अपने आय-कर का पूरा भाग निः रहेगा।

प्रान्तों में आवश्यक थोटने के लिए ओटो नीमियर ने इस घात को स्थान में रखा कि किसी प्रात से किनारा आवश्यक एकत्र किया जाता है तथा किस प्रात की वित्ती जनसहयोग है। इस प्रकार उसने हर प्रान्त को निम्नलिखित छङ्ग से आवश्यक थोटने का सुझाव दिया।

मद्रास १५ प्रतिशत, बम्बई २० प्रतिशत, बड़ाल २० प्रतिशत, मुक्त प्रौद्योगिक १५ प्रतिशत पवाव ८ प्रतिशत, विहार १० प्रतिशत, मध्य प्रदेश ५ प्रतिशत, आसाम २ प्रतिशत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त १ प्रतिशत, उडीसा २ प्रतिशत तथा सिंध २ प्रतिशत।

इन सब सुझावों को सरकार ने गान लिया।

### ओटो नीमियर रिपोर्ट पर एक दृष्टि

ओटो नीमियर परिनिर्णय से जोई भी प्रान्त सन्तुष्ट नहीं हुआ और उसने अपनी विश्वायत भारत सभी के साथ विवर कर भेजी। बम्बई प्रात का कहना था कि समयम २५ प्रतिशत आवश्यक बम्बई से ही एकत्र किया जाता है। इसलिए उसको आध के रेतों के आवार पर आवश्यक में से भाग मिला चाहिए। इसके अतिरिक्त बम्बई प्रान्त का यह भी कहा था कि यदि बड़ाल को जूट निर्यात कर से भाग पड़वाया जाता है तो किर उत्तरोकाशा-ट्रेर से ताम उत्तरोनी पड़वाया जाना। मद्रास प्रात का कहना था कि आवश्यक के विभाजन का आपार जनसंलग्न होना चाहिए और इस आपार पर उत्तरो २४ प्रतिशत भाग मिला चाहिए। विहार वा भी यही भर था कि आवश्यक का बटवारा जनसहयोग के आपार पर होना चाहिए। यह इसलिए अधिक आवश्यक ना भाग चाहता था बदोनि वह एवरो अधिक निर्यात करता था। सन्तुष्ट प्रात पा कहा था कि बम्बई तथा बड़ाल को आवश्यक का एक वर्ष भाग दिया जाए है और उनको भी अधिक भाग मिला चाहिए। इस प्रकार आप हर प्रान्त में किती जा सकती आपार पर अधिक भाग मानने का प्रयत्न किया। और क्योंकि ओटो नीमियर परिनिर्णय से सब असन्तुष्ट थे इसलिए यह वहा जा सकता है कि यह सब के लिए ठीक था।

यह बात सत्य है कि प्रान्तों द्वारा राष्ट्रविदास सम्बन्धी भूमि की सौपने के पारण आवश्यक भाग मिलना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह दावे भगता कि प्रान्तों को उनके आवश्यक का भाग देती की आर्थिक स्थिति सुधरने पर मिलेगा यहाँ दिविन है। यह बात भी सत्य है कि ओटो नीमियर ने आवश्यक का सभ आवश्यक प्रान्तों में बाटने वी सजाह दी थी। परन्तु इन सब बताए के दिपरीउ पह

भी कहा जा सकता है कि पश्चिम केन्द्रोदय सरकार का अप्राप्य स्थायी रहता है तो भी उस को देश की रक्षा करने, देश में शार्ट्स स्थापित करने, भारत की विदेशों में साथ बढ़ाने गादि के लिए अधिक धन की आवश्यकता है।

अब साहाय्य के कारबूझान्तों का हेठल बहुत बड़ मथा। यह सहायता प्रान्तों की प्रावश्यकता के आधार पर दी गई थी। इसके फल स्वरूप यो प्रान्त थानों, नित्यस्थी तथा सरकं ये उनको कम सहायता निसी और जो प्रान्त मिजूल सर्वं ये उनको आधिक सहायता दिती। अर्थ-नाहाय्य प्रान्तों मो बुठ अपौ तर नितो बाती थी। परन्तु उस समझ तक प्रान्तों की स्थायी हप से उत्तित करने की कोई आशा नहीं थी। इस परिणिर्णय में यह नहीं बताया गया था कि अर्थ-नाहाय्य के न मिलने पर प्रान्तों की आधिक स्थिति सुधारने का कौन सा ढ़द्द है।

एक भालोनक का यह भी कहना था कि प्रान्तों की आयनकर का भाग मिलने की आशा एक अधिकिय (Academic) आशा है। यह भाग उनको दस वर्षों के पश्चात मिलेगा। उस समय तक प्रान्त अपनी आधिक स्थिति का परिस्थिति के अनुसार समापोचन नहोंगे।

परन्तु इन सब भालोनाओं के होते हए भी यह बहुग उत्तित ही होगा कि ओटो नीमियर वा कार्प बड़ा बटिन था। यह सब प्रान्तों को अपने निर्णय से बंदै समुष्ट कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उन वा प्रान्तों वो अब साहाय्य उनकी आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर देना उचित ही या क्योंकि उस समय यह बात देखने की नहीं थी कि विस प्रान्त से भूतवाल में विस प्रकार की भीति से कान लिया थरन्, यह बात देखों की थी कि अविष्य में यह प्रान्त किस प्रकार गुजार हूँ से कार्प फर सवते हैं थोर यह कहना उचित ही है कि उनके निर्णय के फल स्वरूप प्रान्त और केन्द्र अपने सान्तुलित बजट बना सके।

महा पर यह बात बतानी अनुचित न होगी कि अब प्रान्तों में इस शारान चालू होने के पहले वर्ष (१९३७-३८) में ही बेंग्र और रेलों की आधिक स्थिति इतनी गुंधर गई तब प्रान्तों दो आयनकर का भाग भी मिलने लगा। इस प्रकार प्रान्तों मो उस वर्ष निम्नलिखित प्रभाव में घन मिला :—

बम्बई २५ लाख ८०, बंगलौर २५ लाख ८०, मद्रास १८७५ लाख ८०, संयुक्त प्रान्त १८७५ लाख ८०, बिहार-१२७० लाख ८०, वज्र १० लाख ८०, भृथ प्रदेश ६२५ लाख ८०, निय २४५० लाख ८०, उडीसा २५० लाख ८०, झारखं २४० लाख ८०, उत्तरी पश्चिमी सौमा प्रान्त १२५ लाख ८०—इस प्रकार कुल १२५ लाख ८० रुपये मिले।

ओटो नीमियर परिनिर्णय में पहला संशोधन (१९३८-४१)—द्वितीय विद्युत के छिड जाने पर बेन्द्रीय सरकार का रक्षा-अप्र बहुत अधिक बढ़ गया। जिसके

फलस्वरूप प्रातो और केस्टो में भाष्यकार का घटवारा करने के लिये रेलों की भाष्य से कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया। इसके प्रतिक्रिया बेन्द्र को यह प्रधिकार दिया गया कि प्रातीय भाष्यकार के भाग में से ११३८-४० से ले कर ११४१-४२ तक प्रति वर्ष ४० बरोड एवं घरने पात रख रहे। अगले तीन वर्षों के लिए भी इसी प्रबन्ध को बनायम रखा गया। परन्तु ११४६-४७ में बेन्द्र ने प्रान्तीय भाष्यकार के भाग में से ऐवज ३०५ बरोड एवं घरने पात रखे।

**दूसरा भौतिक (११४८)**—१५ अगस्त ११४७ ई० को देश का विभाजन हुआ। इसके फलस्वरूप तिथि और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त हमारे देश में से निकल गए तथा बज्ज़ाल तथा पजाब प्रातों का विभाजन हो गया। इस कारण यह आवश्यक हो गया कि प्रातों में भाष्यकार का भाग बाटने के लिए एक नई योजना बनाई जाए। यह योजना १७ मार्च ११४८ ई० को घोषित की गई। यह १५ अगस्त ११४७ ई० से लागू होने वाली थी और केवल ११४८-४८ तथा ११४८-४९ के लिए थी। इसके अनुसार विभाजित परिवर्तन किये गए।

(१) भविष्य में प्रातीय भाष्यकार का भाग विभाजित ढङ्ग के बाटने का नियम दिया गया—

बम्बई २१ प्रतिशत, पश्चिमी बज्ज़ाल १२ प्रतिशत, बढ़ाह १८ प्रतिशत, संयुक्त प्रात १६ प्रतिशत, विहार १३ प्रतिशत, पूर्वी पजाब ४ प्रतिशत, मध्य प्रदेश तथा बरार ६ प्रतिशत, प्रासाम ३ प्रतिशत, उठीहा ३ प्रतिशत।

(२) श्रोटो नीमियर परिनियंत्रण के अनुसार जूट उगाने वालों प्रातों को जूट निर्णात कर का ६२ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत भाष्य मिल रहा था। इस को घटा कर २० प्रतिशत कर दिया गया।

(३) केवल प्रासाम और उठीहा को वर्ष साहृदय दिया जाये गा। यह इस प्रकार होगा—

	प्रासाम	उठीहा
११४९-४८	१८ ७५ लाख	२५ लाख
११४८-४६	३० "	४० "

(४) भाष्यकार की विद्युद आव वा १ प्रतिशत चौक कमिस्टर के प्रान्तों को देने का नियम दिया गया।

प्रान्तों में भाष्यकार का भाग बाटने का आधार जन-संस्था रखा गया। इसके प्रान्तों ने बड़ा विरोध किया। बम्बई और बज्ज़ाल ने इसलिए आधिक भाग मारा बयोकि उन्हें धार्य कर कर आधिक भाग एकत्र किया जाता है। मद्रास का कहना था कि जब कि उसको श्रोटोनीमियर परिनियंत्रण के अनुसार संयुक्त प्रान्त के बराबर

मिलता या परन्तु नई योजना के भनुतार उसकी कग मिलता है। पवार का कहना था कि विभाजन का सबसे अधिक भार चारों ओर पड़ा है परन्तु फिर भी बड़ाना ना उसमें अधिक भाग दिया गया है। इस प्रवार नई योजना के कारण प्रान्तों की प्राप्ति दूरी फिर पैदा हो गई।

**सरकार समिति (The Sarkar Committee)**—योकि मार्च १९४८ की योजना केवल या वर्षों के लिए यो और विभाजन सभा तक इस नियंत्रण पर न पहुँची थी विशेष आयकर से भाग को किस प्रकार विभाजित किया जाये इसलिए सरकार ने भी एन० पार० सरकार वी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसमें कि वह इस सम्बन्ध में अपना सुझाव रख सके। यह समिति प्रान्तों की और अधिक भुक्ति हुई थी। इस कारण उसने सुझाव रखा कि प्रान्तों को आयकर में से ६० प्रतिशत विभाजित किया जाये और आयकर में कारोबारियत कर तथा केवल को हानि बाले बुध और साम भी समिलित किये जायें। परन्तु सरकार ने सरकार समिति के इन सुझावों को नहीं माना।

**तीसरा संशोधन (देश मुख परिनियंत्रण)**—मार्च १९४८ की योजना से प्रान्तीय सरकारों में बड़ा अपनाया गया। इसको कम करने के लिए सरकार ने थी देश मुख (जो आज कल हमारे वित्त भवी है) की अपने सुझाव इस सम्बन्ध में देने के लिए नियुक्त किया। देश मुख परिनियंत्रण केवल १९५०-५१ और १९५१-५२ के लिए ही या और पूर्व रूप में लागू होने वाला था।

#### देश मुख परिनियंत्रण नियन्त्रित दृष्टि पर था —

**आयकर का विभाजन**—आयकर के विभाजन में देश मुख ने उसी पद्धति भी अपनाया जो कि सर थोटो नीमियर ने अपनाई थी। इस प्रवार उसने प्रान्तों को नियमालिपि दृष्टि पर आयकर वाटने का गुभाव दिया —

बम्बई २१ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश (हमुलन शता) १८ प्रतिशत, बांग्ला १७ ५ प्रतिशत, एशियाई बड़ाल १३ ५ प्रतिशत, विहार १२ ५ प्रतिशत, मध्य प्रदेश ६ प्रतिशत, पूर्वी पंजाब ५ ५ प्रतिशत, आसाम ३ प्रतिशत, उडीता ३ प्रतिशत।

**जूट नियंत्रण कर**—एवं विभाजन के अनुसार जूट नियंत्रण कर पूर्ण रूप से केन्द्रीय गरकार के आधीन है। परन्तु जूट उगाने वाले प्रान्तों को बुध समय के लिए आयिक महायाता दी जा सकती है। इसलिए देश मुख साहब ने जूट उगाने वाले प्रान्तों को नियमालिपि महायाता देने का गुभाव दिया —

पौर्खमी बड़ाल १०५ लाख रुपये, आसाम ४८ लाख रुपये, विहार ३५ लाख रुपये तथा उडीता ५ लाख रुपये।

**देश मुख परिनियंत्रण की आहोचना**—इस परिनियंत्रण का देश में कोई विशेष व्यापत नहीं है। कोई भी प्रान्त इससे सुपुष्ट न या। बम्बई, परिचमी बड़ाल

मन्द्राल, दिहार आदि ने इसकी बड़ी आलोचना की। यह बात बतानी आवश्यक है कि श्री देव मुख का कार्य विवरण सम्बन्धी किसी विशेष सिद्धान्त का निश्चय नहीं नहीं था। उनका उद्देश्य विभाजन के पश्चात होने वाली गडबड़ी के कारण बच हुए अतिरिक्त कोष का उचित वितरण करना था। उसे अतिरिक्त इस सम्बन्ध में यदि विशेष परिवर्तन किय जाते तो देश के आधिक सत्रुत्व के किंगड़ने का काफ़ी भय था। इसलिए इस निर्णय को विशेष दाप पूर्ण नहीं छहराया जा सकता।

**वित्तीय आयोग (The Finance Commission)**—मारतीय भविधान की घारा २८० वे अनुसार राष्ट्रपति ने १९५२ में एक वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जिसने अपने मुफ़्तन करवाई १९५२ में दिय। यह सुभाव निम्नलिखित है—

**आय कर**—इम आयोग के मुकाबो के अनुसार भविष्य में राज्यों को आय कर वा ५५ प्रतिशत भाग बाटा जायेग। इसमें से २० प्रतिशत इम आधार पर बाँटा जायेगा कि यिहाँ आय विरुद्ध राज्य में हुई है और ८० प्रतिशत जन-भरप्ता के आधार पर बाटा जायेगा। इस प्रकार प्रान्तों को निम्नलिखित ढंग से आय कर वा भाग मिलेगा—

राज्य	प्राय-न्यर वा प्रतिशत	राज्य	प्राय-न्यर वा प्रतिशत
बम्बई	१७ ५०	राजस्थान	३ ५०
उत्तर प्रदेश	१५ ७५	पंजाब	३ २५
मद्रास	१५ २५	द्रावन्द्वी-कोनीग	२ ५०
पश्चिमी बङ्गाल	११ २५	शासाम	२ २५
बिहार	६ ७५	मेसूर	२ २५
मध्य प्रदेश	५ २५	मध्य भारत	१ ७५
हैदराबाद	४ ५०	सौराष्ट्र	१ ००
उडीया	३ ५०	यैमू	० ७५
		तृतीय संघ के राज्य	२ ७५

**संघीय उत्पादक घर—तम्बाहू**, दियासलाई तथा बनस्पति पर प्राप्त विए हुए उत्पादक कर का ५० प्रतिशत राज्यों में डनकी जन रास्ता के आधार पर विनाशित किया जायेगा।

**जूट नियोन-घर**—जूट नियोन घर में से जूट उगाने वाले यज्ञा को धर्म-लिखित सहायता दी जायेगी—

पश्चिमी बङ्गाल ४५० लाख रुपये, भासाम ७५५  
रुपये उडीमा १५ लाख रुपये । नदी, बिहार ७५ लाख

**सहायक अनुदान**—विभीषण आयोग ने कई प्रकार के अनुदानों के देने का भी सुझाव रखा है। यह अनुदान साधनों की कमी की लिए देने, विकास याज्ञिकाना में गहायना देने तथा दूसरे कामों के लिए जायें। विभीषण आयोग के विचार में भासाम, उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश नूबाड, राजस्थान, मध्य भारत तथा अमृ को सहायक अनुदान की ओर आवश्यकता है। पश्चिमी बङ्गाल, उडीमा तथा झोराट की सीमान्त स्थिति है और उनको प्रति-५० लाख रुपये, ७५ लाख रुपये तथा ४० लाख रुपये दिए जाने चाहिए। पश्चिमी भासाम की अवश्य ही सहायता की आवश्यकता है और उनको अमृ १२५ करोड़ रुपये तक १ करोड़ रुपये दिये जाने चाहिए। मैंपूर तथा कोचीन-द्वाबनकोर को अमृ ४० लाख रुपये तथा ४५ लाख रुपये की सहायता अपनी उन्नति काम में लिए दी जानी चाहिए।

**शिल्प अनुदान**—कुछ राज्यों को प्रारम्भिक विधान के प्रसार के लिए भी अनुदान दिये जायें। यह चार वर्षों के लिए होंगे। १९५३-५४ के अनुशान इस प्रकार होंगे—

बिहार	४१ लाख रुपये	उडीमा	१६ लाख रुपये
मध्य प्रदेश	२५ " "	पश्चिम	१४ " "
हैदराबाद	२० " "	मध्य भारत	६ " "
राजस्थान	२० " "	देहू	५ " "

इस प्रकार विभीषण भाषीय के सुभाषों के कलहप राज्यों की आय इस प्रकार बढ़ जाएगी।

पश्चिमी बङ्गाल २०० करोड़ रुपये	मध्यात २४४ करोड़ रुपये
भासाम १३४ " "	उत्तरप्रदेश २८२ " "
बिहार २०० " "	

परन्तु बम्बई को ३५ लाख रुपये का घाटा होगा।

**आलोचनायें**—विभीषण भाषीय के सुभाषों के विश्व निम्नलिखित आलोचनायें की गई हैं—

(१) आय-कर को आय के स्रोत के अनुमार बाटना नाहिए। इस प्रकार बङ्गाल और बम्बई को आय-कर का प्रधिक भाग मिलना चाहिए।

मंग्राम, दिहार आदि ने इसके उपभोग के अनुसार प्रत्येक राज्य में भिन्न है। इसनिए विश्व श्री देश मुख का निर्भर तथा आय के अनुसार बाटना चाहिए।

नहीं था। उनका उद्देश्य अनुदानों के कारण राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना परेगा अतिरिक्त कोष का उचानीय लिंगात् वे विश्व हैं।

विश्व परिवतन, स्तविक सधानीय शासन में आय के ऐसे महत्विक कावेन्द्र तथा इसलिए इस बारा होता है कम से कम होने चाहिए। परन्तु नई गढ़ति के अनुसार जा रहे हैं।

की ३ नवे विधान के अनुसार आय के स्रोतों का वटवारा—नवे विधान में नियम के स्रोतों का वटवारा उसी ढङ्ग से किया गया है जिस ढङ्ग पर कि १६३५ हॉ के एकट में था। यह भी तीन घलग घलग तालिकाएँ हैं—संघीय, राज्य तथा मण्डपी। कानून बनाने का अवशिष्ट अधिकार लोक सभा को है। नवे विधान में कठोर क वटवारे के सम्बन्ध में कुछ बदल हो गई है। राज्यों को विद्री कर लगाने वा ता अधिकार है परन्तु केन्द्रीय सरकार को वह दाखिल है कि वह प्रत्येक राज्य में विश्वीकर का समान ढाका बनाने के लिए आवश्यक आदेश दे सकती है। राज्य सरकार उन चीजों पर दिव्री-कर नहीं लगा सकती औ उस राज्य के बाहर खिपती है अथवा जा भारत के विदेशी व्यापार से सम्बन्धित है प्रथमा जो लोक सभा ने आवश्यक अनुदान घोषित कर दी है। संघीय शासन अब पत्रों के भव्य तथा विक्रय पर कर लगा सकता है परन्तु इस प्रकार एकत्र किया गया अनु वह राज्यों का बाट दता है। गङ्गा राज्य का आय-कर का एक भाग देया। लोक सभा यदि चाहे तो वह यह लियम बना भड़ती है कि किसी भी उत्पादक-कर का धन संघीय शासन एकत्र करेगा परन्तु इस से प्राप्त धन राज्य को दिया जायेगा। लोकसभा दो पह भी अधिकार दिया गया है कि वह अपने नाम के लिए कारा पर अधिनार (Surcharge) लगा दे। अधिव्य में जूट उपाने वाले आन्ता का जूट निर्धारित कर में से कोई भाग नहीं मिलेगा पर उनको दस दर्पण तक अथवा अब तक कि जूट निर्धारित कर लगेगा (इन दोनों में जो भी वहूं हो) अनुदान मिलेगा। यदि लोक सभा यह देखती है कि किसी राज्य को अनुदान की आवश्यकता है तो उनको अनुदान दिया जायेगा। राज्यों को उस स्वीकृत विवाद योजनाओं के लिए भी अनुदान दिये जायेंगे जिससे कि सामाजिक हिंसे वी वृद्धि होती है।

ऋण लेने की समिति पहले के समान ही। केन्द्र भारत की समिति निधि (Consolidated Fund of India) की घरोहर पर ऋण ले सकता है। राज्य प्रपनी समिति भी घरोहर पर भारतवर्ष से ऋण ले सकते हैं। भारत सरकार किसी राज्य को या तो ऋण दे सकती है या उसके ऋण वी गारन्टी दे सकती है।

विधान में दो वर्ष के भीतर ही एक वित्तीय आपोग नियुक्त करने का आयोजन है। इसके पश्चात वह हर पाँचवे वर्ष भविता यदि राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले ही बैठाया जायेगा। यह आयोग निम्नलिखित बातों पर अपना भर प्रणाल करेगा।

(१) सभ और राज्यों में स्थान-कर के बदलारे की विधि तथा वह ढंग जिस से राज्यों को अपना भाग प्राप्त हो सके।

(२) भारत वी योजित निधि में से राज्यों को भनुदान देने के सिद्धात।

(३) भारत सरकार तथा 'ब' ऐंटो के राज्यों में हुए समझौते को बालू रखा जाये भविता उसमें कोई बदल वी जाये। जैसा उन्न बताया जा चुका है यह आयोग नियुक्त किया गया था और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के सामने पेश हो चुकी है और उस पर कार्य होना भी आरम्भ हो गया है।

इस प्रकार नये विधान के मन्त्रालय राज्यों की स्थिति पहले से भी बदल हो गई है। उनको आय करना ६० प्रतिशत आय जो वि वह सामा करते थे नही मिला बरू बेबल ५५ प्रतिशत मिला है। इसके अतिरिक्त बूट उन्नाने वाले राज्यों वी जूट नियर्त वर का कोई भी भाग न मिल कर बेबल बोडा भनुदान ही मिलेगा और वह भी इस वर्ष से अधिक नही मिलेगा। वित्ती कर पर कुछ पारन्दियां लग जाने के कारण कुछ राज्यों को बड़ी हानि हुई है। उनमें बम्बई, मद्रास, भृष्ट प्रदेश, विहार आदि हैं। कुछ कर जैसे उत्तराधिकारी कर, माल तथा यात्रियों आदि वे रेल हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि में यात्रा करने पर लगा हुआ सीधा-कर (Terminal Tax), असाधारो के व्यविकल्प पर कर आदि को सभ सरकार लगायेंगी तथा उससे प्राप्त आय को राज्यों में बाटा जा सकता है। परन्तु इस आय के मिलने की कम प्राप्त है। इस प्रकार राज्यों की आयिक स्थिति पहले से सराब हो गई है। उनके हाथ में आय के जो मह है उनसे प्राप्त आय प्राप्त निश्चित रहती है परन्तु व्यय के मह ऐसे हैं जिन पर व्यय प्रति वर्ष बदलता जाता है। इस बदले प्राप्ता को कठिनाई नये विधान में घटने के बदले बढ़ गई है।

### सभ सरकार आय के कुछ मुख्य स्रोत

**आय-कर (Income Tax)**—भारतवर्ष मध्य-कर का महत्व निरतर बढ़ता जा रहा है। यह वर सब से पहले १८६० ई० में लगाया गया था। उस समय यह कर-कृषि तथा गैर-कृषि दोनों प्रकार की आय पर लगाया गया था। परन्तु यह कर थोड़े ही समय रहा और १८६५ ई० में इस को छोड़ दिया गया। १८६७ ई० में सब दोनों तथा व्यापारो (कृषि सहित) पर एक भनुगान्त-कर (Licence Tax) लगाया गया। परन्तु इसको १८७३ ई० में किर समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात १८७३ ई० में इसको फिर से चालू किया गया। १८८६ ई० में पुराना भनुगान्त-कर समाप्त आय कर में बदल दिया

गया। इस प्रकार इस समय से भारतीय कर-पद्धति में आय-कर एक स्थायी आय का साधन बन गया है।

१६१४ ई० से पूर्व आय-कर की दरें नीची थीं और वर से प्राप्त आय भी कम थी। परन्तु १६१६ में कर की दर बढ़ा वर आय बढ़ाने का प्रयत्न किया गया और १६१७ ई० में ५०,००० रु० से अधिक आय पर अधिक कर (Super tax) भी लगाया गया और १६१८ में अतिरिक्त लाभ कर (Excess Profits Tax) लगा दिया गया।

१६२२ ई० में एक भारतीय आय-कर एकट पास किया गया। इस एकट में समय समय पर बहुत से सशीधन किये गये। १६३६ ई० में आय-कर (सदोषन) एकट पास किया गया। इस एकट के प्रनुभार भारत में 'स्टैप लिस्टम' के स्थान पर 'स्लैब लिस्टम' चालू कर दिया गया है। वहनी पद्धति के प्रनुभार एक प्रकार की सब आय पर कर की एक ही दर लगाती थी परन्तु अब उसी आय के विभिन्न विभाग किये जाते हैं और उन विभागों की ओर कर-दर निश्चित है उसके प्रनुभार हर विभाग पर कर लगा कर सारी आय वा कर भार निश्चित किया जाता है।

द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के कारण वर की दरी में बहुत से परिवर्तन किये गए। मार्च १६४० में अतिरिक्त आयकर लगाया गया। इनके प्रनुभार, ३०,००० रुपये से अधिक भ्रष्टाचार पर ५० प्रतिशत वर लगाया गया। १६४१ में इसको बढ़ा कर ६५ तु प्रतिशत कर दिया गया। १६४० के एक प्रनुपूरक वित्तीय एकट के प्रनुभार सब आय-करों (जिनमें अधिकर तथा कारपोरेशन कर भी सम्मिलित थे) पर २५ प्रतिशत के हिसाब से एक अधिभार (Surcharge) के बल केन्द्रीय भरकार के लिए लगाया गया। १६४१ ई० में इस को बढ़ा कर ३३ तु प्रतिशत कर दिया गया। १६४२ के एक एकट के प्रनुभार अतिरिक्त-लाभ कर का ३ तु भाग लटकार के पास रखना पड़ना था। १६४४ ई० में इस को १६४४ से बढ़ा दिया गया। १६४६ में इस कर को समाप्त वर दिया गया। १६४५ ई० से अर्जित आय (Earned income) तथा अनार्जित आय में भेद कर दिया गया है। यदि कोई मनुष्य किसी आय को प्राप्तने प्रतिरिक्त परिशम के हाथ प्राप्त करता है तो उस को आय के १/५ पर कोई कर नहीं देना पड़ता। कर की पहली छठूँ ४००० रुए से अधिक नहीं हो सकती।

भारतीय आय-कर-पद्धति वी विशेषताएँ—भारतीय आय-कर पद्धति के लीन भाग हैं—व्यक्तिगत आय पर कर, अधि कर तथा कारपोरेशन-वर। व्यक्तिगत आय में कर लगाए जाने वाले वर्ष से पहले के वर्ष वी प्राप्त आय सम्मिलि वी जाती है जाहे वह स्वयंकित वरिशम से प्राप्त वी गई हो अथवा व्यापार से इधर और विसी शौत में। एक न्यूनतम सीमा में नीचे (जो १६५३ में ४२०० रुपये थी) कोई

कर नहीं सकाया जाता। सामूहिक परिवार पर उसी छूट से बरलगाया जाता है जिस प्रकार कि व्यक्ति पर, सामूहिक परिवार की छूट की न्यूयर्कतम सीमा दुष्ट अधिक हाती है। आजकल वह ₹५०० रुपए थी। जिन लोगों पर वह लगते वाला है उन दो अपनी आय का एक विवरण प्रपत्त हूँके के आय-कर अधिकारी के पास भेजता पड़ता है। कर लगाते ममय व्यक्ति की स्थी नथा छोड़े बच्चों की आय को व्यक्ति वी आय म निमित्त बर लिया जाता है। आय पर कर सीव सिस्टम पर लगाया जाता है। जीवन कीमे तथा भविष्य नियि (Provident Fund)के हर में दिवे गए रुपए पर कोई बर नहीं लगाय जाता। परन्तु इस प्रकार की छूट आय वे १/६ अथवा ₹००० रुपए (इन दोनों में से जो भी कम हो) ने अधिक नहीं दी जा सकती। अर्जित आय पर भी १/५ अथवा ₹००० रुपए (इन दोनों में जो भी कम हो) की छूट दी जाती है। कमानिया के ऊपर व्यक्तियों से अधिक दर पर बर लगाया जाता है और उनको सारी आय पर कर देना पड़ता है। उनको अधिकार भी देना पड़ता है।

१९४७ ई० में एक लाभ से प्रधिक के व्यापारिक लाभ पर १६२ प्रतिशत व्यापारिक लाभ कर (Business Profits Tax) लगाया गया। इसका बड़ा विरोध किया गया। १९४७ में इस कर की दर को कम कर दिया गया और १९५० में दमको समाप्त कर दिया गया।

१९४७ ई० में ₹५००० रुपये से अधिक लाभ पर जो कि पूँजी सम्पत्ति को बेच बर प्राप्त किया गया हो एक खुँजी-नाम-कर (Capital Gains Tax) लगाया गया। परन्तु इस कर का विनियोजन (Investments) पर बहुत दुरा प्रभाव पड़ा। इसकी इस कर को १६८ है ई० में समाप्त बर दिया गया।

मार्तीय आय-कर पद्धति के दोष— इस पद्धति में निम्नलिखित दोष पाह जाते हैं—

(१) छूट देने की न्यूनतम सीमा अभी तक बम है।

(२) कर लगाते समय यह नहीं देरा जाना कि कर-दाता के परिवार में वितने व्यक्ति है। सब लोगों पर चाहे उनका परिवार छोटा हो अथवा बड़ा एक ही दर पर बर लगाया जाता है।

(३) जो पुछ ही नहीं पूँवं तक इपि आय पर कोई कर नहीं लगाया जाता था और अब भी क्योंकि इस कर को राज्य सरकारे लगाती है इसकी इस कर भी सब यज्यों में समान दर नहीं है।

(४) बड़ी बड़ी आयों पर दिवेशी की घेताव बर-भार अधिक है जिसके पारण बचत बम होती है तथा विनियोजन भी कम होते हैं।

(५) हमारे देश में बहुत से लोग कर से बच जाते हैं। आद्यन्करन्जन-

आयोग १९४९ (Income-Tax Investigation Commission 1949) के अनुसार भारत में हरी हड्डी आय जिप पर बर लगाया जा सकता है १००० रुपये है।

**कारपोरेशन पर (Corporation Tax)**—यह बर संयुक्त स्कॉप प्रमणलो (Joint Stock Companies) पर इसलिये लगता है क्योंकि उनको राज्य की ओर से कुछ ऐसी सुविधायें मिली हड्डी होती है जिनके कारण वह अपना कार्य सुचाल रूप में लगा सकते हैं तो से यह प्रमणल का नाम रख कर उस नाम से व्यापार बर मक्त है इस नाम से वह न्यायालय में अपने अधिकारी के विषद्द मुकदमा दायर कर सकते हैं, वह जनता से रुपया एकत्र कर सकते हैं, वह सार्वजनिक सठकों, गाड़ियों आदि अपने प्रबोध में लगा सकते हैं आदि। कारपोरेशन कर में बोई न्यूनतम छूट नहीं दी जाती बरन् वह सारी आय पर एक ही दर पर लगाय जाता है।

१९३६ ई० से पूर्व कारपोरेशन कर के स्थान पर अधिभार (Super Tax) दबद का प्रयोग किया जाता था और यह व्यक्तियों के समान ५०,००० रुपये से अधिक आय पर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रमणलो को व्यक्तियों के समान कर भी देना पड़ता था। परन्तु भारतीय कर जात्य समिति के अनुसार "अधिभार जो प्रमणलो की आय पर लगाया जाता है बाहर कर नहीं है, बरन् एवं कारपोरेशन लाभ कर है।" इस कारण वह आवश्यक हो गया कि प्रमणलो की आय पर बढ़ मान रीति से कर न लगाया जाए तथा उनको कोई न्यूनतम छूट न दी जाय। १९३६ ई० की भारतीय आय-कर जात्य समिति ने इन दोनों बातों के दावाएँ म मुझाव दिये। इसलिए १९३६ ई० के पश्चात भारतीय कर (संकोषन) एट में इन दोनों दोषों को दूर कर दिया गया। इस प्रकार आजकल प्रमणलो के सभी पर बोई छूट नहीं दी जाती और १९५३-५४ की आय करों की दर में प्रत्येक प्रमणल पर २% आने प्रति रुपया कारपोरेशन कर लगाया जाता है।

**उत्तराधिकारी अद्यता मृत्यु अद्यता सम्पदा कर (Inheritance Tax or Death Duties or Property Tax)**—उत्तराधिकारी अपवाह मृत्यु अद्यता अपदान कर आय पर न लगा कर सम्पत्ति पर लगाया जाता है। वह एक पुराता कर है। कहते हैं कि इसा में ७०० रुपये मिल में बह कर लगाया गया था। उसके पश्चात यह कर पूनान में भी लगाया गया। उसके पश्चात भी यह दिसी न किसी रूप में लगाया जाता रहा। १४वीं शताब्दी के अन्त में इसको इटली और जर्मनी में लगाया गया। १७वीं शताब्दी में इसको इफ्रेंस्ट, फ्रान्स, स्पेन, पुर्तगाल, हालेंड, आदि देशों ने मामूली दरों से लगाया। संयुक्त राष्ट्र में यह १९वीं शताब्दी में लगाना आरम्भ हुआ।

भारतवर्ष में मुख्य बाल में जब किसी सूची का गवनर मर जाता या नो उम

भ्रमय उगकी गम्पनि को बादशाह ने भेता था। इस पकार मरकार को बड़ी आद हो जाती थी। परन्तु प्रपेंजी शासन में इस कर को नहीं लगाया गया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात जब सरकार द्वारा रूपये की आवश्यकता पड़ी तब उसको मूल्य कर लगाने का नियम दिया गया परन्तु सरकार ने उगकी न गाना। परन्तु १८८६ ई० से सरकार ने रिक्त पत्र-प्रमाण-कार (Probate duty) लगाया जो कि उम समय निया जाता था जबकि विभी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति उन्नाराधिकार में मिलती थी। इतीमध्य महायुद्ध में भी इस कर को लगाने की बात छिड़ी परन्तु कुछ नोटों वे विरोध वे कारण यह न लगाया जा सका। अन्त में थी लियाकत अमीर ने १८४७-४८ में इस कर को लगाने की बात कही और उम समय इस पर विचार करने के लिये एक प्रबार ममिति (Select Committee) बैठाई गई। इस समिति द्वारा शशान्त १८८७ में प्राप्त हुई परन्तु देश के विभाजन वे कारण इस पर काई विचार न किया गया। इसके पश्चात १८४८-४९ में इस सम्बन्ध में एक विष नेश पिया गया और वह किर एक प्रबार ममिति द्वारा सौप पिया गया जिसकी रिपोर्ट मार्च १८४९ ई० में प्राप्त हुई। परन्तु फिर भी कुछ समय तक इस विष के बानून का स्पष्ट न दिया जा सका। अन्त में नवम्बर १८५२ में थी देशमुख ने किर एक गम्पदा किया पेश किया जिसको एक प्रबार ममिति द्वारा सौप दिया गया। इस समिति द्वारा शिपोर्ट प्राप्त होने पर अब में यह किन पास हो गया और १५ अक्टूबर १८५३ ई० में यह सामूहिक दिया गया।

इससे पहले कि हम भारतीय सम्पदा कर की मूल्य बाने बतायें हम यह आवश्यक समझते हैं कि इसके गुण व ग्रव्यमुण्डों पर विचार करते हैं।

सम्पदा कर के अवगुण—देशके नियन्त्रित प्रबालुए बनाये जाते हैं—

(१) दित परिवार में थोड़े २ समय पश्चात मूल्य वे कारण सम्पत्ति दीप्ती हाथों वो बदलती रहती है उत परिवार पर इसका भार दूसरे उत परिवार से परिषक पड़ता है जिसमें मूल्य दैर में होती है। यह तर्क ग्राम स्मित द्वारा दिया गया है और इसका प्रो० धीरजन ने समर्वन दिया है। इह अन्याय के दूर करने के लिए बानून में ऐसा प्रबन्ध भर दिया जाता है जिससे कि उम परिवार को जिसमें कि मूल्य शीघ्र होती रहती है कम कर देना पड़े।

(२) मूल्य ग्रव्यवा सम्पदा कर लगाते समय यह बाढ़ नहीं देखी जाती कि प्रोई सम्पत्ति इस प्रकार प्राप्त की गई है। कुछ सम्पत्तियाँ तो ऐसी होती हैं जो आसानी से घरीद ली जाती हैं परन्तु कुछ को प्राप्त करने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। पर सम्पदा कर दोनों पर एकसा लगाया जाता है।

(३) सम्पत्ति वा मूल्य उम समय लगाया जाता है जबकि मूल्य होती है। यह मनुचित है यदोंकि भद्रों वे समय सम्पत्ति का मूल्य कम होता है परन्तु तेज़ी के

समय उसी सम्पत्ति का मूल्य अधिक होता है। इसनिए मर्दी के समव कम सम्पदा कर देना पड़ता है और लेडी के समय अधिक। परन्तु यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस बर का भार देखते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने कितने रुपये बर के हथ में दिये हैं बरन् यह देखना चाहिए कि उन रुपयों का बास्तविक मूल्य क्या है? और यदि कर का इस प्रकार विचार किया जायेगा तो उपर्युक्त श्रापणि समाप्त हो जायेगी।

(४) इस बर की दर समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए एक से मूल्य वाली सम्पत्तियों पर विभिन्न समयापर विभिन्न कर भार पड़ता है, यह प्रमुखिन है। परन्तु यह तर्क मृत्यु कर के विष्ट नहीं बरन् उस कर की दर में समय समय पर होने वाले परिवर्तन के विश्व हैं। सब करों की दरों में इसी प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं।

(५) इरा कर के विश्व यह भी तक दिया जाता है कि इसके लगाने के कारण पूँजी के सचय करने में बाधा उत्पन्न होती है। इस लिए देश के उद्योग धन्धे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परन्तु यह तर्क भी गलत है यद्योऽकि उत्तराधिकारी जो सम्पत्ति श्राप्त करता है उसके बचाने की इच्छा पर इरा कर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता यद्योऽकि उसको वह स्वयं नहीं बचाता बरन् उसके लिये दूसरा व्यक्ति बचाता है और यह दूसरा व्यक्ति बचाते समय यह नहीं देखना कि बचाई हुई सम्पत्ति का कितना भाग उसके उत्तराधिकारी को खिलता है तो वह इसका बीमा कर इसके करन्भार को बहुत से जर्णों पर फैला सकता है। इसके अतिरिक्त सम्पदा बर में जो धन सरकार दो प्राप्त होता है उसको सरकार बहुत से उद्योगों पर खर्च करती है। इस प्रकार इस बर से देश की पूँजी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। भी देशमुख ने सम्पदा विम को पैश करते समय यह बताया था कि लगभग ४० देशों का यह अनुभव है कि इस बर के कारण पूँजी का सचय कम नहीं होता।

गुण—इरा कर के निम्नलिखित गुण बराए जाते हैं—

(१) अत्यन्त-कर लगाते समय यह नहीं देखा जाता कि कोई आय मुरक्कित स्रोत से प्राप्त की गई है अथवा अमुरक्कित स्रोत से। यह अन्याय सम्पदा बर में दूर हो जाता है यद्योऽकि मुरक्कित स्रोत से आय प्राप्त बरने वालों की सम्पत्ति दूसरों वी प्रेषणा अधिक होगी और उनको अधिक कर देना पड़ेगा।

(२) आय कर न तो इस बात की ओर ध्यान देता है वि किसी व्यक्ति वी सम्पत्ति में कितनी बृद्धि हुई है और न इस बात का वि किसी व्यक्ति वो किसी

मन्त्रिति में विनामी उपगोगिता अधिकार सतीष प्राप्त होता है। परन्तु सम्पदा कर से कुछ भीमा तक यह भी दौष दूर जाता है।

(३) सम्पदा बिंद का समर्थन करते हुए श्री गाडगिल ने कहा, 'इच्छा शक्ति पौर पद का मार्ग है। इस द्वार द्वे नट कर देना चाहिये और विषयता को मध्यभे बही जिमीदारी उनगणिकार की प्रधा पर है।' आगे जब कर उन्होंने वहाँ वि भ्राय-कर और सम्पदा कर एवं दूसरे दे भक्षण करते हैं। आत्म कर से नोए बन सकते हैं परन्तु इसको उचित हथ में सापाने पर बचना कठिन है। इससे पश्चात् उन्होंने वहाँ वि यज्ञ कर पूँछी पर एक खोट है और इस खूबी तथा व्यक्तिगत साहम को समाप्त करना चाहत है। इसका कारण यह है वि जित व्यक्तित्वों के हाथ में पूँछी होनी है अन्त में उन्हीं का भरकार पर विषयता होता है। उन्होंने आगे कहा दि ट्रेका 'यक्तिगत प्रमण्डलों पर ही प्रभाव पड़ेगा शार्दूलिक प्रमण्डलों पर चोई प्रभाव न पड़ेगा। इस हानि के कारण व्यक्तिगत प्रमण्डल मार्वर्तिक प्रमण्डलों में बदल नादेंगे। इसके पश्चात् उन्होंने बनामा वि इत नर में नींगों की कार्य करने की योग्यता तथा उनकी वधाने वी इच्छा पर चोई प्रभाव न पड़ेगा व्योकि जब उचारणिकारी वी यह पता जाएगा कि उचको अधिक भव्यति नहीं मिलेंगी तो वह और परिवर्ष में कार्य करेगा।

### भारतीय सम्पदा कर की मुख्य वाते

सम्पत्ति शब्द की परिभाषा— (१) जब या अवल सम्पत्ति कोई भाग, (२) 'क' में वरित भाग की विशेषता से प्राप्त रकम, (३) 'क' में वरित रकम या उसमें विस्तार वाली हुई रकम, (४) विभी भी दरह से एक सम्पत्ति में दूसरी में बदली गई कोई सम्पत्ति (५) व्यापारानुकूल हिस्ता, (६) विशेष व्यक्ति वा ज्ञान या उसकी भर्ती ने उसके द्वारा ओटा हुआ अरण, (७) कोई और ऐसा अधिकार जिसका इसमें मूल्य लागाया जा सकता हो।

कुछ ऐसी सम्पत्ति भी है जो बास्तव में मूल्य वे पश्चात् हस्तान्तर नहीं होती किन्तु उसको मूल्य के पश्चात् हस्तान्तरित होने वाली सम्पत्ति मान कर उसमें लिए व्यापार्य कर दी गई है।

(८) ऐसी सम्पत्ति जिसे मूलक कालूकन देव मदता या (९) ऐसी अप्यास जिसमें मूलक या विसी व्यक्ति या हिस्ता हो और मूलक की मूल्य होने पर वह हिस्ता समाप्त हो जाता हो, (१०) मूलक की जो सम्पत्ति विसी व्यक्ति को दान में उसकी मूल्य वे वाद में मिले, (११) मूलक की मूल्य के छ महीने पूर्वे से दो साल तक की

प्रबन्धि में जो सम्पत्ति दातव्य या अन्य कारों के लिए उपहार स्वरूप दी गई है उस पर शुल्क लगेगा। दिवाहे वे लिये पाच हजार रुपये तक की व्यवस्था पर शुल्क नहीं लगेगा। (३) मृत्यु के छँ भाईने पहले तक दातव्य कारों वे लिए तथा दो वर्ष पहले तक अन्य कारों के लिए दी या निर्यातिज वी गई सम्पत्ति पर शुल्क लिया जायेगा। (४) एसी सम्पत्ति जिसका मृतक द्वारा निपटारा किया गया हो और उसमें उसने निर्मी प्रकार का भाग प्राप्तने जीवन भर के लिये रख लिया हो, (५) ऐसी सम्पत्ति जो मृतक और किसी व्यक्ति के शाखे में हो और उस व्यक्ति को वह सम्पत्ति उत्तर-नीची के रूप में मिली हो (६) जिसी भावीनीत या प्रतिभाजन भागी के लिये मृतक व्यक्ति द्वारा चालू रखी गई दीमा गारिति, (७) मृत्यु के मृत्यु के मृत्यु तक ज्ञान वार्षिक वृद्धि (८) ऐसी कम्पनी वी लेनदारी जिसका नियमण वाल से अधिक व्यक्तियों वे हाथ में न हो, जिसमें मृतक वी सम्पत्ति लगी हो और वहाँ से उस उसकी मृत्यु से पहले के तीन सालों में नाम मिला हो या धारण करने का उसका माधिकार रहा हो।

**शुल्क से सूठ—** बुछ ऐसी भी सम्पत्ति हानी है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु वे पश्चात किसी को हस्तान्तर नहीं होती। ऐसी सम्पत्ति पर कोई वर नहीं लिया जायेगा। इन प्रकार जो सम्पत्तियाँ निम्नलिखित होती हैं—

(क) सम्पत्ति, जिसमें मृतक का हित किसी यद यर रहने के कारण हा। (ख) निर्धारित पर्याप्तियों में ट्रस्टी के रूप में मृतक के आधीन रहने वाली सम्पत्ति। (ग) ऐसी सम्पत्ति जो जिसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु वी देवल प्राप्तने जीवन के लिए मिली हो और उसकी मृत्यु वे पश्चात वह फिर देने वाले वो निलंबी हो।

**मूलगाँड़न—** प्रमाणा शुल्क की ओर निर्धारित नहने के लिए मृत्यु की हस्तान्तरित होने वाली सब सम्पत्ति एक सम्पदा के रूप में जोड़नी जाएगी। अनुमूलित कृदि भूमि वैसी बुछ ऐसी भी सम्पत्ति है, जिस पर यद्यपि एक दी जाती है, जिन्तु सम्पदा का पूरा मूल्य निकालने के लिए उसको भी जोड़ना पड़ता है। सम्पत्ति का मूल्य खुले बाजार की दर पर पाका जाता है। मूल्यांकन करने में सम्पत्ति के मूल्य हास पादि वालों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

सम्पत्ति के मूल्य में से कुछ कटीतियाँ—सम्पदा-शुल्क के लिए सम्पदा का मूल्य शाँकों समय कई प्रकार के रहते हैं एवं खांकों वी रकमें छोड़ दी जायेगी, जैसे— (१) किसी यद का वर्च, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होता चाहिए (२) वास्तविक शरण तथा दूसरी एवं जो देनी है, (३) पनि वी सम्पत्ति में पहली वा काला (जीवन कला के लिए), और (४) जिदेशी सम्पत्ति वी ग्रहण का शूलकी में होने वाला वर्च, जो सम्पत्ति के मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक न होने चाहिए।

**शुल्क की दरें—** यह छहों वे हिसाब से विविध प्री गई हैं। मिनाथरा,

प्रह्यवकलावयम या अखियसतान विधी द्वारा शासित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में प्रधिकार मिलने पर एचास हजार रुपये तक के पहले छठ पर कोई शुल्क नहीं होगा । दूसरी सम्पत्तियों के लिए छूट की बहु सीमा एक लाख रुपये रखी गई है ।

शुल्क से छूट— निम्नलिखित सम्पत्तियों को शुल्क से छूट दी जायेगी, पर शुल्क की दर निश्चित करने के लिए मूल्य मूल्यांकन में उन्हें समिलित रखा जायेगा—

(क) सार्वजनिक धर्मार्थ कार्यों के लिए, मूल्य में छ महीने के भीतर दिए गये दान, जो २५०० रुपये तक हो सकते हैं ।

(ख) अन्य कार्यों के लिए मूल्य से दो चर्चे के भीतर दिए गये दान, जो १५०० रुपये तक हो सकते हैं ।

(ग) सम्पदा शुल्क के भुगतान के लिए बीमे की पालिनी में मिली रकम, वे रकमें, भुगतान किये जाने वाले शुल्क के बराबर की मात्रा में सरकार के नाम की हुई हो, पर पचास हजार रुपये से अधिक न हो ।

(घ) सम्पदा शुल्क भुगतान के लिए सरकार के पास जमा किया गया राय, भुगतान दिये जाने वाले शुल्क की मात्रा तक जो पचास हजार रुपये से अधिक न हो ।

(ङ) मृत व्यक्ति के बीमे का अपवा-र्वाच हजार रुपये ।

(च) बीमे या ट्रस्ट की ओरपाया या समझौते के त्रिये किमी उस दिलेदार लड़की के विवाह के लिये भ्रतग निकाला गया रुपया जिसको कि मृतक ने पाला है । परन्तु इस प्रकार ना यह पाव हजार रुपये से अधिक न होगा ।

यह सब रकमें युल सम्पदा के मूल्य में समिलित की जायेंगी परन्तु उन पर औसत दर के 'हिसाब रिटें' दिया जायेगा ।

यदि एक मूल्य के बाद के तीन महीनों के भीतर उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भीर मूल्य होनी, तो ऐसी दरा में पहली बाती ही मूल्य के लिये सम्पदा कर जुकाया जायेगा ।

**प्रशासन—** इस अधिनियम (Act) के प्रशासन का काम आय-कर विभाग के अफसरों द्वारा होगा । इनकम टेक्स्ट कमिश्नर सम्पदा-शुल्क के नियमक होंगे, पर्यवेक्षक सहायक आयुक्त उपनियनक होंगे और आय-कर अफसर सहायक नियन्त्रक होंगे । मृतक व्यक्ति की आय पर पहला भार सम्पदा कर का होगा ।

### सीमा-कर (CUSTOM DUTIES)

सीमा वर दो प्रकार से लगाया जा सकता है— १ नियत-कर के रूप में, २ आयत कर के रूप में ।

[ १ ] निर्यात कर (Export duties)—अब से कुछ समय पूर्व यह कर बहुत अधिक लगाया जाना था क्योंकि नोंगों का विद्वास था कि इसका बर-भार विदेशियों पर पड़ता है। परन्तु यह बात भदा ही सत्य नहीं होती। बास्तव में इस कर का भार आयात और निर्यात वरन् वास्ते देशों वी ग्राहित माल और पूर्ण वी लचक पर निर्भर है।

[ २ ] आयात कर (Import duties)—विदेश में प्राप्त वाले माल पर जो कर लगाया जाता है उसको आयात कर कहते हैं। यह कर दो दृष्टिकोण मामने रख कर लगाया जाना है—१. आय वढाने के लिये २. देश के उत्तोंगों वी मरक़ार देने के लिये। जब पहला दृष्टिकोण मामने होता है तब आयात खूब विरुद्ध जाते हैं परन्तु जब दूसरा दृष्टिकोण मामने होता है तब आयात बहुत कम विरुद्ध जाते हैं।

सीमा-कर लगाने के छँड़—सीमा-कर दो प्रकार से लगाया जा सकता है—१. मूल्यानुसार (Ad valorem) तथा २. परिमाणानुसार (Specific)। मूल्यानुसार बर वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। इस कर को बगूत बरने के लिये सीमा बर अधिकारियों दो आयात समझा निर्यात बरना के बीतक अवधा इच्छ-रसीद पर निर्भर रहता पड़ता है और ही मकता है कि यह चीजें जानी बनाई गई हो। इस प्रकार की शहदा होने पर सीमा-कर-अधिकारी माल की खुबान कर भी देत रहते हैं। इन मध बठिनाई के कारण बहुत से देशों में परिमाणानुसार बर लगाया जाता है जो कि बरनु के भार अवधा उसकी सम्भा के अनुसार लगाया जाता है। इस कर को लगाने में नोई कठिनाई पेश नहीं मानी। परन्तु ग्राम सभी देशों में माधारणतमा यह दोनों प्रकार के ही कर लगावे जाने हैं। जो चीजें मूल्य बान होती हैं जैसे सोना, चादी, मोटर, घड़ी आदि उन पर मूल्यानुसार कर लगाया जाता है और शेष पर परिमाणानुसार।

भारत में सीमा-कर का इतिहास (History of Custom duties in India)—भारत में सीमा-कर इतिहास को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) १८६१ तक, (२) १८६१ से १८१५ तक, (३) १८१६ ने १८२१ तक, (४) १८२२ के पश्चात।

(१) १८६१ तक का समय—मूगल-शासन काल में इहन मामूली सीमा-कर लगाया जाता था, जैसे १६०६ ई० में यह कर खाद्य-सामग्री पर ३ प्रतिशत, सोने, चादी पर २ प्रतिशत तथा शेष वस्तुओं पर दोई प्रतिशत था। इसपे ग्रनितिक वारनयन-बर (Transit duties) भी थे जो बच्चे माल पर ३ प्रतिशत थे और पक्के माल पर दोई प्रतिशत से शत्रिलाल तक थे। जब फ्रेंच फ़रस्त में आए हो उन्होंने इन बच्चों में दोई बदल नहीं थी। उन्होंने केवल वस्तु को दर में परिवर्तन लिया। वह भ्रेंची तथा गैरप्रयोजी माल पर विवेचन कर (Discriminating duties) लगाते थे। अन्त

मे १८५३ ई० के यशाम के पश्चात कर की दर ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक कर दी गई और बुल चीजों पर तो २० प्रतिशत तक कर सगा दिया गया। परन्तु यह कर केवल भाष्य को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे।

(२) १८६२-१८६५ का समय (यवाप न्यापार) — १८३१ से ले कर १८६२ ई० तक धीरे पीरे प्राय सभी चीजों पर सीमा कर हटा दिया गया। १८६६ से से कर १८६४ तक केवल हथियारों, बाल्ड, शराब, ग्राफिन तथा नमक पर भाष्यात कर था और वेवल चावत पर नियंत्रित कर। परन्तु १८६४ ई० के पश्चात इस अवाप्त न्यापार की नीति से बदल करनी पड़ी और ५ प्रतिशत का सामान्य-कर लगा दिया गया। मूर्ती माल और धारों के भाष्यात पर भी वर लगाया गया। पर भारतीय धारों के ऊपर उतना ही प्रतिन्प्रभावी कर (Counter-tailling duty) लगाया गया। लोह और फौलाद के सामान पर भी १ प्रतिशत कर लगाया गया। १८६३ से १८६० तक इन वरों की यही दर रही। १८६०-६१ में शराब, तम्बाकू, चादी तथा गिरीन पर भाष्यात-कर बढ़ा दिया गया।

(३) १८६६ से १८२१ तक का समय (महा युद्ध और उसके पश्चात) — युद्ध का वर्ष बढ़ाने के कारण १८६६-६७ में सामान्य भाष्यात कर की ५ प्रतिशत से बढ़ा कर ७५ प्रतिशत कर दिया गया और १८२१-२२ में इसको बढ़ा कर ११ प्रतिशत वर दिया गया परन्तु मूर्ती माल पर ११ प्रतिशत ही कर रहा। रेन के सामान पर १८६६ में २५ प्रतिशत और १८२२-२३ में १० प्रतिशत कर लगा दिया गया। इस वर्ष लोहे और फौलाद के माल पर भी यही कर था। १८२२-२३ में नीति के ऊपर भी २५ प्रतिशत कर लगा दिया गया। विवासिता की वस्तुओं जैसे गोटर, सिनेमा, फिल्म, घडियों आदि पर १८२२-२३ में ३० प्रतिशत कर लगा दिया गया। १८२२-२३ में तम्बाकू के ऊपर ७५ प्रतिशत मूल्यानुसार कर सगा दिया गया। १८६६ में जूट तथा जूट के माल तथा खाद्य पर नियंत्रिकर लगा दिया गया और उससे अधिक ही वर्ष उत्तरों दुगाना कर दिया गया। यह गब कर धार्य बढ़ाने के लिए ही लगाए गए थे।

(४) १८२२ ई० के पश्चात — १८२३ ई० से भारत सरकार ने सरदार की नीति और ग्रनाइट और सबसे पहले १८२४ ई० में लोहे और फौलाद के उद्योग को वरदार किसाया गया। १८२७ ई० के पश्चात रुद्ध तथा १८३१ ई० में चीनी के उद्योग को भी सरदार किया गया। १८३३ ई० से भारतवर्ष ने साम्राज्य अधिष्ठान की नीति (Imperial Preference Policy) को ग्रना दिया और उसके फल स्वरूप समुक्त राज्य (United Kingdom) तथा अंग्रेजी उपनिवेशों से ज्ञाने वाले माल पर कम कर सगाया जाने लगा। इस प्रकार के समझौते को १८३६ में फिर से किया गया। परन्तु इंग्लैंड महा युद्ध में सीमा-कर की दरों को बढ़ाना पड़ा १८३६-४०।

में वयास के आवात-कर वो दुगना कर दिया गया। १६४१-४२ में कृतिम रेखमी पाने पर २ प्राने से ५ प्राने प्रति पौट वर लगा दिया गया और १६४२-४३ में कुछ चीजों को छोड़ कर वेप पर २० प्रतिशत प्रधिभार लगाया गया। परन्तु इस प्रकार कर बढ़ाए जाने पर भी सीमान्कर भी आय जो १६३८-३९ में ५० ५१ करोड़ रुपये थी १६४३-४४ में २६ २० करोड़ रुपए रह गई। इसका कारण यह था कि बहुत से देशों में व्यापार होना बन्द हो गया और जहाजों में जगह मिलने में दिनाई शैने लगी। १६४६-४७ के पश्चात हमारे देश के सीमान्कर में कई प्रकार के परिवर्तन हुए जैसे शराब के ऊपर  $\frac{3}{4}$  से है अधिभार कर दिया गया। मुसारी पर ५२ प्राने प्रति पौट वर कर लगाया गया। परन्तु विटिय उपनिवेशों से प्राने बाले माल पर ६ पाई प्रति पौट वर कर लगता था। बपाम पर २ प्राने प्रति पौट वर लगा दिया गया। सोने पर २५ रुपये तोला तथा चादी पर ८ प्राने प्रति तोला वर लगाया गया। १६४८-४९ में कई चीजों पर कर घटा दिया गया जैसे बनस्पति भी पर २०० रुपये प्रति टन में घटा कर १६० रुपये प्रति टन वर दिया गया। १६४९-५० में बहुत की विलासिना की बस्तुओं जैसे शराब, रेशम, ऊन, कागज, पटियों आदि पर आवात-कर बढ़ा दिया गया। इसके प्रतिरक्ति सिरेट, निमार, प्रादि पर १५ प्रतिशत मूल्यानुभार निर्धारित कर लगाया गया। गरमी के तेल तथा कागज पर भी निर्धारित-कर लगाया गया और जूट पर कर बढ़ाया गया। परन्तु १६५२-५३ तक जूट कर वो १५०० रुपये प्रति टन में घटा कर २७५ रुपये प्रति टन वर दिया गया।

हमारे देश में सीमान्कर आय का एक अच्छा साधन रहा है। १६३७-३८ में इसे ४३ ११ करोड़ रुपये की आय थी (उस समय इस में बेन्द्रीय उत्पादक कर भी सम्मिलित था)। १६४६-४७ में यह बढ़ पर ८६ २२ करोड़ हो गई और १६४२-४३ में इस ज्ञोत की आय बढ़ कर १७० करोड़ रुपये हो गई। १६५३-५४ में इस से लगभग १७० करोड़ रुपये की आय होने की आशा है।

### केन्द्रीय उत्पादन-कर (Central Excise)—

उत्पादन-कर उन बस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश में उत्पन्न होती है। यह कर या तो बस्तु के बनते समय लगाया जाता है या उसके बन चुकने पर लगाया जाता है। इस पर का भार साधारणतया गरीबों पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी बस्तुएं कर लगाने के लिए हाटनी चाहिये जो अमीर लोगों के उपभोग में आती है। हमारे देश में साधारणतया वित्तिमिता तथा सुष्ठु प्रावश्यकताओं पर यह कर लगाया जाता है। भारत में बेन्द्रीय सरकार उपर्युक्त, चीजों, दिवासलाई, सम्बाकू तथा जूट पर यह कर लगानी है।

त्यारे देश में मुगल काल में शाराव बनाने पर उत्पादन वर लगाया जाता था। प्रप्रेजों ने उत्पादन-वर भीति में स्थानीय गुरुदिधा के भानुसार बहूत में परिवर्तन किये। १६०६ के मुधारों के अन्तर्गत इन चोतों को प्रातों को दिया गया था परन्तु १६१६ में मुधारों के भानुसार इसमें दो बार कर दिये गए हैं। यह विभाजन वैज्ञानिक रीति से न हो वर गुरुदिधा की दृष्टि से किया गया था। उस प्रकार देखी शाराव भाग चरण, गोजा आदि पर प्रातीय सरकार कर लगानी थी और शाहीय विदेशी शाराव दिया भाराई चीनी पर वेन्नीय सरकार लगानी है। १६३५ में विभाजन नवा भारत के नये विधान वे अनुसार भी नम्बारू, जूट अपर्याम दिमासलाई चीनी कपड़े पर केन्द्रीय नरकार उत्पादन वर लगाती है।

चीनी पर उत्पादन-पर—१६३६ ई० में खाड़ पर १० आने तथा चीनी पर १६०५ आ० प्रति हन्डे टेवेट की दर ने उत्पादन कर लगाया गया। इसका काला विरोध दृश्या परन्तु सरकार ने उच्च ध्यान न दिया। १६३७०५० में खाड़ पर १६०५ आने तथा चीनी पर २६० प्रति हन्डे टेवेट की दर से लगाया गया। १६४०-४१ में चीनी पर कर की दर बढ़ा कर ३६० प्रति हन्डे टेवेट कर दी गई और १६४४-४० में इस को बढ़ा कर ३६० १२ आ० प्रति हन्डे टेवेट कर दिया गया।

दियासलाई पर उत्पादन कर—१६३८ ई० के दियासलाई (उत्पादन-वर) भूष्ठ के भानुसार दिया सलाई के उत्पादन पर उत्पादन कर लगाया गया। यह कर उन डिवियों पर जिनमें ४० में ६० तक सीप छोड़ी थी १६० प्रति ग्रोस बी दर से और जिनमें ६० रु ग्राहिक सीक होती थी २८० प्रति ग्रोस की दर से लगाया गया। १६४१ ई० में इस वर को दुमना वर दिया गया। १६४८-४९ में यह कर २६० ८ आ० प्रति ग्रोस कर दिया गया। १६५०-५१ में यह कर उत्पादन की दृष्टि से बहुमान कर दिया गया। जो उत्पादक प्रति दिन १०० ग्रोस से बहु उत्पादन बरतते हैं उनकी ६० सीबों वाले बक्स पर २६० १४ आ० प्रति ग्रोस तथा ६० सीबों वाले बक्स पर १६० १४ आने प्रति ग्रोस देना पड़ता है। इनके विपरीत दूसरे सभी उत्पादकों को २६० १५ आ० तथा १६० १५ आ० प्रति ग्रोस देना पड़ता है। इनके प्रतिरिक्त दूसरे सभी उत्पादकों को २६० १५ आ० तथा १६० १५ आने प्रति ग्रोस की दर में यह कर देना पड़ता है।

मिट्टी के लेल पर उत्पादन-पर—मिट्टी के लेल पर सबसे पहले लूप्पाइन-वर १६३८-३६ में लगाया गया था। उस रामप कर वरी दर २ आने ६३२ पाई प्रति गैलन और १६४४ में ४ आने ६ पाई प्रति गैलन वर दिया गया। १६४९-५० में यह कर घटायर १ आने प्रति गैलन कर दिया गया और तब से अब तक कर की यही दर है।

वनस्पति धी पर उत्पादन-कर—हमारे देश में धी पर उत्पादन-कर १९४३-४४ में लगाया गया था। उस समय दर ५ रुप्ति प्रति हजार टनेट थी। परन्तु १९४३-४६ में इस को बढ़ा कर ३५ रुप्ति कर दिया गया और आजकल यह ८ रुप्ति प्रति हजार टनेट है।

चाय, कहवे तथा सुपारी पर कर—यह कर भवने पहले १९४६ में लगाया गया था और कर की दर २ आने प्रति पौड़ थी। १९४६-४७ में सुपारी पर कर की दर बढ़ा कर १ आना कर धी गई परन्तु चाय और कहवे पर वहीं दर रही। १९४६-४७ में सुपारी पर से कर पूर्ण रूप से हटा दिया गया, परन्तु चाय और कहवे पर कर की दर २ आने ग तीन आने प्रति पौड़ कर दी गई। १९४३-४४ के बजट में सुपारी पर २ आने प्रति पौड़ की दर से कर बढ़ा दिया गया।

मोटर के तेल पर कर—यह कर १९२६ में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए लगाया गया था। १९३७ ई० से इस कर का १५ प्रतिशत स्वोन्त तथा व्यवस्था आदि कार्यों में लगाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इसनिए इस कर की आय राज्य में सड़कों की उन्नति बरने के लिए इनके पैट्रोल के उपभोग के अनुसार दी जाने लगी। इस कर की दर द्वितीय भाग बूढ़े में कई बार बढ़ाई गई और भल में १९४६-४० में पह १५ आने प्रति गैलन ही गई।

तम्बाकू पर कर—केन्द्रीय सरकार ने इसको सबसे पहले १९४३-४४ में लगाया था। १९४६-४७ में यह कर दिना बने तम्बाकू पर बढ़ा कर १२ आने प्रति पौड़ कर दिया गया। इसके पश्चात इस कर में कुछ भी भावितव्य हुए। आजकल यह कर ३१ रुप्ति ८ माने प्रति पौड़ है।

इस प्रकार तम्बाकू से केन्द्रीय सरकार को बहुत सी आय प्राप्त होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार की बहुत सी आय उत्पादन कर से प्राप्त होती है। पर यह कर अधिकतर या लो हठ आवश्यकनामी पर या आवश्यक आवश्यकताओं पर लगाया जाता है। इस निए यह प्रतिगामी है।

नमक कर (Salt Duty)—हमारे देश में नमक कर एक बहुत पुराना कर था। कहते हैं कि इस को हिन्दू राजा भी लगाया बरते थे। मूगल बास में यह कर पारदर्शन कर (Transit Duty) के रूप में रहा। परन्तु ग्रन्वर ने इसके पारदर्शन करों के साथ इस कर को भी समाप्त कर दिया। लेकिन प्रान्तीय शासक इसको लगाने लाभ के लिए साताते रहे। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा देश में राज्य सत्ता मिली तब उसने भी इस कर को समाप्त किया। परन्तु उस समय सब प्रान्तों में कर की दर समान नहीं थी। जब कम्पनी द्वारा दीवानी मिली तब लाई बलाइव ने इस को एकाधिकारी के रूप में वैचाना आरम्भ किया। परन्तु इससे कम्पनी को घाटा हुआ। इसनिए १७८० ई० में बारत हॉस्टिंग ने इस और एक निश्चिन मूल्य पर विकास शुरू किया। परन्तु जब इसमें भी सरकार की आय में विशेष वृद्धि न

हुई नव लाउं कार्बनालिम ने १७८८ में मार्वंजनिव लीलाम की पढ़ति निकाली। यह पढ़ति १८३६ ई० तक चलती रही। इसमें मरकार को तो बहुत नाम हृषा परन्तु द्रमकी वडी आलोचना हुई। इस लिये इस पढ़ति को नमात्र बगड़े तिक्कित मूल पर बेचने लाली पढ़ति को पिर में चालू किया गया। इसी समय विदेशी नमक पर ३ रु० प्रति मन का कर लगाया गया। इन बर की दर बुद्ध समय पश्चात घटा बर २१ रु० प्रति मन कर दी गई। परन्तु अब वर सब स्थानों पर समान न था। १८५७ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात नमक पर कर की दर बढ़ा दी गई। १८६१ में यह दर घोर भी बढ़ा दी गई। १८६६—७० में इन बातों का प्रयत्न किया गया कि खारे भारत वर्ष में बर की दर समान कर दी जाये और १८८८ ई० में बगान, पजाब तथा बड़ा को छोड़ कर मारे भारत वर्ष में बर की दर २ रु० ६ प्रा० प्रति मन की। बुद्ध समय पश्चात बड़ा को छोड़ कर सब स्थानों पर २ रु० ८ प्रा० प्रति मन बर था। यह १८०३ तक चलता रहा। परन्तु १८०३ में बर की दर घटा कर २ रु० ८ प्रति मन कर दी गई। १८०५ में यह दर बढ़ा कर ३॥ ४० बर की गई परन्तु इसको १८०३ में १ रु० प्रति मन कर किया गया। यह दर ऐहा महिने सारे भारत वर्ष में लागू नी गई। बुद्ध बाल में सरकार ने इस कर की दर को बढ़ा कर १ रु० ४ प्रा० बर किया। १८२२ ई० में सरकार इसकी २ रु० ८ प्रा० बरना चाही थी परन्तु भारतीय सदस्यों ने इसका बड़ा विरोध किया। इस लिये वह कर न बढ़ाया जा सका। १८२३—२४ में सरकार किर इस बर को बढ़ा कर २ रु० ८ प्रा० बरना चाही थी परन्तु भारतीय सदस्यों ने इसका बड़ा विरोध किया। भन्त में गवर्नर जनरल ने इसको अपने विशेष अधिकारा में लगा किया। गिरोध के कारण अगले वर्ष वित मन्त्री ने इसकी घटा कर २ रु० ८ प्रति मन कर किया। परन्तु मठने के भारतीय मदस्या ने इसको १२ रु० तक घटाने की मांग की जो विस मध्यों ने स्वीकार करली। यह दर मिलमपर ११३१ तक जारी रखा कि यह १ रु० ६ प्रा० कर दी गई। इन में १८४०—४५ में जब का में स्वयंभनों सरकार (Interim Government) बनी तब इस कर को समाप्त कर किया गया।

नमक कर ने निहृद्य आलोचनाएँ—यद्यपि नमक वर हमारे देश में हाले पुराने समय में लगता था रहा है परन्तु यह नदा ही इसका का विराप किया गया। सरकार इस कर की लगता समय यह तर देखी थी कि यह बर पुराना हाले दे कारण सौंधा दो यहां सही हाला। उम्हे अनिक्षिक ममन जनना तर पूर्वने के लिये और वोई दूसरा यह नहीं है। जल्दार पा यह नी बहुता था कि वह दर कर को समान बर की प्रति कर ८ रुपये ५० की आय नहीं छोड़ सकती। परन्तु जनना इत तरीं में मनुष्ट न होनी थी। इन में महाराजा गार्डी ने अपना १८३१ ई० का प्रगत्याग धारोन नमक का नामन नोड कर ही प्रारम्भ किया।

इस करके विष्ट लोगोंका कहना था कि नमक जीवन की प्रावश्यक प्रावश्यनता है। इस निये कर लगा और इये उपभोग को कम नहीं करना चाहिये। भारतीय कर जात समिति ने लान बीन के पश्चात यह बात बताई थी कि यदि नमक वा कांक कम कर दिया जाये तो इससे उसका उपभोग बढ़ता है।

आलोचकों का यह भी कहना था कि यह प्रतिगामी है या कि इसका भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि उनको नमक पर अपनी माय का एक बड़ा भार लवं करना पड़ता है परन्तु और लोग इस पर अपनी आय का एक बहुत ही छोटा·भार लवं करते हैं।

जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब इग कर के सम्बन्ध में फिर बाद पिंचाद हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि जब तक देशकी यत्ता अवैजो के हाथ में थी तब उन नमक कर गुलामी की निशानी थी। परन्तु स्वतन्त्र होने पर इस पर से वह काता घड़ा धुल गया है। इसके अतिरिक्त उनका कहना था कि नमक कर का विरोध ग्राहिर कारणों की अपेक्षा भावनाओं से अधिक सम्बन्धित था। इस निये यदि इस कर वो भव लगा दिया जाये तो कोई विशेष हानि न होगी। उनका यह भी कहना था कि ग्राहिर सीमान्कर और उत्पादन कर भी तो अस्त्वक्ष और प्रतिगामी वर्त हो तो फिर इस कर का विरोध क्यों किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि नमकन्कर हटाने से न रोबों को नोई लाभ नहीं हुआ है क्यों कि नमक का मूल्य बहुत बढ़ गया है। उनका यह भी कहना है कि किसी कर के प्रतिकामी होने के बारे सदा ही उसको समान्त नहीं कर देना चाहिये। देश में प्रत्यक्ष और प्रप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर लगाने उठते हैं और यदि हमने यह देखना हो कि कर लगाना चाहिये भवत्वा नहीं तो हमने देश की सारी कर-गड़ति पर विचार करना होगा। यह यह भी कहते हैं कि सरकार की बहुमान ग्राहिक स्थिति को देखते हुए इस कर का लगाना उचित है। यह यह बात बनानी उचित है कि भारतीय सरिधान इस कर को लगाने की आज्ञा देता है।

विना बाद विवाद में ऐसे इन सब तकों वे विष्ट यह कहना अनुचित न होना कि हमको सब स्थानों पर आर्थिक दृष्टि कोण को ही साझने नहीं रखना चाहिये, लोगों की भावनाओं पर भी व्याज देना चाहिये। यदि यह बात न की गई तो जनता उसके विरोध में खड़ी हो जायेगी और उसका देश की शासन व्यवस्था पर बड़ा चुरा ग्रभाव पड़ेगा। जनता कभी भी इस बात से सन्तुष्ट नहीं होनी कि स्वतन्त्र होने पर इस कर पर से दासता का काला घन्घा धुल गया है और इस लिये इस कर को लगा दिया जाये। और यदि हम विचार बरे तो हम इह सहते हैं कि जो कर एक शासन पाल में बुरा चा बह दूसरे में कैसे अच्छा होगा। इसके बदले सरकार कोई दूसरा कर सगा सकती है जिससे माय हो इतनी ही प्राप्त हो जाये और लोगों

रो वह बर महागूम भी न हो। इस कर वो लगाने से दश वीं गरीब जनता दर्भी भी इस बार वो भालने को तेपार न होगी कि उसको प्राजादी मिल गई है, यद्यों जि जनता प्राजादी मिली हुई तभी भासभेदी जब तक उसको पहले से अधिक मुविधा मिली और जीवन की प्रावश्यक प्रावश्यकताएँ रम मूल्य पर प्राप्त होंगी। इन सब बागा वे रामण इस बर सा लगाना उचित नहीं जान पड़ता।

**अफीम कर (Opium Duty)**—नहते हैं कि ग्रक्षीम को कोई मुखलगान वाक्यमात्रादी भारत ने भारतवर्ष में साया था। उस समय में भारतवर्ष में ग्रक्षीम वीं गती धूत होने लगी। मुखलगान शासकी वो इस ग वटी आय होती थी। जब भारतवर्ष में ईंट इटिया कम्पनी का राष्ट्र हुआ तब उसने नौकर उत्तरे बहुत नाम उठाने ल। इसने पश्चात १७७३ ई० में भारत हेस्टिंग्स ने इसकी अधिकारी अपने हाथ ने ले लिया। परन्तु इसकी भी स्थिति म होई गुप्तार न हुआ। इसके पश्चात १७६६ ई० से कम्पनी वे नौकरों वो इमवी एजेन्सी दी जाने लगी। इसके पापे गे वटी वृद्धि हुई। १८११ ई० म भीन के साथ होने वाले ग्रक्षीम के आपार म बड़ा गक्कड़ आया जिसके कलत्वस्य लाड उलहोंगी वो इसने निपचतण तथा इसकी अवस्था में बहुत रुचि कदम दरकी पढ़ी। यह भारत वा शासन नाउने वो आपीज न दा येता तब इस खोत मे ५० लाख रुपये की आय होती थी। इसके पश्चात जो दिन भी नियुक्त किये गये उनमे इस बात पर बहा मत भद गा कि इस खोत से नीन की ग्रक्षीम भेज बर आय प्राप्त वीं जाये ग्रयवा नहीं। १८१३ ई० में एक आयोग वीं नियुक्ति हुई जिसका शब्दों गहत्वपूर्ण गुभाव यह था कि भारत सरकार वो ग्रक्षीम की सेवी विगानो पर न छोड़कर स्वयं करानी चाहिये। १८१३ ई० में ट्रालेंड की सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति भी जिसका मुभाव यह था कि नीन जाने वाली ग्रक्षीम का नियन्त्रण उस समय तब न गेका जाये जब नह कि नीनी सरकार इस बात की दृष्टि प्रगट न करे।

१८०६ ई० मे धीन वीं गरकारने आपने देश मे पह आता दी कि ग्रक्षीम की पेंदावार तथा उसका उपयोग १० वर्ष में बन्दकार दिया जाये और उसने इस मामले में भारत सरकार ने सहायता करने की प्रार्थना की। परन्तु भारत सरकार इसनो मासानी गे वहा मानने वाली वीं वहो कि उसको इससे बहुत हानि होने वाली थी। अतः म १८०७ ई० मे भारत सरकारने १० वर्षो के अन्दर ग्रक्षीम की नियन्त्रण रोकने वा बचन दिया।

१८१५ ई० मे भारत सरकार इसको दूसरे देश के आपारिण वो न देकर सीधे विदेशी मरकारों वो देने लगी।

तीर्त ब्राह्मनेश्वर के विसर्जन मे भवुगार भारत सरकार ने आयत भनुमान पद्धति (Import certificate system) चारू की जिसके भनुमार ग्रक्षीम

विद्युत देग को तभी भेजती जा सकती थी जब नि वह इस बात का भवन दे कि उसको जायज कामों के लिये ही अपील चाहिये। इसके पश्चात १९२६ई० में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि ३१ दिसम्बर १९३५ई० तक अपील का निर्णय मिवाय दबावदारों के द्वाये नव नामों के लिये बदल कर दिया जावेगा। १९३६ में अपील का निर्णय मिवाय भारत की फारमीमी नगा पुस्तकारी दस्तियों ने, ब्रह्मा, अद्वन तथा मधुकर राज्य (U. K.) के ओर दूसरे देशों को नहीं होना और इन सबसे भी भारत सरकार के इन सम्बन्ध में समझौते हैं। बास्कर्वर्ष में भी अपील उन्हीं दुवानों पर विवर सकती है जिनके पास अनुज्ञा पत्र (Licence) होना है और कोई भी आदमी उसकी अपील वी दुवान पर नहीं खा सकता।

१९१०-११ के लगभग भारत को अपील से एक बोड रपोर्ट में अधिक वास्तविक प्राप्त हानी की परम्परा १९२०-२१ में यह घट कर १ बोड बृतानी रपोर्ट रह गई। उसके पश्चात भी यह आप कम ही होनी रही। १९३३-३४ में अपील में प्राप्त आप २०७ लाख रुपये थीं।

**रेल (Railways)**—भारतवर्ष म १९४३ई० में रेलें बनती प्रारम्भ हुई। १९४६ में ग्राम कम्पनियों को ५००० मील लम्बी रेलें बनाने वालेना दिया गया। इन ठेकों की शर्तों के अनुमार भरकार ने कम्पनियों को दृढ़त दी मुविधायें दी और विशेषत उनको ५ प्रतिशत आमादा की गारन्टी दी जिसके फलस्वरूप कम्पनियां ने नापरवाही से बाय किया और इनमें भारत सरकार को १९६६ तक १६६२ लाख रुपये की हानि हुई। इनके पश्चात् १९६६ में से नए १९७६ई० तक भारत सरकार ने स्वयं रेलें बनाने का वार्ड किया परन्तु कुछ कलिनाइयों के कारण सरकार वो किर से कुछ नई शर्तों पर कम्पनियों को ठेके देने पड़े। इन शर्तों में दूर प्रतिशत के आमादा वी गारन्टी दी गई थी। १९७६ से १९०० ई० तक भारत में बहुत बी पहलवानी रेलें बनी। परन्तु १९६६ तक रेलों में भारत सरकार को कोई लाभ प्राप्त न हुआ। इस दोबार में भारत सरकार को ५८ बोड रपोर्ट रुपये की हानि हुई। १९०० ई० में सबसे पहली भारत सरकार को रेलों से लाभ हुआ। कई कर्तव्य तक रेलों से लाभ होना रहा परन्तु कम्पनों के खराब होने तक दूसरे कुछ कारणों से रेलों को कई वर्षों तक हानि होनी रही। प्रथम महायुद्ध में रेलों को बहुत लाभ हुआ। परन्तु कुछ ममाज होने पर रेलों को किर हानि होने लगी। इसलिये रेलों के सम्बन्ध में नियार दरले ने निये एकवर्षी समिति (Aecworth Committee) को नियुक्त किया गया। इस समिति के मुभावों के अनुमार रेलवे बजट को गोधारण बजट से अलग कर दिया गया। एसा करते समय रेलों में एक नममजीता विया गया। जिसके अनुमार वह नियन्त्र किया गया कि रेलवे, सरकार को प्रति वर्ष की लगी हुई दुर्घ पूँजी का १ प्रतिशत तथा उस वर्ष में होने वाले लाभ का १ भाग देगी। इसके प्रतिरिक्षित रेलवे

को विस्तीर्णितिक वचत के तीन करोड़ रुपये के ऊपर की रकम पर एक लिहाई केन्द्रीय सरकार को और देने की व्यवस्था की गई। इस सबके पश्चात् जो मंप बने वह रेलवे के मुरादिन कोप से जमा विषया जाये।

१९२४ में १९३०-३१ तक रेला और लाभ होता रहा और इन बीच में रेला ने ४,१६५ लाख रुपये साधारण बजट को दिये। परन्तु उसने पश्चात् रेला को हानि होने गयी। १९३०-३१ में यह हानि ५११ करोड़ रुपये १९३१-३२ में ८२० करोड़ १९३२-३३ में १०२३ करोड़ १९३३-३४ में ७६६ करोड़ १९३४-३५ में ५०६ करोड़ रुपये थी। इन हानियों के बारण रेलवे का मुख्यिन कोण रामान हो गया। परन्तु फिर भी साधारण बजट को दी जाने वाली रुम अदा न की जा सकी। १९३७ ई० में सरकार ने इस झण्डा वो चुकाने की अवधि तीन वर्ष रखी। फिर यह अवधि १९४२ तक और इसके पश्चात् १९४३ तक बढ़ादी गई। १९४३ में सब झण्डा चुका दिया गया।

धुद्वाल में रेलों को बहुत लाभ हुआ। कुल यातायात माय (Gross traffic receipts) जो १९३६-४० में १०२७३ करोड़ रुपये थी बढ़कर १९४५-४६ में ८२४ करोड़ रुपये हो गई। रेल भी बचत भी जो १९३६-४० में ४३३ करोड़ रुपये थी बढ़कर १९४३-४४ में ५०८४ करोड़ रुपये हो गई। इस मर्व माय के कारण रेलों ने साधारण बजट का ३५६१ करोड़ रुपया तथा अवमूल्यन रक्षित कोप (Depreciation Reserve Fund) का ३० करोड़ रुपया चुका दिया। इसके प्रतिरिक्ष माधारण बजट को १५८४३ करोड़ रुपये और भी दिये।

१९४३ में रेलों वे साथ एक दूसरा समझौता विषय गया जिसके अनुसार यह तय हुआ कि रेलों और साधारण बजट की आवश्यकताओं का अनुमान प्रति वर्ष लगाया जाये और उसी के अनुसार यह तय हो कि रेलों और साधारण बजट रेलों के लाभ का कितना भाग लेये। १९४३ ई० के विषये यह ३१ के अनुसार मेर तय हुआ। उसमें अगले वर्ष यह तय हुआ कि रेले १९४४-४५ और १९४५-४६ में प्रति वर्ष ३२ करोड़ रुपये देंगी।

१९४६ ई० में रेलों से एक और नया समझौता हुआ जिसके अनुसार यह तय हुआ कि रेलें खासी हुई पूँजी पर १ प्रतिशत ब्याज देंगी। मुद्र कार्य के लिये बनाई गई रेलों पर हीने वाली दूनि को घटा दिया जाएगा। इसके पश्चात् सीन नरोड़ रुपये रेलवे उन्नति कोप में हरतान्तर करके जो बचे उसका आधा साधारण बजट को दिया जाये। इस योजना के अनुसार १९४६-४७ में साधारण बजट को ५६१ करोड़ रुपये मिले। इससे प्रगते वर्ष रेलों को हानि होने के कारण वह साधारण बजट में कुछ न दे सकी।

१६४८ में श्री जी दी मावलनकर जी अधिकारी में एक समिति नियुक्त जी गई जिसने सिफारिश की थी कि रेलों को ४५० करोड़ रुपये साधारण बजट को, ०८८ करोड़ रुपये उन्नति कोष को, तथा ८५० करोड़ रुपये रेलवे रक्षित कोष को हस्तान्तर करने चाहिये। सरकार से इन सिफारिशों को मान निया। इसके होते हुए भी रेलों के साधारण बजट को ७३४ करोड़ रुपये दिये। १६४६-४० में उन्होंने ७ करोड़ रुपये दिए।

१६४६ में एक समिति को नियुक्त किया गया जिसने निम्नलिखित बातों की सिफारिश की—

(१) रेलों प्रीर साधारण बजट के सम्बन्धों को इस प्रकार बदला जाये जिसमें कि वह साधारण बजट को ५५ लाखों तक ८ प्रतिशत सामाजिक बारंटी करें। इस समझौते पर पाच वर्ष पश्चात विचार किया जाये।

(२) ५ लाखों तक वह अवगृह्यत्वन कोष में १५ करोड़ रुपये श्रति वर्द्ध हस्तान्तर करें।

(३) एक उन्नति कोष कायम किया जाये जिसमें रेलों की बचत हस्तान्तर की जाये।

इसके अनुमार ही आजवल रेलों साधारण बजट को अपना नाम हस्तान्तर करती है।

**डाक और तार (Post and Telegraph)**—१६१२ ई० तक डाक और तार विभाग अन्य अलग थे। परन्तु उसके पश्चात १६१४ में भारत गवर्नर के भादेशानुसार वह मिला दिए गए। पहले डाक और तार विभाग भारत सरकार ने अधिकार तथा उच्चोग विभाग के आधीन था पर अब उसका एक अलग भवी होना है।

डाक और तार विभाग द्वारा सरखार को बड़ी प्रकार से आय प्राप्त होती है जैसे लन व लिफासे भेजने, डाक द्वारा हल्का सामान इधर उधर भेजने, इपे ट्रैकिंग को डाक द्वारा भेजने, अन्या के नाभार्ड सामान को डाक द्वारा भेजने, यद्यों को डाक द्वारा भेजने, तार आदि देने आदि से आय प्राप्त होती है। परन्तु यह आय बहुत कम होती है और इन आदि के भेजने से तो सरखार को हानि होती है। १६५३-५४ का बजट पेश करने मध्य वित्त मन्त्री ने बताया कि गावा में १६,००० में भी अधिक डाकलाने लोलने तथा बैन आयोग (Pay Commission) की सिफारिशों के अनुमार छोटी थोड़ी दे व मंचालिंगों का बैन बदलने के साथ डाक मेवाप्रो को चलाने में लाय १६५२ से पूर्व के जार वयों में सरकार को ३६१ करोड़ की हानि हुई। इस वर्ष और अगले वर्ष की हानि ना अनुमान त्रयम् २२३ करोड़ तथा २६८ करोड़ रुपये से अधिक है। इस विभाग में सरखार की १६३८-३९ में संग्रह १६ लाख रुपये दी वास्तविक प्राय प्राप्त हुई थी। यह प्राय १६४४-४५

तथा १६४५-४६ में १०२५ करोड़ रुपये तथा ११३१ करोड़ रुपये हो गई। परन्तु उग्रे पश्चात् यह आय उम्मीदवारी गई, जैसे १६५१-५२ में ३८३ करोड़ रुपये भी तथा ४२५३ में १६० करोड़ थी। परन्तु १६५३-५४ में इसमें २,०२ लाख रुपये की घायल हुई। इतिहासीय दौरा में वृद्धि थी गई।

**सिक्के और नोट (Coinage and Currency)**—भारत सरकार ने गिरफ्त के बचाने से १६६६ ई० में लाभ होना शर्तम् हुआ। १६३५ ई० में तिवर्ण बैंक की स्थापना पर यह लाभ बहुत बढ़ गया क्योंकि वैक पर यह पावरनी थी कि वह प्रत्येक हिस्सेदारा का ३२ प्रतिशत ने प्रतिक (१६४२-४३ में ४ प्रतिशत) लाभाभ न देया। इससे प्रतिक्षित डम पर यह भी पावरनी थी कि जब तक उसका रक्षित बाय (Reserve Fund) ५ करोड़ न हो जाये सब तर यह लाभाभ न दे। लाभाभ देने के पश्चात् जो बचाना था वह साधारण बजट में छोड़ जाता था। १ जनवरी १६४६ में रिजर्व फंड का राष्ट्रीय वर्करण हो गया। इतिहासीय सरकार ने इस बाय स प्राप्त बड़ने की आगा है। १६३८ ई० में इस बोत से कुन आय नगम्भी ७८ लाख रुपये थी। परन्तु १६५१-५२ में यह बढ़कर ११३१ करोड़ रुपये, १६५२-५३ में १०३३ करोड़ रुपये, १६५३-५४ में १५४१ करोड़ रुपये थी।

### संघ सरकार का व्यय

**रक्षा व्यय (Defence Expenditure)**—भारतवर्ष में रक्षा व्यय सदा ही प्रधिक रहा। आगा है। १६६१ ई० में यह कुन व्यय था ६३ २६ प्रतिशत था। १६२१ में यह अन्दर यह ८२ ३१ प्रतिशत हो गया। उसके पश्चात् यह १६३६-४० में घट कर ५२ २ प्रतिशत रह गया। परन्तु इतीय महायुद्ध में यह किरण बढ़ने लगा, यहा तक कि १६४३-४४ में यह ८१ १ प्रतिशत हो गया। आजकल भी यह ८५ प्रतिशत के रागम् है।

अत्रेजी भाषण बाल में रक्षा व्यय कई बातों के बारागु प्रधिक था। पहली बात यह थी कि भारत सरकार ने देश भारत की रक्षा के लिए ही सचं नहीं बरना पड़ता था वरन् प्रपत्ति शास पास के देश में शान्ति रखने के लिए भी सचं बरना पड़ता था। भारत को बहुत बार आक्रमी औत विदेशों से युद्ध लड़ने के लिए भेजनी पड़ी थी और सेना का साधारण सचं भारत सरकार को करना पड़ा। दूसरी बात यह थी कि अद्येत सरकार इमलिए भी प्रधिक गेना रक्षणी थी जिसमें भारतवर्ष में सड़ होने वाले विसी भी विदेश की आसानी में दबा राखे। तीसरी बात यह थी कि भारतीय सेना में भारतवासियों के प्रतिरक्त गोरे मिशनी तथा बड़े २ प्रष्ठापर बहुत ये जिनको भारतवासियों से कई गुना बेतन दिया जाता था। चौथी बात यह थी कि भारतवर्ष को प्रवेशी युद्ध इफ्फर (British War Office) की भारत की

की सेना के लिए शिपाही रखने तथा उन्हे शिक्षा देने के लिए एक भारी रकम देनी पड़ती थी। परन्तु इनके रखने अधिकारी शिक्षा देने के सम्बन्ध में भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस भारतीय शिक्षा पर भारत सरकार बो १९२३-ई० में १८८४ हजार पौंड और १९१० में ३०४१ हजार पौंड सर्व करना पड़ा। इनके अन्तिरिक्त १९२१-२२ से भारत सरकार को १ लाख पौंड वायु सेना के कर्मचारियों को जो भारतवर्ष में काम करते थे देना पड़ता था। भारत सरकार को अप्रेसी प्रक्रिया की अदला बदली का आशा व्यव भी सहन करना पड़ता था।

इन सब बातों के कारण भारत के रक्षा व्यव के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनायें की जाती थीं—

(१) भारतीय सेना में अप्रेजी मिपाहिया तथा यफनरों की अधिकता थी जिनको भारतीय हिपाहियों तथा अफसरों से ४-५ गुना अतिकृत तथा भर्ते देने पड़ते थे।

(२) भारतीय सेना भारत की रक्षा के हेतु इन्हीं नहीं रखी जाती जिन्होंने वह अप्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए रखी जाती थी।

(३) बहुत सा ऐसा रखने था जो भारतवर्ष से नहीं लिया जाना चाहिए था।

(४) भारतीय सेना तथा उसमें सम्बन्धित नीति भारत सरकार के हाथ में नहीं थी वरन् अप्रेजी युद्ध दफनर के हाथ में थी।

देश के स्वतन्त्र होने पर यह ग्रामीणी भी जाती थी कि भारत वा रक्षा व्यव कई बातों के कारण कम हो जायेगा जैसे (१) युद्ध समाप्त हो जूका है और इसलिए भव रक्षा पर पहले जितना खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। (२) देश के विभाजन के कारण अब देश के ऊपर कम क्षेत्र की रक्षा वा भार रह गया है। (३) अप्रेजी शासनकाल में जो अनुचित खर्च भारतवर्ष में लिया जाता था वह समाप्त हो जायगा। परन्तु यह ग्रामीणी नहीं हूँ और हमारे देश का रक्षा व्यव बढ़ाव जा रहा है।

इस व्यव के बदले के निम्नलिखित बारे हैं—

(१) स्वतन्त्र होने पर भारतवर्ष वो पावरकता वे समय पहले के समान अप्रेजी फौज से सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए भारतवर्ष वो अपने पास हर प्रकार वी पूरी तरही पड़ती है।

(२) स्वतन्त्र होने पर भारत में इतनी उथल पुथल हो गई थी कि उसनो ठीक करने के लिए एक बड़ी सेना रक्षनी आवश्यक थी।

(३) भारतवर्ष को वाइसरे के ऊपर भी लगभग ३० करोड़ रुपये क्षमता करने पड़ते हैं। यही कुछ वर्ष पूर्व हैदराबाद के द्वारा वो समाप्त करने में सरकार को कुछ खर्च करना पड़ा था।

(४) विभागन के बारें मार्गदर्शी की स्वतंत्रता भी बहुत बढ़ गई है। यह भीमा पारिस्थान से इसी ही है। इस पर पारिस्थान के गिराही समय समय पर भगड़े बरत रखते हैं। दूसरे भगड़ा का दाना बरते हैं जिए तथा पारिस्थान के मार्गदर्शन हृष्णने जो गोरुन के जिए मार्गदर्शन का बहुत सता रखनी पड़ती है। आजकल ऐसी चर्चा चल रही है (और यह सत्य है) क्योंकि पारिस्थान ने उसका मान लिया है) कि पारिस्थान अमरीका जो अपना दश के हवाइ फ्लूट द्वारा तथा बदले में उसमें नए प्रकार के मन्त्र अद्वितीय नहा जिसने कि वह भारत के बादमीर का लीन मके। इस कारण हमारा रक्षा व्यव बड़ा भावधक ही है।

(५) भारतदर्शी म ऊची सेनिक शिक्षा दित के लिए कड़े बेन्द्र साले गए हैं जिन पर काफी खबर हाता है।

(६) भारतदर्शी म युद्ध का सामान बनाने के लिए भी कड़े हार्याना लाए गए हैं जिनमें बहुत सा धन खर्च हाता है।

(७) सत्ता के रहने के लिए वरके प्रादि के प्रबन्ध करने में भी भारतार का बहुत सा धन खर्च हुआ। यह खबर इसलिए लिया गया प्रश्नकि लेना के रहे कि बहुत से स्थान पारिस्थान में चल गए।

भारत का रक्षा व्यव पहले के समान घाजकर भी चर्चा का विषय है। तोपा का बहुता है कि जब जि संयुक्त राष्ट्र (U.S.A.) अपने कुल व्यव का २५ प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र (U.K.) १३ प्रतिशत और हम १७ प्रतिशत खर्च करता है तो किर भारतदर्शी रक्षा व्यव पर ५१ प्रतिशत के समान रक्षा खर्च करता है। रक्षा पर इनका अधिक व्यव हाते हैं बारत राष्ट्रीय उत्थान जर्मनी में बहुत बहुत खर्च हो गाता है। परन्तु हमें यह बात ज्ञान रखनी चाहिए कि भारत में रक्षा का भार बैंड बैन्ड के ऊपर है और यदि हम बैन्ड और गन्धी के कुल व्यव के लिमान से रक्षा पर हुए व्यव का अनुपान साझाएँ जो वह बैन्ड २५ प्रतिशत के लगभग होगा। इसके अनियन्त्रित भारत का स्वतन्त्रता मिले यही थोड़ा ही समय हुआ है और उसके पास यही तक युद्ध के नये प्रवाह के साधन नहीं हैं जिनको वह प्राप्त कर रहा है। इनका प्राप्त परन्तु तो पुरा है कि हम किसी देश वी आजादी को हड्डप में परन्तु इस युग म जब कि हर दश में हवियारा की दीड़ हो रही है यदि हम उनसे प्राप्त त बर्दें तो हम अपनी आजादी वा भी लो बैठो। इसके अनियन्त्रित जब तक पारिस्थान भारत की तरफ से अपना रवेंदा न बढ़नेगा तब तक भारतदर्शी के लिये एक बड़ी लेना रखना यावश्यक हो जायेगा। हमारे लिए यह भी ग्रावरपक है कि हम अपने देश के नीजवालों को सेनिक शिक्षा दें। इन गवर्नर चाना के बारें निराट भविष्य में हमारा युद्धव्यव घटता दिखाई नहीं पड़ता, वह बड़े मनता है।

### जन व्यय (Civil Expenditure)

इसमें कई प्रकार का व्यय सम्मिलित है।

**सामान्य प्रशासन (General Administration) —** १००६ ई० तक गवर्नर-जनरल तथा उसके कर्मचारीदों वा वेतन तथा भत्ते, प्रालोक वे गवर्नर तथा उनके कर्मचारीवग का वेतन तथा भत्ते, बहुत से विभागों से खर्च, विधान सभाओं के खर्च, इन्हूँलेण्ट में स्थित इण्डिया एफिस का व्यय, भारत मन्त्री वा वेतन तथा उसके भत्ते आदि सम्मिलित थे। परन्तु १९१६ के मुवारी के पश्चात १९२१ ई० में नियन्त्रिय सरकारों वा इताव अलग कर दिया गया और उनके पश्चात वेतन केन्द्रीय सरकार वा व्यय ही इस मद्द के अन्दरमें दिलाया जाने लगा। १९३५ के मुपारी वा पश्चात इस मद्द के अन्तर्गत निम्ननिषित व्यय सम्मिलित थे —

- (१) सरकारी विभागों का वेतन, भत्ते तथा दूसरे व्यय।
- (२) इण्डिया हाउस जो लालन में दमा है उसमें सम्पन्नित सब व्यय।
- (३) मन्त्री मण्डल वा अध्यक्ष।

(४) केन्द्रीय विधान सभा का व्यय। इसमें गवर्नर जनरल का व्यय सम्मिलित नहीं था। इस पर कोई राय नहीं ली जाती थी। स्वतन्त्र होने के पश्चात इस मद्द के अन्तर्गत निम्ननिषित व्यय सम्मिलित हैं —

(अ) मन्त्री मण्डल वा व्यय, (ब) लोक सभा का व्यय, (म) भारत सरकार वे विभिन्न मन्त्रियों के दखलों वा व्यय।

इन सब खर्चों में से १५ प्रत्यस्त १९४७ से इण्डिया हाउस वे समाप्त कर देने पर उसका व्यय कम हो गया है।

देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात यह प्राशा की जाती थी कि सामान्य प्रशासन वह व्यय बहुत कम हो जायेगा परन्तु बहुत होने वे स्थान पर यह सर्व बढ़ गया है। १९३८-३९ में यह लगभग १८७ लाख रुपये था। विभाजन में पूर्व १९४६-४७ में यह बढ़ कर ६१६ लाख रुपये हो गया। विभाजन के पश्चात यह प्राशा की जाती थी कि इस मद्द पर व्यय बहुत मात्रा तक बढ़ जायेगा। परन्तु घटने के स्थान पर वह यहुत अधिक बढ़ गया है और निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। १९५१-५२ में यह व्यय बड़कर ५,६१६ लाख रुपये, १९५२-५३ में ५,६२३ लाख रुपये, १९५३-५४ में ६८,५७ लाख रुपये थी। इस प्रकार व्यय बढ़ने के कई बारण हैं —

- (१) बहुत से नये नये मनालयों का स्थापित होना। पहले वे दस मन्त्री-सभी के स्थान पर आज़बल लगभग १६ मनालय हैं। (२) बहुत में नये मन्त्री बढ़ा दिये गये हैं। (३) लोक सभा वा खर्च पहले की प्रोप्रिया बहुत बढ़ गया है। (४) केन्द्रीय खंडन प्रायोग (Central Pay Commission) के गुम्भाप्रो के

अनुमान बहुत में प्रफ़रेंसी तथा कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है। (५) हर मंत्री के अन्तर्गत वार्षिक बाने दाने अप्रभाव तथा कर्मचारियों की सम्या बहुत बढ़ गई है। इसका अनुमान निम्नलिखित आँखों से लगाया जा सकता है—

मंत्री-वद का नाम	प्रफ़रेंसी की सम्या				कर्मचारियों की सम्या
	१९४६-४७	१९५०-५१	१९५६-५७	१९५०-५१	
गृहनायि	२३	१८१	८८८	१६८८	
मूलना तथा धारकार्यम्	१३	१०८	२५६	६५५	
शिक्षा	२६	६०	१०८	११००	
कृषि	३६	६२	२१३	५६०	
विदेशी कार्य भादि	१६	३३	१३७	७१५	
प्राक्तन-गवर्नर	२६	८५	३०८	४३२	
दिति	१६४	२३५	१६३५	३२८६	

उपर्युक्त तालिका में बुल रही मणिया के अप्रभाव तथा कर्मचारियों की सम्या दिया गई है। ये में भी प्रफ़रेंसी और कर्मचारियों की सम्या इसी प्रकार बढ़ गई है। (६) दूतावासों की स्थापना तथा उनकी सम्या में वृद्धि। अब हमारे देश में दूतावास प्रायः सभी देशों में हैं। इन दूतावासों का अधिक भी बहुत अधिक है।

**हिसाय की जांच (Audit of Accounts)**—१९२१ ई० तक इस मद्द का व्यय सामान्य प्रगतिशील रूप से अनावृत दियाया जाता था परन्तु उसके पश्चात यह प्रगति दिलाया जाने सम्म। इसमें भारत के महानेता परीक्षण का वेतन, भर्ते तथा दफ्तर का व्यय, लेखा तथा जाम विभागों के कर्मचारियों का वेतन तथा भर्ते, साड़ा, डबोग तथा प्रदाय के महालेसा पाल का वेतन, भर्ते तथा दफ्तर का व्यय भादि सम्मिलित है। इस मद्द पर भी पहले की ओरता बहुत अचूक बढ़ गया है। इसके कट बारण है—(१) प्रफ़रेंसी की सम्या जो १९४६-५७ में १६४ थी वह बढ़ कर १९४८-४९ में २४२ हो गई, (२) दफ्तर का व्यय भी बढ़ गया है, (३) आने जाने के सर्वों तथा भर्तों में वृद्धि हो गई।

**न्याय व्यवस्था (Administration of Justice)**—१९२० ई० तक इस मद्द में दीवानी और औज़ारी में दफ्तरों का व्यय सम्मिलित किया जाता था। इनों प्रतिरिक्षित इरामे जैतो का सर्वे भी सम्मिलित किया जाता था। परन्तु १९२१ ई० से जैतो का सर्वे इरामे से निकाल दिया गया है। प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना पर

1 Figures in the above table taken from Mehta and Agarwal—Public Finance— p. 245.

पुतिय व न्याय का भार प्राप्ता पर पठने लगा परन्तु भारत के मध्यांशीय न्यायालय का दर्शन भारत सरकार पर ही रहा। इस अकार इस मद्द के अन्तर्गत निम्नलिखित घट्ट सम्बन्धित है—

(१) संघीय न्यायालय के न्यायाधीश तथा दूसरे अफमरों का वेतन, (२) दफनरा का लर्च, (३) भारत के मद्दाधिकर, (Advocate-General) का वेतन, (४) सप्तर लर्च तथा दूसरे भने, (५) विदेष न्यायालय की व्यवस्था वा सर्वं। भारत के तथे विधान में मध्यीय न्यायालय की व्यवस्था न्यायालय के नाम से पुकारा जाने लगा है।

**पुलिस (Police)**—१९२१ में पहले पुलिस केन्द्रीय शासन के आधीन थी। परन्तु १९१६ ई० में मुधारा के बारे यह एक प्रालीय मद्द कर दिया गया। इस लिये केन्द्रीय सरकार को आजकल दृढ़त बम लर्च करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार वेतन उन्हीं क्षेत्रों के लिये पुलिस रखती है जो उसके द्वारा शामिल हैं।

**राजनीतिक (Political)**—१९२७-३८ तक इसमें वही मद्द सम्बन्धित थे, जैसे, [१] नंतिजो तथा वापिस्त्र दूतावासा का लर्च, [२] देशी रियालना में ऐसे गये रेजिडेन्टा तथा गजनीतिक एजेंटों का सर्वं, [३] नाउन प्रतिनिधि का लर्च, [४] गणजाति क्षेत्रों का लर्च, [५] सीमा पर दल भाल बरने के लिये रखी गई सेना। प्रान्तीय स्वदासन के स्थापित होने पर इस मद्द के अस्तर्गत किये गये लर्च को तीन भागों में बाटा गया— [१] नाउन प्रतिनिधि का सर्वं, [२] गणजाति क्षेत्रों का लर्च तथा [३] विदरी कार्य। इस रर्वे दे ऊपर विधान सभा न बोर्ड राय नहीं ली जाती थी। भारत के स्वतन्त्र होने पर इनमें से पहले मद्द का सर्वं समाप्त हो गया है। आजकल भारत के सम्प्रूद्धि का सर्वं अनुप्र दियासा जाना है, और वह भारत की मध्यित निधि में से निकाला जाना है। दूसरे, क्षेत्रों के ऊपर यद लोक मभा को राय देने का अधिकार है। १९२७ ई० में गणजाति क्षेत्रों का सर्वं बम हो गया है क्योंकि वह पाकिस्तान में चले गये हैं। परन्तु भारत के दूतावासों का सर्वं प्रब वहू बढ़ गया है। चिकित्सा न्याय स्वास्थ्य (Education, Medical and Health) इन तीनों के अलग घलग विभाग है। १९१६ के मुधारों से पहले यह तीनों मद्द केन्द्रीय सरकार के आधीन थे परन्तु उसके पदचाल यह प्रालों के हाथ मे भरे गये। फिर भी मुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको केन्द्रीय सरकार महानका देती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर भी मग्वार महायना दृप में तथा दूसरे दृगों से लर्च करती है। परन्तु इन महों पर जो लर्च होता है वह आवश्यकता में बहुत नया है। ग्रामीय सरकार भी धन की कमी के कारण इन महों पर बम लर्च करती है। इस लिये केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन महों पर अपना न्यय बढ़ावे।

इन मामों अतिरिक्त सर्वार कुछ धन उत्तोषा शापुणाने प्राइवेट ग्रानरी पर भी खर्च करनी है।

शारणार्थियों के फिर से वसाने का खर्च (Rehabilitation of Refugees)—देश व विभाजन में शारणार्थियों की समस्या भी भारत सर्वार के सामने प्राप्त उपस्थिति हो गई। पानिस्तान में स्थित हिन्दुओं को भारत में आना पड़ा। आने वालों में प्रसिद्धतर गन्धे जिनका नाम न लाने के लिए अन्न था और न पहनने के लिये कपड़ा और न रहने के लिये पर। इन प्रगति सांग की महायता भारत के लोगों प्राचीन भारकारी नवा बन्दीष सर्वार ने बहुत यह धन खन बचवे थी। १६४७ के मध्यवर्ती उठाव में शारणार्थियों पर २२ करोड़ रुपए का प्रबल किया गया था। १६४८-४९ में बहुत में लोगों के बम जान पर इम मद पर कुछ कम धन खर्च होने की आमा की पर रामा न हुआ और इम मद पर १६४५ करोड़ रुपये रख द्या। १६५१-५२ में यह धन पर कर १३६३ करोड़ रुपये रह गया। १६५२-५३ में यह धड़ कर करन ११३२ करोड़ रुपये ही रहा गया। परन्तु १६५३-५४ में यह धड़ कर १२६३ करोड़ रुपये हो गया।

खाद्य सामग्री पर अर्थ महायता (Subsidy on Food Grains)—भारतवर्ष में अन्न का अभाव बहुत दिनों से प्रीति किया जा रहा था। देश के विभाजन के पश्चात अन्न का अभाव और भी अधिक बढ़ गया। इस कारण भारतवर्ष को विदेश सम्बन्ध में अन्न महावाना पड़ा। पर विदेश समग्रामा हुआ अन्न बहुत महान पड़ा था। उम्मको सम्मा उठाव के लिए भारत सर्वार अब सहायता दिया करती थी। इम सहायता का धन १६५१-५२ में रेह ६६ करोड़ रुपये था और १६५२-५३ में २११ करोड़ रुपये था। परन्तु इन वर के पश्चात सर्वार ने इस मद पर खर्च करना विलुप्त घोटा दिया है।

भारत में नागरिक प्रशासन पर किया गया सबं भी रक्षा व्यय के समान सदा ही आनोखा वा विषय रहा है। याज्ञों के यासन काल में इस मद पर यह धन खर्च हुआ था। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात यह ग्रामों की जाती थी जि इस मद पर व्यय बहुत मात्रा में बढ़ जायेगा। परन्तु ऐसा होने के बाद से वह बहुत गुना बढ़ गया है। प्रब्र मन्त्र महान में मत्रियों की समस्या पहन रो लयथग दुपनी ही गई है। इन मत्रियों के लीजे साम करन वाले प्रमुखों तथा वन्मचारिणों को सरया भी बढ़ कर रही गुनी ही गई है। इसके अतिरिक्त विदेश में हुतावामा पर भी बहुत सा खर्च बढ़ गया है। इस प्रकार आरो और सबं बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। इसमें से बहुत या लव ग्रामों से कम हो सकता है। वर्मचारिणों और भक्तारों की समस्या कम भी जा सकती है। हुतावामों का व्यय भी घटाया जा सकता है।

मने और सफर सर्वं कम किया जा सकता है। इस प्रकार इस मद का सर्वं बहुत कम किया जा सकता है।

**आय एवं वरने पर सर्वं (Cost of Collection of Revenue) —** कांग्रेस सरकार को प्रायः वर सीधा कर, अपील कर, चूटन्कर, आदि के एक द्वारा के लिए बहुत से व्यक्तियों को रखना पड़ता है। इन हव को सरकार देना चाही है। यह व्यय भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। १९३८-३९ में इस मद पर ४२५ १३ लाख रुपये लग्ते थे। १९४७-४८ में देश के विभाजन पर यह सर्वं ५४५ १० लाख रुपये था। उसके पश्चात् इस सर्वं के घटने की आज्ञा दी गयी। यह सर्वं ५४५ १० लाख रुपये था। उसके पश्चात् इस सर्वं के घटने की आज्ञा दी गयी। पर ऐसा न हुआ। विभाजन ने अब तक ही वर्ष में यह सर्वं बढ़ कर ८२२ १४ लाख रुपये हो गया। उसके पश्चात् भी यह सर्वं बढ़ता रहा, यहाँ तक कि १९५१-५२ में यह १६६५ लाख और १९५२-५३ में ३१०५ लाख हो गया। १९५३-५४ में यह सर्वं ३०,६२ लाख रुपये हो गया। दूसरे महीने के समान इस मद पर भी ग्रामसरों तथा दमनारियों की मरपा तथा उनका देना भत्ते बढ़ने के कारण सर्वं बढ़ गया है। यह सर्वं कम किया जा सकता है। सरकार अपनारों तथा दमनारियों की सम्म्या घटाई जा सकती है। उनके भत्ते तथा देना आदि कम कर सकती है। परन्तु भी सरकार का इस ओर प्रयत्न नहीं हुआ है।

**भारतीय कर पद्धति की कुछ विशेषतायें—भारतवर्ष की वर पद्धति ने निम्नलिखित विशेषतायें हैं—**

(१) भारतवर्ष में करों के एकत्र बरने का उद्देश्य आप्राप्त करना है। करों के द्वारा धन की समानता को कम करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यह बात सत्य है कि भारतवर्ष में वडी वडी आपो पर बढ़ेमात्र कर लगाया जाता है परन्तु किर भी गाव और गृहों को करों का समान भार दहन नहीं बरना पड़ता। गाव बाले लोगों पर बहुत कम कर लगाया जाता है। परन्तु दहर में रहने वाला पर कर पा एक बड़ा भार होता है। यही नहीं, यदि दो व्यक्ति एक सी ही ग्राम प्राप्त कर रह हों तो उनको समान वर देना पड़ेगा जहाँ एक वर परिवार छोड़ा हो और दूसरे का बड़ा। हमारे देश में इगनैष्ट के समान पारिवारिं सहायता नहीं दी जाती।

(२) भारतवर्ष में मिश्रित कर पद्धति है। यह पर द्रव्यवस्थ तथा प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ही कर लगाए जाते हैं। मालगुआठी तथा आप-वर प्रत्यक्ष वर हैं तथा मीमा-वर, उत्पादन कर आदि आप्रत्यक्ष कर हैं।

(३) भारतवर्ष में द्वितीय महायुद्ध से पूर्व प्रत्यक्ष वर प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं। १९२४ ई० की वर जात समिति ने मौं यह बात

मानी धी कि भारतवर्ष में कश का भार गरीबों पर अधिक और भरीरों पर कम है। १६३८-३९ तक भारत सरकार की कुल आवाद का २२ दि प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष करने के रूप में आता था। परन्तु द्वितीय महायुद्ध से प्रत्यक्ष करो वा महत्व बढ़ने से लगा है। इसका अनुमान निष्पत्तिलिखित तात्त्विका से लगाया जा गवता है। यह तात्त्विका यह बताती है कि भारत सरकार की कुल आवाद का वितने प्रतिशत प्रत्यक्ष करो में आपा होगा था—

वर्ष	१६४१-४२	१६४२-४३	१६४३	४४	१६४४-४५	१६४५-४६	१६४६-४७
प्रत्यक्ष कर का	२६३	८२	४६३	४६३	४०६	३७५	कुल आवाद में

#### प्रतिशत

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष करो वा महत्व बढ़ता जा रहा है। परन्तु द्वितीय महायुद्ध की गमान्त्रि पर अप्रत्यक्ष करो की अपेक्षा अधिक गहरायपूर्ण ही यह है। परन्तु इस बात के होने हुए भी यह बताना आवश्यक है कि भारतवर्ष में लोगों पर कर लगाने की गुज्जायश नहीं रही रही है। यदि सरकार कर लगाना चाहती है तो वह गाव के लोगों पर लगा सकती है। यदि सरकार ने नगर के लोगों पर और कर लगाए तो उम्मे पूँजी एकत्र न हो सकेगी और उसके फल-स्वरूप उद्योग-धनों के चलाने में बड़ी वाधा उत्पन्न होगी।

(४) द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने से अब तक भारतवर्ष में साधारण-समा हीन बजट ही बनते हैं। यह बात केवल तथा राज्य सरकार दोनों के तिए साधु हीती है। इसका कारण यह है कि आवाद की अपेक्षा व्यय अधिक बढ़ गया है। बैंक में रका तथा जानपद व्यय पहले से कम न होकर बढ़ गया है। इसी प्रकार शम्य मदों पर भी व्यय बढ़ गया है। परन्तु आवाद, व्यय के अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसी प्रकार राज्य सरकारों को रिक्षा, चाड़कों, मद्य निषेध, जनीदारी उगमूलन प्रादि योजनाओं पर बहुत धारिक घन सर्व करना पड़ रहा है परन्तु उनके आवाद के राखन साधारणतया बेलोच है। इसलिए उन्होंने नए नए कर लगाए हैं। उनमें विश्वी-नर आमोदव्यवस्था, कृषि आयकर मुख्य है। परन्तु इन करों से भी राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार आवाद प्राप्त नहीं होती।

(५) भारतवर्ष में दूसरे देशों की अपेक्षा प्रति व्यवित कर भार बहुत कम है। इसलिए कुछ लोगों वा कहना है कि यहाँ भीर कर बढ़ाने की गुज्जायश है। परन्तु यह बात सोचनी चलत है यद्योऽक भारतवर्ष में अधिकतर लोगों के रहन सहन का दरजा इतना कम है कि उन पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए विषयीत भरीवा आदि देशों में सबसे निम्न जीवनस्तर रखने वाले लोग भी कर दे सकते हैं।

(६) कुछ लोगों वा यह भी कहता है कि भारतवर्ष में करों द्वारा प्राप्त आय कुल राष्ट्रीय आय की केवल ७ प्रतिशत है जब जि यह संयुक्त राज्य (U. K.) में ३५ प्रतिशत, अमेरिका में २२ प्रतिशत, संयुक्त राष्ट्र (U. S. A.) तथा जापान में २३ प्रतिशत, कनाडा में १६ प्रतिशत, थोलंड में २० प्रतिशत, मियां में १६ प्रतिशत, ब्रूना में १५५ प्रतिशत, चिली में १४४ प्रतिशत तथा नार्जील में १४४ प्रतिशत है। इसलिये यहाँ पर करों द्वारा आय बढ़ाई जा सकती है। परन्तु यह बात सोचनी भी पहले के समान ही गलत मानस्तम पढ़ती है क्योंकि भारतवर्ष में अधिकतर लोगों को दो समय भर पेट खोजन भी नहीं मिलता, यहाँ पर ३५ करोड़ लोगों में से केवल ८ लाख आदमी कर देते हैं, यहाँ की राष्ट्रीय बजत कुल बजत की ५ प्रतिशत है, इसलिये यहाँ पर कर द्वारा अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर पहले ही इसने कर लगे हुए है कि और कर बढ़ाने की कोई मुश्यावधि नहीं है।

कर पढ़ति में उन्नति करने के सुझाव —

(१) भारतवर्ष में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि करों को कर-दातानी की कर क्षमता के अनुसार लगाया जाए। जिन लोगों को एक बड़े परिवार को पालना है उनको इन्हें लेन के समान पारिवारिक सहायता दी जाए।

(२) भारतवर्ष में कृषि से कुल राष्ट्रीय आय का ५४ प्रतिशत प्राप्त होता है परन्तु कृषि से सरकारी मजाने को केवल १२ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इस लिये इस देश में वृषभाय पर कर लगाया जा सकता है।

(३) कुछ लोगों वा यह भी सुझाव है कि नमक कट पिर से लगा दिया जाए। इसका भार प्रति व्यक्ति पर कोई अधिक नहीं पड़ेगा क्योंकि नमक पर व्यक्ति की आय का एक छोटा सा भाग खर्च होता है परन्तु उसमें सरकार की आय बहुत प्राप्त हो जायेगी।

(४) भारतवर्ष में आजवल कुल वर-आय का केवल ८ प्रतिशत ही मान-मुजाही के हृष में प्राप्त होता है जब कि १९३६ में २५ प्रतिशत प्राप्त होता था। इसलिये इस प्रोट कर बढ़ाने की गुन्जायश है।

(५) भारतवर्ष में इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि रक्षा, जनपद तथा उन्नति-पोषणामो से किये गये व्यय में मित्रजयिता की जाए न्योक्ति बहुत सी समितियों की खोज तथा भारत के महानेहा निरोक्षक की रिपोर्टों से यह बात साफ पता चलती है कि भारतवर्ष में इन सब प्रोट कर बहुत सा बेकार भन सर्व किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि कर दे सकने वाले कर से न बच सकें।

(६) भविष्य में सरकार अपनी आय सिधरी के समान बहुत से ऐसे वारंपाले खोल कर भी बढ़ा सकती है जहाँ पर कि व्यक्तिगत वृद्धि नहीं लगाई जानी।

## अध्याय ८

### राज्य सरकारों की आय और व्यय

(Income and Expenditure of the State Governments)

#### आय के स्रोत (Sources of Revenue)

**मालगुजारी (Land Revenue)**—यह एक बहुत पुराना कर है। हिन्दू राजाओं के काल में यह बस्तुप्राक के रूप में एकत्र किया जाता था। उस समय इसकी दर कुल पैदावार की  $1/6$  से सेकर  $1/12$  तक थी। युद्ध काल में इसको बढ़ा कर  $1/4$  तक कर देते थे। मुसलमानों के काल में भी कुछ समय तक यह कृषि बस्तुओं के रूप में ही बमूल किया गया। परन्तु जब उनके राज्य का विस्तार होने लगा तो इसको द्रव्य के रूप में बमूल किया जाने लगा। अमेरिका ने भी द्रव्य में ही इसको बमूल किया। आरम्भ में वारन हैट्टिंघम ने पच साला बन्दोबस्तु किया। परन्तु १९६३ई॰ में नार्ड बार्नेवलिस ने स्थायी बन्दोबस्तु को नीच ढाली जो दगाल, विहार, आसाम, मद्रास के उत्तरी सरकारें ने क्षेत्र तथा बनारस के आस पास पाया जाता है। इसके अनुमान जमीदारों द्वारा जमीन का स्वामी मान लिया गया और उन पर सदा के लिये मालगुजारी निश्चित कर दी गई। यह बदाई नहीं जा सकती। परन्तु जिसानो का नगान स्थायी है से निश्चित नहीं किया गया। इसनिये किसानों के लिए तो लगान बढ़ता रहा परन्तु जमीदारों की मालगुजारी वही रही। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में स्थायी बन्दोबस्तु है। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में यह ४० वर्ष में तथा मध्य प्रदेश में २० वर्ष में बदला जाता है। बम्बई में यह ३० वर्ष में बदला जाता है। इसके भारिकरण मालगुजारी निश्चित करने का ढङ्ग तथा उसकी दरें भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार भारत में मालगुजारी की निम्नलिखित विवेयताएँ हैं—

(१) पहले मालगुजारी कुल उत्पादन पर ली जाती थी, परन्तु आजकल वह भारोप सम्पत्ति (Net assets) पर ली जाती है। आरोप सम्पत्ति निकालते समय कुल उत्पत्ति में से नागत यांच पटा देते हैं। इस प्रकार मालगुजारी लेने का ढङ्ग पहले से परन्तु परन्तु आजकल भी उसमें प्रत्यक्ष है नि वह व्यक्ति पर करने होकर बम्बु पर है और इसलिए प्रतिगामी है। भारतीय कर जान समिति १९२४ ने इस सम्बन्ध में भट्ठा है, “इससे आगे यह बात प्रत्यक्ष है कि मालगुजारी का कर की पोजिशन के रूप में विचार करने पर यह बढ़ मान तो नहीं है, परन्तु वास्तव में उसके विपरीत है”।

(२) भारत में मालगुजारी निश्चित करने का छह सन्तोषजनक नहीं है। वास्तविक सम्पत्ति का भारत के सभी भागों में समान अर्थ नहीं है। इसका निश्चित करना मालगुजारी निश्चित करने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है। साधारणतया मालगुजारी निश्चित करते समय वह भूमि, जलवाया, वृष्टि स्थिति, मिहाई सुविधाओं आदि को ध्यान में रखता है। परन्तु किसी भी मालगुजारी लगाने का छह बहुत अलग भौमि में अनुचित तथा स्वेच्छाचारी है।

(३) अस्थायी बन्दोबस्तु वाले भाग में सरकार अपेक्षा सम्पत्ति का जो भाग मालगुजारी के रूप में लेती है उसको निरन्तर पटाती जा रही है। संयुक्त प्रान्त में १८१२ में यह भाग ६० प्रतिशत था १८५५ में ५० प्रतिशत तथा १८२५ में केवल ४० प्रतिशत था।

(४) परन्तु जहाँ जमीदारों की मालगुजारी घटती जा रही है किसानों पर लगान बढ़ता जा रहा है। इस बारण किसान भूमि पर किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता और उसके फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति निरन्तर घटती जा रही है।

(५) उनीश्वरी शातान्धी के अन्त तक मालगुजारी भारत सरकार वी प्राय वा साधन था और उसकी कुल आय का एक बड़ा भाग इसी प्रान्त होता था जैसे १७६३-६४ में ६६ प्रतिशत, १८५७-५८ में १६६१ ५ प्रतिशत, ८६-८२ में ४१ ३ प्रतिशत, परन्तु दीसवी शातान्धी के प्रारम्भ से ही इसका महत्व घटता जा रहा है, जैसे १८०१-२ में भारत सरकार वी कुल आय का ४१ ८ प्रतिशत, १८१६-२० में २७ ८ प्रतिशत इस खोत से प्राप्त होता था। १८१६-१७ वे मुधारों वे पश्चात मालगुजारी प्रान्तीय आय-खोत हो गया है और प्रान्तों की आय का एक बड़ा भाग इस खोत से प्राप्त होता है परन्तु प्रभी हाल ही में उसका महत्व घटता जा रहा है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सभी प्रान्तों के लिए इस आय के खोत का समान महत्व नहीं है इसका पता नीचे की तालिका से चल सकता है—

प्रान्तों का नाम

प्रान्त की कुल आय से मालगुजारी की आय का

प्रतिशत (१८४०-४१ में

मद्रास	२७ ६६
बंगाल	२६ ४६
बन्दर	२३ ८५
उत्तर प्रदेश (U. P.)	५५ २८
पश्चिम	२२ ६२

मध्य प्रदेश	४१ ५५
बिहार	३६ ३८
घासाम	२७ ४६
उडीसा	२६ ५८
सिप	६ २२
उत्तरी पश्चिमी श्रीमान्द्राम	१० ५३

(६) भूमि की आय का एक बड़ा भाग जमीदारों की जेबो म जाता है। जैसे केवल लगान मे १२ करोड़ रुपय के लगभग जमीदार लोग अपने पास रह जाते हैं। प्रस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रान्तों का अनुमान यही आकड़े न होने के कारण नहीं लगाया का सकता। परन्तु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन प्रान्तों में भी जमीदारों के पास भूमि की आय का एक पर्याप्त भाग रह जाता है। जमीदारों की इस आय पर कोई कर नहीं लगाया जाता। अभी कुछ ही बर्तों से कुछ प्रान्तों ने इम आय पर कर लगाना शारण किया है।

मालगुजारी कर है अथवा लगान (Land Revenue or rent)—इह सम्बन्ध मे बड़ा बाद रहा है कि मालगुजारी कर है अथवा लगान। जो लोग इसको लगान बताते हैं उनका कहना कि यह लगान इसलिए है कि सरकार इसकी दर को आवश्यकतानुसार नहीं बदल सकती। इसके अतिरिक्त किसानों को मकान बनाने के लिए भूकल भूमि दी जाती है तथा उनको सुमित्रित भूमि में पशु चराने का भी अधिकार है। इन सब बातों के कारण इसको लगान कहना ही उचित है। परन्तु यहां यह बात बताने योग्य है कि सरकार के ऊपर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है कि वह मालगुजारी को नहीं बड़ा सकती। वह उनको इसलिए नहीं बदाती क्योंकि ऐसा करने मे उसको दबी कठिनाई दठानी पड़ती है और नहीं कहीं कोई जमीन के पट्टे हर बर्ष बदले जाते हैं। रही मकान की भूमि यादि भूपत देने की बात, वह भी कोई विशेष महत्व की नहीं है क्योंकि सरकार भूमि में अपना महत्व स्थापित किए रिता भी ऐसी नुसिखायें किसानों को दे सकती हैं। मालगुजारी को लगान बताने वाले यह भी तरफ़ देते हैं कि चाहे आरम्भ में जो स्थिति हो परन्तु आजकल तो मालगुजारी लगान ही है क्योंकि भूमि के बार बार बेबे खरीदे जाने के कारण मालगुजारी के हृद में भी पर्दे सरकारी मान का पूँजीनरण (Amortisation) हो गया है। इसलिए जिन लोगों के दाल आब्दल भूमि हैं उनके द्वारा मालगुजारी को कर नहीं माना जा सकता वरन् लगान ही माना जायेगा। परन्तु कर के पूँजीकरण का कभी भी यह अभिप्राय नहीं होना कि कर कभी नहीं बढ़ाया जा सकता वरन् उसका बेबल यह अभिप्राय है कि कर सम्पत्ति के बेचने वाले पर पड़ता है क्योंकि उसको खरीदने वाला कर का धन कम करके उसका रुपया छुकाता है।

यदि इस प्रकार खरीदी गई समति के द्वारा कर समाप्त जाता है तो उसको बही कहा जायेगा और कोई दूसरी खीज नहीं। इसके प्रतिरिक्ष पूरे कर का पूजीकरण बड़ा कठिन है, वयोंकि मरकार की माल का पहले से ही अनुमान लगाना कठिन है।

इसके विपरीत भारतीय वर जांच समिति ने इसको कर माना है और अपने तक के पक्ष में निम्नलिखित बातें बही हैं—

(१) भारत में मरकार ने अपने आपको भूमि का स्वामि घोषित नहीं किया है।

(२) मरकार ने इकाई बन्दोबस्त वाले खेतों में जमीदार को भूमि का स्वामी माना है और यदतबारी देशों में भी उसने भूमि की ओर पर कोई पावन्दी नहीं लगा रखी है।

(३) भारत में लगान शार्धिक लगान से प्रथिक है तथा उसको कर के समान धारदायक हृषि से देना पड़ता है।

(४) लगान राष्ट्रीय धार्य की एक अङ्ग है।

बास्तव में देखा जाए तो यह कहना बड़ा कठिन है कि यह कर है प्रथम नगान। इसलिए मरकार को जाहिए कि वह भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों को मान कर इस बाद विवाद को भगाप्त कर दे।

मालगुजारी तथा कर सिद्धान्त (Land Revenue and Canons of Taxation)—मालगुजारी पर कर के निम्नलिखित सिद्धान्त गानू होते हैं—

(१) निश्चितता—जब बन्दोबस्त के समय मालगुजारी निश्चित कर दी जाती है तो वह दूसरे बन्दोबस्त तक ली जाती है। उसमें बीच में कोई बदल नहीं की जाती। इस प्रवार विसान ने यह पता रखता है कि उसको केवा लगान देना है।

(२) सुविधा—विसान से लगान तक बसूल दिया जाता है जब कि उसकी प्रथम पक कर तैयार हो जाती है। इस प्रवार उसको लगान देने में कोई कठिनाई नहीं होती।

परन्तु जो लगान एक बार निश्चित हो जाता है उसको उस समय भी नहीं धटाया जाता जब कि प्रथम लगाव हो जाती है। इस प्रकार लगान में विसान बी कर देने की योग्यता वा बोई ध्यान नहीं रखा जाता।

(३) भितव्ययिता—भारत में मालगुजारी बसूल करने के लिए एक बहुत बड़ा कर्मचारी दर्द रखा जाता है जिसके कारण मालगुजारी बसूल करने में मिन्द्यायिता नहीं होती। इसके बसूल करने के सर्व का अनुमान ५ से १० ग्रामिण तक लगाया गया है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में मालगुजारी बसूल करने वाले समंवारियों को कर बसूल करने के अनिरिक्ष और बहुत में बाधे

करने पड़ते हैं जिनके कारण यह कहना कठिन है कि मालगुजारी बहुत करने का वास्तविक व्यय नया है ?

(४) कर देने की योग्यता—भारत में लगान किसान की भूमि से भाव पर नहीं लगाया जाना और न ही यह देखा जाता है वह भाव यिस प्रकार प्राप्त की गई है इसलिए यह कर वास्तविकार की योग्यता के धनुशार नहीं होता और वहाँ प्रतिगामी होता है ।

मालगुजारी में उन्नति करने के सुझाव—हमारे देश में मालगुजारी का बोझ प्राप्त, प्राप्त में भिन्न है । इसको सब स्थानों पर तमाज़ करने के लिए इसमें काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

इस पढ़ति को सुधारने के लिए निम्नतिवित सुझाव दिए जा सकते हैं —

(१) सब स्थानों पर मालगुजारी निश्चित करने का एकसा ही ढग होना चाहिये ; वर जाच भवित का सुझाव या कि मालगुजारी का आधार वार्षिक मूल्य (Annual value) होना चाहिये । वार्षिक मूल्य से समिति का अभिप्राय या इमी खेत पर पैदा होने वाली कुल फसल वा पूँजी व न. व्यय कटकर, (जिसमें किसान स्था उसके परिवार के अम का मूल्य भी सम्मिलित हो) । इस प्रकार प्राप्त किये गये वार्षिक मूल्य को २५ प्रतिशत मालगुजारी के रूप में लेना चाहिये ।

(२) भूमि से प्राप्त भाव पर आवकर लगाना चाहिये । यह स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के दोनों में लगाना चाहिये ।

(३) सरकार को चाहिये कि वह किसानों के जमीदार द्वारा किये गये शायद भी रोके । कार्य स सरकार इस भी पूर्य प्रयत्न कर रही है । उसने बहुत में प्राहो में जमीदार उम्मूलत एकट पात करके किसानों की बड़ी सहायता की है ।

कृषि आय-कर (Agricultural Income-Tax)—भारतवर्ष में कृषि आय कर एक राज्य आय-स्रोत है । आजवल मह विहार, प्रासाम, आल, उड़ीसा, तथा उत्तर प्रदेश द्वारा लगाया जाता है । सब से पहले इसको विहार ने १६३८-३९ में लगाया था । इसके एक वर्ष पश्चात इसको प्रासाम ने लगाया । बगल में यह १८४८ से लगाया जाता है तथा उडीशा द्वारा यह १८४७ ई० से लगाया जाता है । उत्तर प्रदेश ने इस बर को १८४८-४९ से लगाया । यद्यपि कृषि आय कर प्राठी ने भी कुछ ही वर्षों से लगाया है तो भी हमारे देश के लिये यह नया कर नहीं है । यह कर १८६०-६५ तथा १८६६-७३ के बीच लगाया जाता था । परन्तु तुछ राजनीतिक कारणों से इसको १८८६ ई० से लगाना बन्द कर दिया गया । उसने पश्चात १८३५ ई० में एकट ने प्राप्तों को इस कर के लगाने का अधिकार दिया ।

### इस कर से मध्यनिधि लुप्त बातें—

(१) वह कर देवत उक्ती प्राय पर लगाना चाहिए जो नूनि में प्राप्त हो। मवान आदि की प्राय इसमें मध्यनिधि नहीं करनी चाहिए।

(२) कर की नीति सब राज्यों में समान हानी चाहिए। जहाँ तक हो कर आय के खोते वे अनुभार लगाना चाहिए।

(३) गारन्टी के बिन शब्दों में यह कर लगाया जाना है उन शब्दों में आय-कर के समान यह 'स्वैच्छ दर' पर लगाया जाता है और छूट की सीमा जो छोड़ कर करकी दर भी सभी राज्यों में प्राय समान ही है।

दूसर प्रदेश कृषि-आय-कर की कुछ विशेषताएँ—यह कर १ जौलाई १९४८ म लगाया गया है। इमर्जे छूट की सीमा ३००० रुपये तकी रही है। महवारी समिलित के लिए छूट की सीमा इकल भी ऊंची रही जा सकती है। यह कर स्वैच्छ पद्धति पर लगाया जाना है। इसमें, मानवजारी लगान, स्थानीय कर आयवा अवदाद, आवासारी, मुए आदि की मरम्मत का व्यय, कृषि प्राय जो बढ़ाने के लिए, तिए गये अरण पर घास, प्राय एक्से बरने का व्यय, आदि को कृषि प्राय में मेधावी र जो शोप बढ़ता है उस पर कर लगाया जाना है। यह कर उन्हीं वाइतकारी पर नगाया जाना है जिनके पास ५० एकड़ अधिक उसमें अधिक भूमि होनी है। उम्मे जम भूमि रखने वालों की प्राय चाहूं जो भी हो उन पर कर नहीं लगाया जाना। किसानों की सुविधा के लिए यह भी अवश्य किया गया है कि वह करकों चार किट्ठों में दे सकते हैं।

इस खोल से अभी राज्यों जो खोई विशेष प्राय नहीं होनी जैसे १९४६-५० में इससे दूसर प्रदेश की लगभग १ करोड़ रुपये तथा पर्वियां बगाल की लगभग ६० लाख रुपये की प्राय प्राप्त हुई। यह प्राय प्राप्त जो कुल प्राय का एक छोटा सा भाग ही है। भविष्य में जमीदारी उन्मूलन के पश्चात इस खोल से और भी कम प्राय होने की प्राप्ति है क्योंकि उस समय कृषि प्राय और भी कम हो जायेगी।

**प्रांतीय उत्पादन-कर (Provincial Excise)**—भारतवर्ष में राज्य सरकारों को भी उत्पादन कर लगाने का अधिकार है। यह कर देशी शराब, ताड़ी, चरस, गाजा, सुखारा आदि मादक वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस कर का उद्देश्य प्राय प्राप्त करना नहीं बरन् मादक वस्तुओं के उपभोग को कम करना है। परन्तु अपेक्षी शासन में प्रातीय सरकारों का यह प्रयत्न रुक्ता था कि वह इस खोल से अधिक से अधिक प्राय प्राप्त करें। इस लिए इस नीति की सदा ही आलोचना होता थी।

१९२१ ई० के महात्मा गांधी के मगहणीग आन्दोलन के पश्चात् प्रान्तीय सरकारों की इस तोत में आय में बड़ी कमी हो गई। उसके पश्चात् ही बहुत से प्रान्तों ने गह नियेथ किया कि वे भपने प्रान्तों में मध्य नियेथ की नीति को अपनायें। इसके पश्चात् वहूं से प्रान्तों में नवीनी जीवों की दुकानों की सूचा घटा दी गई तथा उन पर कई प्रकार की पार्वनिया लगा दी गई।

१९३७ ई० में प्रान्तों का शासन कई स्थानों पर कायेस के हाथों में भा गया। प्राणेग सरकारों ने कई प्राती जैसे मद्रासा, बम्बई, मध्य प्रदेश, उडीसा आदि में भव नियेथ सम्बन्धी कानून पास किये। इसके कारण उनकी उस सौत से आय बहुत कम हो गई जैसे मद्रास की आय १९३६—३७ ३६६ लाख रुपये थी तथा बम्बई की ३२५ लाख रुपये थी। यह आय १९३६—४० में घट कर ३५५ लाख रुपये तथा १७७ लाख रुपये रह गई।

युद्ध में भाग लेने की नीति में मतभेद होने के कारण कायेस प्रान्तीय सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा। उनके चले जाने पर मध्य-नियेथ की नीति को फिर से बीता कर दिया गया। इसके कारण प्रान्तों की आय फिर से बढ़ने लगी और १९४५—४६ में सब प्रान्तों की आय ४३१३ लाख रुपये से भी बढ़ गई।

१९४६ ई० में कायेस सरकार फिर से नताराह द्वारा आय और उसने फिर मध्य नियेथ की नीति को अपनाया। इस प्रकार मद्रास में १९४८ में तथा बम्बई में १९५० में पूर्ण रूप से मध्य-नियेथ हो गया है। उत्तर प्रदेश में १९४७ में मध्य-नियेथ बेगल एटा, मैनपुरी, कर्नाटका, बड़ापूर, प्रतापगढ़, मुल्तानपुर तथा जोनपुर जिलों में ही लागू किया गया। १९४८ में यह कानपुर तथा उत्तराय में भी लागू किया गया। १९४६ में यह फतेहपुर तथा रायबरेठी में किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मध्य-नियेथ के कार्य में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमरे प्रान्तों में भी मध्य-नियेथ का कार्य धीरे धीरे चल रहा है। यही कारण है कि राज्यों की इस सौत से आय निरन्तर घटती जा रही है।

मध्य नियेथ थी नीति—राज्यों द्वारा अपनाई गई मध्य-नियेथ की नीति की आर्थिक दृष्टिकोण से कठी भातोचता की गई है। इस प्रकार सौचने वाले लोगों का कहना है कि इससे प्रान्तीय सरकारों की आय बहुत घट जायेगी जैसे मद्रास को इस नीति के अपनाने से १४ करोड़ रुपये तथा बम्बई को ८ करोड़ रुपये हानि होने का भनुमान है। इस प्रकार साप के कम होने पर राज्य सरकारों की उत्तरि की योजनाओं को बायांचित करने के बड़ी आपा उपस्थित होती। इधर सो राज्यों की आय कम होगी उपर इस बार्य में कोई विशेष लाभ न होगा क्योंकि लोग छुपे छुपे ताड़ी आदि बनाने लगें। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए राज्यों को अधिक पुलिस रखनी पड़ेगी जिसके कारण उनका व्यय और भी अधिक बढ़ जायेगा।

परन्तु इन तकों के विरद्ध हम कह सकते हैं कि हमको हर चीज़ को आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ों को नैतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना है और भल निषेध को उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह कुछ उचित नहीं जान पड़ता कि मध्य ग्रादि के उपभाग को बढ़ाव देने को आय प्राप्त हुए उनका हम उन्नति के कार्यों में लगाये। ऐसोकि ऐसा कारनामे हम एक और तो आर्थिक उन्नति के लिए और दूसरी ओर (यह अधिक महत्व पूर्ण है) लोगों को चरित्र हासिल देनायगे। जहाँ कहीं भी मध्य निषेध की नीति को अपनाया गया है वहाँ पर महाराजा का जीवन शर ऊँचा हुआ है क्या कि मञ्चदूर लोग हम पर यहीं आप का लगभग ८७३ प्रतिशत पर्च बरते थे। यहाँ यह बात भी बनाने योग्य है कि सोना छुपे हुए धनादि वही बनाता है जहाँ वह कुछ जिलों में बनानी है और कुछ में नहीं। हम समझते हैं कि राज्य मन्त्रालय को इस नीति को अवश्य अपनाना चाहिए और इन महाराजों से होने वाली हानि को दूर करनी चाहिए।

**विक्री-कर (Sales Tax)—**यह कोई नया कर नहीं है। कहने ? कि इसको बहुत पुराने समय में मिथन या रोम में लगाया गया था। हमारे देश में भी इमरान जाग्रानुत पौर्व के दाल में लगाया जाता था। पौर्व के बहुत में देश जैसे प्राचीन वैतकियम वैकोल्पिकैकिया, हस्त ग्रादि में यह प्रदूष महापृथक के लिए लगाया गया। इगलैंड में इसको इस निए प्रमाण नहीं किया गया जबानि पहले अच्छी बात यद्यनि वह एक महत्वपूर्ण आवधनकता को पूरा नहीं करता और वह ही कर देने की योग्यता। भारतवर्ष में इसको प्राचीनीय स्वभावन के पदचान ही लगाया गया। इसको सब से पहले मध्य प्रदेश तथा बरार ने १६३८ ई० में लगाया था तथा १६३६ में यह भद्राम द्वारा लगाया गया। भारतमें भारत मरवार ने प्राचीन के इस कर को लगाने के अधिकार की चुनौती दी परन्तु वैकल्पिक नीति ने प्राचीन के दून अधिकार को स्वीकार कर लिया। १६४५ ई० के पदचान भारत के सभी शासकों में इस कर को लगा दिया गया। भारत के नए दिकान में यह प्रदूष किया गया है कि कोई राज्य एक राज्य से हूँसरे राज्य में जाने वाल माल पर तथा विदेशी की निर्यात निए जाने वाल माल पर विक्री कर न लगाएगा। यह प्रदूष हम दिए दिया गया है जिसमें या व्यापार में वाचा न पड़े। भारत में वैवल वस्तुओं की विक्री पर ही विक्री कर लगाया जा रखता है या वस्तु की विक्री पर पहले नहीं लगाया जा सकता, अर्थात् यह कर उन लोगों पर नहीं लगाया जा सकता जो नौकरी करते हैं।

**विक्री क्या होती है—**एक व्यक्ति दूसरे ने इसी प्रतिशत के ददने कोई वस्तु लेता है तो उसको विक्री कहते हैं। विक्रा के लिए वास्तु का भीतर हमतान्तरण आवश्यक नहीं है। वैवल वैव और यरीद का भीदा तप हा जाना ही पर्याप्त है।

### विक्री दर के प्रकार (Kinds of Sales Tax)

यह कर नई प्रकार वा होता है --

(१) निकी अथवा समस्त क्रय विक्रय कर (Sales or Turnover Tax) — जब कर वे राज वस्तुओं के उप वित्रय पर लगाया जाता है तो उसको विकी वर बहन है परन्तु जब वह वस्तुओं नया मेदाष्टों के उप वित्रय पर लगाया जाता है तो उसको नया विक्रय कर कहते हैं।

(२) विशिष्ट वस्तु विकी वर अथवा सामान्य विकी कर (Selected commodity Tax or General Sales Tax) — जब कर मुख्य ही वस्तुओं पर लगाया जाता है तो उसको विशिष्ट वस्तु विकी कर कहते हैं परन्तु जब वह ग्राम्य मध्ये वस्तुओं पर लगाया जाता है तो उसको सामान्य विकी कर कहते हैं। हमारे देश के मध्यम उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों में सामान्य विकी कर ही है।

(३) पुटकर अथवा थोक विकी कर (Retail or Wholesale Sales Tax) — जब कर उस समय लगाया जाता है जबकि पुटकर आपारी द्वारा काइ वस्तु बेची जाती है तो उसको पुटकर विकी वर बहते हैं परन्तु यदि यह कर थोक व्यवसायों आपार कर्ताओं अथवा उपरकों गे वस्तु किया जाता है तो इसको थोक विकी वर कहते हैं।

एक विन्दु अथवा बहु विन्दु विकी कर (Single point or Multiple point Sales Tax) — जब कर या नो पुटकर विकी के समय था थोक वज्रे समय लगाया जाता है तब उसको एक विन्दु कर कहते हैं परन्तु जब वह किसी वस्तु की विकी के हर विन्दु पर लगाया जाता है अर्थात् यदि थोक वस्तु उस बार वस्तु आए और कर दस बार ही लगाया जाए तब उसको बहु विन्दु विकी वर कहते हैं।

विकी वर को प्रकृति (Nature of Sales Tax) — विकी वर गरकार दुकानदारों गे बगूत करारी है परन्तु दुकानदारों को यह अधिकार है कि यह कर का घन खरीदारा मे वसूल कर से। इस प्रकार यद्यपि बहन में तो यह विकी कर है परन्तु अधिकार में यह मरीद वर है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है यदों दुकानदार कर का भार खरीदारों पर छोड़ सकत है। यदि यह कर जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर लगा दिया जाता है तो यह प्रतिगामी हो जाता है।

विकी कर बहुमान कर नहीं होता (Sales Tax is not a progressive tax) — विकी अप्रत्यक्ष वर है इस लिए यह बहुमान नहीं हो सकता। यह हर उस व्यक्ति को यो वस्तु खरीदता है दवा पड़ता है। वर वसूल करने समय व्यक्ति की यादिव विविव वा कोई विजार नहीं विद्या जाता।

कर में छुट (Exemptions from the tax)–छोटे छोटे दुकानदारों को जिन की विक्री एक निश्चित सीमा से कम होती है कोई कर नहीं देना पड़ता जैसे उत्तर प्रदेश में उन दुकानदारों को जिन वी विक्री १५००० रुपये दायिक से कम है कोई कर नहीं देना पड़ता। इसके अतिरिक्त छुट ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे जीवन सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएं जिन पर यह कर नहीं लगाया जाता। यह कर सरकारी प्रतिमूलिकों (securities) पर भी नहीं लगाया जाता।

### कर की दर (Rate of Tax)–

कर की दर वहां पर निर्भर होती है कि कर वित्ती वस्तुपा पर लगाया जाता है। यदि वस्तुएं कम होती हैं तो कर की दर अधिक होती है परन्तु यदि वस्तुपे प्रथिक होती हैं तो कर की दर कम होती है। इसके अतिरिक्त साधारणतया जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर कम होती है और वित्ताना की वस्तुओं पर अधिक। जहां तक हो कर की दर कम होती चाहिये।

### विकी कर का भार (Incidence of Sales Tax)–

इस का विचार हम दो प्रकार करेंगे। (१) एक विशिष्ट वस्तु पर विकी कर का भार, (२) सामान्य विकी कर का भार।

### विशिष्ट वस्तु पर विकी कर का भार—

यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर है—

(१) वस्तु की मांग की लंबाई—जिन वस्तुओं की मांग नोचदार होती है उनके कर का भार दुकानदारों पर पड़ता है। परन्तु येतोंव मांग वाली वस्तुपा का कर भार व्यापारीदारों पर पड़ता है।

(२) पूर्ति की लंबाई—यदि वस्तु की पूर्ति नोचदार होती है तो कर का भार व्यापारी दारों पर पड़ेगा परन्तु यदि वह नेतोंव है तो कर का भार दुकानदारों पर पड़ेगा।

(३) उत्पत्ति के नियम—जो वस्तु नमस्त उत्पत्ति हास्त नियम के अन्तर्गत उत्पन्न वी जाती है उस पर लगाये गए कर का भार व्यापारीदार पर पड़ता है। इसके विपरीत अमान उत्पन्न वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न वी जाने वाली वस्तु पर लगाए गए कर का भार दुकानदार पर पड़ता है। कमपन उत्पन्न समझनहा नियम के अन्तर्गत उत्पन्न वी जाने वाली वस्तु का भार व्यापारी और दुकानदार दोनों पर पड़ता है।

(४) प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार—यदि नोई वस्तु गूण अतियोगिता वी हितनि में वेदी जाती है तो उस वस्तु का इस भार अमानी से पता लगाया जा सकता है। ऐसी हितनि में नर भार दुकानदार के द्वारा होता है। परन्तु एकाधिकार वी हितनि में दुकानदार उसको सरीदार पर भी देते रखता है और इस भी उभय की महत वर सकता है।

(५) कम मूल्य वाली वस्तु का कर भार सरीदार पर बड़ी फिलाई रो ढेला जा सकता है। परन्तु अधिक मूल्य वाली वस्तु का कर भार भ्रातानी से ढेला जा सकता है। ऐसी वस्तुएँ जिनका मूल्य निश्चित होता है उनका मूल्य सरीदारों पर ढकेलने में बड़ी कठिनाई होती है। सरीदारों पर कर भार तेजी के समय तो ढकेला जा सकता है परन्तु मन्दी के समय ऐसा बर्ला बड़ा कठिन है।

उपर्युक्त कठिनाईयाँ कुछ ही समय तक रहती हैं। दीर्घकाल में विशेष कर सरीदारों पर ही पड़ता है।

#### सामान्य विशेष कर (General Sales Tax)—

(१) यदि किसी वस्तु का एक बड़ा भाग उन छोटे छोटे व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है जो कर नहीं देते तो मह कर बड़े दुकानदारों पर ही पड़ेगा। परन्तु यदि छोटे दुकानदार वस्तु का एक छोटा सा भाग ही बेचते हैं तो मह कर सरीदारों पर पड़ेगा।

(२) यदि नदूवारी विशेष समितिया चिनी कार से बरी है। और वह केवल ग्रन्ति सदस्यों को ही बेचती है तो कर भार दूसरे सरीदारों पर ढेला जा सकेगा परन्तु यदि यह समितिया सब को सामान बेचनी है तो कर भार दुकानदारों पर पड़ेगा।

(३) यदि विशेष कर दहाँ मान है तो उसका भार सम्पादणतया दुकानदारों पर ही पड़ता है।

(४) यदि छोटे छोटे दुकानदारों को एवं निश्चित यात्रा में कर देना चाहे तो कर को सरीदारों पर ढकेलना बड़ा कठिन हो जाता है।

(५) यदि कर विशेष के हर बिन्दु पर लगाया जाता है तो इससे बचने के लिए उत्तर गृह (vertical combination) बन जाते हैं और इसके कारण छोटे दुकानदारों की हानि होती है।

(६) यदि कोई व्यक्ति कई चीजें बेच रहा है तो नह कर का भार उन वस्तुओं के सरीदारों पर भी ढकेता सकता है जिन पर कर नहीं लगा हुआ है। यह बात धोक व्यापार में भले ही हास्य न हो परन्तु कुटकर व्यापार में तो ऐसा होता ही है।

#### विशेष कर के दोष (Defects of Sales Tax)—

विशेष कर के निम्ननिवित दोष हैं—

(१) यह एक प्रतिगामी कर है और इस का भार छोटी भाष्य वाले व्यक्तियों पर पड़ता है।

(२) इस कर में मनुष्य वी वर देने की गोप्ता का विचार नहीं किया जाता। जिन लोगों वो घड़े परियारा का पाना पीयता उसना पड़ता है उनकी कर देने की गोप्तना नग होती है परन्तु उनको अधिक वर देना पड़ता है क्योंकि उनके परिवार में उपभोग अधिक होता है।

(३) इस कर में इस बात ना बोई ज्ञान नहीं रखना जाता कि आप मनुष्य के शारीरिक गतियम हांग भूमाई सई है अथवा नहीं। सब को समान वर दाता पड़ता है।

(४) यह इस सेवाया गया नोकोपयोगी सेवाया पर नहीं लाभाया जाता। यदि यह उन पर भी लगाया जाता तो उम्मीद भाग अपीर आदिमिया पर पड़ना क्योंकि इन चीजों का उपयोग अधिकतर बही करते हैं।

(५) बहुत सी दशायाँ में दोहरा वर रख सकता है। जैसे ईन्वन पर लगाया गया कर वह वार लोई वा क्षरीदार समय द्वारा पड़ता है और दूसरे उस समय देना पड़ता है जब जि बोई वह बन्नु जिये तैयार करते में वह इन्वन वाप में आता है। यदि समस्त विनी पर कर लगाया जाता है तो एक ही बन्नु पर वर्द्ध वार वर लग सकता है।

(६) इस वर वी व्यवस्था बर्गों वडी बठिन है क्योंकि यह हर खरीदार में बन्नु किया जाता है। द्रगानदार वो हर दरीदर वा हिसाब रखना पड़ता है। इन सब हिसाब वी सही जाच होनी वी बठिन है।

(७) इस कर को एकत्र बरने वा सचं भी बहुत अधिक होता है।

(८) इस कर से बचने में भी दुकानदार बहुत गफत हो जाते हैं।

(९) नभी कभी इमका वडा वृश भाव पड़ता है जैसे यदि यह कर मोटर के तेन पर लगाया जाता है तो ड्रगे मोटर यातायात में वडी बाया होती है।

इन सब दोषों के होने हए भी यह वर कई बातों के कारण लगाया जाता है—  
 १—इस कर में पर्याप्त आप प्राप्त हो जाती है। २—इसकी व्यवस्था बरने में सखार की बोई विनोप बढ़ताई नहीं होती। ३—इस कर वा भार खरीदार को अधिक महसूस नहा जाता। ४—सखार के बचने हुए लकड़े वारण बहुत से देशों में इमरो लगाया गया है।

**भारत में विद्री कर (Sales Tax in India)—**

भारतवर्ष में दो प्रकार का वर लगा हुआ है—

१—विशिष्ट बन्नुप्रा पर मिली कर, २—बहुत सी वस्तुओं पर भासाय विनी कर। विशिष्ट बन्नु विनी कर माधारणतया मोटर के तेन, मिला साफ किए

हुए तेल, तमाकू (बना हुआ) आदि पर लगाया जाता है। इससे कर दहन सी वस्तुओं पर लगाया जाता है और उगड़े निए मव राज्य में विस्तारपूर्दक कानून बने हुए हैं। इन कानूनों में विशेष की परिभाषा, न्यूनतम हृष्ट गोमा कर की दर, वह पन्नुए जिन पर कर लगाया गया है आदि वार्ते दी हई है। इन कानूनों में कुछ वस्तुएँ ऐसी भी छोड़ दी गई हैं जिन पर कर कर नहीं लगाया जाता। ऐसी वस्तुओं में जीवन की आवश्यक वस्तुएँ जैसे खाद्य पदार्थ, नमक, पानी, दूध आदि तथा और कागड़ी आवश्यक वस्तुएँ जैसे चितारें, इच्छन की लकड़ी, चाद, येनी के घोजार आदि सम्मिलित हैं।

रिश्वी कर राज्य सरकारों की आप का एक मुख्य साधन हो गया है। इस का प्रभाव नीचे की तालिका में दर्शका है—

(तालिका रूपयों में)

क्र.	मात्रा	क्र.	क्र.	उत्तराधिकारी	क्र.	क्र.	विवर	क्र.	मात्रा	क्र.
१६५६-५०	६६०	१००	३६०		१२	७५	-	-	-	-
१६५७-५८	८३१	४५६	४११		११	१०६	६३	...	...	६
१६५८-५८	१३०३	४७४	४२२	५२७	२०	२३३	१४३	२४	३०	३०
१६५९-५०	१५५२	१३६६	६३०	६००	१२०	३७६	१८७	३८	७५	७५
१६६०-५१	१५८३	१५५८	५९०	६६२	१८	५८०	२३५	५४	८०	८०
१६६१-५२	१५५६	१११८	५६२	४५०	१६८	१०६	१३२	०८	१११	१११
१६६२-५३	१५००	१०६०	५५८	६९५	१६७	३२१	२२५	८१	१००	१००
१६६३-५४	१५००	१५००	५५८	६२४	१३८	७०	२१२	७१	१००	१००
(वटे)										

इस तालिका के देखते से पता चलता है कि रिश्वी कर से आप नियन्त्रण बढ़ती जाती है। १६५०-५१ में आप घटने वाला कारण यह था कि नये नियान में कुछ ऐसी वस्तुयें दबाई गई थीं जिन पर कर कर नहीं लगाया जा सकता था। इस स्रोत से आप प्राप्त होते के कारण राज्य सरकारों की उन्नति वी योजनाओं पर धन खर्च करने में सहायता मिल जाती है। इसके अनियन्त्रित भ्रातास तथा वर्मई प्राप्ति को जो हानि मद्य नियेव वी नीति अपनाने में हो गई है वह इस स्रोत से प्राप्त आप में पूरी गई है।

## मनोरजन तथा बाजी कर

(Amusement and Betting Taxes)

मनोरजन तथा बाजी करो का महत्व निरन्तर बढ़ना या रहा है। इस वर्ष को एक अच्छा वर याना जाना है क्योंकि यह विलासिता कर है, और इस का भार अमीर नोंगे पर पड़ता है। यह कार सत्र से पहले बगाड़ में १६२२ ई० में लगाया था। उसके पश्चात् बन्वाई और मिथ ने इस कर को १६२३ ई० में लगाया। पश्चात् म यह कर १६३६-३७ में लगाया गया तथा तत्त्वार्थ, मध्यप्रदेश विहार आदि राज्यों में १६३०-३१ में, मद्रास न इस कर को १६३८-४० में लगाया और आमाम ने भी नगरगाँड़ उमी मध्य इस कर को लगाया।

यह वर उम मध्य लगाया जाता है जब कि मिनेमा, घोटर मक्कम, खुड़दोड़ आदि का टिकट खरीदा जाता है। परन्तु यदि कोई मनोरजन विकास प्रसार अथवा दान एवं खली के प्रमाण आदि के लिये होता है तो उस पर बोई नर नहीं लिया जाता।

कर की दर-इम कर की दर ग्राम्यमें १२ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत थी। परन्तु भीरे धीरे यह दर बढ़ा दी गई है। अब यह दर कही २५ प्रतिशत वही ३३ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत और वही ५० प्रतिशत तक है। उत्तर प्रदेश और मद्रास में वर दी दर एक ही है परन्तु बुड़े राज्यों में कहु दर विभिन्न बीजों के लिये विभिन्न है।

मनोरजन कर गदायि एक अप्रत्यक्ष कर है तो भी यह प्रतिगामी नहीं है। यह मत्य है कि जब गरीब आदमी मिनेमा आदि का टिकट खरीदता है तो उसके लिये वर का भार पड़ता है। इस भार से गरीबों को बचाने के लिए कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश तथा बड़ौलत में ब्रह्म वो और तीन धानों के टिकटों पर कोई मनोरजन कर नहीं लगाया जाता। और यदि इस प्रवार की छूट न भी बीं जाये तो कोई हज़े नहीं है वयोंकि मिनेमा आदि विलासिना की बस्तुएँ हैं और जो बोई भी उनका उपभोग करे उनको कर देना ही चाहिये। मनोरजन कर अब ग्राम मध्ये राज्यों में एक गहर्बार्ग आय का स्रोत है और इसमें आदि निरन्तर बढ़नी जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में इस स्रोत से १६४८-४९ में भगभग ६० लाख रुपये की आय हुई और १६५०-५१ में यह बढ़कर ६८ लाख रुपये होगयी। इसी बीच बन्वाई में यह आय १३४ लाख से बढ़कर १५५ लाख होगई तथा मद्रास में १०२६६ लाख में बढ़कर १०८३५ लाख रुपये होगयी।

बाजी वर (Betting Tax) —

भारतवर्ष में आजवन के बत्त पुड़दोड़ के ऊपर ही बुशा खेलने की आज्ञा है। पुड़दोड़ के लिये कर बड़ौलत में १६२७ में, बन्वाई में १६२५ में, उत्तर प्रदेश में

१६३७ में, मिर में १६३८ में तथा ग्रामाम में १६३६ में लगाया गया।

भारतवर्ष में यह कर जीने वाले में तथा घुड़शीड़ के लिए लगाए गए तुन घन में से लिया जाता है। इस कर की दर विभिन्न राज्यों में विभिन्न है जैसे बहुमन में यह १५ प्रतिशत है तथा मद्रास में १२ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत।

यह कर उचित है क्योंकि इस ने जूमा कम खेना जाना है। जुए में प्राप्त घन के लिए जीने वाले को कोई वरिष्ठम नहीं करना पड़ता इसलिए भारतवर्ष उम घन में से यदि तुच्छ घन कर के हप में बे ले तो कोई अनुचित बाह नहीं है। यह कर सखल तथा मित्तब्यमी निश्चित तथा मुविधाजनक है। इस कारण यह अच्छा कर कहा जा सकता है।

१६३०-५१ में इस कर में मद्रास में २५ लाय, डलार प्रदेश में ११ लाय, परिचमी बहुमन में ६० लाय तथा दमदई में १५० लाय रुपये की प्राप्ति हुई।

### मुद्राक-कर (Stamp Duty)

मुद्राक कर दो प्रकार का होता है—(१) व्यायिक (Judicial) तथा (२) व्यापारिक। व्यायिक कर दीवानी, यात्र तथा फोजदारी के मुद्रामों की लडाने के मिलमिले में लिया जाता है तथा व्यापारिक वर ममति को हस्तान्तर करने वाले विलेतो (Instruments) जैसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई समति वे विलेते पर, व्यापारिक नौदी से सम्बन्धित विलेतो जैसे विल आफ एक्सचेंज प्रनिःज्ञ यत्र पर तथा दूसरे प्रकार के विलेतो जैसे प्रमविदान्यत्र (Contract Note) पर, गिया जाता है।

१६१६ ई० के मुधारों वे हाय उपर्युक्त दोनों प्रकार के कर प्राप्ति के प्राप्ति थे। परन्तु १६३५ के गुपारों के हाय मुद्राक-कर गधीय गया समानी दोनों रातिकास्तों में हमिलित पर दिया गया। सधीय तालिका में विल आफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञान्यत्र, चैक, सात्र पत्र, बीमा पालितियों आदि का कर मिलित है। परन्तु गधीय सरकार इस वर को निश्चित ही कहती है। इसकी प्राप्ति राज्य भरकारी दो ही प्राप्त होती है।

इस नर के विरुद्ध आलोचनाएँ (Criticisms against this tax)—  
 (१) इस कर के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनाएँ वी गई है—यह वर व्यापार में वाधक है। परन्तु यदि विभार विधा जाये तो ऐसा नहीं है। बहुत से व्यापारिक दोषे विना मुद्राक-कर के तथा हो जाते हैं। नेवल उन्हीं दोषों पर गुद्राक-कर समाया जाता है जिनको हम मदान्तर हाय गजबूत बाना चाहते हैं। इसलिए इस वर को व्यापार पर कर नहीं लगना चाहिए।

(२) मादम स्मित रे विधार में यह कर इसलिए प्रतुचित है क्योंकि इसका भार सब पर समान नहीं पड़ता। जो सम्पत्ति कई बार हस्तान्तर की जाती है उस

पर इसका भार अधिक पड़ता है और जो एक, दो बार हस्तान्तर की जाती है उस पर दस भार पड़ता है।

(३) बेनहम का मत है कि सम्पत्ति को दूरिनी के कारण बेचना पढ़ता है। ऐसे समय में सम्पत्ति पर कर लगा कर यसकार मनुष्य के दुर्भाग्य पर कर लगती है।

परन्तु भारतवर्ष में निम्नसिद्धित बातों के कारण इस पर का बड़ा प्रबार है—

(१) यह बहुत पुरातन काल से लगाया जाता है। (२) इसको एकप्रकरणा तथा इसकी देख भाल करना सखल है। (३) इस पर का भार भी देने वाले को अधिक मालूम नहीं होता। (४) इसको सम्पत्ति के मूल्य के अनुमार लगाया जा सकता है।

**मुद्रांक-कर और कर-सिद्धान्त (Stamp duty and canons of taxation)**—यह कर भित्तियाँ हैं जिनकि मुद्राक वे छापने का सचं तथा इस कर के एकप्रकरण का सचं बहुत कम होता है। इस कर में निश्चितता का गुण भी पाया जाता है जिनकि कर देने वाला मह जगता है जिन उसको वितना बन और कंसे कर देना है। परन्तु यह कर 'कर देने की पोष्यता' के अनुमार नहीं लगाया जाता।

राज्य सरकारों को इस कर से बहुत आवं प्राप्त होती है जैसे १९४६-४८ में परिवर्ती बागाल को २३८७५ लाख, उत्तर प्रदेश को २३३७५ लाख, बंगाल को ३४२६२ लाख तथा मद्रासा को ३३५६२ लाख रुपये प्राप्त हुए। १९४३-४५ में इन राज्यों को ब्रम्हा २६७ लाख, २५५ लाख, ४२० लाख तथा ५४८ लाख रुपये की आवं प्राप्त होने की आशा थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस स्रोत में आवं बढ़ रही है।

**रजिस्ट्री फीस (Registration Fee)**—भारत में कुछ ऐसे प्रलेख हैं जिनकी रजिस्ट्री करानी आवश्यक होती है। ऐसा करना इसलिए प्राप्तवक नहीं है कि वानूत रिसी को प्रलेखों की रजिस्ट्री कराने के लिए वाध्य करता है वरन् इसलिए आवश्यक है कि यदि उनकी रजिस्ट्री न कराई जाए तो अवालत उनको मनूर नहीं करती। इसलिये प्रलेखों को सब रजिस्ट्री करा लेते हैं।

रजिस्ट्री फीस सरकार द्वारा की गई सेवा ने अनुमार नहीं ली जाती वरन् प्रलेख के मूल्य के अनुसार ली जाती है। इस प्रकार यह कर पोष्यतानुसार होता है।

आदतवर्ष में रजिस्ट्री फीस समय समय पर इतनी बढ़ाई जा सकी है कि उसको और अधिक बढ़ाना उचित न होगा।

भारत के कुछ राज्यों की १९४६-५० में इस कर से इस प्रकार आवं थी—

मध्य प्रदेश १८-४८ लाख, परिवर्ती बागाल ३८ २४, उत्तर प्रदेश २१७२, दम्भुड़ २६८० लाख तथा मद्रासा ८८ ३६ लाख रुपये।

परन्तु इस कर के घन का सरकार निश्चित रूप से पहा नहीं लगा सकती। इसलिए वह इस आय पर अधिक निभर नहीं रह सकती।

**मोटर गाड़ियों पर कर (Tax on Motor Vehicles)**—भारतवर्ष में प्राय सभी राज्यों में मोटर गाड़ियों पर कई प्रबार के बर लगे हैं हैं। यह कर मोटर गाड़ियों पर, उनकी रजिस्ट्री करने उन्दे धनाने वा अनुदान पर जारी करने, उनके सवाहकों के विप्र विस्ते देन, उनका निरीक्षण करने आदि पर लिया जाता है। मोटर गाड़ियों में मोटर लारी, मोटर साइकिल दैर्घ्यी व्यक्तिगत वार आदि मन्मतित की जाती है।

**कर का आधार—टैक्सी और बसों का विरापा उनकी बैठने की पु जाइया पर निभर होता है।** मोटर लारियों का विरापा उनके विना लदे वजन पर होता है। मोटर साइकिलों पर भी इस आधार पर कर लगाया जाता है व्यक्तिगत शारों पर कई प्रकार से कर लिया जाता है। कहीं तो वह उनकी बैठने की गुज्जाया पर लिया जाता है और दूसरे दशाव में, कहीं उनके विना लदे वजन पर जैसे मदास्थ और बम्बर्ड में। उत्तर प्रदेश में प्र, ब, ग तीन प्रकार के गार्म निश्चित किए गये हैं। इनमें से 'प' मार्ग का बर सबसे अधिक है और 'स' मार्ग का सबसे वस। इनके अतिरिक्त कर इन बात पर भी निभर होता है कि गाड़ी में किस प्रकार के पहियों का प्रयोग किया गया है। जिन गाड़ियों के पहिये सड़क को अधिक छराव करती हैं उनमें अधिक बर लिया जाता है और दूसरी गाड़ियों से कम।

**कर की दर—कर दी दर प्रत्येक राज्य में प्राय भिन्न है।** पर सार्वजनिक गाड़ी को वही भी ५०० रुपये से अधिक कर नहीं देना चाहता। व्यक्तिगत कारों पर कर प्राय बह होता है।

**कर की न्याय संगतता—**यह कर विकुल न्याय संगत है क्योंकि जब मोटर गाड़िया सड़कों का प्रयोग करती है जिनके काम रखने तथा बनाने में राज्य सरकारों को दृतना घन सर्व करना पड़ता है तब फिर उनको उन सड़कों के काम रखने का सर्व भी सहन करना चाहिये। परन्तु हम यह कहे जिना नहीं रह सकते कि भारतवर्ष में यह कर बहुत अधिक है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सधुकृत राष्ट्र भ्रमणीया में एक मोटर गाड़ी पर बर २४० रुपये के लगभग है परन्तु भारतवर्ष में यह लगभग १६०० रुपये है। इतने अधिक कर के कारण मोटर यातायात की उपति में बड़ी बाधा होती है।

**पर-भार—व्यक्तिगत गाड़ियों का कर भार उनके मालिकों पर पड़ता है;** परन्तु सार्वजनिक गाड़ियों के कर भार के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह यात्रियों की मोटर यातायात की मात्र वी सचक तथा मालिकों की पूर्ति की सचक पर निभर होता है।

मोटर गाड़ी कर में कुछ राज्यों को बाहरी प्राप्त होनी है जैसे १६५०-५१ में पश्चिम में २६५ लाख रुपये तका बम्बई में १५० लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान था। इसके विपरीत कुछ राज्यों में इसमें प्राप्त धारा बहुत कम है जैसे १६५०-५१ में हो गया तक में ३२३२ लाख, पश्चिमी बगाल में ४७०३ लाख तक उत्तर प्रदेश में ५२०३ लाख रुपये का अनुमान था।

मोटर गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न—भारत सरकार ने रोड ट्रान्सपोर्ट को पर्सेंसेन एक्ट पाप हा जाने के पश्चात राज्य सरकारों ने सहकरणायात्रा का राष्ट्रीयकरण प्रारम्भ कर दिया है। सउक यातायात के राष्ट्रीयकरण की बाज विनी तथा विनी हृषि में प्राप्त सभी राज्यों में चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो गरकार का यह नियन्त्रण है कि वह नारे राज्य की तड़क यातायात का व्यवस्था अधिकार में ले लेगी। इस दृष्टि से उन्हें बहुत से व्यापक व्यापकों पर अपनी बम्बे चालू की है और प्रति वर्ष तए तए भागों की अपने अधिकार में लेनी जा रही है। इसी प्रकार मद्रास, बम्बई, बगाल आदि राज्यों में इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है।

मड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण में जनता को बहुत लाभ हुआ है जैसे अब मोटरों समय पर चलनी है, उनमें पहले जितनी भी नहीं रहनी, उनमें आगम दर्ने वाली सीटें हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर हम वह सोचते हैं कि इन सरकारी बम्बों में विराया व्यक्तिगत बनाता सरकार है तो नहीं कही वही अधिक है। इस प्रकार जनता के यातायात का नवं काम नहीं हुआ। हमारे देश की जनता के सम्बन्ध में सुख्य प्रश्न मुविधा का नहीं है बरत् पंस का है। यदि सरकारी बम्बों अपना विराया नहीं छाटानी तो यदि जनता को कार्ड विनेप मुप्र अनुभव नहीं होगा। इनका किराया होते हुए भी राज्यों को इनसे बोर्ड विनेप प्राप्त नहीं हुई है। जैसे १६५०-५१ में पश्चिमी बहुल थी केवल ३६६ लाख, उठीसा को ११ लाख रुपये वी प्राप्त होने का अनुमान था। इसका बारण यह है कि इनके ऊपर बहुत अधिक धर्व हो जाना है। इसलिए आवश्यकता इम बात की है कि इनके ऊपर बारे धर्व कम रिया जाए ताकि इनका विराया घटाया जाए। यदि यह बातें न की गई तो इनके राष्ट्रीयकरण में कार्ड लाभ न होगा।

### रोजगार, पेशे तथा व्यापार पर कर (Tax on Employment, Profession and Trade)

ग्रामों में स्वदासन की स्थापना के पश्चात इम कर को भवमें पहले सध्य प्रदेश ने लगाया था। इसके पश्चात बहुल में यह कर १६३६ ई० से लगाया गया। सध्य प्रदेश में इम कर की दर १८ रुपये प्रति कर्म तथा बहुल में ३० रुपये प्रति कर्म थी। उत्तर प्रदेश में भी इम कर की लगाने की एक बड़ी योजना नियार की गई परन्तु उसको भारत सरकार ने न माना और १६३५

के एकट में किए गए एक संशोधन के अनुसार यह निश्चिन कर दिया गया कोई भी प्रत्यन् ५० रुपये वार्षिक से अधिक कर न लगा सकेगा ; इसलिए उत्तर प्रदेश में यह कर न लगा सकता ।

यह कर केवल उन्ही अविकासी पर लगता है जो अपने शारीरिक परिवर्थन द्वारा आव प्राप्त करते हैं इसलिए यह प्रतुचित है । इसके अतिरिक्त इस में सनुष्य की जाधिक स्थिति का कोई स्थान नही रखा जाता इसलिए यह प्रतिगमी है । फिर इस भान में देव का ना कि अमुक आय शारीरिक परिवर्थन द्वारा प्राप्त की गई है और अमुक ऐसे नही की गई, गलत है । इसलिए यह कर अनुचित मालूम पढ़ना है ।

**सिंचाई (Irrigation)**—१६१६ ई० के सुधारों के पश्चात सिंचाई प्रान्तीय आय वा खोन बन गया है । प्रान्तीय सरकार कृषकों को नहर तथा विजली के ग्रामों से पानी देती है । इस पानी का मूल्य किसानों से लिया जाता है । यह गूरुत्व भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न है । यह भूमि के क्षेत्र कमल के प्रकार आदि के आधार पर लिया जाता है । परन्तु यह मूल्य किसान की आधिक स्थिति ने ध्यान में रख कर नही लिया जाता । इसलिए दमका बोझा गरीब किसानों पर बहुत पड़ता है । राज्य सरकारों को इस खोन से बहुत कम आय प्राप्त होती है ।

**जङ्गल (Forest)**—१६१६ के सुधारों के पश्चात जङ्गलों को प्रान्तीय सरकारों ने हाथ में दे दिया गया है । प्रान्तीय (जिनके भ्रव राज्य कहते हैं) सरकारों को जङ्गलों से इमारती तथा जनने की लकड़ी की बिनी, चराई की फीस तथा अन्य कुछ छोटी छोटी बहुतुओं की बिनी द्वारा आय प्राप्त होती है । राज्य सरकारों को जङ्गलों से सरभग ३ करोड़ रुपये मालाना की आय होती है । यह बहुत कम है । यदि जङ्गलों में अच्छी पूँजी लगाई जाए, तब उनकी अच्छी व्यवस्था को जाये तो उनमें अच्छी आय प्राप्त हो सकती है ।

### राज्य सरकारों का व्यय (Expenditure of State Governments)

प्रान्तों में स्वशासन वी स्थापना के पूर्व सरकार की नीति सत्त्वलित बजट बनाने की भी । उस समय सरकार अधिकतर धन प्रसिद्ध, जेल, व्याय आदि पर खर्च करती थी और यह निर्माण कार्यों पर बहुत कम खर्च करती थी । परन्तु स्वशासन की स्थापना के पश्चात प्रान्तीय सरकारों की व्यय करने की नीति में काफी परिवर्तन होगा या रहा है । इसके कल्पनाय बहुत से प्रान्तों में हीन बजट बनने लगे हैं ।

राज्यों के व्यय को हम क्वान भागों में बाट सवालते हैं—(१) प्रजातंत्र वो चलाने का व्यय, (२) देश में शान्ति व व्यवस्था रखने का व्यय, (३) राष्ट्रीय निर्माण कार्यों पर व्यय ।

(१) प्रजातंत्र को चलाने का व्यय—इस व्यय में राज्यपालों तथा उनके कर्मचारियों का वेतन, मनियों तथा सदसय सचिवों वा वेतन तथा राज्यों की विधान सभाओं का व्यय सम्मिलित है। इन सब मदों में से राज्यपालों का वेतन कुछ राज्यों में घट गया है। अब सब राज्यपालों को ५५०० रुपए भारिक वेतन मिलता है। वेतन के भ्रतिश्वत उनको कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं। इन सब को मिलाकर राज्यपालों वा व्यव विधिक काल वी प्रोत्ता कुछ कम हो गया है। परन्तु मनियों तथा सदसय सचिवों तथा विधान सभाओं का सर्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका पता नीचे दी तालिका से चलता है—

(हजार रुपयों में)

मद	प० वर्षाल			वर्षाव०			भ० वर्षास			उत्तर प्रदेश		
	५०	०	०	५०	०	०	५०	०	०	५०	०	०
मध्य	५५३४	५५०६	५५२२	५५६७	५५१६	५५३१	५५३६	५५०७	५५६६	५५७८	५०२	५५१
विधान सभा	५०२	५०३	५०८	५२६	६८७	७४२	६६१	७०५	६८६	१०७४	११८४	१२०८

मनियों तथा विधान सभाओं के व्यय में इस प्रकार की बढ़ि चिन्ता का विषय है। यह आवश्यक है कि इस व्यय को कम किया जाये। यह व्यय मनियों वे वेतन तथा भत्तों में कमी करने से नहीं हो सकता है। इस गमय जब कि देश इतनी दूसी आणिक परिस्थिति से होकर मुअज रहा है और देश में इतनी आणिक समस्याएं तुह वाये वडी हैं तो साथ हमारे मनियों का कठोर है कि वह त्याग वा आदां रख कर दूसरी का मार्ग दर्शन करें। इसी प्रकार विधान सभाओं वा व्यय भी सदस्यों के भत्तों आदि में कमी करने से कम हो सकता है।

(२) देश में शान्ति और व्यवस्था रखने का व्यय—इस व्यय के अतांगत ज्ञाय, पुलिस तथा जेल प्रादि भागों हैं। इन सब मदों पर भी व्यय निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। विभाजन के पश्चात देश में इतनी असानि हो गई तथा इस प्रकार की विनाशकारी घटियों का जन्म हो गया कि उसके लिए एक बड़ी सेना रखनी आवश्यक हो गई। इसलिए शान्ति और व्यवस्था व्यय बहुत अधिक बढ़ गया। उदाहरण के लिए १६४५-४६ में मद्रास अपने कुल व्यय का ६ प्रतिशत, वर्षाव० ८१ प्रतिशत पुलिस पर लचै करता था परन्तु १६४६-४७ में यह लचै बढ़ कर मद्रास में १२-६ प्रतिशत, वर्षाव० में १३-५ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में १४-६ प्रतिशत, भार्य प्रदेश में १३-२ प्रतिशत तथा पश्चिमी बङ्गाल में १३-१ प्रतिशत हो गया।

प्रादि पश्चात्तिकाल में पुलिस पर खर्च बढ़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है परन्तु अब जब कि प्राय सभी राज्यों में शान्ति है और कोई गडवड होने की सम्भावना भी नहीं है तो राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि यह इस खर्च को घटायें। पुलिस के अतिरिक्त राज्य सरकारों को न्याय प्रादि की व्यवस्था पर भी बहुत खर्च करना घटता है। इस खर्च को भी कम करना आवश्यक है।

(३) राष्ट्रीय निर्माण कार्यों पर व्यय—हमारे देश में निर्माण कार्यों को राज्य सरकारों को सौंपा गया है। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकित्सा, कृषि, प्राय सुधार, सड़कें, उद्योग-पथ, सहकारी आन्दोलन आदि सम्मिलित हैं। भारतवर्ष ने इन सब कारों में उन्नति करने की बड़ी आवश्यकता है। विद्या शासन काल में इन सब मदों पर बहुत कम खर्च होता था परन्तु जब से देश स्वतन्त्र हुआ है तब से इन सब मदों पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शिक्षा के प्रसार के लिए स्थान स्थान पर प्रारम्भिक पाठ्यालाये खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रोहलोगों की शिक्षा का प्रबन्ध भी किया गया है। कहीं कहीं नैतिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया है। इसके कलन्दिष्प प्राय सभी राज्यों में शिक्षा व्यय दो, तीन युनाहों गया है।

मार्बजितक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर किया गया व्यय भी पहले से दोहरा दो युनाहों गया है। इसका कारण यह है कि बहुत से नए स्थानों पर चिकित्सालय खोले गए हैं। बहुत से राज्यों में चिकित्सकों को यात्रों में बदलने के लिए भी आर्द्धक महायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त शहरों में भी नई २ बीमारियों के लिए हम्मतान खोले जा रहे हैं।

कृषि की उन्नति के लिए भी राज्य सरकार बहुत प्रयत्नशील है। बहुत से स्थानों पर उम्होंने नई भूमि प्राप्त की है। सिचाई के लिए नहरों तथा नल-कुपों का प्रबन्ध किया गया है। पशुओं की उन्नति के लिए प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार खेती की उन्नत करने वाले प्रयत्न किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार बहुत सा धन सड़कों, सहकारी आन्दोलन की उन्नति तथा प्राय सुधार के ऊपर भी खर्च कर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों का राष्ट्रीय निर्माण कार्य पर व्यय बढ़ता जा रहा है।

राज्य सरकारों की भाष्य और व्यय को देखने से हम कई परिणाम निकाल सकते हैं—

(१) राज्यों की भाष्य निरन्तर बढ़ती जा रही है और देश के विभिन्न के ही जाने पर भी यह भाष्य पहले लगभग तीन युनी बढ़ गई है। १९५३-५४ के बजट अनुमान के अनुसार 'प्र' और 'व' भाषों के सब राज्यों की भाष्य ४५८ ४२ करोड़ रुपये थी।

(२) राज्या में करा द्वारा प्राप्त आय का प्रतिशत पहले में कम होता जा रहा है। उदाहरण के लिये १६५२-५३ में कुल आय का ७४५ प्रतिशत करा द्वारा प्राप्त होता था। परन्तु १६५२-५३ से चरा की आय का प्रतिशत पट वर ६६५ रह गया। इसका अभिप्राय यह है कि यदि राज्या को बेन्द्र में बहुत मी आय अनुदान तथा सहायता के रूप में प्राप्त होनी है।

(३) राज्यों के लिए पुराने वर के भोका और जैसे मालगुजारी, मुद्राक-वर रीजिस्ट्री फीस आदि का महत्व कम होना जा रहा है और नए कराज्यों जैसे विक्री कर, हृषि आय-वर, मनोरजन कर आदि का महत्व बढ़ता जा रहा है।

(४) यहांपरि राज्यों का एवं पुराना, जैल, न्याय आदि मदो पर वाणी बढ़ गया है परन्तु इन मध्य मदो पर व्यय में इनकी वृद्धि नहीं हुई है जिनकी वाणी राष्ट्रीय निर्माण भावों में हुई है।

(५) राज्य सरकारें अब बहुत सा धन उन्नति योजनाओं पर लग्ज वर रहे हैं। वह बहुत सा धन 'प्रविक आन उपजाओ योजना', मिलाई, उद्योग वर्गों की उन्नति आदि पर लग्ज वर रही है। १६५०-५१ में 'अ' भाग के सब राज्यों का इस मद पर लग्ज ११० अ३ लाख रुपये था। १६५२-५४ का अनुमान १४१ अ५ लाख रुपये है।

इस प्रकार हम बहुत सहने हैं कि यद्यपि राज्यों की आय निरुचर बढ़ रही है परन्तु उनका व्यय और भी तरी भी बढ़ रहा है। इस बड़ने द्वारे व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने नये नये वर लायाये हैं परन्तु इन वरों की आय भी व्यय से पूरा नहीं बर नहीं। इस कारण उनको निरुचर हीन बजट बनाने पड़ रहे हैं। 'अ' और 'ब' भाग के सब राज्यों का बजट का धारा १६५२-५३ में १६६५ करोड़ रुपयों का तथा १६५३-५४ के बजट अनुमान के अनुमान यह प्राप्त २३ अ३ करोड़ रुपये था। यह धोटा आगे धोते वाले कुछ वर्षों में बड़ने वी सम्भावना है बमाकि राज्यों को भविष्य में बहुत सा धन विकास स्वास्थ्य विकित्या मठकों, मद निषेध, जर्मीशारी उन्मूलन, आदि पर लग्ज करना है। पर इस प्रकार की स्थिति बहुत समय तक चलनी उपित्त नहीं जान पड़ती। इसनिये आवश्यकता इस जन की है कि राज्य सरकारों की आय बढ़े। अभी कुछ वर्षों में उनका बेन्द्र में बहुत मी उन्नति योजनाओं के लिये महायोग लियने लकी और प्रद माय-वर में से उनको ५० प्रतिशत के स्थान पर ५५ प्रतिशत मिलने लगा है परन्तु इनकी आय की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारें अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करें। यह निम्नलिखित रूप से हो सकता है—

(१) राज्यों की आय कर में से कम से कम ६० प्रतिशत दिया जाये।

(२) राज्य को इस बात का ग्रधिकार दिया जाये कि वे शाय कर पर १० या १५ प्रतिशत ग्रधिभार लगालें। इस ग्रधिभार का घन उनको सचं करने दिया जाये।

(३) उन राज्यों को जहां से उत्पादन कर प्राप्त किया जाता है उत्पादन कर में से कुछ भाग दिया जाये क्योंकि उनको उद्योगों की उन्नति पर सचं करना पड़ता है।

(४) बिन्दी कर की उद्दित व्यवस्था बरके उपरे शाय बढ़ाई जा सकती है।

(५) राज्यों वो कृषि शाय दर से भी शाय बढ़ाने का प्रयत्न बरका चाहिये।

(६) राज्यों को जाहिये कि वे व्यापारिक उद्योगों तथा सेवाओं को ग्राम से हाय में सेवर उत्से शाय बढ़ाने का प्रयत्न करें।



## अध्याय ६

### स्थानीय राजस्व (Local Finance)

भारत में बहुत पुराने बाल में स्थानीय स्वशासन चला था रहा है। हिन्दू राजाओं के बाल में गांवों में पचायते पाई जाती थी जो गांव की सफाई, मड़कों, शिक्षा आदि वा प्रबन्ध करती थी तथा दीवानी व फौजदारी के छोटे मोटे वेस भी नियटा देती थी। इस प्रकार की व्यवस्था अपेक्षों के आने तक रही। अपेक्षों ने इस व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके एक केन्द्रीय शासन की नीव डानी। परन्तु कुछ ममत्य पद्धति उनको अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने फिर से स्थानीय स्वशासन की नीव डाली। इसके फलस्वरूप हमारे देश में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई। इनकी स्थापना के इतिहास को हम लोन भागों में बाट सकते हैं—(१) १८८२ तक, (२) १८८२ से १९१६ तक, (३) १९१६ ई० के पश्चात्।

(१) १८८२ तक का काल—इस काल में स्थानीय मस्याओं की कोई विशेष प्रधिकार प्राप्त न थे। आर्थिक मालमौ में जैसे कर नगाने, बजट बनाने, ऋण लेन तथा घन सचं के विभिन्न खदो पर बटवारा करने में उनके ऊपर इनका मरकारी नियन्त्रण था कि उनकी स्थानीय स्वतंत्रता केवल कहने भाव की थी। यामों में स्थानीय समितियों के अतिरिक्त कोई स्थानीय शासन न था। स्थानीय समितियों का केवल यह कार्य था कि वे जिलाधीश को प्रान्तीय बजट को सन्तुलन बरने के लिये धन एकत्र करने में सहायता करती थी।

(२) १८८२ से १९१६ तक—इस काल में स्थानीय स्वशासन को कोई विशेष प्रगति तो नहीं हुई परन्तु इस काल में स्थानीय लोग यह जान गये कि स्थानीय स्वशासन यथा होता है। इस काल में कुछ महत्व पूर्ण बातें हुईं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है जैसे पुलिस प्रबन्ध वा राजनीय स्वशासन के हाथ में से नियन्त्रक वर प्रान्तों के हाथों में चला गया। इस काल में स्थानीय अर्थ व्यवस्था में अनुदान वा महत्व बहुत बढ़ गया। इस काल में उत्तर प्रदेश में इस बात को भी प्रयत्न विद्या गया कि चुनी के स्थान पर कोई दूसरी प्रकार का आय का साधन तलाश विद्या जाये। इस काल में स्थानीय समितियों की आय और व्यय पहले से और भी अधिक बढ़ गए। परन्तु आय और व्यय के स्रोत प्राप्त पहले के समान ही रहे।

(३) १९१६ के पश्चात्—इस काल में इस बात का प्रयत्न विद्या गया कि भोगों को यह दस्तावा जाए कि स्थानीय स्वशासन बास्तव में क्या चीज़ होती है। इस

में आय और व्यय के तापन तो पहले जैसे ही रहे परन्तु महायक भनुदानी का महत्व पहले से भी अधिक बढ़ गया। इस बाल में राष्ट्रीय संस्थाओं ने सांबंधित क्षमत्य, निधा, चिकित्सा, गड़बा आदि पर बहुत सा धन खर्च किया परन्तु भभी बहुत बुड़े नहीं हैं।

परन्तु हमारे देश में स्थानीय संस्थाओं के पाता साधनों की तो कमी है पर उनकी कार्य घट्टी करना पड़ता है। यहाँ पर राष्ट्रीय संस्थायें दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम गर्व करती हैं। इसका पता निम्नलिखित तालिका से चलता है—

### विभिन्न सरकार द्वारा किये गये व्यय का प्रतिशत

देश	वेन्ड	प्रान्त भवया राज्य	स्थानीय
मधुवन गण्ड	३०	१५	५५
जापान	५१	१२	३७
जर्मनी	५०	२०	४०
भारतवर्ष (१९३७-३८)	४६	३२	११

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में स्थानीय संस्थाओं ने उतना उच्च स्थान प्राप्त नहीं है जितना कि उनको दूसरे देशों में है। सेवा का विषय है कि भारत के नवे विभाग में भी उनको वही स्थान दिया गया है जो उनको पहने थे।

हमारे देश में आजकल दो प्रकार भी स्थानीय संस्थायें कार्य कर रही हैं—(१) वह जो नगरों का कार्य देती है। (२) यह जो द्वारों का कार्य देती है। नगरों का कार्य देखने वाली संस्थाओं में वार्षिक नगर-पालिकाएँ, टाउन एरिया तथा नोटिफिकेशन एरिया समिक्षित हैं। द्वारों का कार्य देखने वाली संस्थाओं में जिला बोर्ड राज्य स्थानीय तालुका बोर्ड, पूलियन बोर्ड तथा पश्चिमने समिक्षित हैं। भारतवर्ष में ७८६ नगर पालिकाएँ, २४० जिला बोर्ड, ५८४ तालुका बोर्ड तथा ४५५ पूलियन बोर्ड हैं।

### नगर पालिकाओं की आय और व्यय

#### (Income and Expenditure of Municipalities)

**आय (Income)**—नगर पालिकाओं की आय के स्रोतों को हम चार भागों में बाट सबले हैं—(१) भ्रष्टाचार, (२) भ्रप्रदृष्ट वर, (३) व्यापारिक कारों से प्राप्त आय, (४) राज्य सरकारों से प्राप्त सहायक भनुदान।

### प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

मकानों तथा भूमि पर कर अथवा सम्पत्ति कर (Taxes on houses lands or property tax) — यह चार प्रकार से लिए जाते हैं। (१) मकानों तथा मकानों की स्थिति पर कर, (२) भूमिपर उपकर (cess), (३) अनश्वन आय (unearned income) पर कर (४) सम्पत्ति का हस्तान्तरण करते समय लगाया गया मुद्राक कर।

हमारे देश में मकानों तथा उनकी स्थिति पर कर नगरपालिकाओं की आय का एक मुख्य साधन है। उन राज्यों में जैसे मद्रास बम्बई, बहूल, प्रासाम तथा विहार में जहां चुड़ी प्राप्त का एक अच्छा भावन नहीं है उनमें यहीं प्राप्त का एक मुख्य साधन है। उदाहरण के लिए बगाल में इस साधन से कुल कर आय का ८२ में प्रतिशत, बम्बई ४६ प्रतिशत, मद्रास में ४७ प्रतिशत, प्रासाम में ७२ प्रतिशत तथा विहार उडीसा में ७७ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। हमारे देश की प्राप्त सब नगरपालिकायें इस कर को लगानी हैं। यह कर मकान अथवा जमीन की वार्षिक कियाए जी आय पर लगाया जाता है जो मद्रास अथवा भूमि कियाए पर नहीं दी जाती उम पर भी यह कर लगाया जाता है। इस कर की दर स्थान स्थान पर भिन्न है जैसे मद्रास में ६ प्रतिशत, बगाल में ५ प्रतिशत, द्वार बम्बई में ४ प्रतिशत।

इंग्लैड में इस कर की कियायेदार से लिया जाता है परन्तु हमारे देश में मालिक मकान इसको देता है। यदि किसी भारतीय मालिक मकान का पक्षा न चल सके तो इसको कियायेदार से भी बमूल किया जा सकता है। यदि कोई मकान ६० दिनों से अधिक खाली रहता है और उसकी मूल्यन नगर पातिका को कर दी जानी है तो उम मकान के कर में व्यापी रहने के समय की छूट दे दी जाती है।

सम्पत्ति पर कर निश्चित करने पे कार्य के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। हमारे देश में यह कार्य विदेशी ड्वारा नहीं किया जाता। परन्तु इस कार्य को स्थानीय शासन के कर्मचारी किया करने थे परन्तु आजवाल चेयरमैन तथा नगर पालिका के कुछ सदस्यों की समिति इस कार्य को करती है। यह समिति साधारणतया बड़े पक्षपात से काम नहीं है क्योंकि उसको दूसरे पुनाद में मन न मिलने का भय रहता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस कर को ऐसे व्यक्ति निश्चित करें जिनका महत्वाताप्ती से कोई सम्बन्ध न हो।

प्रत्यक्ष कर होने के कारण मकान अथवा सम्पत्ति कर बहुत अधिक है। इसको लगाने तथा एकन करने में कोई विशेष निलाई उपलब्ध नहीं होती। यह इस दृष्टि से लोकदार भी कहा जा सकता है कि जब मकानों की विदेशी की आय बढ़ती है तब यह बढ़ जाता है। इसको बड़ी २ सम्पत्तियों पर ग्राफिक कर लगाकर बड़े मान भी बनाया जा सकता है।

परन्तु इस कर से आख बहुत कम ग्रात होती है क्योंकि नगर पालिकाओं के शब्दस्य दूसरे चूनाव में मत न मिलने के डर के बारण करन देने भालो पर कोई विशेष सलीली नहीं करते। कर लगाते समय वह पश्चापान से बाह लेते हैं। वह बहुत से लोगों का कर भाक भी कर देते हैं। बहुत से लोगों पर वह कर लगाते ही नहीं। कर एकत्र करने का भी उचित प्रबन्ध नहीं है जिसके कारण बहुत सा कर एकत्र हुए दिना ही रह जाता है। उत्तर प्रदेश में वह प्रत्युत्तर विषया जाता है कि लगाये गए कर वा केवल उन प्रतिशत ही एकत्र हो पाता है।

इन बातों के प्रतिरिक्ष सम्पत्ति कर के विषद् दो शाखातिया और की जानी है—(१) यह इम लिए प्रतुचित है क्योंकि सम्पत्ति कर दाता की कर देने की योग्यता की उचित कठीनी नहीं है। (२) यह कर इत लिए भी प्रतुचित है क्योंकि इसके कारण पूँजी की विशेषता में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है तथा मनुष्य की वास्तविक सम्पत्ति का पता लगाना बहा कठिन है। प्रो० मैलिगमैन ने तो मामूल्य सम्पत्ति कर को एतिहासिक, सैद्धान्तिक तथा व्यापारात्मक दृष्टियों से अनुचित बताया है। उनका कहना है कि एतिहासिक दृष्टि से जब तक यह कर कृपि सम्पत्ति पर लगाया जाता रहा तब तक तो कोई कठिनाई उत्पन्न न हुई। परन्तु व्यापार तथा उद्योग धर्यों की उन्नति होने पर इसको न्याय-मगत रखना कठिन हो गया। सैद्धान्तिक दृष्टि से उनका कहना है कि एक प्रकार की सम्पत्ति को दूसरी से भिन्न करना कठिन है। इसलिए यह निरिचत करना बहा कठिन है कि कर कौनसी सम्पत्ति पर लगाया जाए। इसके प्रतिरिक्ष सम्पत्ति से मनुष्य भी कर देने की योग्यता का पता लगाना कठिन हो जाता है। व्यवहार में यह कर इस लिए प्रतुचित है कि यह केवल उन्हीं लोगों पर लगता है जिनके पास मकान आदि की सम्पत्ति होती है और जिनके पास ऐसी सम्पत्ति नहीं होती उन पर कोई कर नहीं लगता। इस लिए कई बार वह प्रतिगामी भी हो जाता है।

### व्यापार, पेशी, कार्यों आदि पर कर (Taxes on trades, professions, callings etc.)

यह कर भारत को प्राय सभी नगर पालिकाओं में लगाया जाता है परन्तु सद्ग्राह, मात्र प्रदेश तथा बगाल के अतिरिक्त इसका कही भी विशेष महत्व नहीं है। इस कर को लगाते समय सब व्यापारी को घेणियों में बाट दिया जाता है। हर घेणी के व्यापारियों की प्राप्त ममान आय होती है। एक घेणी के सब व्यापारियों पर एकत्र कर होता है। यह कर व्यक्तियों के प्रतिरिक्ष कम्पनियों पर भी लगाया जाता है। कम्पनियों पर कर उनकी प्राप्त हुई पूँजी के अनुसार लगाया जाता है परन्तु दूसरे व्यापारों पर उनके द्वारा दिये गए दुकान के किराये के अनुसार लगाया

जाता है। यह कर नामूदी इव गे बढ़मान कहा जा सकता है। परन्तु कुछ इशारों में यह अनुगतिर भी होता है।

इस कर को लगान भास्य यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण व्यापार पर दुरा प्रभाव न पड़े। साथही माय अचल उन ही उद्योगों पर यहनर लगाना चाहिए जिनको नगर पालिकाओं में नाम होता है।

### व्यक्तियों पर कर अथवा हैसियत कर (Taxes on persons or Hasyat tax)--

यह कर व्यक्तियों की आदिक स्थिति तथा सम्पत्ति अदबा हैसियत पर लगाया जाता है। कर लगाने नमय व्यक्ति की आय ही नहीं देखी जाती बरन् यह भी देला जाता है कि व्यक्ति का मामाजिक स्तर वैसा है तथा उसके परिवार में वितने व्यक्ति है।

हैसियत कर प्रादेशी द्वारा तथा मध्य प्रदेश की मुछ नगर पालिकाओं द्वारा लगाया जाता है। व्यक्तियों पर कर दगान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, विहार और उडीमा राज्य की नगर पालिकाओं द्वारा लगाया जाता है तथा उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों द्वारा भी यह कर लगाया जाता है। जिला बोर्डों का इस कर को लगान का उद्देश्य यह है कि वे भी न करने वाले व्यक्तियों में कर बमूल किया जा सके।

यह वर साधारणतया छोटी छोटी नगर पालिकाओं में लगाया जाता है और मकान कर का विकल्प (alternative) है। नगर पालिका का विस्तार बढ़ने पर इसको हटाकर मकान कर लगा दिया जाता है।

इस वर के विरह कर दाताओं को दर्दी सिवायत रहनी है क्योंकि यह उचित प्रकार से नहीं लगाया जाता। इसको लगाने में बढ़ प्रदायत से बाम लिया जाता है और यदि प्रदायत से भी बाम न लिया जाए तो भी न्यायार बरने वालों की हैसियत या टीका प्रत्युमान लगाना बड़ा बट्ठन हो जाता है। इस वर का भार अपिवृत्त नीकरी बरने वाले लोगों पर पड़ता है क्योंकि यह अपनी आय को छुपा नहीं गकते। इसी दारणे इन लोगों को इस वर से बड़ी सिवायत रहनी है। जैसे ही नगर पालिका वा विस्तार बढ़ जाए वैसे ही मकान कर लगा देना चाहिए क्योंकि हैसियत वर का विषय व्यक्ति होता है जो कभी भी नगर पालिका को छोड़कर जा सकता है परन्तु भकान कर का विषय अचल सम्पत्ति होती है जिसमें कभी भी वर बमूल लिया जा सकता है। इसी लिए बड़ी नगर पालिकाओं में भकान कर को लगाया जाता है क्योंकि उनमें छोटी नगर पालिकाओं की अपेक्षा व्यक्तियों की हैसियत ज्ञानना बड़ा बट्ठन होता है।

## मल बाहन, रोशनी तथा अग्नि कर (Conservancy, lighting and fire taxes)

वास्तव में इनको करने वहकर दर कहना चाहिए क्योंकि इनको व्यक्ति को बर देने की स्थिति के अनुसार नहीं लिया जाता वरन् उसकी नगर पालिका जो सेवा करती है उसके अनुसार लिया जाता है। वही वही तो दर कर का इनका धरण लकिया से लिया जाता है कि नगर पालिका का इन सेवाओं पर किया गया धरण पूरा ही जाए।

क्योंकि यह निश्चित करना बड़ा कठिन होता है कि नगर पालिका ने हिस्सी व्यक्ति की सेवा की है इसलिए इस कर का यावारणतया व्यक्ति की सम्पत्ति के वायिक मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। परन्तु इम प्रकार कर जमाना अनुचित है क्योंकि किसी व्यक्ति की सेवा उसके मकान के मूल्य के अनुसार नहीं की जाती। इसलिए उम्म आधार पर कर लेना भी उनित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार नी सेवा करना सो प्रत्येक नगर पालिका का कर्तव्य है। यदि नगर पालिका की आप नम हो और उसको प्राप्तना लंबा पूरा नहीं करने के लिए धन की आवश्यकता हो तो वह इसने स्वान पर मकान कर पर धोड़ा सा अधिभार लगा सकती है।

### दूसरे छोटे कर (Other minor taxes) —

इन करों के प्रतिरिक्षण बहुत से छोटे छोटे कर भी नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सम्पत्ति के दृस्तान्तर करने का कर मद्रास सिली बालोंरियन तथा बलकना डेवलपमेंट ट्रॉफ लगते हैं। मध्य प्रदेश में घजार फर लगाया जाता है। यह कर यिनी वर दे समान होता है। क्योंकि बिना कर राज्य सरकारे सागती है। इसलिए नगर पालिकाएँ इस कर को नहीं लगाती। मध्य प्रदेश में पशुओं की राजिस्ट्री लगाने पर भी कर लगाया जाता है। बहुत से राज्यों में नौकरों तथा कुत्तों पर भी वर लगाया जाता है। यद्यपि यह विनासिता पर कर है परन्तु इस पर न इतनी कम आप होती है कि माध्यारथतया इस कर को नहीं लगाया जाता। उनर प्रदेश में मकान के भील वे सामने होने, नाव सेवा गिज कियाये पर भी वर लगाया जाता है, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में घोवियों पर भी कर लगाया जाता है। यह कर इसलिए उचित है कि धोबी गांवी की गल्दा करते हैं और उसके साप करने में धन छाने होता है। बहुत से राज्यों में इनको, तांगों, साइकिलों, रिक्षाओं, बैत गाड़ियों आदि पर भी कर लगाया जाता है। यह कर गाड़ी के ब्लायर पर निभेर होता है। तांगों आदि पर यह सब से अधिक होता है और माइकला पर सब से कम। इस कर को इस लिए लगाया जाता है क्योंकि गाड़िया नगर पालिका की सड़कों को ठोड़ती है और उसकी मरम्मत में नगर पालिका को धन खर्च करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएँ दो प्रकार वा कर

लेती है। एक दो नगर पालिका की सचिवों को शाम में लाने वी शाज्ञा देने का कर और दूसरा हालने वालों पर कर। गाड़ियों आदि से मद्रास और बम्बई में शब्दी प्राप्त प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त बुछ नगर पालिकाओं में यात्रियों के ऊपर भी कर लगाया जाता है परन्तु यह वही नगर पालिकाएँ हैं जो १६३५ के विधान से पहले इसको लगा रही थीं क्योंकि १६३५ के विधान तथा नए विधान में यात्रियों पर कर लगाया जा अधिकार नेशनल सरकार को है। कुछ राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, बम्बई कलकत्ता तथा उत्तर प्रदेश में तीर्थ क्षेत्रों पर जाने वाले सोनों ने भी कर लिया जाता है। परन्तु इस मद से सब से अधिक आय उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त होती है। बगाल, विहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उडीचा आदि में स्वानों पर भी कर लगाया जाता है।

### नये करों के सुझाव (Suggestion for new taxes) —

उपर्युक्त करों के अतिरिक्त नगर पालिकाएँ कुछ ऐसे कर भी लगा सकती हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं लगाए हैं। इनमें विशेष कर अधिकार (special assessments), अनंजित आय कर (unearned increment tax), शादी पर कर (Marriage tax) आदि मूल्य हैं। विशेष कर-अधिकार इसलिए लगाना उचित है क्योंकि भवान या सम्पत्ति के मूल्य में जो वृद्धि नगर पालिका के किसी स्थान पर सड़क निकालने, सड़क को चौड़ा करने अथवा किसी स्थान पर बाजार लगाने के कारण होती है वह उस समय न होती जब कि नगर पालिका इन कारों को न लगाती। इसलिए नगर पालिका को भूमि या भवान के मूल्य में जो वृद्धि होती है उस पर कर लगाने का अधिकार है और नगर-पालिकाओं को उस अधिकार को काम में लाना चाहिए। अनंजित आय भी सम्पत्ति वे स्थानीय के परिमय के कारण प्राप्त नहीं होती वरन् वह उस स्थान की सामान्य जनति अथवा मारे गमाज वी जनति के कारण होती है। इसलिए उस व्यक्ति को इस आय पर कर लगाया जा सकता है। शादी कर का मुकाबला उत्तर प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं द्वारा महावक अनुदान देने वे सम्बन्ध में नियुक्त वी गई समिति (जो भ्रष्टाचार १६४८ में नियुक्त होई और जिसकी रिपोर्ट १६५० में छपी) ने दिया है। इस समिति का कहना है कि शादी में लड़के वाला लड़की वाले से खेकर बहुत सा धन खर्च कर देता है। इसलिए लड़के वाले से शादी कर लेना चाहिए। यह कर लड़की के रहने वाले भवान के वार्षिक वितरण का १० प्रतिशत होना चाहिए। लड़की का भवान कर का आधार इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत से विवाह वडे वडे मवानों में हिए जाते हैं परन्तु यह भवान अस्थायी है से लिए जाते हैं। मदि लड़की का भवान नगर पालिका की सीमा से बाहर हो अथवा उन पर जिसी दूसरे कारण से कर न लिया जा सकता हो तो समिति ने प्रति शादी २५ हजार रुपये कर बमूल करने वा मुकाबला दिया है। इन-

समिति का यह भी सुभाव है कि लद्दाही के पिला वो भी सादी की रजिस्ट्री करने वा एवं लगाया देना चाहिए। मवान वर के सम्बन्ध में इन समिति का विवार है कि यह ११२ नगर पालिकाओं में से वेवल ३३ द्वारा लगाया जाता है प्रीत बहुत सी दगाड़ा में यह बहुत बम है। इस तिए नगी नगर पालिकाओं में इस वर को लगाना चाहिए नथा इसी दर सब स्थानों पर भगान होनी चाहिए। समिति का सुभाव है कि इस वर का आधार विरामा होना चाहिए। सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में समिति का सुभाव है कि इसको बट्टे मान लगाना चाहिए जिससे कि यह पर-दता वी वर देने की योग्यता वे अनुमत हो जाए। समिति का बहुत है कि कर से छूट वेवल स्वीकृत गिरा सम्याचो, सरकारी प्रस्तुतालो, धार्मिक स्थानो भादि को देनी चाहिए। समिति का यह भी सुभाव है कि व्यापार, ऐसे भादि के कर से भगी तक बहुत बम लाभ उठाया गया है। इस कर से भाय बड़ानी चाहिए प्रीत डाक्टरो तथा बड़ीना पर भी इस वर को लगाना चाहिए। समिति का एक सुझाव यह भी है कि मड़ाने से यात्रा करने वाले लोगों पर रेत के नीसरे दर्जे के लियाये की दर पर कर लगाना चाहिए। समिति ने एक यह भी सुझाव दिया है कि मकान के लियाये पर २ प्रतिशत वा लियाये उपवर लगाया जाना चाहिए।

सम्नलिखित तालिका से भारतवर्ष की नगर पालिकाओं की प्रश्नक्षण वरों की प्राप्त वा अनुमान लगाया जा सकता है —

(लाख रुपयों में)

आप के मद	१९३५-३६	१९३६-३७	१९३७-३८
मवान तथा भूमि पर वर ५००	४८६	५०२	
पेशो, व्यापार भादि पर वर ३२०	३२१	३३५	
मलवाहन वर	६०	६३	६६
रोक्षनी वर	२६	३४	३६
गाडियो भादि पर वर १६	१५	१५	१५
मड़क तथा घाटो पर वर २४१	२४७	२४६	
भूमि की विश्री पर उपवर २६.५	२५	२६.३	

#### अप्रत्यक्ष कर (Indirect taxes) —

इसरे देश में अप्रत्यक्ष वरों द्वारा नगर पालिकाओं जो बहुत अधिक आय प्राप्त होती है। वर से तुछ वर्ष पूर्व यह वर बम्बई (मिण सहित) में बहुत मत्त्युसूणे थे जहाँ इनमें शुल आय की ६२ प्रतिशत आय प्राप्त होती थी। पश्चात में इन से ६२ प्रतिशत, दरारी परिचमी सीमा प्राप्त में ६५ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ६२ प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में ४६ प्रतिशत आय होती थी। इन वरों में चुम्पी

(Octroi), सीमा-कर (Terminal Tax) तथा मार्ग शुल्क (Toll Tax) लम्बित है।

### चुन्ही (Octroi)—

यह भारतवर्ष की नगर पालिकाओं का सद में महत्वपूर्ण आय का साधन है। यह कर बहुत पुराना है और बहुते हैं जिसको बहुत पुराने समय में भी लगाया गया था। भारतवर्ष में प्रयोजा ने इसको फिर से चालू किया क्योंकि यह एक पुराना कर था और पुरानी कहावत के अनुसार पुराना कर कोई कर नहीं होता।

जब नगर पालिका की सीमा में बाहर से कोई लाने पीने अथवा दूसरे लगभग की बस्तु लाई जाती है, जहाँ वह सड़क क्ष, रेल से अथवा जल मार्ग से लाई जाती है, तो उस पर उसके भूत्यानुसार कर बस्तु किया जाता है। जब विमी बाहर से लाई हुई बस्तु को फिर से बाहर भेजा जाता है तो उसकी चुन्ही लोटा दा जाती है।

चुन्ही साधारणतया निम्नलिखित बस्तुओं पर ली जाती है—

मनुष्य अथवा पशुओं की लाने पीने की बस्तुओं पर, भारे जाने वाले पशुओं पर, रोपानी, लवड़ी तथा सफाई करने वाली बस्तुओं पर, मकान बनाने व सजान वाले दामान पर, रसायनिक बहुओं, दवाइया, मसाला, गोद, पुस्तक, रण, चमड़ा रगने वे सामान पर, तम्बाकू कपड़ा, धातु तथा धातुओं स बने सामान पर।

परन्तु चुन्ही नहीं ली जाती, जैसे वह वस्तुएं जिन पर सीमा कर (custom) अथवा उत्पादन-कर लग गया हो जैसे अपीम, धातुएं, नमक आदि, बहुमूल्य पत्तर तथा धातुएं जैसे सोना, चांदी, हीरे आदि, सुरकारी माल, गुद अथवा शीरा जौ देशी शराब बनाने के काम में आता हो, यानी वे धर में काम आने वाला सामान, जब के पासल, हृत्यार, मशीने तथा पुर्जे, कापला, गाडिया, वितावें, अखवार आदि।

१९३६—६० में चुन्ही से उत्तरी पर्सियनी सीमा प्राप्ति का १४ प्रतिशत, सिध का ६६ प्रतिशत, पश्चात व उत्तर प्रदेश को ६२ प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश का ४६ प्रतिशत आम प्राप्त हुई थी।

### कर की आलोचनाएँ—

इस कर के विहङ्ग निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई हैं—

१. (१) इसके अप्पार की उद्धिक्रम द्वारा दृष्टि नहीं लगती है। इसकी अप्पारी इसका घटा विरोप करते हैं। इस कर के लगाने में नगर पालिका देवत अपनी आदि का ही प्यान रखती है परन्तु भारे देता वा हित भूत जाती है।

(२) जिन स्थानों में चुन्ही होती है वहां पर जो बाहर से आया हुआ भास्तव्य नगर के बाहर फिर भेजा जाता है उस पर चुन्ही लोटा दी जाती है। यह पद्धति बड़ी व्यापक है। इसने कारण नगर पालिका की बड़ी हानि होती है। इमका कारण यह है कि चुन्ही के मुश्ती लोग व्यापारियों से मिलकर एक समीद पर नई बार बहनी कर देते हैं।

(३) चुन्ही एक बरते का व्यय बहुत अधिक होता है। इस प्रकार नगर के लोकों को चुन्ही तो बहुत देनी पड़ती है परन्तु नगर पालिका को आय बहुत कम होती है। नगर पालिका कर समिति, उत्तर प्रदेश ने अनुसार १९०७-८ में यह व्यय १४२ प्रतिशत था। अब यह और भी बढ़ गया होगा।

(४) इस बर को लगाने में वैज्ञानिक रीति से बास नहीं लिया जाता जिसने पारण वैईमानी, चूंगी आदि होनी रहती है। चूंगी बमूल करने के लिए नगर पालिका को भव मटको पर रोक लगानी पड़ती है और वहां पर २४ पटे आदमियों को रखना पड़ता है। वयापि इन आदमियों को कम वैहन मिलता है इस कारण वह बड़ी वैईमानी से चाम लेते हैं। यदि बोई व्यापारी इनको घूस नहीं देता है तो यह उसको तग बरते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका कर समिति ने १९०६ में यहा था, 'इस पद्धति की बहुत सी वृद्धायों की जड़ पर कम्बंचाटियों का गुण (quality) है'। इस मम्बन्ध में एक उदाहरण देना उचित होगा। भेरठ शहर नगर पालिका की प्रतिदिन की चूंगी का ग्रोसत ५०० रुपये से भी कम था। परन्तु जब से यहां पर नए चुनाव होकर मदस्य तथा ग्राम्यका बदले हैं तब से उनकी कड़ी निगरानी के कारण यह दैनिक ग्रोसत ३००० रुपये पर गहर गया है। इसमें पता चलता है कि यह २५०० रुपये रोज़ चूंगी के मूलियों, नगर पालिका के मदस्यों आदि की जेवा में जाता रहा होगा।

(५) जिन तालिकायों के अनुसार चुनी ली जाती है वह तालिकायें वैज्ञानिक रीति में नहीं बनाई जाती। यह तालिकायें नगर पालिकायों के सदरतों की डच्छायों पर निर्भर होती हैं। जैसे भेरठ नगर पालिका में यहांजूने पर जो चुनी ली जानी है, भास्तव्य पर उससे कई गुनी ली जाती है।

(६) चूंगी बर के प्रयोग सभी सिद्धान्तों के विषद है। यह अनिवार्य है। यह लोगों के लिए मुद्रिताजनन भी नहीं है। इतना बर भार निश्चित बरना कठिन है। यह नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी जाप्रत नहीं बरती। इसके एक बरने का खब्बे बहुत है। इसी कारण चूंगी ने मुश्ती आदि वैईमान हो जाते हैं।

इन राज चालों के कारण चूंगी पर एक धूणास्पद बर बहा बना है। सर जोशिया स्टाम्प ने चूंगी के सम्बन्ध में कहा है, "मेरे विचार में, गैद्धान्तिक दृष्टि से तथा अनुभव के अधार पर, बोई भी देश उन्नतिशील नहीं हो सकता गा कि जिसी भी प्रदार चूंगी पर निर्भर रहा है जिसमें रोदा

मन्त्रण है"। इसी कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका कर समिति १६०६ मे इस कर को एक दम समाप्त करने वा मुभाव दिया था और इसके स्थान पर सीमा-कर (Terminal tax) लगाने का मुभाव दिया था। परन्तु इस सब विरोध के होने के बीच भी चुनी अभी तक काब्य है। इसके दो कारण हो सकते हैं—(१) यह नवर पालिकामो की आय का एक मर्ज़ा साधन है। (२) नगर पालिकामो का प्रबल अमीर लोगों के हाथों मे होता है जिनको अप्रत्यक्ष कर कर और प्रत्यक्ष कर अधिक देने पड़ सकते हैं १६३५ डॉ से इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि अब सीमा-कर रास्तपति की प्राप्ति विना नहीं लगाया जा सकता।

### सीमा-कर (Terminal tax)—

१६०८-६ की यू० पी० नगर पालिका कर समिति वा मुभाव वा हि चुनी के स्थान पर सीमा-कर लगाया जाए। भारत सरकार ने इस मुभाव को मान लिया और नगर पालिकामो को आदेश दिया वि वह चुनी के स्थान पर सीमा कर लगाए। १६१७ ई० में कुछ नगर पालिकामो ने इस कर को लगाया, पर कुछ समय पश्चात, अर्थात् १६२६-३० ई० में उनको यानी नीति में बदल कर लो पड़ी और चुनी किर से लगा दी गई इस प्रकार १६२६-३० में लगभग ५३ प्रतिशत नगर पालिकाएँ इस कर को लगाती थीं, परन्तु १६३६-४० में उनकी सख्ती बैठक १६३७ प्रतिशत रह गई।

१६३५ तथा नए विधान के अनुसार रेल तथा वायु से जाने वाले भाव तथा यात्रियों पर सीमा कर लगाने का अधिकार सभीय सरकार को है। इस लिए नगर पालिकायें अब इस कर को नहीं लगा सकती। परन्तु विधान ने यह भी दिया हूँगा है कि जो नगर पालिकाएँ इस कर को प्राप्तीय स्वातंत्र्य के प्रारम्भ होने से पहले लगा रही थीं उनको इस कर के चालू रखने का अधिकार हो। इस प्रकार नयी नगर पालिकाएँ इस कर को नहीं लगा सकती।

सीमा कर रेलो द्वारा एकत्र किया जाता है। इस भाव के लिए रेलो एकत्र किए गए कर का ३ से ५ प्रतिशत तक कमीशन के रूप में लेती है। चुनी के मान यह भी उपचोर की अनुमोदन पर ही लगाया जाता है परन्तु इस चुनीके मानव वर का सीटाया नहीं जाता। यह कर मूल्यानुसार न लिया जा वर बजन के हिमाव से लिया जाता है। इस वर को लगाने के लिए जो तालिकायें बनाई जाती हैं वह रेलवे तालिकामो ने समान होती है।

सीमा वर सरल तथा मुविधा जनक है और इसके एकत्र बरने वा व्यव भी कम है। इस वर के एकत्र करने में नगर पालिकामो को कोई कठिनाई नहीं होती। अतापारी जोग भी सन्तुष्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको चुनी के मुश्यों के समान बोर्ड तग नहीं करता। इस कर से बचना भी कठिन है क्योंकि पासंत बल्कि इस वर

को उसी मरम्य बमूल कर तेता है जब कि माल रेलवे गोदाम से छुड़ाया जाता है। वह कर मित्रव्यवधी भी है व्योकि इसके एकत्र करने का एवं ३ से ५ प्रतिशत तक है।

परन्तु इस करके कुछ दोग भी हैं। पहला दोग तो यह है कि राज्य की सब नगर पालिकाओं की कर की दर समान न होने के कारण व्यापार में बड़ी दाया पड़ती है। दूसरे रेल का व्यापार भी कुछ कम हो जाता है व्योकि वर से बचने के लिए लोग माल सड़क से लाने लगते हैं। तीसरे इस कर में समता (equality) नहीं पाई जाती। इसका भार गरीबों पर पड़ता है व्योकि जिन वस्तुओं का उपयोग गरीब लोग करते हैं साधारणतया वही भारी होती है।

इस कर को लगाने समव यह देख लेना चाहिए कि इसका भार प्रामाणिक है वर न पड़े जो कच्चा माल लगाते हैं।

**सीमा मार्गशुल्क (Terminal tolls)**—जिन नगर पालिकाओं में सीमा कर लगाया जाता है उनमें सीमा मार्गशुल्क भी लगाया जाना है। यदि ऐसा न किया जाये तो भाल सड़क अधिक नाव से आने लगे। परन्तु लखनऊ तथा नुजी की नगर पालिकाये के बाल सीमाकर ही लगती है।

यह कर सवारी के प्रकार के ऊपर होती है। जिस समान को व्यक्ति अपने पाप से जा सकता है उस पर सबसे कम कर लगाता है। बैलगाड़ी, मोटर, साइकिल, सज्जर, आदि की भलम भलग दर होती है। इस कर को साधारणतया इमिलिए लिया जाता है व्योकि नगर पालिका के बाहर से आने वाली गाडियों को नगरपालिका की सीमा में चलने वाली गाडियों के समान कोई अनुज्ञा-पत्र-दूनक (Licence fee) नहीं देना पड़ता, परन्तु वह नगर पालिका की सड़कों का उपयोग करके उनको तोड़ती फोड़ती रहती है। इसलिए उनसे सड़कों को प्रयोग में लाने का शुल्क लेना आवश्यक है। परन्तु साधारणतया हम यह कह सकते हैं कि यह व्यापार पर ही कर है।

इस कर का राबड़ी धर्थिक महत्व मद्दारा में है जहाँ इसमें बहुत सी भाव प्राप्त होती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इसका महत्व घटता जा रहा है और मद्दास की नगर पालिकाओं तथा चम्बई के जिला बोर्डों को इस कर से छोड़ना पड़ा। उनके इस कर का पाठा मोटर याड़ी कर से पूछ लिया गया।

थी सी थी कोट्टरेल (C. B. Cotterell) ने स्थानीय स्वशासन विभाग की ओर से कर जाँच समिति के समझ घपने वयान देते समय कहा था कि भारतपर्य की सभवता के पैमाने पर पहुँचा हुआ माना जाने के लिए मार्गे शुल्क को हटाना पड़ेगा। परन्तु मार्ग शुल्क का सम्पादा के बोई सम्बन्ध हो या न हो परन्तु यह अवश्य कहना पड़ेगा कि मार्गशुल्क व्यापार में बड़ी बाधाएं बनती हैं और उनको दूर करना चाहिए।

व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय (Income from Commercial Undertakings) — प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त नगर पालिकाओं को कुछ आप व्यापारिक कार्यों से भी हासि है। यह नाम ऐसे होते हैं जो कि नगर के साथ के डिए अधिकारक हैं। इन कार्यों में यानी विवली, ऐम, ग्रानाइटन के साधनों का प्रबंध वरता समिक्षित है।

पानी—नगर पालिकावें नगर में नदा डारा पानी पहुँचाती है। इस पानी पर नगर पालिका को बहुत मा खर्च बरता पढ़ता है। इसलिए यह घावधारक ही जाता है कि वह इम पानी का खर्च नगर के उक लोकों के लैं जो पानी का उपभोग बरते हैं जो पानी का नह ब्रह्मने घरा में लगता है। इन नला का अतिरिक्त जब साधारणा के नाम से लिए गड़कों दे विनारे स्थान रखते पर भी नह लगता दिए जाते हैं। इन सभ नलों को वह शब खोग जो अपने घरों में नह नहीं लगता सबसे खूब दाम में लाते हैं। पानी के नदा पर दो प्रकार से बर बसूर विना जाता है—(१) सबमें सामाय बर लेता (Flat rate) (२) पानी के उपभोग के अनुसार कर लेता (Meter system)। पहली दशा में सब लोगों में जाहे वह नितने ही पानी का उपभोग करें एवं निरिक्षित बर लिया जाता है। जैसे मेठ नगर पालिका में पहले एक टाई पर ८ चाने और अब २ रुपय बर लिया जाता है। इस प्रकार मे बर लेते में बदाकि लानी के उपभोग बर बोर्ड विनाय घात नहीं रखा जाता। इसलिए बहुत मा पानी बदाद लिया जाता है। यही बारण है बड़े २ शहरों में नदा पर मीटर लगा दिए जाने हैं जिनसे पानी का उपभोग नाप बर उसके अनुसार बर बनूत लिया जाता है। पहली पहलि भी अपकार दूसरी ही उचित जान वडती है।

भारतदेश की नगर पालिकाओं के नामों में नाथरएण्डा यह दिया रहा है कि वह काटर बहुत बे बनाते बायन रमने तथा उनका विनार करने में किनका अन लघु बरें बही भगर के लोगों में बसूर बरें बरन्तु व्यवहार में हमारे देश का नगर पालिकावें पानी से लाभ उठती है, जैसे १९३६-४० में कुछ प्रान्तों की नगर पालिकाओं का आय और व्यय इस प्रकार था—<sup>१</sup>

लाभ रपयों में			
प्रान्त	आय	व्यय	
जगता	१०५५	१३.६०	
यू. पी.	३२९६०	२४०३५	

१ Figures in the above table taken from Dr. Gyan Chand's 'Local Finance in India'—P. 168

पञ्चाब	११३३	१६८२
मध्य प्रदेश	७४८	८४६
मासाम	१७१	१७१
बम्बई प्रान्त	३७६५	२०१६
मद्रास प्रान्त	२३२७	२०५६

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ही प्रान्तों की नगर पालिकाओं को छोड़ कर प्राय सभी और पानी में लाभ होता है। परन्तु नगरपालिका के बढ़ते हुए सर्वे के कारण इस लाभ को कम नहीं करता चाहिए।

**विजली—**कुछ नगरपालिकाएँ जिनमें शिवला एक है अपनी विजली बनाकर नगर में पहुँचती है। इस मद्दे से भारत की नगरपालिकाओं को ११३५-३६ में लगभग २६ लाख ११३६-३७ में लगभग ३४ लाख तथा ११३७-३८ में लगभग ४० लाख रुपए की आय हुई।

**किराया—**नगरपालिकाएँ अपनी सराय, मकान, दुकान आदि भी बनवाकर नगर के लोगों को किराये पर उठा देती है। इसके अतिरिक्त वह अपनी जमीन को एक लम्बे पट्टे पर भी नगर के लोगों को दे देती है। ११३५-३६ में इस प्रकार की आय लगभग ४७ लाख, ११३६-३७ में लगभग ५० लाख ७३ हजार तथा ११३७-३८ में लगभग ४६ लाख ८४ हजार थी।

**कसाई घर—**नगरपालिकाएँ अपने कसाई घर भी रखती हैं जिनमें पशुओं की बली हो सकती है। इन कसाई परों वे प्रयोग के लिये वह कुछ किराये लेती है।

**आवागमन के साधन—**बड़े बड़े नगरों जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि में स्थानीय मस्थायें अपनी बसें भव्य ट्राम गाड़िया भी चला देती है। इनसे नगर के लोगों ने बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार की येवाया ने मूल्य के आधार पर न देकर लाभ के प्राप्तार पर दिया जाता है।

**सहायक अनुदान (Grants-in aid)—**स्थानीय स्थापना को बहुत से कार्य करते पड़ते हैं जिन पर उनका बहुत सा धन खर्च होता है। परन्तु उनके इतनी आय नहीं होती। इसलिए उनको राज्य सरकारे सहायक अनुदान देती है। यह कार्य छह से दिया जाता है। इसका एक छह तो यह है कि किसी सेवा पर नगरपालिका का जो आय होता है उसकी एक निश्चित प्रतिशत उनको अनुदान के रूप में दे दी जाती है। दूसरे छह के अनुदान एक आमन सेवा के लिये एक निश्चित धन राशि दे दी जाती है जाहे उस सेवा पर कुछ भी खर्च हो। तीसरे छह के अनुदान इकाई के अनुसार सहायता दी जाती है जैसे शिक्षा के लिये सहायता प्रति शिक्षा स्थावर अपवा विद्यार्थी के अनुसार दी जाती है। इन तीनों छहों में अपने अपने कुछ गुण

अथवा दाय है। वास्तव में महायक अनुदान देते भयंक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नगरपालिका की श्राय क्या है। वह कितना धन लेवं कर रही है, उम्मी विन भद्र पर कितना भी लर्व करना चाहिए शादि। परन्तु हमारे देश में उन सब बातों का लोई विदेश ध्यान नहीं रखा जाता। हमारे देश में अनुदान को ग्रांट वरने में नगर पालिकाओं के सदस्यों अथवा अध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रभाव बहुत काम करते हैं। यह धनुचित है।

हमारे देश की राज्य प्रशासन नगर पालिकाओं को दो प्रकार की महायका देती है—(१) आपर्फी अनुदान (Recurring grant) तथा (२) समवर्द्ध अनुदान (Block grant)। पहले प्रकार का अनुदान ग्रांट वर्षे दिया जाता है। तथा दूसरे प्रकार एक बार ही दे दिया जाता है उसको फिर नहीं दिया जाता। यह अनुदान विद्या, स्वास्थ्य चिकित्सा तथा आवागमन के साधनों के लिये दिया जाता है। इनमें से शिक्षा का अनुदान गवर्नमेंट महत्वपूर्ण है योकि नगर पालिकाओं को शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक तथा निश्चक करना पड़ता है।

१९३६-४० में हमारे देश के कुछ राज्यों की नगर पालिकाओं को ग्रांटी कूल श्राय का नियन्त्रित प्रतिवर्त अनुदान के दृष्टि में प्राप्त होता था—

दागल ६, बम्बई ६, मद्रास १०, उत्तर प्रदेश ५, पंजाब ५, मध्य प्रदेश ४, आसाम १६, विहार १६ तथा उडीसा १७।

### स्थानीय ऋण (Local Loans)

स्थानीय सर्वान्नों की शार्यक व्यवस्था में ऋणों का बोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। और न ही उनको ऋण लेने वी अधिक शक्ति प्रदान करती चाहिए।

हमारे देश में स्थानीय सर्वान्नों गदा ही राज्यार्थी नियन्त्रण में रही है। उन पर १९३१, १९३६ तथा १९४४ के स्थानीय सम्पत्ति ऋण एकट (Local Authorities Loans Act) लागू रहे हैं। इस नियन्त्रण के तारण स्थानीय सम्पत्ति इनका ऋण नहीं ले सकी जितना कि वह तूमरे देशों में लेनी है।

हमारे देश में स्थानीय सम्पत्ति नियन्त्रित कायों के लिये ऋण ले सकती है—

(१) कर्मचाराये (Workers) बनाने के लिए, (२) अकान अथवा कमी के समय महायका देने तथा महायका बेन्डों के बालू बरने तथा उनको काप्तम रखने के लिए, (३) किसी भविकर रोप को रोपने तथा उसके न कैलने देने के लिए, (४) भूमि प्राप्त बनने के लिये, (५) पुराने ऋणों को चुकाने के लिये।

हमारे देश में स्थानीय सम्पत्ति को स्थिति इतनी बराबर है कि उनको नावंजनिक ऋण प्राप्त बरने में सफलता जितनी पठित है। योंडा बहुत ज्यादा इन्फ्रार्मेंट ट्राई ने अवश्य लिया है। यह सम्पत्ति साधारणतया पानी की कर्मचाराओं

तथा नगर में गन्दा गानी बाहुर निकालने के लिये व नालियों को प्रदर्श करने के लिए ही अरु नेत्री रही है। परन्तु अभी कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने बाजार, कमाई सामने बनाने तथा विज्ञानी वी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी अरु लि ए है। इनको कुछ अरु दफ्तर की उमारत स्कूल तथा इस्पतालों के बनाने के लिए भी दिए गए हैं।

हमारे देश में स्थानीय संस्थायें अरु एक वृत्ति (Annuities) या शोधन कोष (Sinking Fund) द्वारा चुकाती हैं।

सरकार का स्थानीय सम्पाद्यों को सार्वजनिक अरु लेने की आज्ञा न देना कहीं आनोचना का विषय रहा है। परन्तु यदि वास्तव में देश जाए तो बेन्द्रीय अधिकारी राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक अरु लेकर उनको नगर पालिकाओं दो दे देना भव्य है क्योंकि ऐसा करने से राष्ट्रीय साधनों पर पूरा उपयोग हो सकता है जो कि स्थानीय संस्था के अरु लेने पर नहीं हो सकता।

### नगरपालिकाओं का व्यय

#### (Expenditure of the Municipalities)

नगरपालिकायें निम्नलिखित कामों पर धन का व्यय करती हैं—

(१) गतिवादन (Conervancy)—नगर की सड़कों की सफाई कराना, कूड़ा करकट नगर के बाहर फिकाना नालियों की सफाई कराना, गाताना नदी के बाहर पहुँचाना आदि वापरे नगर पालिकाओं वे मुख्य कार्य हैं और इन पर ही उनकी सबसे भविक व्यय होता है। १९३७-३८ में इस मद पर १९३७-३८ लाख रुपए खर्च हुए।

(२) स्वास्थ्य सेवायें (Health Services)—इसके पश्चात नगर पालिकाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें भी महत्वपूर्ण हैं। नगर पालिकायें नगर में हुस्पतालों, शास्त्राधानों आदि वा प्रबन्ध बरती हैं तथा बच्चे वे चेचबा के टीके लगाताती हैं। बरसात से पहले तथा उसके बीच में कुओं में ताल द्याई छलायकर उनकी सफाई करानी है। दूसरे अंतिरिक्ष चढ़ाएक स्वास्थ्य अस्पताल भी रखती है, जो देखता है कि नगर में कोई ऐसी बरतु न बिके जिससे शोग फैलने का भय रहता है। इस प्रकार वह गली, सड़ी सब्जी, मिठाई आदि को फिकावा देता है तथा मिलावट की ओरें आदि नहीं बेचने देता। इस प्रकार नगर पालिकायें यह ध्यान रखती हैं कि नगर में बीमारी

न फैले। अभी हाल ही में हम्पताना को राज्य मरकारे प्रपत्ते हाथ में ले रही है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि नगर पालिकायें अपने सीमित साधनों में हम्पताना को ठीक प्रकार से नहीं चला मिलती। १९३७-३८ में इस मद पर लगभग १ करोड़ रुपए खर्च किये गये।

(३) शिक्षा (Education)—हमारे देश की नगर पालिकाओं वे उपर यह भार है कि वह प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क है। इस प्रकार से शिक्षा बहुत सी नगर पालिकाओं में दी जाती है। या लोग अपने छोटे बच्चों का स्कूल में नहीं भेजते उनको दण्ड दिया जाता है। परन्तु ऐसा देशने में आया है कि इन प्रकार से शिक्षा कम सज्जो का दिल पाती है क्योंकि नगर पालिकाओं वे ढारा व्यासित स्कूलों में शिक्षा का उचित प्रबन्ध न होने के बारे से अधीर आदमी तो अपने बच्चों को भेजते नहीं और गरीब आदमी अपने बच्चों से बाहर बराते के कानगा नहीं भेजते।

प्रारम्भिक शिक्षा के अनिवार्य बुछु नगर पालिकायें अपने माध्यम शिक्षा स्कूल भी चलानी हैं पर ऐसी नगरपालिकायें कम हैं। १९३७-३८ में शिक्षा व्यय २३५ १५ लाख रुपए था।

विविध व्यय (Miscellaneous Expenditure)—इन बायों के प्रतिरिक्त नगर पालिकायें अपने खेतों में सड़कें, इमारतें, कमाई घोने, घरसनें वै मैदान आदि भी बनवाती हैं। १९३७-३८ में सड़क १५२ १३ लाख, इमारतों पर ३३ ८६ लाख खर्च किया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर पालिकाओं को ऐसी मत्रायें मोर्ची गई हैं जिन पर की गण्ड़ का जीवन निर्भर है। इन सेवाओं पर खर्च करने की बहुत अधिक प्रावश्यकता है परन्तु हमारे देश की नगर पालिकाओं के साधन गोमित हैं। ऐसा गन्तव्यान्त है कि आजवाल नगर पालिकाओं को अधिक से अधिक ६ ह० १२ आ० ३ पाई प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर के हप में प्राप्त होता है और औसत केवल ४ ह० ०० था है। जिला बोर्डों की अधिकतम आय दो केवल १ ह० ८ आ० ६ पाई तथा भीगत आय केवल ८ आ० ही है। १९२६-३० से उनकी आय में काई विशेष वृद्धि नहीं हुई। भारत के कुछ बड़े बड़े राज्यों की भीमत आप इस प्रकार है—

बागान ६ आ० ६ पाई, उर्डाना ५ आ० ३ पाई, उत्तर प्रदेश ६ आ० ११ पाई तथा आसाम ७ आ०। इनकी कम आय में हम जैसे अग्राम कर सकते हैं कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, मर्शाई आदि का उचित प्रबन्ध कर सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि या तो उनकी आय है कुछ और साधन दिए जायें या उनमें कुछ खार्य ले लिये जायें और उनका भार राज्य सरकार पर लाला जाए।

## जिला बोर्डों की आय और व्यय (Income and Expenditure of District Boards)

### आय

**भूमि पर उपकर (Land cess)—**जिला बोर्डों की आय का मुख्य साधन भूमि पर उपकर है। इसमें द्वारा उनकी आय का ६७ से ६८ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इसका पता नीचे की सालिका में घल सकता है—

राज्य	भूमि पर उपकर द्वारा प्राप्त आय का बुल आय में प्रतिशत
	₹१६२६-३०
बंगाल	५६
बम्बई	७७
मद्रास	५५
उत्तर प्रदेश	८१
बंगाल	६३
मध्य प्रदेश	६०
ग्रामांश	८८
विहार	६०
रुडीगा	—
	₹१६२६-४०

यह वर अस्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में भूमि के वार्षिक मूल्य (Annual Value) पर तथा स्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में जोनी हुई भूमि के खेतफल पर लगाया जाता है। वार्षिक मूल्य का सब राज्यों में एवं ही प्रभिप्राप्त नहीं है। बंगाल, विहार तथा उडीसा गे इनका अभिप्राप्त उग सगान गे हैं जो किंगान जागीरार को देता है, परन्तु उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका अभिप्राप्त भूमि की मालगुजारी के द्वारा होता है। बम्बई, मध्य प्रदेश ग्रामांश तथा मद्रास वे स्थायी बन्दोबस्त वाले धोत्रा में वार्षिक मूल्य वा अभिप्राप्त उस मालगुजारी ने है जो भूमि पर ली जाती है। यही नहीं इस कर की दर भी स्थान रखन पर भिन्न है। उत्तर प्रदेश में यह वर वार्षिक मूल्य पर ६२ प्रतिशत अववा सरसार को दी जाने वाली मालगुजारी पर १३६ प्रतिशत लगाया जा सकता है। यदि कर खेतफल के अनुसार तगाया जाना है तो पर भी दर २२ फ़ासे प्रति एकड़ हो सकती है। परन्तु १६०६ से यह कर वार्षिक मूल्य पर ५ प्रतिशत तथा धोत्र पर २ फ़ासे प्रति एकड़ नीं दर से लिया जाता है। पंजाब, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश में इस कर की दर वार्षिक मूल्य की ६२ प्रतिशत

1. Table taken from Mehta and Agarwala's 'Public Finance', P. 565

है। इन राज्यों में कर की दर समान होते हुए भी उसका भार भिन्न है क्यों कि कर का आधार सब स्थानों पर समान नहीं है।

इस कर वो लगात के साथ बमूल किया जाता है। इसके एकप्रकार करने वे निए जिन बोर्ड से तुठ कमीशन नहीं लिया जाता। यह कर जमीदारों से निया जाता है परन्तु कुछ राज्यों में जमीदार इसको किसानों से भी बमूल कर भवते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में यदि कर की दर ५ प्रतिशत से बढ़ा दी जाए तो अधिक कर के हैं तक को किसानों से बमूल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ६५ प्रतिशत से अधिक ना हु बमूल किया जा सकता है। बगाल, विहार, उडीपा तथा मद्रासे के स्थानीय बन्देश्वर बालों में आधा कर किसानों से तथा आधा जमीदारों ने बमूल किया जाता है।

क्योंकि यह कर मानवजारी के साथ बमूल किया जाता है इसलिए इसकी आय साधारणतया कम घटती, बढ़ती है। इसमें प्राचीन प्राय १६२६-३० में ४६४-१८ लाख रुपए, १६३४-३५ में ५३८-६४ लाख रुपए तथा १६३६-४० में ४७८-३८ लाख रुपए थी।

**सम्पत्ति तथा परिस्थिति पर कर (Tax on Circumstances and Property)**—इस कर का दूसरा नाम है सियन कर भी है। यह कर मनुष्य की कुल आप पर लगाया जाता है। इसलिए १६३५ के विधान में सियाय उन जिला बोर्डों के जो इस कर की प्रान्तीय स्वयासन से पहले ही लगा रहे थे कर लगाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह कर पञ्चाव, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जिला बोर्डों द्वारा आदि भी लगाया जाता है। यह कर उन लोगों से ही लिया जाता है जो ग्रामों में रहते हैं। जो सोग नगर वालिनामो तथा नोटीफाइड एरिया की रीमा में रहते हैं उनसे नहीं लिया जाता। इस कर में एक न्यूनतम छूट भी दी जाती है। इस कर की दर ४ पाई प्रति रुपए से अधिक नहीं हो सकती।

यह कर प्रत्यक्ष कर है और वह मान रीति से लगाया जा सकता है। परन्तु इसमें छूट की न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश में २०० रुपए तक है। इसलिए इसका भार गरीबों पर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसके लगाने वाले छूट भी सन्तोष जनक नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे प्राचीन आय भी बहुत है जैसे उत्तर प्रदेश में १६२६-३० में १६७-१४ लाख रुपए में से बेवल २६६ लाख रुपए इस कर की आय थी। इन सब बातों के कारण बहुत से राज्यों में इसको छोड़ जा रहा है।

### भार्ग शुल्क (Tolls)—

जिला बोर्ड ग्रामों के पड़ने वाली नदियों के पाटों का ठेका देकर भार्ग शुल्क बमूल करते हैं। यह ठेका नीलाम किया जाता है। जिसकी बोली सबसे अधिक

होती है उसको ठेका छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात ठेकेदार घाट पर से उतरने वाले से कर बमूल करता रहता है। इस कर से भिवाय मद्रास राज्य के कही भी किशोर आप नहीं है। मद्रास में १९२६-३० में इससे प्राप्त आप ८८३६ लाख रुपय थी परन्तु उत्तर प्रदेश में ६४२ लाख, बगान में ६३६ लाख, बम्बई में ६३६ लाख तथा पञ्जाब में २६३ लाख थी। मद्रास में आप इसनिए अधिक थी ब्यावि वहाँ पर यह आपावर पर कर के हृष में बमूल किया जाता है। पर इस प्रकार बर लगाने से विमाना को बहुत हानि होती है। वह बर से बचन के लिए पमल वा मढ़ी से त लेजावर गाव के महाजन को ही बेच दते हैं और बड़ी हानि ढालते हैं। घाटों के ठेके देने की पद्धति भी उचित नहीं जान पड़नी क्योंकि ठेकेदार गांव गाला को बहुत तग करते हैं।

**कांजी हीस (Cattle pounds)** इनके अनियक्त जिला बोर्डों को कांजी हीस, में भी कुछ आप प्राप्त हो जाती है। कांजी हीस में आवारा फिरने वाले पशुओं को बन्द कर दिया जाता है और उनका मालिव पशुओं हो कर देवर छुड़ा सकता है। वही नहीं इस प्रकार के बर बमूल करने का ठेका भी दे दिया जाता है।

**शुल्क (Fees)**—जिला बोर्ड गाव में प्रारम्भिक शिक्षा दने से लिए शुल्क भी खोलते हैं। इन स्कूलों में नगर पालिकाओं के समान नियमूलक शिक्षा नहीं दी जाती बरन् बच्चों से योड़ी कीमत ली जाती है।

**किराया (Rent)**—जिला बोर्डों को कुछ आप सराय तथा दूसरी प्रकार का इमारतों के किराये से भी हो जाती है। पर यह आप बहुत कम होती है।

**मेले (Fairs)**—जिन जिला बोर्डों के क्षेत्र में मेले लगते हैं उनको उन मेलों से भी आप प्राप्त होती है। भेरठ जिले में गढ़मुकेड़वर पर गगा स्नान का मेला तथा भेरठ नगर में नौचन्दी का मेला लगता है। इसी प्रकार जहाँ कही इस प्रकार के मेले लगते हैं वहाँ पर जिला बोर्डों को उनसे आप होती है।

**सदायक अनुदान (Grants-in-aid)**—यह जिला बोर्डों की आप का एक भूम्य साधन है और इसमें १९३६-४० में जिला बोर्डों की कुल आप वा बगान में २८ प्रतिशत, बम्बई में २० प्रतिशत, मद्रास में ४४ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ४२ प्रतिशत तथा पंजाब में ४५ प्रतिशत आप प्राप्त हुई।

यह भूम्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, राडक, विविता आदि के लिए दिया जाता है। जिला बोर्डों की इनकी आप उहायताद्वारा प्राप्त होते के कारण राज्य सरकारों का दनके कार्य में बदा हस्तक्षेप रहता है।

### जिला बोर्डों का व्यय

**Expenditure of the District Boards—**

जिला बोर्ड साधारणता नियमिति कार्यों पर संचर करते हैं—

**शिक्षा (Education)**—जिला बोर्ड का मद में प्रधिन सर्वं शिक्षा पर होता है। यह केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही बते है। शिक्षा के लिए उनकी बहुत सी महात्मा गांधी संघर्षों में मिलती है। १९२८-२९ में जिला बोर्ड का शिक्षा पर व्यय ५००००२ लाख रुपये १९३१-३२ में ६२४५३ लाख रुपये तथा १९३६-३७ में ८२६ हजार रुपये था।

**महारों तथा इमारतों पर खर्च (Expenditure on roads and buildings)**—

इम मद पर इनका लगभग ३ प्रतिशत व्यय होता है। परन्तु इनके अधिकार में इनका वश धर्म है और उनकी आय कम है इसलिए इनकी महंडे प्राप्त खरगव ही मिलती है।

**हृस्पताल तथा सफाई (Hospitals and sanitation) —**

जिला बोर्ड स्थान स्थान पर हृस्पताल भी रखते हैं जिनमें गाँव के लोगों वां प्राप्त नियुक्त दवाई दी जाती है। इसके अलिंगिक यह गाँव में लेज़क के टीके भी लगाते हैं। इन सब पर भी उनकी बहुत लंबे वरना पड़ता है।

इन सब के अतिरिक्त उनको वर्षंचारियां, पद्धति वे हृस्पतालों, मेलों, नृगांवों आदि पर भी लंबे करना पड़ता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिला बोर्ड के हाथ में जो मद है उन पर बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है परन्तु उनकी आय बहुत ही कम है। यह जिला बोर्ड की प्रति ध्यानित आय ना आयत न करने है। इतनी कम आय में यह कैसे शिक्षा, महंडे स्वास्थ्य आदि विषयों पर अधिक लंबे कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के यांत्रों की स्थिति इन सब बातों में दोषीय है। जब तक जिला बोर्ड की आय में वृद्धि न होगी तब तक वह इन सभी बायों को बंसे जर सकते हैं।

### ग्राम पंचायत की आय और व्यय

*Income and Expenditure of the Village Panchayats—*

#### आय

उनके प्रबंध में ग्राम पंचायतों को निम्ननिमित्त यदा में आय प्राप्त होती है—

(१) वर—गाँव भगाना निम्ननिमित्त कर भगा सकती है—

(२) जो नगान आमामी देने हो उस पर एक आना प्रति रुपया। यदि आमामी सोर या किसी अमल आमामी वा शिवमी है तो इस कर में से  $\frac{1}{2}$  निरमी आएगी देगा और  $\frac{1}{2}$  अमल आमामी वा सीरदार होगा।

(३) जमीदारों पर २ विमे प्रति रुपये की दर में उस भगान पर जो वे बहुत पालते हैं।

(८) यदि जमीदार जमीन दो खुद बोता है तो उगही जमीन वा लगान मालूम बरते रह पर एक आवा प्रति रप्ता लगाया जा सकता है।

(९) बारबार, ध्यापार और शयं पेशा बरत वालों पर भी कर उठा दर पर लगाया जा सकता है जो राज्य सरकार निश्चित करेगी।

(१०) मकानों वा ऐसे मालियों पर भी इन पर उपमुख धन में कोई पर नहीं लगाया जा सकता।

(११) राजीनामे वे रप्त ये ही गई रूप।

(१२) गाव-नधायत वे कमचारिया द्वारा एकत्र किया हुआ दृष्टि बगड़ घर गोदर, या परे हुए जानवरों की लाशा दृश्यादि के बचते गे जो आय हो।

(१३) राज्य सरकार द्वारा गाव-नधा को सौंपा हुआ धन।

(१४) ऐसा धन जो गाव कीप में तिए कोई जिला बोड़ या दूरस्थ स्थानीय अधिकारी द।

(१५) ऐसा धन जो राज्य सरकार की विसी साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा गाव -कोप में ही जाने।

(१६) जूमने से प्राप्त धन।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाम-नधायतों की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर उक्त तथा हैगियत कर है। इन करों से प्राप्त आय बहुत कम होती है। यही वारण है कि वे कोई विशेष कार्य नहीं कर सकती।

### ब्यय

प्रत्येक दाम पचायत, जहा तथा उसका कोप आज्ञा दे, निम्नलिखित दार्य कर सकती है —

रारते बनवाना तथा उनकी मरम्मत वरना, सानामक रोगों को दूर बरने कथा उम्रवा फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा सम्बन्धी और रोक दाम वे डापायी नो काम में लाना, गपाई तथा रोकनी वा प्रबन्ध करना गाव राभा वे अधिकार में में जो उपतिहासी हो उम्रकी मरम्मत वरना मनुष्यों और पशुओं की लाशा और दुगंध याले पदार्थों वा ठीक प्रबन्ध करने के लिए हवान वी व्यवस्था वरना प्रारम्भिक निधा का प्रबन्ध वरना कुम्रों तालाबों, पोस्तों को बनवाना, गुधारना तथा उनको घट्ठी तरह बनाये रखना, दोस्री बाई धापार और उचोर धनधों की उपति में सहायता करना, आग बुझाने का प्रबन्ध करना पशु गालना जन गणना आदि के लिए गोदडा वा एकत्र वरना, गूति पा और शिशु का हित बरना।

इनके प्रतिरित साम-नधायते कुछ दार्य अपनी दल्ला से भी कर सकती है, जैसे बट्टों के दीनों और पेड़ लगवाना, पशुओं की भरत गुपारना, उनकी चिकित्सा और उनके रोगों की रोक दाम करना, गन्दे गहोंको भरवाना, गावको रक्षा वा प्रबन्ध

२-

धीर श्रीबारा के गोदाम स्थापित करना, अकाल प्रादि में रहायता  
१५ और बाचनालय स्थापित करना, खेलों और मनोरजन के लिए  
प्रादि बनवाना याद और कूड़ा हटाने का प्रबन्ध करना, सांबंजनिक रेडियो  
मट और ग्रामोफोन का प्रबन्ध करना।

उपर्युक्त सब कार्यों पर इनका धन वर्त्त करने की आवश्यकता है कि वह  
करना शाम पचायता की शक्ति के बाहर है। यदि राज्य मरकार चाहती है कि शाम  
पचायते यह सब कार्य करें तो उनको आय के बुछ नए साधन सौंपने पड़े, नहीं तो  
पचायत कोई दायें न कर सकेगी।

### स्थानीय सत्यांशों की आर्थिक स्थिति पर एक टृप्टि—

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में स्थानीय सत्यांशों के जिसे ऐसे  
आर्थ रखे गए हैं जिन पर हमारे राष्ट्र का जीवन निर्भार है। इन सब कार्यों पर बहुत  
सा धन वर्त्त करने की आवश्यकता है पर इन सत्यांशों की आय सीमित है।  
साईमन बमीशन ने इनकी आय के सम्बन्ध में कहा था, “सब प्रकार की स्थानीय  
दरों नगर तथा शाम की, मेरे १९२७-२८ में १२५ लाख (2½ million) पौंड  
की आय हुई, जो कि उस वर्ष में बेवल लन्दन काउंटी कौसिल की दरों की आय से  
बुछ ही अधिक है”।

इसके विपरीत उनका कार्य भार १९१६ के पदचात से बढ़ता जा रहा है  
और नए विधान में बहु और भी बढ़ गया है। इन सब कार्यों को करने के लिए  
उनको अधिकाधिक धन की आवश्यकता है।

चारतोय बर चाच मसिनि ने उनकी आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित  
चुम्बक दिए—

(१) मालगुजारी का उचित कर दिया जाना जिसमें कि स्थानीय सत्यांशों  
की दर (rate) पर भूमि उपकर लगा सकें।

(२) प्रान्तीय मरकारों द्वारा एक लिए गए भूमि के किराए तथा गैर-हैपि  
भूमि की बड़ी हुई आय में से स्थानीय सत्यांशों को एक अव दिया जाए।

(३) नगर पालिकाओं को विकासगत पर वह लगाने का अधिकार दिया  
जाए।

(४) भनोरजन तथा बाजी बरों को बढ़ाया जाए तथा उनसे प्राप्त आय  
का एक बड़ा भाग इन सत्यांशों को दिया जाए।

(५) स्थिति, पेशी तथा सम्पत्ति करों की व्यवस्था को मुफ्तारा जाए।

(६) मोटरकरों पर भास्तव करने को बढ़ाया जाए जिसमें कि प्रान्तीय  
सरकार उन पर कर देगा सके और उसको स्थानीय सत्यांशों में बाट मकें।

(३) चुने हए सेत्रों में स्थानीय सत्याग्रो को शादी की रजिस्ट्री करने का प्रधिकार दिया जाए।

(४) प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय सत्याग्रो को भार्यिक यहायता दी जाए।

इन्हीं तथा उत्तर प्रदेश की स्थानीय सबशासन जाव समिति ने इन सुझावों का प्रनमोदन किया और उत्तर प्रदेश की समिति ने कुछ और सुझाव भी दिए जो निम्नलिखित हैं—

(१) नगर और शासों में महाजनों पर कर लगाया जाए।

(२) प्रान्तीय कोटि फीस का कुछ भाग इनको दिया जाए।

(३) मुद्राक कर के १/६ के बराबर अधिकर लगाकर उससे प्राप्त माय इनको बटी जाए।

(४) एवायतो के लिए इस समिति के निम्नलिखित सुझाव ये—

(१) जमीदारी के लगान पर लाए गए कर का ५ से ७½ प्रतिशत प्रभास्तो को दिया जावे।

(२) प्रान्तीय सरकारों को मिलने वाली मालगुजारो का ५ प्रतिशत इनको दिया जाए।

(३) भूमि उपकर का २५ प्रतिशत जिला दोडों द्वारा इनको दिया जाए।

(४) यदि भावश्यक हो तो थम दर (Labour rates) के बदले थम कर (Labour tax) लगाया जाए।

इनके प्रतिरिक्षण राज्य सरकारों को भावश्यकता पड़ने पर इन सत्याग्रो को महायक अनुदान भी देने चाहिए।

स्थानीय सम्बायें अपनी माय बढ़ाने के लिए बिजली, पानी, सिनेमा आदि अपने हाथ में ले सकती हैं। वह बाजार, हाट, इमारतें आदि बनवा सकती हैं। इस प्रकार वह अपनी माय बढ़ा सकती है।

बिना आय बढ़े यह सम्बायें वास्तविक कार्य नहीं कर सकती। इस तिए उनको माय बढ़ाना भावश्यक है।



## अध्याय १०

### भारत का भार्वजनिक ऋण (Public Debt of India)

भार्वजनिक ऋण का रिचाज अभी नगमय डेढ़ सौ वर्ष से हुआ है। उसमें पहले राजा अरंश बादशाह एक खजाना रखने थे जिसमें से धन खर्च होता था। युद्ध बान में यह खजाना आनी हो जाता था। उस समय शामव विसी बड़े मेठ में ऋण ले लिया बरता था। परन्तु वह व्यक्तिगत करण था, भार्वजनिक नहीं।

हमारे देश में भार्वजनिक ऋण लेने वा आरम्भ इस्ट इण्डिया कम्पनी दे लिया जिसको बहुत से युद्ध लड़ने थे। इस प्रकार जब १७६५ ई० में कम्पनी के हाथ में दझाल वा शामन आया तो वह ऋण ले चुकी थी। १७६३ ई० में पह ७० लाख पौण्ड हो गया। १८१४ ई० में जब कम्पनी इन्डियन वे बादशाह के लिए भारत पर भासत करने लगी तो उसके दो प्रकार के खाने रखने आरम्भ चिर्। पहला राजनीतिक आता तथा दूसरा व्यापारिक खाता। इन खातों के अलग होने पर भी बहुत भा व्यापारित व्यष्ट राजनीतिक खाते में लिखाया जाने लगा। इस प्रकार १८३४ तक जब कि कम्पनी का व्यापारिक दाय विकुल समाप्त हो गया तब बुल ऋण वा अनुमान तीन करोड़ सत्तर लाख पौण्ड था। ऐसे सर करण थी लझा, झझा, मलाया में युद्ध लड़ने में एकत्र हुआ था। इसके अनिवार्य इस ऋण में बहुत सी ऐसी चीजें मध्मिति थीं जिनका बास्तव में भारतवर्ष में बोर्ड मध्मन्थ न था।

१८३४ ई० में त्रिटिय पालियामेण्ट का कम्पनी ने एक समझौता हुआ जिसमें कम्पनी की सब सम्पत्ति बादशाह ने भारत सरकार के नाम में लेली। इसके बदले कम्पनी का राजनीतिक दाय व्यापारिक ऋण सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। कम्पनी दो उसके सामान के बदले १०५ प्रतिशत लाभांश अववा ६,३०,००० पौण्ड देने का वचन दिया गया। इसकी भारत में से दिया जाता था। १८३४ के पश्चात इस लाभांश के बदले सरकार ने कम्पनी के हर १०० पौण्ड के हिस्से के बदले २०० पौण्ड देने का वचन दिया। कम्पनी के अस्तरों वो भी उचित धनि भूति देने का वचन दिया गया। इस प्रकार भारतवर्ष के ऊपर कम्पनी का लगभग तीन करोड़ लाख पौण्ड का ऋण आ पड़ा।

इन समझौते के होने से एक अन्य निपटाया कोप (Debt Redemption Fund) कायम किया गया जिसके पालस्वरूप ऋण में कुछ बमी होने लगी। परन्तु

सरकार को ऋण भी लेना पड़ा। प्रान्तों का ऋण बढ़ने का कारण यह था कि उन वो बहुत सा धन उप्रति की योजनाओं पर खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने "मैदानीय सरकार का भी ऋण चुकाया।

भारत के सार्वजनिक ऋण का अनुमान निम्नलिखित तालिका से हो सकता है—\*

( करोड़ रुपए में )

	१९४८	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
साधा ऋण	१४७७ ३६	१४५२ १५	१४३३ ४६	१४०२ १०	१४०५ ५८	१३८६ ५८	
कोपाणारनविष्ट्र							
तथा मार्गोपाय अधिकम	३७३ ३३	३६१ ४८	३७३ २०	३३५ ०१	३१८ १६	४२६ ०४	
अत्य दबते	२७१ ७३	२६३ ८०	३२६ २५	३७२ ५७	४१७ ६४	४६२ ५७	
मवमूल्यन संचित							
बोष	११६ ७०	१२६ १५	१५५ ५६	१७१ ४७	१७० १८	१५६ ४०	
गन्य	१७२ ७४	२२२ ७५	२०७ २६	१६३ ०२	१५६ १४	१६४ १३	
स्टीलह ऋण	४२ ८४	३६ ८३	३६ १७	३३ ४८	३० २३	२८ ६६	
इलार ऋण	—	१६ ७३	२४ ६०	११२ ०४	११३ ७४	११२ ७६	
गोग	२४५५ ८०	२५१२ ६३	२५६१ ५०	२६१६ ६६	२६४५ ७०	२७३६ ३७	

इस कहण को निम्नलिखित ढंग से लगाया गया है—

( करोड रुपयों में )

	१	२	३	४	५	६
१ रेते	६६२ ४०	७२३ ८०	८१४ १२	८३३ ६३	८६४ २३	८८३ २०
२ द्विमरे व्यापारिक वभाग	४८८ ५५	६८ १७	६० ११	११२ ६५	८१ २५	६० ३४
३ राज्या आदि को दिया गया ऋण	११० ४६	१५८ ६२	२१६ ६७	३४१ २६	३७७ ४०	४७३ ७६
४ ब्रह्मा तथा पाकिस्तान पर ऋण	३४८ १५	३४८ १५	३४८ १५	३४८ १५	३४८ १५	३४८ १५
५ डिटिंग मरकार वे पास रेलों की वर्षपकी चुकाने के लिए जमा विद्या धन	१५५३	१३ २६	१० ६६	७ ५६	५ ४४	४ १३
६ विटिंग पेनानो के लिये खरीदी गई वार्षिकी	२१५ ६८	२०८ ८६	२०० ८६	१६३ ५८	१८६ ३२	१७६ १६
योग	१४३१ १२	१५२१ ३६	१६८१ २१	१८३८ २३	१८६२ ८८	१८५८ १७
७ द्रव्य तथा प्रति- गूति	८३५ ८१	१७२ ६६	१४१ ६७	१६८ ७०	१३६ १८	१०६ ५३
८ शेष उपर्युक्त कहण में ब्याज देने वाले ऋण वह प्रतिशत	७८८ ८७	८८८ ५५	७८८ ३२	८८८ ७६	८८८ ६६	८८८ ८७

द्वितीय महायुद्ध का भारत के सार्वजनिक ऋण पर प्रभाव—

१९४८-४९ में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने से पूर्व भारतवर्ष वा भुल  
सार्वजनिक ऋण १२०५ ७६ करोड रुपए था। इसमें से ७३६ ६४ करोड रुपए का  
ऋण लाए वे तथा ८६ १२ करोड रुपए का ऋण स्थिरित के रूप में था। इस

प्रवार छुल झरण का ६१२ प्रतिशत भारतीय तथा यह ३८८ प्रतिशत विदेशी था। इस झरण के विषय में एक मुख्य बात यह था कि इसमें से अधिकतर उत्पादक या प्रधानी ऐसे स्थानों पर लगाया गया था जहाँ में मरकार की आय प्राप्त होनी थी। इस बुल झरण में मैं ३४ ३८ पराड रूपए, अर्थात् ७८४ प्रतिशत उत्पादक था और केवल २२८ ०८ बरोड रूपए, अर्थात् १८२ प्रतिशत अनुपादक था। ऐसा दब्बा तथा प्रतिभूतिया के रूप में था।

यदृ के कारण हमारा विदेशी झरण प्राप्त चुका दिया गया है और उसके स्थान पर भारत का आदरित करण यह गया है। यदृ छिं जाने पर भारतवप में अप्रैची सरकार ने बहुत सी युद्ध गाम्फी दी। इसके प्रतिरिक्त भारतवर्ष का व्यापा इक आधिकार भी बहुत ही घटिक अनका रहा भारतवप न रिजिव बैंक द्वारा बहुत सी खादी इक्सेंड दो थी। इन नव बांदों के कारण रिजिव बैंक के पाय स्ट्रिंग का स्ट्राक बढ़ा चढ़ा था। इसी प्रीत हमारा गह चय (Home charges) का खच निरन्तर पहना जा रहा था। १९३८-३९ में भारत मरकार को ३ बरोड ६० साल पौँड की देनदारी थी परन्तु यह कम हाती नहीं गई यहा तक कि १९४१-४२ में भारतवर्ष को भारत नहीं ने कुछ वित्ती सी आदा दी।

स्टर्लिंग झरण का चुकाया जाना (Repatriation of Sterling Debt)—स्टर्लिंग झरण के चुकान का बाय १९३७ में ही ग्राम्भ हो गया था जब वि भारत मरकार ने रिजिव बैंक का सदन में ३ तथा ३१ प्रतिशत की घमावधि स्टर्लिंग प्रतिभूतिया (Non terminable sterling securities) देनदों की आज्ञा दी थी। इसके पश्चात यह काग निरन्तर नहना रहा। ऐसा करने करने प्राप्त मध्ये स्टर्लिंग झरण चुका दिया। योडा बहुत जो रह गया वह कुछ विग्राह बढ़िताह्या के कारण न चुकाया जा गता। १९३६-३७ के सन्त में ३५ ६०५ बरोड पौँड का स्टर्लिंग झरण था। इसमें से १९४५ ४६ तक ३२ ३१२ करोड पौँड चुका दिया गया। इसमें बदले २७३ ५७ बरोड रूपए का भारतीय करण उत्पन्न किया गया। इस प्रवार स्टर्लिंग झरण जो मार्च १९३६ में ४६६ १० करोड रूपए परमार मार्च १९४५ म ६३ ५६ करोड रूपए रह गया और १९४३-४४ में बजट में अनुगार यह २८६६ करोड रूपए है। इसमें विपीन १६४५ म भारतीय झरण ५०६ १६ करोड रूपये से बढ़ कर १६७१ ४२ करोड रूपए है, यानि और १६५६-५७ के बजट में अनुगार यह २८६४ ७१ करोड रूपए था। इस प्रवार यदृ के कारण भारतवर्ष बुछ ही बर्पों में झरणी देने में जाग दाता देना बन गया। इसमें स्टर्लिंग भारत की विदेशी म साल बढ़ गई। उसमें ऊपर प्रतिवर्ष जो व्याज का भार था वह समाप्त हो गया। अपनी इस चर्चत में भारत विदेशी म बिए गए मायात का भूगतान कर सका। इसके कारण रूपया झरण उत्पन्न हो गया।